दशम माला, खंड 19, अंक 14

शुक्रवार, 12 मार्च, 1993
21 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 19, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 14, शुक्रवार, 12 मार्च, 1993/21 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 241-44	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर ...	18—150
तारांकित प्रश्न संख्या : 245-260	18—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2468-2486, 2488-2565 2567-2639	30—150
राष्ट्रपति से सन्देश	150—164
सभा पटल पर रखे गए पत्र ...	164—167 और 232-233
सभा का कार्य	167—169
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—1992-93 प्रस्तुत	169
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर)—1992-93 प्रस्तुत ...	170
जम्मू-कश्मीर बजट—1993-94 प्रस्तुत	170-171
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश)—1992-93 प्रस्तुत	171
उत्तर प्रदेश बजट—1993-94 प्रस्तुत ...	171—173
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मध्य प्रदेश)—1992-93) प्रस्तुत	173

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
मध्य प्रदेश बजट—1993-94 प्रस्तुत	... ...	173-174
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (राजस्थान)—1992-93 प्रस्तुत	... ...	174-175
राजस्थान बजट—1993-94 प्रस्तुत	... ...	175-176
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (हिमाचल प्रदेश)—1992-93 प्रस्तुत	... ...	176
हिमाचल प्रदेश बजट—1993-94 प्रस्तुत	... ...	176—178
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत् पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प		
और		
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत् पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	... ...	... 178—195
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ...	... 187
	प्रो० के० वी० थामस ...	 191
	श्री अनिल बसु	... 194
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	... ...	... 195-196
विधेयक—पुरस्थापित	... ...	... 196—199
संविधान (संशोधन) विधेयक (उद्देशिका आदि, में संशोधन)		
	श्री चित्त बसु ...	... 196
संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 75-क और 164-क का अंत:स्थापन)		
	श्री चित्त बसु	... 196
संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 156-क का अंत:स्थापन)		
	श्री चित्त बसु	... 197

विषय				पृष्ठ
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक				
(नई धारा 13-क का अंतःस्थापन)				
श्री तरित बरण तोपदार	...	...		197
अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक				
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...		197-198
मोटर यान (संशोधन) विधेयक				
(धारा 80 में संशोधन)—वापिस लिया				
श्री पी० सी० थामस	...	...	...	198-199
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री पी० सी० थामस	...	...	...	198
श्री जगदीश टाइटलर	...	...	...	199
उपदाय संदाय (संशोधन) विधेयक				
(धारा 1 आदि में संशोधन) वापिस लिया				
श्री शरद दिघे	...	...	...	199
वापस लेने के लिए प्रस्ताव				
श्री शरद दिघे	...	...	...	199
रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक				
(विधेयक के पूरे नाम आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन)	...	...	...	200 और 208
वाद-विवाद स्थगित करने के लिए प्रस्ताव—स्वीकृत				
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	...	...		200
वाद-विवाद स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत				
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	...	...		208
श्री चन्दूभाई देशमुख का कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक				200-208 और 209-212 और 217-232
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री चन्दूभाई देशमुख	...	...	...	200
श्री हन्नान मोल्लाह	...	...	...	202
श्री रमेश चेन्नितला	...	...	...	206
श्री सैयद शहाबुद्दीन	...	...	...	209
श्री चित्त बसु	...	...	...	217
श्री राजवीर सिंह	...	...	...	221

विषय	पृष्ठ
श्री किरिप चालिहा	223
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	226
श्री सूर्य नारायण यादव	228
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	230
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मुंबई में बम विस्फोट	
श्री राजेश पायलट	213-17 और 240-43
आधे घंटे की चर्चा	233-40 और 243-47
मंडल आयोग का प्रतिवेदन	
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	233
श्री संतोष कुमार गंगवार	235
श्री राम विलास पासवान	236
श्री रासा सिंह रावत	243
श्री सीताराम केसरी	245

लोक सभा

शुक्रवार, 12 मार्च, 1993/21 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री सी०के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय, ए०आई०ए०डी०एम०के० से सम्बन्ध रखने वाले कुछ व्यक्तियों ने तमिलनाडु के एग्मोर क्षेत्र में कांग्रेस के एक विधायक पर हमला किया था। इसलिये इस मामले पर चर्चा करने के लिये प्रश्न-काल स्थगित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

11.00 म० पू०

इस समय श्री सी०के० कुप्पुस्वामी आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक) : कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। (व्यवधान)

11-03 म० पू०

इस समय श्री सी०के० कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापस चले गये।

11-3½ म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

औद्योगिक एककों की बिक्री

*241. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों में यह कहा है कि राज्य वित्त निगम, औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने की सभी संभावनाओं के समाप्त हो जाने के बाद ही उन्हें बेचें;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के ये आदेश/निर्देश वित्तीय संस्थाओं के ध्यान में लाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वित्तीय संस्थायें इन निर्देशों का पालन कर रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) उच्चतम न्यायालय ने महेश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू०पी०एफ०सी०) के मामले में अपने दिनांक 12 फरवरी, 1992 के फैसले में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी बिक्री को रद्द करते हुए, यह कहा है कि "परस्पर-विरोधी हित को जन्म देने वाले इन पहलुओं को देखते हुए, अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, उत्तर प्रदेश के वित्त निगम के अनुपालनार्थ निम्नलिखित निर्देशों को जारी करना आवश्यक है" कि यूनिट को अर्थक्षम बनाने तथा उसे चालू हालत में लाने के लिये हर प्रयास किया जाना चाहिए । अगर यूनिट को चालू हालत में लाना असम्भव हो जाता है, तो उस सूरत में उसकी बिक्री हमेशा सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जानी चाहिए ।

(ख) से (च) जी, नहीं । फिर भी, वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समान परिस्थितियों वाले परवर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं सबसे पहले, जो वित्त मंत्री नये बने हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर से आते हैं, जहां कि सीमेंट फैक्टरी बन्द है, उन्हें भी मालूम होगा, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सत्र में पहला प्रश्न का उत्तर दिया और पद के लिए बधाई भी देता हूं । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब औद्योगिक इकाइयों को न बेचने के निर्देश दिये जा चुके हैं, आपने इसमें लिखा है : —

[अनुवाद]

"इकाई को अर्थक्षम्य बनाने और इसे चालू हालत में लाने के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए ।"

[हिन्दी]

यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में न बेचें और उनको वायबल बनायें, औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत ब्याज में वांछित छूट देकर कितनी इकाइयों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है ? इसी में दूसरा प्रश्न यह है कि उद्योग निदेशालय की तरफ से था कि जो तकनीकी व्यक्ति ऋण लेंगे वे राजनीतिक पार्टी में भाग नहीं लेंगे, यह शर्त तो राजस्थान की सरकार ने हटा दी, क्या भारत सरकार के स्तर पर आप सारे प्रांतों में इस प्रकार की शर्त को हटाने जा रहे हैं ? इसी में तीसरा भाग प्रश्न का यह है कि जो ऋण लेगा वह चाहे भूखे मर जाये दूसरा उद्योग नहीं लगा सकता तो क्या ये दो पाबंदियां जो आपने लगा रखी हैं इनको हटाने पर विचार करेंगे ?

डा० अबरार अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने जो सवाल सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के बारे में उठाया है, इस सवाल से संबंधित नहीं है। चूंकि मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने यह बात पूछी है, इसलिए मैं उसका उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। माननीय सदस्य इस फैक्टरी के लिए जितने चिन्तित हैं, मेरी चिन्ता भी किसी रूप से कम इसलिए नहीं कि मैं खुद सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखता हूं। मंत्री बनने से पहले जब मैं संसद सदस्य बनकर यहां आया था तो शायद जितनी बार मैंने सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के बारे में मसला उठाया था, माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं लेकिन कई बार इस प्रकार की समस्यायें होती हैं कि चाहते हुए भी उसका निराकरण तुरन्त नहीं हो पाता। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह पहले बी०आई०एफ०आर० के अन्दर मामला चल रहा था और उसने इसका फैसला कर दिया लेकिन उसके बाद सम्बन्धित पक्षों ने ए०आई०एफ०आर० के अन्दर इसकी रिट कर रखी है तो जैसे ही ए०आई०एफ०आर० से रिट का फैसला होगा, माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कोई मामला कोर्ट के अन्दर या कोर्ट जैसी किसी संस्था के अन्दर हो तो सरकार सीधे-सीधे उसके अन्दर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसे ही सीमेंट फैक्टरी का ए०आई०एफ०आर० कोई फैसला करेगा, निश्चित रूप से सरकार उसको तत्काल चालू करवाने का प्रयास करेगी।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कितने फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है ? जो भी स्टेट फाईनेंशियल कारपोरेशंस हैं, उनके अन्दर ऐसी बीमार इकाइयां, जो स्टेट फाईनेंशियल कारपोरेशन से ऋण लेकर बनी थीं, उनको न बेचा जाये।

इस संबंध में माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उन्होंने हवाला दिया, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि महेश चन्द्र बनाम उ०प्र० के केस के अन्दर कोई भी सिक्क यूनिट्स है तो उसकी वायोबिलिटी के बारे में पूरा देखा जाना चाहिये और प्रयास किया जाना चाहिये कि क्या उस इकाई को चालू किया जा सकता है ? यदि चालू नहीं किया जा सकता है तो जो उसकी सम्पत्तियां हैं, उसको ओपन एक्शन के अन्दर बेचा जाना चाहिये। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने केसेज के अन्दर ऐसे निर्देश दिये गये हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया उसके बाद दूसरा फैसला देगी। इनका रिवर्स आया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट जो फैसला देती है, वह मैरिट के आधार पर अर्थात् गुण-दोष के आधार पर देती है, उसके आधार पर हम कोई नीति नहीं बना सकते है।

माननीय सदस्य ने जिस दूसरे केस के बारे में पूछा है, तो उनको हवाला देना चाहता हूं कि उसके अन्दर यू०पी० एफ०सी० बनाम मैसर्स ज०एफ०के० आफ इण्डिया का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले दिया, वह वापिस उलट दिया गया तो यह कहना कि उस फैसले के अनुसार निर्देश देना सरकार की नीति के अन्दर नहीं आता है। माननीय सदस्य ने तीसरी बात यह जाननी चाही कि ऋण लेने वाली कोई भी विशेष राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित न हो और दूसरा उद्योग नहीं लगा सके तो माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस प्रकार की बातों पर राजस्थान में पाबंदी लगायी गयी थी जो अब हटा ली गयी और बाकी किसी फाईनेंशियल कारपोरेशन के अन्दर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, आपने तर्क तो बहुत अच्छा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप बधाई के पात्र हैं। आप यह बतायें कि यदि फैक्टरी बंद हो जाये और सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के जो मजदूर हैं और जयपुर की पोद्दार फैक्टरी के मजदूरों का क्या होगा ? साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर की दूसरी फैक्टरियों में अब तक वित्त निगमों द्वारा कितनी

राशि स्वीकृत की गयी है । इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि कुल कितनी राशि इन इकाइयों से बकाया है और इसकी रिकवरी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? इस प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि जो स्टेट फाईनेंशियल कारपोरेशंस हैं, इनकी परफारमेंस को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं जबकि आप नये वित्त राज्यमंत्री बने हैं ? जो आपने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के फैसले दिये हैं कि यूनिट्स किसी भी सूरत में बेचे न जायें और इनको अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा करके फाईनेंशियल कारपोरेशंस मदद करें, तो इन बातों पर न जा करके आप इन छोटी-छोटी यूनिट्स को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए खड़ा करें और उनको किसी भी सूरत में न बेचें ।

डा० अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने सीमेंट फैक्टरीज का उदाहरण देते हुए जो बात कही है, मैं उनकी चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोई भी मामला जब कोर्ट में पेन्डिंग होता है तो सरकार उसके अन्दर इंटरवीन नहीं कर सकती···(**व्यवधान**)···यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी वही बात कर रहा हूं । लेकिन मामला ए०आई०एफ०आर० के अन्दर है और जैसे ही इसका फैसला होगा, निश्चित रूप से इसके सम्बन्ध में प्रयास किये जायेंगे ।

दूसरे, माननीय सदस्य ने सैंक्शन्स के बारे में पूछा है कि अब तक कितनी सैंक्शन्स की गयी हैं— 31 मार्च, 1992 तक चार लाख 62 हजार 776 इकाईयों के लिये 13 लाख 15 हजार 9 लाख रुपये सैंक्शन किए गए हैं । इसमें से डिस्बर्स्ड एमाउन्ट 10 लाख 20 हजार 211 लाख रुपये का है । जहां तक स्टेट-वाइज फीगर्स का ताल्लुक है···(**व्यवधान**)···शायद, आपने पूरी तरह से सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल सही बोला है और फीगर्स के अन्त में लाख शब्द का प्रयोग किया है । मैंने बोला है 10 लाख 20 हजार 211 लाख, यदि आप ध्यान से सुनें तो शायद आपको कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि माननीय सदस्य इसकी स्टेट-वाइज फीगर्स चाहें तो वे मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन वह लम्बा चिट्ठा है, जिसको पढ़ने में समय लग जाएगा ।

जहां तक ओवरड्यू या बकाया के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है 31 मार्च 1992 तक 6,840 करोड़ रुपये बकाया थे, बिहार और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर 5,900 करोड़ रुपये बकाया थे । इसके अन्दर 4,110 करोड़ रुपये स्टैन्डर्ड में और 664 करोड़ रुपये सब-स्टैन्डर्ड में, तथा डाउटफुल अमाउन्ट 1125 करोड़ रुपये था । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह बकाया 31 परसेंट था । जो 1991-92 में बढ़कर 35 परसेंट हो गया । इसमें सबसे ज्यादा जो बकाया है वह 64 परसेंट उड़ीसा के अन्दर है, उसके बाद हिमाचल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्य आते हैं ।

अन्तिम प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है रिकवरी के बारे में, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1986-87 में रिकवरी का परसेंटेज 35 परसेंट था जो 1991-92 में घटकर 31 परसेंट रह गया । उसके अगले साल इसमें थोड़ा सा सुधार आया और यह 32 परसेंट हो गया है । माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है···(**व्यवधान**)···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, मेरे प्रदेश के हैं, वे मन्त्री हैं और मैं यहां विपक्ष में हूं और वे रूलिंग पार्टी में हैं, मन्त्री हैं । (**व्यवधान**)

डा० अबरार अहमद : अन्तिम सवाल माननीय सदस्य ने परफौरमैंस के बारे में पूछा है । (**व्यवधान**)

माननीय सदस्य ने पूछा है कि परफोरमेंस के लिये क्या कदम उठाये गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि परफोरमेंस इम्प्रूवमेंट के लिये काफी कदम उठाये गये हैं जिसमें "सिक्स मंथली रिव्यू" भी शामिल है, "आइडेन्टिफाइड पोटेन्शियल आफ सिक यूनिट्स फार देयर रिवाइवल" भी शामिल है, रिकवरी के

सम्बन्ध में "पीरियोडिक रिव्यू" भी शामिल है तथा "डिफाल्ट रिव्यू" भी है। इसके अलावा "कमेटी की स्थापना", "बैड डेट की पर्याप्त व्यवस्था", "वार्षिक कलैक्शन" का टार्गेट फिक्स करना और कमजोर एस०एफ०सीज०को सिडबी द्वारा विशेष सहायता—ये कदम उठाये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (क) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने उस अच्छे सिद्धान्त का उचित ही उल्लेख किया है जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और यह कि किसी इकाई को अर्थक्षम्य बनाने और उसे चालू करने की अवस्था में लाने के लिये हर तरह का प्रयास किया जाना चाहिये। और यदि किसी तरह उसे अर्थक्षम्य बनाया ही नहीं जा सकता तब उसे सार्वजनिक नीलामी के जरिए बेच दिया जाना चाहिए। जब उच्चतम न्यायालय ने इतना अच्छा सिद्धान्त निर्धारित किया हुआ है तो मुझे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देखकर हैरानी हो रही है जिसमें कि मन्त्री जी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये इस अच्छे निर्देश से वित्तीय संस्थाओं को अवगत नहीं कराया है और उन्हें इसकी सूचना नहीं दी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह कर्त्तव्य सुनिश्चित करना नहीं है कि इस बात को देखा जाये कि वित्तीय संस्थायें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करें? और फिर उस दृष्टि से क्या आपके लिये यह आवश्यक नहीं है कि आप न केवल इन वित्तीय संस्थाओं को इन दिशानिर्देशों की जानकारी दें बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये इन सिद्धान्तों का इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार भी उल्लंघन न हो?

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बड़े विस्तृत रूप में यह कहा है कि गुण-दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है और एक निर्णय उन्होंने दिया है और दूसरा फैसला उसके विपरीत दिया है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे, सरकार उसके आधार पर नीति निर्धारण नहीं कर सकती है। केस टू केस कंडीशन डिफर करती हैं, गुण-दोष डिफर करते हैं। इसलिए हम फायनेंशयल इंस्टीट्यूशन्स को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कितने केसों में इवेल्यूएशन हुआ है, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस केस के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया है उसका इवेल्यूशन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन होता है। सबके बारे में ऐसा करना, जब तक कोई नीति निर्धारित नहीं होती है, तब तक मुश्किल है और नीति निर्धारण के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देती है, करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। यह आप द्वारा नीति निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, चूंकि यह बीमार उद्योगों की बात सामने आई है और जी. आई. एफ. आर. की भी चर्चा हुई है, तो क्या मन्त्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि बी०आई० एफ०आर० के सामने अपनी जो वित्तीय संस्थाएं जाती हैं कोई भी पैकेज को लेकर, तो वह उस उद्योग को फिर से ठीक और दुरुस्त करने की बात को कम आंखों के सामने रखता है और किसी अपने मन पसन्द उद्योग समूह को इस बीमार उद्योग को बेचने, सौदा करने, वहां पर जाते हैं, क्या आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं और उसके साथ-साथ जब बी०आई०एफ०आर० एक प्रकार का डाक्टर करके आपने

बना रखा है, बीमार उद्योग की जांच करके उन्हें कैसे चलाया जाए, इस प्रकार के कितने मामले इस बी०आई०एफ०आर० के सामने पड़े हैं और इन मामलों को निपटाने में और कितने साल लगने वाले हैं और जो इस बी०आई०एफ०आर० में कमजोरियां और कमियां हैं, इनको दुरुस्त करने के लिए मन्त्री महोदय क्या तत्काल कोई कदम उठायेंगे ?

डा० अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, वैसे सामान्य रूप से तो बी०आई०एफ०आर० का कोई सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है, चूंकि सीमेंट फैक्ट्री का मामला था इसलिए मैंने बी०आई०एफ०आर० का उल्लेख किया था, उसका रेफरेंस देकर, लेकिन माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मनचाहे लोगों को उद्योग देने की शिकायत आई है क्या, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो पता लगाईये ? मेरा दूसरा प्रश्न यह भी था कि बी०आई०एफ०आर० के सामने अनेक मामले अनेक दिनों से पड़े हुए हैं और पांच-पांच तथा सात-सात साल से मामले पड़े हुए हैं, मिलें बन्द पड़ी हैं, मजदूर सड़क पर हैं और आपकी पूंजी लगी हुई है, इनका समाधान कब तक होगा ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जो मामले बी०आई०एफ०आर० के पास जाते हैं, उनका समय पर समाधान किये जाने के सम्बन्ध में कई समस्यायें आती हैं । इसी वजह से ही हमने यह चाहा है कि रुग्ण उद्योग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जाये ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसको मजबूत बनायें ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारे देश में उद्योग लगते हैं और उद्योग बन्द हो जाते हैं । जब उद्योग बन्द होता है, तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मजदूर को होती है क्योंकि उस उद्योग से उसकी रोजी-रोटी चल रही होती है और उसको उससे रोजगार मिलता है, जब वह बन्द हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसको उठानी होती है । मैं मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो उद्योग लगते हैं, उन उद्योग को लगाने वाले जो उसके मालिक होते हैं, वे उस उद्योग से पूरी मलाई-मलाई को निकाल लेते हैं और फिर उद्योग को बीमार कर देते हैं और धीरे-धीरे वह उद्योग बन्द हो जाता है, तो क्या मन्त्री महोदय इसके एक्ट में कोई ऐसा संशोधन करेंगे कि वह उद्योग बन्द न हो और यदि बन्द हो जाए, तो उस उद्योग में लगी पूंजी की वसूली उस उद्योग के मालिकों से हो सके और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मिलें ज्यादा बन्द होती हैं । मेरी कांस्टीट्यूएंसी रतलाम में एक सज्जन टैक्सटाइल मिल है, जो बन्द हुई और अब जिसको राज्य सरकार चला रही है, लेकिन मजदूर यह कह रहे हैं कि इसको न चलायेंगे, तो बैंक वाले और अन्य वित्तीय संस्थान उस फैक्ट्री की जो वित्तीय लायबिलिटीज हैं, उनको मजदूरों के ऊपर डालने का काम कर रही हैं, जबकि उन वित्तीय देयताओं को, उसके मालिकों से वसूल करना चाहिए·····(**व्यवधान**)·····

अध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, आपको भाषण नहीं करना है, प्रश्न पूछना है ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर आप मजदूर लेकर चलाना चाहते हैं तो पुरानी लायबिलिटी उस इन्डस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कीजिए और नई इण्डस्ट्री चलाने में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ये पूछ रहे है कि क्या मजदूरों को देने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह तो प्रत्येक मामले के अपने गुण-दोषों पर निर्भर करता है। सरकार को इन मामलों पर विचार करने में प्रसन्नता होगी। जहां श्रमिक इन रुग्ण इकाइयों को चलाने की स्थिति में होंगे, वहां हमारा यह प्रयास होगा कि उन्हें उसके लिये प्रोत्साहित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सिलसिले में काफी भ्रम उत्पन्न हुआ। राज्य स्तर के जो वित्तीय निगम हैं उनका उद्देश्य और उनकी पूंजी लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों में लगती है और केवल पूंजी निवेश तक उनका दायित्व सीमित है। उद्योग बहुत कुछ मर जाते हैं इसलिए कि उनको वकिंग कैपिटल, विद्युत, कच्चा माल नहीं मिलता। आपने स्टेट फाईनेंशल कार्पोरेशन को केवल पूंजी निवेश तक सीमित किया है। जो उद्योग वकिंग कैपिटल के लिए, स्टेट फाइनेंशल कार्पोरेशन की पूंजी लगने के बाद, दूसरी वित्तीय संस्थाओं पर, जैसे बैंकों के ऊपर निर्भर हैं और बैंकों का वकिंग कैपिटल न मिलने की वजह से वह पूंजी डूब जाती है और इकाइयां काम करना शुरू नहीं कर पाती हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य वित्तीय निगमों को इस बात का अधिकार देंगे कि जो अपने वित्त से जिन संस्थाओं को खड़ा करते हैं उनका वकिंग कैपिटल भी स्टेट फाइनेंशल कार्पोरेशन उन्हें दे सके जिससे उन उद्योगों को मरने से बचाया जा सके ? क्या इस नीति में कोई परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है ?

डा० अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, 1990 तक एस० एफ० सी० ऐसी परियोजनाओं को मैक्सीमम 60 लाख रुपये तक का टर्म लोन देती रही है जिसकी प्रोजेक्ट कास्ट लिमिट 3 करोड़ है और अगस्त 1990 में यह बढ़कर 60 लाख से 90 लाख की जिसकी प्रोजेक्ट कास्ट 5 करोड़ है। माननीय सदस्य ने वकिंग कैपिटल के बारे में जो बात कही है, स्टेट फाईनेंशल कार्पोरेशन का दायरा अपनी राशि, जहां तक उनके आधार हैं और जो उनकी सीमाएं हैं, वहां तक देने तक ही सीमित है। वकिंग कैपिटल के बारे में उस प्रोजेक्ट के अनुसार वे किसी भी बैंक या फाइनेंशल इंस्टीटयूशन से चाहें, एप्लाई कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के अनुसार प्रोजेक्ट को देखकर वह राशि सैंक्शन की जाती है।

[अनुवाद]

श्री बी०अकबर पाशा : बी०आई०एफ०आर० मामलों में देरी होती है। ये एक आपरेटिंग एजेन्सी नियुक्त करते हैं जोकि मामलों को अन्तिम रूप देती है। इसमें काफी लम्बा समय लग जाता है। निर्णय लिये जाने के बाद भी आपरेटिंग एजेन्सी वित्तीय संस्थाओं को काफी देर के बाद निर्देश देती है। इस कारण से भुगतान किये जाने में इतनी अधिक देरी हो जाती है कि रुग्ण इकाई और अधिक रुग्ण हो जाती है। क्या सरकार इस दिशा में कोई सुधारात्मक कदम उठाने का प्रयत्न करेगी।

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डिले की बात कही है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं और इस सम्बन्ध में हम और वैब बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

***242. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर

अपनी 1992 की रिपोर्ट सं० 15 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण में अनेक कमियों की ओर संकेत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं ?

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31-3-1991 को समाप्त हुये वर्ष के लिये अपनी रिपोर्ट (1992 की सं०-15) में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं । प्रमुख टिप्पणियां निम्नलिखित मामलों में विलम्बों/कमियों से सम्बन्धित हैं :—

1. शामिल किये जाने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान; प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिये आदेश जारी करना; चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों द्वारा दी जाने वाली भविष्य निधि बकाया राशि का निर्धारण; बकाया राशि की वसूली; नुकसानों का शुल्क (लेवी); भविष्य निधि दावों का निपटान; वार्षिक लेखा विवरण जारी किया जाना; अनियोजन मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना; आदि ।

2. समुचित उपचारी उपाय किये जाने के लिये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भेज दिया गया है । कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने और लेखा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक बृहद् कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है । कार्य के पर्याप्त क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक केन्द्रीय कार्य योजना 1990-91 में शुरू की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप इस पद्धति की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर येन-केन प्रकारेण दिया । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 174 प्रकार के उद्योगों से सम्बद्ध 2 लाख 12 हजार व्यवसायों में कार्यरत आज 1 करोड़ 70 लाख कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यरत हैं । प्राय: देखा जा रहा है कि इस संगठन का कार्यालय बड़े-बड़े शहरों में ही है । कर्मचारियों, खासतौर से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के मामले के निपटारे में काफी असुविधा हो रही है । अपने केस से सम्बद्ध बकाया राशि के निर्धारण, उसकी वसूली, अन्य लेखा सम्बन्धी उलझनों के निराकरण के लिए बार-बार छोटे कर्मचारियों को शहर में आना पड़ता है । स्पीकर साहब, ध्यान देने की बात है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में उनका एक कार्यालय है । बलिया के आदमी, बनारस के आदमी, गाजीपुर के आदमी को कानपुर आना पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके समाधान के लिये प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय में कार्यालय खोले जाने की आपके यहां कोई व्यवस्था है या इसके बारे में आप सोच रहे हैं जिससे इन केसों का आसानी से निराकरण हो सके । मेरा "ख" प्रश्न यह है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की पेमेन्ट केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उसके नजदीक के राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से की जाती है । इससे 2-3 दिन तक शहर में रुककर अपना पेमेन्ट लेने के लिये लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती है । मैं माननीय मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन भविष्य निधि प्राप्त कर्मचारियों जिनको पेमेन्ट लेनी है, उनके लिये बैंकों के द्वारा चैक से पेमेन्ट कराने की योजना बना रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, आज के दिन तक हमारे यहां 16 प्रादेशिक कार्यालय और 47 उप-प्रादेशिक कार्यालय हैं । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है । दूरी के कारण भविष्य निधि कार्यालयों में जाने में भी उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

हम और अधिक कार्यालय खोलने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु जब हम नया कार्यालय खोलने का निर्णय लेते हैं तो उस समय जिला अथवा उप-मंडल स्तर को आधार नहीं माना जाता । इसमें यह देखना होता है कि भविष्य निधि में अंशदान करने वाले अंशदाताओं अथवा कर्मचारियों की संख्या कितनी है । अतः यह उद्योग-वार होता है और उस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होता है । चूंकि इसके लिये कर्मचारियों की संख्या को आधार माना जाता है, इसलिये इसे जिला मुख्यालय में नहीं खोला जा सकता ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले दिनों यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को एक अप्रैल, 1993 से रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलेगी । क्या इसके लिये सरकार ने कोई अध्यादेश जारी किया है या वह इस सत्र में कोई बिल ला रही है और उसे 31 मार्च, 1993 के अन्दर पास करा लेने की स्थिति में है जिससे एक अप्रैल, 1993 से पेंशन दी जा सके । मेरा "ख" प्रश्न यह है कि कर्मचारियों के केस के निवारण में प्रायः 3-3, 4-4 माह लग जाते हैं । इससे काफी दिक्कतें होती हैं । इस दिक्कत को देखते हुए महालेखा परीक्षक ने कहा था कि 20 दिन में केस सुलझा लेने चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनको क्या यह जानकारी है कि कानपुर रीजन में ही लगभग 200 से अधिक ऐसे केस हैं जो 3-3 और 4-4 वर्षों से पैंडिंग पड़े हुए हैं ? इन लम्बित केसों की संख्या कितनी है और इनका कब तक भुगतान करा देंगे जिनकी संख्या तीन वर्ष से ज्यादा की हो चुकी है ।

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, जहां तक पेंशन योजना का प्रश्न है, सरकार ने उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, के लिये पेंशन योजना तैयार की है । यह योजना अंतिम चरण में है । मैं आशा करता हूं कि मंत्रीमंडल कुछ ही दिनों में इसके बारे में निर्णय कर देगा । अधिनियम में संशोधन करना होगा । अधिनियम में संशोधन के लिये मुझे इस सभा के समक्ष आना होगा और सभा द्वारा संशोधन विधेयक पारित होने पर ही अधिनियम को निश्चित निधि 1-4-1993 से लागू किया जा सकेगा । अतः यह बात माननीय सदस्यों के हाथ में है । मैं विधेयक सभा में प्रस्तुत करूंगा । और मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो जायेगा क्योंकि यह बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे 1-4-1993 से लागू किया जा सकता है ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : यहां यह बताया गया है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1993 की अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं ।

उन टिप्पणियों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि कुछ मामलों में कुछ विलम्ब

तथा अकुशलता हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई है तथा जो भविष्य निधि योजना के अकुशल तथा ढीले कार्यकरण के लिए जिम्मेदार हैं । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री पी०ए० संगमा : नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट को 14-9-92 को अन्तिम रूप दिया गया । इसी वर्ष 1993 की 15 जनवरी को ही वित्त मंत्रालय द्वारा इसे श्रम मंत्रालय के पास भेजा गया है । लगभग एक महीना पहले हमने 5 फरवरी को इस रिपोर्ट को भविष्य निधि संगठन के पास भेजा है । इसलिए मुश्किल से दो महीने पहले हमें यह रिपोर्ट नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से प्राप्त हुई है । इसमें पारा-वार नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अध्ययन करने में हमें अपने उत्तर तथा टिप्पणियां देने में कुछ समय लगेगा ।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि अगर वे संगठन की प्रतिक्रियां अथवा टिप्पणियों को जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें आसानी से भिजवा सकता हूं । परन्तु इसमें कुछ महीने का समय लग सकता है ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगी कि भविष्य निधि योजना में मजदूरों के साथ-साथ मालिकों का भी हिस्सा रहता है और साधारणतया यह देखने में आया है कि जो बीमार उद्योग हैं, मेरे क्षेत्र में कई मिलें बन्द हो गई हैं या बन्द होने के कगार पर हैं इसलिए एम्पलायर्स की तरफ से जो कण्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, वह जमा नहीं होता है, वह या तो वेतन में खर्च हो जाता है या मजदूरों को मिलता नहीं है । इसके बारे में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमैण्ट है लेकिन उसमें भी केवल व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बार केस लगाना पड़ता है । मैं यह जानना चाहूंगी कि सरकार इस मामले में क्या एक्शन ले रही है कि मजदूरों के कण्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ मालिकों का भविष्य निधि में जो कण्ट्रीब्यूशन होता है, वह भी उसी समय मजदूरों को मिल जाय ? इसके लिए कौन-सी योजना है और इसमें जो अनियमितताएं होती हैं, इसके लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : कर्मचारी तथा नियोजक दोनों का अंशदान प्रबन्धकों द्वारा इकट्ठा करके नामांकित बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि संगठन के पास जमा करवाया जाता है । यह सत्य है कि बहुत से संस्थानों ने धनराशि एकत्रित करके जमा नहीं करवायी है तथा इस समय सारे देश में औद्योगिक एककों पर इस बारे में 250 करोड़ रुपए बकाया है । इस 250 करोड़ रुपए में से 160 करोड़ रु० या ऐसा है जिसे कई कारणों से इस समय वसूल नहीं किया जा सकता ।

पहले ही कुछ एकक बंद हो चुके हैं । उनका दिवाला निकल चुका है । कुछ इकाइयां बी०आई० एफ०आर० के पास चली गई हैं तथा अनेक मामलों में उच्च-न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं । इसलिए 160 करोड़ रुपए को इस समय वसूल नहीं किया जा सकता है । 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 250 करोड़ रुपए की राशि में से केवल 90 करोड़ की राशि ऐसी है, जिसे वसूल किया जा सकता है । इसी वर्ष, दिसम्बर, 1992 तक, इस 90 करोड़ में से 43 करोड़ रुपए वसूल किया जा चुका

है। इसलिए वसूली योग्य राशि में से केवल 47 करोड़ रुपया वसूली के लिए बाकी रह गया है, तथा हम राशि की वसूली के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्य यह जानना चाहती हैं कि सरकार कौन-से भरसक प्रयास कर रही है, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, यही बता दें कि कितने प्रोसीक्यूशन लांच किये हैं और कितनें कन्विकशन हुए हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : अधिनियम के अन्तर्गत, बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। जिलाधिकारी को अधिकार दिए गये हैं ? यह इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि जिलाधिकारी पहले ही काफी व्यस्त होता है। (**व्यवधान**)

]हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : तो क्या उसको टाईम नहीं मिलता।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। जिलाधिकारी की इस मजबूरी अथवा व्यस्तता के कारण कर्मचारियों के हितों की हानि नहीं होनी चाहिए। आपको कोई वैकल्पिक उपाय करना चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री पी०ए० संगमा : आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। हम क्या करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपका यह कहना गलत है कि सुनने की आदत नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : आपने मेरा उत्तर नहीं सुना है। मैंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह कार्य जिलाधिकारी को सौंपा गया था। हमने यह पाया कि यह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए, अब अधिनियम में संशोधन करके यह कार्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सौंप दिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार के हस्तांतरण के पश्चात् बकाया राशि की वसूली में काफी प्रगति हुई है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि हम प्रयत्नशील हैं। उदाहरणार्थ 1986-87 में हमारी वसूली केवल 7 करोड़ रुपये थी तथा 1987-88 में 9 करोड़ रुपये। परन्तु वर्ष 1991-92 में अधिकारों के हस्तांतरण के पश्चात् 1991-92 के वर्ष के दौरान हमारी वसूली 58 करोड़ रुपए रही तथा वर्ष 1992-93 के दौरान दिसम्बर महीने तक वसूली की यह राशि 45 करोड़ रुपए थी। यह केवल अधिनियम में संशोधन करके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के अधिकारों के हस्तांतरण के पश्चात् सम्भव हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप एक योग्य मंत्री हैं तथा आपकी योग्यता की हम प्रशंसा करते हैं। परन्तु मामला काफी गम्भीर है और आपने भी सदन की भावनाओं को देखा है। आप कृपया इस मामले में उचित कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आबजरवेशन दी है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। यह मसला क्योंकि एम्पलाइज का है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से दो खण्डों "क" और "ख" में सवाल पूछूंगा। बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं, जहां सफाई मजदूर लोग काम करते हैं। इन म्युनिसिपैलिटीज में एम्पलायर लोग प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा अलग से जमा नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि उनको समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। उसी तरह से जूट और टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के अन्दर भी मजदूरों का काफी बकाया है, जो उनको मिलता नहीं है, या मिलता ही नही है। आप बतला सकेंगे, तो हमें खुशी होगी कि कितना है? एक नीतिगत प्रश्न मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मैं जब मिनिस्टर था, तो हमारी सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था, असंगठित मजदूरों, अनआर्गेनाइज्ड लेबर जिसमें एग्रीकल्चरल लेबरर और कन्स्ट्रक्शन लेबरर के लिए, कि इनके लिए भी प्रोवीडेंट फण्ड का विस्तार करने की स्कीम बनाई जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उस ड्राफ्ट बिल का क्या हुआ, क्या सरकार उस सम्बन्ध में सोच रही है कि प्रोविडेंट स्कीम का विस्तार करके अनआर्गेनाइज्ड में भी इस स्कीम को लागू किया जाए?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : आज की स्थिति के अनुसार यह अधिनियम उन फैक्टरियों पर लागू होता है जिनमें 25 या उससे अधिक कामगार कार्य करते हैं। यह उन सहकारी समितियों पर भी लागू होता है जिनमें 50 या उससे अधिक कामगार लगे हुए हैं। इस प्रकार अधिनियम की वर्तमान स्थिति यह है। अब यह बात सत्य है कि काफी संख्या में कामगार इस सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। आज देश में कामगारों की संख्या 31.9 करोड़ है और इनमें से केवल 1.7 करोड़ कामगारों के ही इस सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। हमने एक त्वरित सर्वेक्षण करवाया है। मैंने संगठन से यह पता लगाने के लिए कहा है कि कितने और कामगारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है। सर्वेक्षण से पता चला है कि 10 करोड़ और कामगारों को भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि केवल भविष्य निधि योजना के संदर्भ में ही नहीं अपितु सामाजिक सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसीलिए, इसका एक कारण यह भी है जिसके कारण हमारी सरकार ने पैन्शन योजना भी आरम्भ करने का निर्णय लिया है। हमारा यह प्रयत्न है कि यह योजना अधिकतम कामगारों पर लागू हो सके, जैसाकि मैंने बताया है, हमने त्वरित सर्वेक्षण करवा कर यह पता लगाया कि 10 करोड़ और कामगारों को इसका लाभ मिल सकता है। परन्तु मैं सदन में पूर्ण रूप से यह आश्वासन नहीं दे सकता कि एक वर्ष या इससे अधिक अवधि में कितने लोगों को इसका लाभ दिया जा सकेगा, परन्तु हमारा प्रयत्न रहेगा कि इतने लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद बीड़ी उद्योग के नियोजक बीड़ी मजदूरों के भविष्य निधि अंश के सम्बन्ध में सर्वेक्षण न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करवाने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं तथा क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को तथ्यों की जानकारी है झगड़ा नही? मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है कि बीड़ी मजदूरों की अनेक ऐसी सहकारी समस्यायें हैं जिनके कि बीड़ी मजदूर मालिक हैं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से

यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सहकारी संस्थाओं को वर्तमान राशि से नहीं पुरानी बकाया राशि के भुगतान से छूट मिलेगी। जिनमें कि बीड़ी मजदूर स्वयं मालिक है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उसे पूर्ण जानकारी है। वास्तव में भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय को 1986-87 में, मेरे श्रम मंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था तथा इसलिए, मुझे इसकी पूर्ण जानकारी है। हमने बीड़ी मजदूरों के मामले में इस योजना को लागू करना आरम्भ कर दिया था। परन्तु बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में हमारी यह समस्या है कि इसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता में सम्बन्ध स्थापित करना बड़ा कठिन है। जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; वे जानते हैं कि बीड़ी कैसे बनाई जाती हैं। बीड़ियों का उत्पादन लोगों के अपने घरों में होता है। उत्पादक ठेका देता है तथा ठेकेदार यह काम परिवारों, गांवों तथा बाकी लोगों में बांट देता है। इसलिए, कर्मचारी तथा नियोक्ता में सम्बन्ध स्थापित करना आसान काम नहीं रहता। फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि बीड़ी मजदूरों के मामले में हम भविष्य निधि योजना को यथा संभव लागू करने का भरहक प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास इस सम्बन्ध में सही आंकड़े तो नहीं हैं कि अभी तक कितने बीड़ी मजदूरों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है; परन्तु मुझे विश्वास है कि एक बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

जहां तक सहकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया है कि जिन सहकारी संस्थाओं में 50 तथा इससे अधिक संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, यह अधिनियम वहां लागू होता है।

श्री आचार्य एक सहकारी समिति का मामला मेरी जानकारी में लाये हैं। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में सदन में मुझे कहने की आवश्यकता है, परन्तु मैं उनके प्रश्न का तात्पर्य समझ रहा हूं। मैं अलग से इस पर विचार करूंगा।

यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार

+

243. **श्री सुमत कुमार मण्डल** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री के साथ यूरोपीय समुदाय को निर्यात करने वाले घरेलू निर्यातकों की समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यूरोपीय समुदाय के साथ देश के व्यापार सम्बन्धी घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात के सम्बन्ध में कठोर दिशा-निर्देश लागू करने के यूरोपीय समुदाय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपनी निवेश, उत्पादन और विपणन सम्बन्धी नीतियों को नये सिरे से तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और अन्य अन्तर्ग्रस्त बातें क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1990-91	1991-92	(करोड़ रु० में)
3802.67	2114.61	

(घ) और (ङ) यूरोपीय समुदाय द्वारा केवल भारतीय निर्यातों के विरुद्ध कोई दिशानिर्देश लागू नहीं किए गए हैं । उदारीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसका लक्ष्य भारत में औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादिता बढ़ाकर, आधुनिकीकरण करके और प्रतियोगी क्षमता लाकर भारत के विदेश व्यापार को विश्वव्यापी बनाना है, इस प्रकार उसकी निर्यात क्षमता बढ़ेगी और उच्च एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य क्वालिटी मानकों की लक्ष्य प्राप्ति को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि भारत और यूरोपीय समुदाय के 12 देशों के बीच नए प्रस्तावित सहयोग समझौते की शर्तें क्या होंगी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, शर्तें पहले से ही ज्ञात हैं । इस समुदाय के साथ हमारे पहले ही लम्बे और स्थाई संबंध हैं और हाल ही में दो वर्ष के लिए समझौता किया गया है । समुदाय द्वारा हमें बहुत ही अनुकूल राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया है । जी०एस०पी० भी इसमें शामिल है और इस दीर्घ एवं स्थाई संबंधों के परिणामस्वरूप हमारे कुल निर्यात का लगभग तीस प्रतिशत निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय को होता है ।

श्री सनत कुमार मंडल : इससे भारत के साथ यूरोपीय समुदाय के व्यापारिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग कितना मजबूत होने की संभावना है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, इसमें विस्तार हो रहा है और माननीय सदस्य ने हाल ही में यह देखा होगा कि इस समुदाय संबंधित देशों के व्यापार और उद्योग मंत्री भारी संख्या में भारत आये और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और व्यापार तथा उद्योग के नेताओं के साथ अन्तरकार्रवाई की । वास्तव में उदारीकृत नीति जिसका उद्देश्य गुणवत्ता और कीमत के सन्दर्भ में तकनीकी उन्नयन और हमारी उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है उससे लाभ लिया जा सकता है और हम व्यापक सहयोग से इसका लाभ उठा सकते हैं तथा यह लाभ अर्जित करना हमारा ध्येय है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारा व्यापार संतुलन निरंतर भारत के विरुद्ध रहा है । हम कपड़ों, सिलेसिलाए वस्त्रों, हीरे-जवाहरात, चमड़ा, समुद्री उत्पादों तथा दवाइयों का निर्यात कर रहे हैं, परन्तु हम कृषि उत्पादों और वनों पर आधारित माल का निर्यात नहीं करते हैं । इसका कारण राजसहायताएं हैं जोकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्राप्त हैं । अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के बीच समझौता हो जाने के कारण "संगठित यूरोप" वाली स्थिति की संभावना हमारे सामने आ रही है । माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उदारीकरण की प्रक्रिया की बात की है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीयकरण है । 'गैट' डंकल प्रस्ताव का उद्देश्य कृषि में राजसहायता में कमी करना है । माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि यूरोप को विशेष रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में भारत सरकार का विचार क्या है और क्या डंकल प्रस्ताव में कृषि संबंधी प्रावधान भारत के लाभ के लिए हैं या नहीं और क्या इससे भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में सहायता मिलेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, इस संबंध में अभी कोई निर्णय करना बहुत जल्दबाजी होगी, परन्तु यह बात एकदम समझ में आने लायक है कि यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में कृषि के लिए राजसहायता में कमी की जाती है तो इस हालत में भारत लाभ की स्थिति में होगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आप कार्रवाई कब करेंगे ? यह समझौते के अंतिम चरण में है।

श्री प्रणव मुखर्जी : ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी देर में प्रश्न के इस भाग पर आता हूं।

अतः माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि अमरीकी वित्त मंत्री ने भी शायद इसीलिए कृषि राजसहायता के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अन्य देशों के बीच व्यवस्था पर कुछ प्रश्न उठाए हैं। अतः यह सब प्रश्न किए जाने वाले हैं और हम यह बता पाने की स्थिति में नहीं हैं कि उरुग्वे दौर की वार्ता का समापन कब तक होगा। हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। परन्तु यह बात निश्चित है कि इसके कुछ लाभ होंगे और भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए, विशेष रूप से कृषि उत्पादों की, जिसमें चाय और कॉफी भी शामिल है, प्रबल संभावनाएं हैं। परन्तु माननीय सदस्य ने राजसहायता में कमी के जिस विशिष्ट प्रश्न का जिक्र किया है मुझे आशा है कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने माल की पैकेजिंग और गुणवत्ता उनके द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार बना सकें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, विवरण में हमें आज तक 1992-93 के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध न हों। परन्तु मुझे डर है कि वास्तव में घाटा बढ़ा है। वर्ष 1991-92 के दौरान आयात कम हुआ। वर्ष 1992-93 में यह बात नहीं थी। मैं वह आंकड़ा जानना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों के बीच जो चर्चाएं हो रही हैं वह व्यापार विस्तार के बारे में हो रही हैं। परन्तु हमारी समस्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारा व्यापार है। व्यापार में और विस्तार होने के कारण व्यापार में घाटा अवश्यंभावी है।

हमारा उन देशों के संबंध में क्या उपाय करने का विचार है जिनमें व्यापार में और अधिक विस्तार होने के कारण व्यापार संतुलन में और अधिक घाटा हो रहा है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, उपाय बहुत साफ है और हमें अपने निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए। इसीलिए हमने यह संकेत दिया है कि यदि हम आठवीं योजना के अंत तक भुगतान संतुलन के संकट से उबरना चाहते हैं तो हमें योजना अवधि के दौरान मात्रा के हिसाब से अपना निर्यात 13·6 प्रतिशत की दर से बढ़ाना चाहिए और डॉलर के हिसाब से यह 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बढ़ाना होगा और इस दौरान हमारा आयात साढ़े आठ प्रतिशत होगा।

चालू वर्ष के आंकड़ों के संबंध में, यह बताने के लिए कि क्या रुपए की कीमत में कमी आई है या नहीं, मेरे पास अप्रैल 1992 से नवम्बर, 1992 तक के आंकड़े हैं। मैं डॉलर के हिसाब से आंकड़े दे रहा हूं। हमारा निर्यात 3307.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा है। निर्यात में 13·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आयात 21·7 प्रतिशत रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु घाटा कितना हुआ ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, घाटा बताने के लिए मुझे आंकड़ों की आवश्यकता है। परन्तु मैं घाटे के संबंध में अप्रैल से नवम्बर तक के आंकड़े दे सकता हूं। पूरे विश्व के सन्दर्भ में घाटा मोटे तौर पर 3,300 मिलियन डॉलर रहा।

विदेशी बैंकों में धन का अन्तरण

*244. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से बाहर विदेशी बैंकों को प्रति वर्ष किए जा रहे धन के अवैध अन्तरण के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की जानकारी में आये उन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें धन का अवैध रूप से अन्तरण किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों को खुली विश्व बैंक व्यवस्था बनाने के लिए गोपनीयता कानूनों में ढील देने को कहा है अथवा कहने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी नहीं, ऐसे अन्तरण गुप्त रूप से किए जाते हैं और उनकी मात्रा का सही-सही अनुमान बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय को यह पता चला है कि वोसटरों लेखों के माध्यम से स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लन्दन, जीरो बैंक, पी०एल०सी० यूके और बैंक आफ आयरलैंड, डबलिन को, 77.93 करोड़ रुपये (लगभग) के मूल्य की विदेशी मुद्रा अवैध रूप से देश से बाहर भेजी गई है।

(घ) से (च) बैंक उसी देश के कानून के अनुसार चलते हैं जहां वे कार्य करते हैं। भारत में चल रहे सभी विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित प्राधिकारियों को सभी संगत सूचना उपलब्ध कराएं। अन्य देशों में कार्य कर रहे बैंक उन्हीं देशों के कानूनों के अनुसार काम कर रहे हैं। सरकार ने दूसरे देशों के कानूनों में ढील दिए जाने के लिए कोई पहल नहीं की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, देश गैरकानूनी धन विशेषरूप से विदेशी दुर्लभ मुद्रा जिसके लिए हम विदेशी बैंकों पर निर्भर हैं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बजाय सरकार ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में अपनी लाचारी ज्यादा व्यक्त की है। मैंने वह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने वित्त मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ा था। उस समय वह लन्दन में थे। उन्होंने स्वयं गम्भीर चिन्ता प्रकट की थी कि कुछ भारतीय व्यापारी अवैध धन के अन्तरण में शामिल हैं। इस चोरी-छिपे तरीके से बहुत अधिक धन विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है। यद्यपि, सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है फिर भी एक मोटे अनुमान के अनुसार 5.5 बिलियन से 7.5 बिलियन डालर की राशि का हर वर्ष अन्तरण एक चकरा देने वाली बात है। इस धन को अवैध तरीके से विदेशों को अन्तरित किया जा रहा है और सरकार प्रवर्तन निदेशालय केवल यह उत्तर देता है कि सरकार केवल 77.93 करोड़ रुपए तक की राशि का पता लगा सकी है।

महोदय, दूसरी सूचना यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की 1.2 बिलियन डालर के अन्तरण वाले एक दूसरे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की गम्भीर स्थिति का, जब इतनी अधिक धनराशि अवैध रूप से अन्तरित की जा रही है, भान होते हुए भी क्या सरकार ने कोई पहल की है। मंत्री महोदय के कई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ बहुत अच्छे सम्पर्क हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने में अपनी साख और सम्पर्क का इस्तेमाल करेंगे कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसे इतनी बड़ी धनराशि

से हाथ धोना पड़े। क्या इस एक मामले के अलावा भी सरकार ने कोई आकलन किया है, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कार्यरत कुछ दूतावास भी इसमें शामिल हैं ? इस बारे में मंत्री जी का उत्तर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) अध्यक्ष महोदय, 77 करोड़ रुपये सम्बन्धी इन विशिष्ट मामलों में, जिसका जिक्र इस उत्तर में किया गया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनमें से कोई मामलों में निधियां तत्कालीन सोवियत संघ के विदेशी आर्थिक मामलों संबंधी बैंक के वोस्ट्रो खातों से दी गई थी। भारत में इस बैंक का एक वोस्ट्रो खाता था। यह अपरिवर्तनीय था। इस खाते का दुरुपयोग करके वोस्ट्रो खातों में धन जमा किया गया था जोकि सपरिवर्तनीय था और इस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने इसके बारे में पता लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों, कार्रवाई कर रहे हैं।

जहां तक व्यापक प्रश्न का संबंध है, इसके लिए यह संयोगात्मक प्रमाण उपलब्ध है कि हमारे नियमों, विनियमों तथा कानूनों का उल्लंघन करके अधिकांश धन इस देश के बाहर भेजा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय हरसंभव इस समस्या से निपटने की कोशिश करता रहा है। परन्तु कुल मिलाकर, हमें आर्थिक नीतियों के माहौल में परिवर्तन लाकर इस समस्या से निपटना है और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी यही करना चाहती है। उदाहरण के लिए, सोने की तस्करी काला धन को अर्जित करने का तथा इस देश से अवैध रूप से धन निर्यात करने का मुख्य स्रोत है। हमने सोने के आयात को अनुमति देने के लिए कदम उठाये हैं और इस बात का प्रमाण मौजूद है कि सोने की तस्करी हो रही है और इसके फलस्वरूप अवैध विदेशी मुद्रा की उत्पत्ति कुछ हद तक कम कर दी गई है। हम चांदी के संबंध में भी इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इसी तरह से बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का अवैध ढंग से आयात किया जाता है और उन्हें हमारे देश में पहुंचाया जाता है और इनका वित्त पोषण अवैध रूप से विदेशी मुद्रा देकर किया जाता है। हमने उसका भी उदारीकरण कर दिया है। मैं यह आशा करता हूं कि चूंकि इन उपायों के अच्छे परिणाम निकले हैं अतः इनके फलस्वरूप कुछ ही समय में विदेशी मुद्रा का अवैध प्रवाह कम हो जाएगा। इसके साथ-साथ हमने जो और अधिक उदारवादी निवेश नीतियां बनाई हैं, उसके परिणामस्वरूप हमारी जनता को अपने देश में ही जो प्रतिलाभ मिल सकेगा यदि वह भी तुलनात्मक है तो मैं यह आशा कर सकता हूं कि कुछ ही समय में यह अवैध निर्गम समाप्त हो जाएगा। परन्तु चूंकि इसमें प्रवर्तन निदेशालय की भी भूमिका है, अतः मैं इस माननीय सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन सभी मामलों का पूरी सतर्कता और तेजी से अनुशीलन करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसमें से ज्यादातर धन का अवैध अंतरण अधिक बीजक और कम बीजक बना कर किया जाता है और यही पद्धति, एक लम्बे समय से विदेशी राष्ट्रों को अवैध रूप से धन अंतरण करने के लिए अपनाई जा रही है।

सच यह है कि अधिकांश धन स्विज बैंकों में जमा किया गया है। इनमें से कुछ राष्ट्रों के बीच ठोस समझौते हुए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का स्विज बैंकों के साथ एक समझौता हुआ है जिसे 'म्यूच्वल असिसटेंस अरेन्जमेन्ट' कहते हैं, जिससे, यदि वे स्विज बैंकों से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कुछ सूचना मिल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भी विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकारों के साथ किसी तरह के समझौते करने के लिए पहल करेगी जिससे कि, जब भी कोई जानकारी हासिल करनी है वह जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध हो सके।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हम अवश्य ही समझौते करने के प्रयास कर सकते हैं परन्तु मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह कहूंगा कि हमारे पास स्विटजरलैंड सरकार के साथ लेन-देन करने के लिए अमेरिका की तरह सौदेबाजी करने की ताकत नहीं है, परन्तु इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, भारत जब आजाद हुआ था तो अंग्रेज यहां पर 3452 करोड़ रुपया छोड़कर गए थे, लेकिन हिन्दुस्तान के नेताओं और व्यापारियों का विदेशों में पैसा जमा है, उसको लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, परन्तु मैं इस माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने आजादी के बाद से जितना सोना देश में आया था उसका अनुमान लगाया है और यदि हम इसे भारत के विदेशी बकाया ऋण की तुलना में रखेंगे तो, दोनों के आंकड़ों की तुलना मुश्किल से हो सकेगी। अतः मूल समस्या यह है, जैसाकि कई लोग कहते हैं, कि भारत सरकार के पास भुगतान सन्तुलन की समस्या है, परन्तु हम सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखकर यदि सोने की कुल आयात को लेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थिति कुछ और ही रहेगी।

श्री चेतन पी०एस० चौहान : महोदय, वोस्ट्रो खाते के माध्यम से धन को अवैध रूप से अपवर्तन किया जा रहा है और अधिकतर मामलों में बैंकों की पूर्ण जानकारी के साथ धन का अपवर्तन किया जा रहा है। यह खबर समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि यह धन जोकि इन खातों से निकाला गया है, इसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। एक छोटे-से मामले में, अमेरिका में बैंक आफ बड़ौदा पर 800,000 डालर रुपयों का जुर्माना लगाया गया था।

क्या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने वाले इन बैंकों पर मुकदमा चलाने के लिए वित्त मंत्री जी कोई नियम प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : जो लोग फेरा (एफ०ई०आर०ए०) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उन पर मुकदमा चलाने के लिए फेरा के अन्तर्गत पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं और जहां तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी उल्लंघनों का भी संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक सभी विदेशी बैंकों के वोस्ट्रो खातों की जांच कर रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात

*245. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) 1992 के अंत तक यह लक्ष्य कितना पूरा किया गया; और

(ग) 31 मार्च, 1993 तक यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए इंजीनियरी मदों का निर्यात लक्ष्य 5910 करोड़ रु० मूल्य का निर्धारित किया गया है ।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1992 के दौरान इंजीनियरी मदों का 4038 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ । दिसम्बर, 1992 के लिए निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ग) अप्रैल, 1992 से हुए निर्यात के रुख से ऐसा लगता है कि वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य सम्भवत: पूरा कर लिया जाएगा ।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

*246. **श्री सुव्रत मुखर्जी** :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को विदेशी मुद्रा की आय में से कुछ प्रतिशत आय से उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आय में से कितनी आय का उपयोग किया गया है; और

(घ) किन मुख्य वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) माने गए निर्यात के लिए आरंभ की गई विशेष आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत उन निर्यात घरानों/व्यापार घरानों/चोटी के व्यापार घरानों और विनिर्माताओं की नीति के अनुसार कुछ निश्चित उपभोक्ता माल/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के आयात की अनुमति है जिन्हें क्वालिटी का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मान्यताप्राप्त प्रमाणन प्राप्त हो गया है ।

(ग) अलग-अलग आयात लाइसेंस के आधार पर मदों के आयात संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(घ) आयात की मदें दिनांक 21-10-1992 की सार्वजनिक सूचना सं० 64 (पी० एन०) 92-97 में दी गई हैं जिसकी प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

केरल को "नाबार्ड" सहायता

*247. **श्री वी०एस० विजयराघवन** :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने केरल में ग्रामीण और कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पात्र संस्थाओं को स्वतः आधार पर पुनर्वित्त सहायता देता रहा है ताकि वे सम्मिश्र ऋण योजना के अंतर्गत ग्रामीण और कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान कर सकें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला औद्योगिक सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाएं हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए केरल राज्य से संबंधित नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त की स्थिति निम्नानुसार है :—

1989-90	—	835 लाख रु०
1990-91	—	1125 लाख रु०
1991-92	—	1202 लाख रु०

(उद्यतन उपलब्ध)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

*248. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर 1992 तक राज्यवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गईं और इस वर्ष कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में ऐसी शाखाएं खोलने के मामले में अन्तर्राज्यीय विषमताएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बैंक शाखाओं की संख्या सीमित रखने संबंधी सरकारी नीति पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों का कितना प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की खोली गई शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वर्ष के दौरान शाखाएं खोलने के लिए किसी भी राज्य के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) देश में शाखाएं खोलने के संबंध में अन्तर्राज्यीय असमानताएं अवश्य रहती हैं। इन असमानताओं का कारण भौगोलिक अवस्थिति, मूलभूत सुविधाओं की कमी, कारोबार की सम्भाव्यता, आर्थिक क्रिया-कलाप, परिवहन, संचार आदि हो सकते हैं।

(घ) नरसिम्हम समिति ने बैंकों द्वारा नवीन शाखाएं खोलने के बारे में कोई प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं की है। तथापि, समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को नवीन शाखाएं खोलने के लिए नीति एवं कार्यनीति पर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और बैंकों के परिचालन के मामले में किसी हद तक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1992 में एक नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। इस नयी नीति में, बैंकों को अपनी शाखाओं की अवस्थिति में परिवर्तन करके, विशेषज्ञ शाखाएं खोलकर,

कारोबार को अन्य स्थानों पर ले जाकर नियंत्रण कार्यालयों/प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना करके और विस्तार काउंटर की स्थापना द्वारा अपने शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने की अधिक स्वतंत्रता दी गयी है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अप्रैल से सितम्बर 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की अवधि के दौरान खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोली गई शाखाएं				
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय/ पत्तनगर	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1	7	3	14
2.	असम	—	—	1	—	1
3.	बिहार	2	1	6	—	9
4.	चंडीगढ़	—	—	2	—	2
5.	दिल्ली	—	—	—	4	4
6.	गुजरात	4	2	4	1	11
7.	हरियाणा	—	—	7	—	7
8.	हिमाचल प्रदेश	2	—	—	—	2
9.	जम्मू व कश्मीर	1	—	—	—	1
10.	कर्नाटक	1	1	2	7	11
11.	केरल	1	3	4	—	8
12.	मध्य प्रदेश	3	1	12	—	16
13.	महाराष्ट्र	3	—	4	9	16
14.	मेघालय	2	—	1	—	3
15.	उड़ीसा	3	—	4	—	7
16.	पांडिचेरी	—	—	—	1	1
17.	पंजाब	—	1	8	—	9
18.	राजस्थान	2	—	9	—	11
19.	सिक्किम	3	1	—	—	4
20.	तमिलनाडु	2	1	11	4	18
21.	उत्तर प्रदेश	5	2	15	3	25
22.	पश्चिम बंगाल	3	—	3	2	8
	योग :	40	14	100	34	188

सोने का आयात

*249. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गयी सोना आयात करने की योजना के वांछित परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि में अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। फरवरी, 1993 तक स्वर्ण आयात योजना के तहत आयात किए गए लगभग 121.44 मीटर टन सोने पर सीमा शुल्क के रूप में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में लगभग 274.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि इन आयातों के कारण सोने की तस्करी में भी कमी हुई है।

(ख) अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान सोने के आयातों से सीमा शुल्क के रूप में 243.81 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण

*250. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1990, 1991 और 1992 के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी कृषकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों को अपने लिए ऋण स्वीकृत कराने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने कुल ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों को देना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में राज्य-वार/उधारकर्ता श्रेणीवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पिछड़े वर्गों को दिए गए बैंक ऋण संबंध में आंकड़ा सूचना प्रणाली से अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, मार्च 1990, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशियां नीचे दी गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

के अंत की स्थिति	बकाया अग्रिम की राशि	
	कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
मार्च, 1990	428	146
मार्च, 1991	429	149

वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों सहित कमजोर वर्गों को ऋण देने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करना होता है। कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं। महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. 7,500/- रुपए तक के ऋणों की ब्याज दर को 11.5 प्रतिशत वार्षिक की कम ब्याज दर पर रखा गया है।
2. छोटे और सीमांतिक किसानों द्वारा प्राप्त किए गए फसल ऋणों के मामले में खाते में नामे डाला गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. 10,000/- रुपए तक के ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारन्टी अथवा सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
4. कृषि क्षेत्र में चालू देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।
5. शाखा प्रबन्धकों को शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए, ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सकें।
6. 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्रों को 8-9 सप्ताह अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए।
7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदनों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को बिना वैध कारणों से नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में शाखा प्रबन्धक से उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ही नामंजूरियां की जानी चाहिए।

चन्दन की लकड़ी का निर्यात

*251. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को चन्दन की लकड़ी से बनी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का प्रति वर्ष देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1993 के दौरान चन्दन की लकड़ी से बनी वस्तुओं के निर्यात हेतु सूची में कुछ और देशों का नाम शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जिन देशों को चन्दन की लकड़ी के उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है इनमें ताईवान, हांगकांग, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, यू० के०, स्विटजरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, सऊदी अरब और भूतपूर्व सोवियत संघ आदि शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात निम्नानुसार रहा है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	चन्दन की लकड़ी का तेल	चन्दन की लकड़ी के चिप्स पाउडर औरफ्लेक्स आदि
1989-90	5.71	7.51
1990-91	13.27	10.55
1991-92	16.23	12.65

वर्ष 1991-92, 1990-91 और 1989-90 के दौरान प्रमुख आयातक देशों को किए गए निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार है :—

चन्दन की लकड़ी के चिप्स, डस्ट, पाउडर और मशीन से निर्मित उत्पाद

(करोड़ रु० में)

देश	1991-92	1990-91	1989-90
ताईवान	3.94	5.67	3.95
हांगकांग	2.40	1.82	1.32
सिंगापुर	2.11	1.30	0.92
यू० ए० ई०	1.08	0.27	0.20
यू० एस० ए०	1.06	0.03	0.01
अन्य	2.06	1.56	1.11
चन्दन की लकड़ी का तेल			
यू० एस० ए०	4.62	1.54	1.86
फ्रांस	2.6.9	3.20	1.97
यू० के०	1.00	0.69	—
सिंगापुर	1.73	—	—
यू० ए० ई०	1.47	0.77	—
यू० एस० एस० आर०	—	4.34	0.85
अन्य	4.73	2.73	1.03

(ग) निर्यातक हमेशा नए बाजारों की खोज में रहते हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है तथापि अन्य निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन चंदन के तेल और अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए भी दिए जाते हैं।

1 अप्रैल, 1992 में लागू चालू आयात-निर्यात नीति के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सभी रूपों में चंदन की लकड़ी के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है :—

(1) चंदन का तेल

(2) चन्दन की लकड़ी से बने हस्तशिल्प

(3) मशीन से तैयार चन्दन की लकड़ी के उत्पाद जैसे :

(क) विजिटिंग कार्ड

(ख) महिलाओं के हाथ के पंखों के लिए ब्लेड्स

(ग) घड़ियों के लिए आउटर केस और डायल्स

(घ) इसी प्रकार के कोई अन्य उत्पाद जो निर्धारित विशिष्टियों और मूल्यवर्द्धन मानदण्डों को पूरा करते हों।

अन्य मदों के निर्यात पर रोक केवल मूल्यवर्द्धित मदों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है।

[हिन्दी]

भारत तथा चीन के बीच व्यापार संबंध

*252. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान आयात तथा निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत चीन को गेहूं तथा चीनी की कुल मांग को पूरा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) जी, हां।

(ख) केवल अप्रैल-अक्तूबर, 1992 की अवधि के लिए जानकारी तत्काल उपलब्ध है जो निम्नलिखित है : —

चीन से भारत द्वारा आयात	मूल्य (करोड़ रु०)	भारत से चीन को निर्यात	मूल्य (करोड़ रु०)
1	2	3	4
कच्ची रेशम	29.40	लोह अयस्क	39.35
कच्चे खनिज	11.95	चमड़ा तथा चमड़े का सामान	49.23
कोयला, कोक, ब्रिकेट्स	25.12	मशीनरी उपस्कर तथा परिवहन उपस्करों के भिन्न इंजीनियरी मदें	10.41

1	2	3	4
कार्बनिक रसायन	35.93	लौह तथा इस्पात बड़े राड्स आदि	10.50
अन्य	79.74	अन्य	24.55
योग :	182.14	योग :	133.54

स्रोत : (डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता)

वर्ष 1992-93 की बाकी अवधि की जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) भारत को गेहूं तथा चीनी की आपूर्ति के संबंध में चीन की ओर से कोई मांग पत्र नहीं मिला है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

परिसम्पत्तियां पुनर्निर्माण कोष

*253. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे दुर्बल बैंकों के लिये एक परिसम्पत्ति-पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो दुर्बल बैंकों का अधिक शक्तिशाली बैंकों के साथ विलय करने संबंधी नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को स्वीकृत और क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) छोटे कमजोर बैंकों के लिए परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग) नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की है कि बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना की कार्रवाई बाजार-उन्मुख होनी चाहिए और लाभप्रदता की परिकल्पना पर आधारित होनी चाहिए तथा इसे विलय और अभिग्रहण की प्रक्रिया से पूरा किया जाना चाहिए । समिति ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित समय सीमा की सिफारिश नहीं की है । कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना का उचित तरीका सरकार के विचाराधीन है ।

अफ्रीकी आयात व निर्यात बैंक

*254. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी विकास बैंक ने देश में अफ्रीकी आयात व निर्यात बैंक की स्थापना करने में आयात-निर्यात बैंक का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सहयोग की कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) अफ्रीकी विकास बैंक ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह भारतीय निर्यात-आयात बैंक को एक शेयर धारक के रूप में अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ्रैक्सिम बैंक) की स्थापना में भागी होने के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनुमति दे दे। इसमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक की सहभागिता के लिए, भारत सरकार की अनापत्ति के संबंध में मई, 1992 के आरम्भ में ही सूचना भेज दी गई थी। अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक अफ्रीका में एक क्षेत्रीय बैंक होगा जो अफ्रीका के भीतर तथा अफ्रीका और अन्य देशों के बीच व्यापार संबंधी वित्तपोषण के बारे में प्रस्तावित कार्रवाई करेगा। अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक को आरम्भ करने हेतु वित्त जुटाने के उद्देश्य से अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा गठित की गई तैयारी समिति में भारतीय निर्यात-आयात बैंक को सहयोजित किया गया है। प्रस्तावित अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक की शेयर धारिता में अभिदान देने के लिए भी अफ्रीकी विकास बैंक ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक से सम्पर्क किया है। सहयोग संबंधी रीतियां अभी तैयार नहीं की गई हैं।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

*255. **प्रो० प्रेम धूमल** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अनुसार भारत में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सभी परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का परिवीक्षण विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा परियोजना के पूरे कार्यकाल के दौरान अपनाई जाने वाली व एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना के कार्य क्षेत्र, स्वरूप एवं कार्यकाल से संबंधित बहुत-से घटकों पर निर्भर करता है।

विदेशी सहायता प्राप्त कुछ परियोजनाओं में विलंबित उपयोग बहुत-से घटकों के परिणामस्वरूप होता है जिसमें विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव, अपर्याप्त समकक्ष (काउन्टर पार्ट) धनराशियां, तकनीकी समस्याएं, भूमि का विलम्बित अधिग्रहण और परियोजना विशिष्ट अन्य मुद्दे शामिल हैं।

(ङ) कार्यान्वयन संबंधी विलम्ब को पूरक संसाधन सहायता को सुदृढ़ बनाकर, मंत्रालयों द्वारा

बारीकी से परिवीक्षण करके, विदेशी मुद्रा जारी करने आदि के संबंध में प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, परियोजनाओं का विस्तार एवं उनकी पुनर्संरचना करके रोका जाता है ।

[हिन्दी]

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ में शामिल देशों द्वारा निवेश

*256. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में प्रति वर्ष भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ में शामिल देशों द्वारा किए गए पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार ने इन देशों से पूंजी निवेश को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) एशियन देशों से विदेशी निवेश के लिए, सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदनों का ब्यौरा देश-वार विवरण में दर्शाया गया है । ये आंकड़े पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति के सूचक हैं ।

(ख) अनुमोदनों में शामिल किए गए क्षेत्रों में, अन्य के साथ-साथ, खाद्य तेल, समुद्री खाद्य पदार्थ, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और पेरीफेरल, केनवास के जूते-चप्पल, उद्यम पूंजी, पीले पृष्ठों वाली निदेशिकाएं, कटे हुए और पालिस किये हुए ग्रेनाइट, सौर नमक (सोलर सॉल्ट), व्यापारिक कंपनियां इंजीनियरी सेवाएं आदि शामिल हैं ।

(ग) अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय एशियन देशों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

विवरण

सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन (देशवार)

(मिलियन रुपए में)

देश	1990	1991	1992
इण्डोनेशिया	—	—	19.00
मलयेशिया	1.2	1.8	744.30
फिलिपीन्स	—	—	50.00
सिंगापुर	—	13.7	602.1
थाइलैंड	1.6	—	25.2

[अनुवाद]

भारत और इटली के बीच सहयोग

*257. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च प्रौद्योगिकी वाले व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भारत और इटली के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में विचार-विमर्श हेतु इटली के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या विचार-विमर्श किया गया और यदि किन्हीं समझौतों को अन्तिम रूप दिया गया है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत-इटैलियन संयुक्त समिति को हाल ही में हुई बैठक में, उच्चतर टैक्नालोजी के क्षेत्रों सहित विभिन्न उत्पादन समूहों की अधिक निर्यात थ्रस्ट के लिए अभिज्ञात किया गया था ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के व्यय में कटौती

*258. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों के व्यय में कटौती करने के अपने प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त अन्तिम परिणामों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1992-93 के दौरान सहायता राशि में अप्रत्याशित और अव्यवस्थित रूप से कटौती किए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के कई एकक बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों की कार्यकारी पूंजी भी समाप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी स्थितियों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखना एक सतत् प्रक्रिया है । व्यय में किफायत बरतने अथवा फजूल खर्च से बचने के लिए विशेष उपाय किए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं । सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन स्वायत्त निकायों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को व्यय में किफायत बरतने के लिए इसी प्रकार के अनुदेश जारी करें । व्यय में कटौती करने सम्बन्धी ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है । अत: इन उपायों के वित्तीय प्रभाव की मात्रा बता पाना कठिन है ।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता वर्ष 1991-92 में 5984 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 6071 (संशोधित अनुमान) में 6071 करोड़ रु० हो गई है ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी सहायता

*259. **डा० के०डी० देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से 1992 तक के दौरान विदेशी सहायता की कुल आमद की वर्ष-वार दर कितनी थी;

(ख) क्या विदेशी सहायता की कुल आवक में प्रति वर्ष कोई कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी सहायता की कुल आवक वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विदेशी सहायता का निवल अंत:प्रवाह (मूलधन की वापसी अदायगी को घटाकर) क्रमश: 3815 करोड़ रुपए, 4375 करोड़ रुपये और 7965 करोड़ रुपए था। इन वर्षों के दौरान निवल अंत:प्रवाह (वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी को घटाकर) क्रमश: 2116 करोड़ रुपए, 2422 करोड़ रुपए और 4959 करोड़ रुपए था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलायची का उत्पादन

*260. **श्री टी०जे० अंजलोज** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान इलायची के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इलायची के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इलायची का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड के पास कई योजनाएं हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपूर्ति और छोटे पौधों में ऊतक संवर्धन शुरू करना;

(2) इलायची पुनर्रोपण कार्यक्रम;

(3) सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यक्रम;

(4) इलायची उद्योग में रोगों तथा नाशीकीटों पर नियंत्रण रखने के लिए पेस्टीसाइड की रियायती दर पर आपूर्ति; और

(5) वैज्ञानिक कृषि विधियों को लोकप्रिय बनाना।

आंध्र प्रदेश गरीबी हटाओं योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2468. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी गरीबी हटाओ योजना को विश्व बैंक की सहायता से वित्तीय मदद के लिए भेजा है; और

(ख) कितनी सहायता की मांग की गई है तथा विश्व बैंक की सहायता से कौन सी योजनाएं लागू करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश निर्धनता उपशमन परियोजना, जिसे सम्भावित विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित किए जाने की अपेक्षा की गई है; में कृषि तथा सिंचाई, वानिकी, उद्यान कृषि, रेशम-उत्पादन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्धित क्षेत्रों में 4 वर्ष की अवधि में 1149.0 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है ।

वाहनों के टायरों का आयात

2469. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वदेशी बाजार में वाहनों के टायरों के मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए उनका आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा टायरों के मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं । वाहनों के टायरों की कीमतों में भारी वृद्धि नहीं हुई है । ओटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसका टायर उद्योग के उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत भाग है, के अनुसार किसी भी टायर कम्पनी ने बस/ट्रक टायरों की कीमतों में वृद्धि नहीं की है । परन्तु कुछ कम्पनियों ने गैर ट्रक/बस के टायरों की कीमतों में अभी हाल में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि की है ।

(ग) टायरों की कीमतों पर कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक

2470. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में कुल कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों ने इन बाल श्रमिकों के लिए कोई अध्यापन केन्द्र खोले हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(घ) इन केन्द्रों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इनको कितनी वित्तीय सहायता दे रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 14,34,675 (1981 जनगणना) ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं रखी जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

औद्योगिक कामगारों को मुआवजा-राशि

2471. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री राम नाईक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घायल औद्योगिक कामगारों को देय मुआवजा-राशि की मात्रा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बढ़ाया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत देय प्रतिपूर्ति की राशि में उपयुक्त वृद्धि करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। चूंकि अभी निर्णय लिया जाना है और कोई वृद्धि करने से अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा अत: राशि और समय सीमा जब से इसे बढ़ाया जाएगा, बताना कठिन है।

[हिन्दी]

गुजरात में किसानों को ऋण

2472. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गुजरात में किसानों को पाइपलाइन बिछाने तथा बिजली की मोटर लगाने के लिए 50 हजार से 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए हैं;

(ख) क्या सरकार का इन किसानों का ऋण माफ करने तथा उन्हें इन पाइपलाइनों पर 50 प्रतिशत सहायता देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। अलबत्ता, जून 1991 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु सिंचाई योजना के लिए गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि लगभग 1.25 लाख खातों में 176 करोड़ रुपए थी।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऋणों को सपाट रूप से बट्टे खाते डालने के हक में नहीं है। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों में किन्ही वर्गों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/- रुपए प्रति उधारकर्ता ऋण राहत प्रदान करने के लिए मई 1990 में एक योजना तैयार की थी। यह योजना पहले ही 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को पुनर्वित्तीय सहायता

2473. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने उत्तरकाशी में उन घरों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए जिनको भूकम्प से क्षति पहुंची थी, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबदुर समद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक उनके द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। 1989 से राष्ट्रीय आवास बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों और राज्य स्तरीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू की हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय आवास बैंक की योजना में, आवास ऋणों के संबंध में उन प्रायोजक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था है जिनके साथ सम्बद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने आवास ऋण प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों के लिए आवास और शहरी विकास निगम को 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से अभी तक 19.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नागरिक विमान

2474. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड नागरिक विमान के निर्माण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कुछ विदेशी कम्पनियों ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर सिविल वायुयान के सह-उत्पादन में अपनी रुचि व्यक्त की है और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श प्रारम्भिक चरण में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सिगरेटों से राजस्व की वसूली

2475. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 में सिगरेटों से कितने राजस्व (कुल तथा श्रेणीवार) की वसूली की गई तथा अकेले उत्तम श्रेणी की सिगरेटों से अलग-अलग कितना शुल्क वसूल किया गया;

(ख) 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्धारित दरों में परिवर्तन होने के बाद उत्तम श्रेणी की सिगरेटों से कितना शुल्क वसूल किया गया;

(ग) मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए 1987 से कितनी बार निर्धारित दरों में वृद्धि की गयी है;

(घ) क्या दरों में वृद्धि करना एक आम बात हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सिगरेटों पर लगाए गए शुल्क और उनसे वसूल किये गये राजस्व की राशि के बारे में सूचना ब्रांडवार नहीं रखी जाती है तथापि, वर्ष 1986-87 में सिगरेटों से वसूल किये गये कुल राजस्व की राशि 1363.52 करोड़ रुपए थी ।

(ख) उत्तम श्रेणी की सिगरेटों पर वसूल किए गए शुल्क के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है ।

(ग) से (घ) वर्ष 1987 से, सिगरेटों पर शुल्क की विशेष दरों को अधिसूचना संख्या 34/87 के०उ०शु० दि० 1-3-87; 22/89-के० उ० शु०, दि० 1-3-89; 14/90-के० उ० शु०, दि० 20-3-90; 21/91-के० उ० शु०, दि० 25-7-91; 9/92-के० उ० शु०, दि० 1-3-92 तथा 6/93-के० उ० शु०, दि० 28-2-93 द्वारा संशोधित किया गया है अथवा उनकी पुनरीक्षा की गयी है ।

बैंकों के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति

2476. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चेयरमैन/चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का इन मानदण्डों में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकों तथा भारतीय स्टेट बैंक में प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है । इन कानूनों में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन कार्यपालकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

बिहार में पुलों का निर्माण

2477. **श्री ललित उरांव** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री 27 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं०-723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर के भाग "क" और "ख" में उल्लिखित पुल किन-किन सड़कों और स्थानों पर हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक पुल के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) तैयार हो गये पुलों और अधूरे पड़े हुए पुलों का ब्यौरा क्या है और अधूरे पुलों को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) लिखित प्रश्न सं०-723 दिनांक 27-11-92 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित पुल निम्नलिखित हैं :—

भाग—(क)

1. रा० रा० 23 पर चारनी नाला नदी पर 46 कि० मी० में पुल;
2. रा० रा० 23 के 101 कि० मी० में नौसेन पुल; और
3. रा० रा० 23 के 70 कि० मी० पर पारस पुल ।

भाग—(ख)

1. रा० रा० 31 के 270 कि० मी० में खगरिया में बूढ़ी गंडक पुल के गाइड बंड्स के एफ० डी० आर० ।
2. रा० रा० 31 के 422 कि० मी० में पुल की विशेष मरम्मत ।

(ख) प्रत्येक पुल के लिए स्वीकृत राशि तथा अब तक किया गया आबंटन इस प्रकार है :—

पुल का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु०)	आबंटन (लाख रु०)
(1) रा०रा० 23 पर चारनी नाला नदी पर 46 कि०मी० में पुल	41.35	10.00
(2) रा०रा० 23 के 101 कि०मी० में नौसेन पुल	33.52	27.00
(3) रा०रा० 23 के 70 कि०मी० पर पारस पुल	39.48	1.00
(4) रा०रा० 31 के 270 कि०मी० में खगरिया के गाइड बड्स	76.197	76.197
(5) रा०रा० 31 के 422 कि०मी० में पुल की विशेष मरम्मत	10.194	10.194

(ग) इन पुल कार्यों को पूरा करने का सम्भावित समय इस प्रकार है :—

	वर्ष
रा०रा० 31 पर खगरिया में बूढ़ी गंडक पुल के गाइड बंड्स के एफ०डी०आर०	1993
रा०रा०31 422 कि०मी०में पुल की विशेष मरम्मत	1993
रा०रा० 23 के 46 और 101 कि०मी० में पुल	1995
रा०रा० 2 के 70 कि०मी० में पुल	1996

केन्द्रीय बिक्री कर में से राज्यों का हिस्सा

2478. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर के एक स्थान पर एकत्र हो जाने के बाद सम्बद्ध राज्य सरकार को उचित हिस्सा देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के लिए दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

व्यापार सन्तुलन

2479. **श्री एस० वी० थोरात** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली तथा रूस सहित स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सी०आई०एस०) इत्यादि जैसे पश्चिमी देशों के साथ हमारे व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन देशों के साथ हमारे व्यापार संतुलन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) हमारे व्यापार संतुलन में सुधार लाने के उपायों में संयुक्त आयोगों/समितियों के स्तर पर सरकार से सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारतीय कम्पनियों को इन देशों में अपने प्रतिपक्षी संगठनों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने को प्रोत्साहित करना शामिल है ।

विवरण

यू० के०, फ्रांस, यू० एस० ए० आदि के साथ व्यापार सन्तुलन

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	1989-90	90-91	91-92
(1) यू० के०	(—) 1372.00	(—) 797.00	(—) 159.00
(2) फ्रांस	(—) 973.44	(—) 539.58	(—) 482.00
(3) इटली	(—) 11.00	(—) 92.00	(+) 339.00
(4) यू० एस० ए०	(+) 214.90	(—) 441.46	(+) 2300.69
(5) कनाडा	(—) 189.80	(—) 278.36	(—) 217.12
(6) लैटिन अमरीका और कैरिबियन क्षेत्र	(—) 634.63	(—) 903.70	(—) 555.62
(7) रूस (भूतपूर्व यू० एस० एस० आर० सहित सी० आई० एस०)	(+) 2424.78	(+)2706.67	(+) 2187.05

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अर्जित लाभ

2480. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने गुजरात तथा अन्य राज्यों में अपने कुल कारोबार में कुल कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों में कारोबार में कितने लाभ-अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य में कितनी वृद्धि की गई है; और

(घ) इन लक्ष्यों में से अब तक बैंक को कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) वर्तमान सूचना प्रणाली से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभ और हानि सम्बन्धी राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती ।

न्यूनतम मजदूरी

2481. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग ने प्रत्येक दो वर्षों में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इसकी सिफारिशों को अपनाने तथा लागू करने के लिए कहा गया है;

(ग) न्यूनतम मजदूरी में राज्य-वार अन्तिम बार कब संशोधन किया गया था;

(घ) क्या आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रति छः महीनों में निर्धारित किये जाने वाले महंगाई भत्ते के द्वारा पूरा करना चाहिये; और

(ङ) इस सिफारिश को अब तक किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को विचारार्थ तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था ।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के पिछले संशोधन की तारीख दर्शाने वाला विवरण-संलग्न है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जिन राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी दरों के साथ महंगाई भत्ते का प्रावधान किया है उनके नामों को इंगित करने वाला विवरण-2 संलग्न है ।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पिछले संशोधन का तारीख
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3-7-91
2.	असम	18-3-91
3.	बिहार	26-11-90
4.	गोवा	5-2-92
5.	गुजरात	28-6-89
6.	हरियाणा	11-10-89
7.	हिमाचल प्रदेश	1-4-91
8.	अरुणाचल प्रदेश	1-11-90
9.	जम्मू व कश्मीर	24-3-89
10.	कर्नाटक	22-7-92
11.	केरल	25-6-92
12.	मध्य प्रदेश	20-6-92
13.	महाराष्ट्र	9-8-92

1	2	3
14.	मणिपुर	23-12-88
15.	मेघालय	1-6-90
16.	मिजोरम	11-11-87
17.	नागालैण्ड	6-8-92
18.	उड़ीसा	30-6-90
19.	पंजाब	1-9-89
20.	राजस्थान	2-7-90
21.	सिक्किम	1-1-91
22.	तमिलनाडु	10-4-92
23.	त्रिपुरा	15-12-91
24.	उत्तर प्रदेश	23-9-92
25.	पश्चिम बंगाल	4-7-87
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	13-8-92
27.	चण्डीगढ़	22-2-90
28.	दादर व नगर हवेली	5-10-89
29.	दमन और दिव	13-12-91
30.	दिल्ली	28-4-89
31.	लक्षद्वीप	1-9-89
32.	पांडिचेरी	
(i)	कराइकल	31-1-90
(ii)	माहे	18-2-87
(iii)	यनम	9-3-88
(iv)	पांडिचेरी	15-12-89

विवरण-II

उन राज्यों के नाम जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्रावधान किया है

क्रम संख्या	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम

1	2
3.	गुजरात
4.	हरियाणा
5.	कर्नाटक
6.	केरल
7.	मध्य प्रदेश
8.	महाराष्ट्र
9.	मणिपुर
10.	पंजाब
11.	तमिलनाडु
12.	उत्तर प्रदेश
13.	पश्चिम बंगाल
14.	चण्डीगढ़
15.	दिल्ली

राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक

2482. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1993 को कलकत्ता में राज्य श्रम मंत्रियों की उपसमिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन मुद्दों पर विचार किया गया और क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1 फरवरी, 1993 को कलकत्ता में आयोजित हुई राज्य के श्रम मंत्रियों की उपसमिति की बैठक के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जहाजों की खरीद

2483. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम की वर्तमान टन-भार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या निगम का विचार कुछ नए जहाजों को खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो उन एजेंसियों/देशों के नाम क्या हैं जिनसे जहाजों को खरीदा जाएगा,; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में 49.72 लाख डी०डब्ल्यू०टी० के 126 जहाज हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आठवीं योजना के दौरान भारतीय नौवहन निगम का लगभग 28 लाख डी०डब्ल्यू०टी० के 75 जहाज खरीदने का प्रस्ताव है । कुछ जहाज भारतीय शिपयार्डों से तथा अन्य विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर विदेशों, जैसे कोरिया, जापान और यूरोप के देशों से खरीदे जाएंगे । तथापि, यार्ड का अन्तिम चयन आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है ।

(घ) अनुमान है कि आठवीं योजना के दौरान इन 75 जहाजों की खरीद पर लगभग 5000 करोड़ रु० का निवेश किया जाएगा ।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों के खातों से धनराशि का बाहर जाना

2484. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन माह के दौरान अनिवासी भारतीयों के विदेशी मुद्रा खातों तथा अनिवासी भारतीय (बाहरी) रुपया खातों से माहवार कितनी-कितनी धनराशि बाहर गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन खातों से बाहर जाने वाली धनराशि में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता स्कीमों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1992, जनवरी एवं फरवरी, 1993 में निवल अन्तर्प्रवाह हुआ । दोनों स्कीमों के अन्तर्गत महावार निवल अन्तर्प्रवाह के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन अमरीकी डालर)

माह	अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता*	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता
दिसम्बर, 1992	2**	93
जनवरी, 1993	1**	110
फरवरी, 1993	इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं ।	88

* अर्जित ब्याज सहित ।

** अनन्तिम ।

(ख) से (घ) क्योंकि उपलब्ध आंकड़े निवल अन्तर्प्रवाह की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं अत: प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेशी ऋण सहायता की अदायगी

2485. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं हेतु अब तक कितनी विदेशी ऋण सहायता ली है;

(ख) क्या उक्त ऋण की अदायगी हेतु राज्य सरकार उत्तरदायी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विदेशी ऋण सहायता की अदायगी किस प्रकार की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार से संबंधित सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए अब तक ली गई विदेशी सहायता के विवरण संलग्न हैं ।

(ख) और (ग) विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा ली जाती है और 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार को भेज दी जाती है । इसके ऋण भाग की वापसी अदायगी 20 वर्षों के अंदर की जाती है और इस पर वर्तमान में 11.75 प्रतिशत ब्याज लगता है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई एवं विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित विदेशी सहायता के ब्यौरे

क्रम सं०	परियोजना तथा दाता अभिकरण का नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	डी०सी० मिलियन में राशि	
1	2	3	4	
	सिंचाई क्षेत्र			
1.	पोचम्पाद सिंचाई परियोजना—विश्व बैंक	23-8-1971	यू०एस० डालर	39.00
2.	गोदावरी बांध परियोजना—विश्व बैंक	7-3-1975	,, ,,	45.00
3.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई एवं सी०ए०डी० परियोजना—विश्व बैंक	10-6-1976	,, ,,	145.00
4.	*जल संसाधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण परियोजना यू०एस०ए०आई०डी०	30-7-1983	,, ,,	50.90*
5.	लघु सिंचाई परियोजना—ई०ई०सी० सहायता (अनुदान)	8-3-1985	ई०सी०यू०	30.00
6.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-II परियोजना—विश्व बैंक	28-5-1986	यू०एस० डालर	215.110
7.	*राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना—विश्व बैंक	12-5-1987	,, ,,	127.27*

* ये बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं और आंध्र प्रदेश सहभागिता करने वाला एक राज्य है ।

1	2	3		4
	विद्युत क्षेत्र			
1.	श्री सैलम एवं नागार्जुन विद्युत परियोजना—सऊदी विकास निधि	1-6-1977	एस०आर०	353.00
2.	नागार्जुन सागर प्रतिवर्ती टरबाइन परियोजना (चरण-I)—ओ०ई०सी०एफ०	13-6-1978	येन	8400
3.	नागार्जुन सागर जल विद्युत बिजलीघर विस्तार परियोजना—ओ०ई०सी०एफ०	15-10-1981	येन	7000
4.	नागार्जुन सागर विद्युत परियोजना—(अनुदान) यू०के०	16-9-1987	पौंड	12.930
5.	श्री सैलम बाम तट (लैफ्ट बैंक) जल-विद्युत बिजली घर परियोजना—ओ०ई०सी०एफ०	10-2-1988	येन	26101
6.	रायलसीमा तापीय विद्युत परियोजना—एशियाई विकास बैंक	14-3-1990	यू०एस० डालर	230.00
7.	श्री सैलम विद्युत पारेषण पद्धति परियोजना—ओ०ई०सी०एफ०	21-12-1992	येन	5806

भारत-जापान सहयोग

2486. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जापान से किन-किन वस्तुओं का आयात तथा उसे किन-किन वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अब तक किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से जापान को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, समुद्री-उत्पाद, धातुओं की वस्तुएं, सूतीयार्न, गारमेंट्स आदि शामिल हैं। जापान से होने वाले प्रमुख आयातों में परियोजना वस्तुएं, मशीनरी (विद्युतीय परिवहन उपकरण, मशीनी औजार), लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, वस्त्रयार्न आदि शामिल हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इनमें वृद्धि करने और विविधीकृत करने का हमारा प्रयास है।

(ग) जापान के साथ व्यापार दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित और वर्ष 1958 से लागू परममित्र देश करार द्वारा शासित होता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बस परमिट धारकों को ऋण

2488. **श्री रामप्रकाश चौधरी :**

श्री मंजय लाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और सरकारी वित्त संस्थाओं को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परमिट धारकों से बस खरीदने के लिए ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या ऐसे सभी बस परमिट धारकों को ऋण वितरित कर दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने बस परमिट धारकों को अब तक ऋण वितरित किया गया है; और

(घ) ऐसे सभी परमिट धारकों को जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है, कब तक ऋण वितरित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये गए आवेदनों की संख्या और अ० जा०/अ० ज० जा० के बस परमिट धारकों को सवितरित ऋणों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तावित संदर्भाधीन वाहन सहित 6 वाहनों से अनधिक वाहन रखने और परिचालित करने वाले लघु सड़क और जल परिवहन परिचालकों को दिये जाने वाले अग्रिम, बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत आते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक बसों सहित वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए अ० जा०/अ० ज० जा० के उधारकर्ताओं सहित पात्र उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, अ० जाति/अ० ज० जा० से प्राप्त प्रस्तावों सहित उन सभी प्रस्तावों पर ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक विचार कर रहे हैं जो वित्तीय रूप से अक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हैं। प्राथमिकता क्षेत्र उधार से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी अनुदेशों के अनुसार, 25,000 रु० तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर निपटाया जाना होता है और 25,000 रु० से अधिक के ऋण आवेदनों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के अन्दर करना होता है।

जून, 1990 और जून 1991, अद्यतन उपलब्ध को समाप्त वर्षों के दौरान परिवहन परिचालकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण नीचे दर्शाये गए हैं :—

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपए में)
जून, 1990	117628	578
जून, 1991	108481	522

एशिया विकास बैंक से वित्तीय सहायता

2489. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया विकास बैंक ने नई परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए भारत को रियायती सहायता देने पर कुछ पाबन्दियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पाबन्दियां लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) लन्दन में 9-10 दिसम्बर, 1991 को दाता-देशों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ए०डी०एफ० के पारम्परिक प्राप्तकर्त्ताओं और अन्य पात्र उधार लेने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ए०डी०एफ०-IV अवधि अर्थात् 1992-95 के दौरान भारत को ए०डी०एफ० संसाधन (रियायती सहायता) उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं होगा। तथापि नई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु भारत को रियायती सहायता प्रदान करने के लिए बैंक को समझाने के प्रयास जारी रखे जायेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक में सम्बद्ध बैंकों का विलय

2490. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबद्ध बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने की मांग के संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

बीड़ी तथा पटसन श्रमिकों के लिए पेंशन तथा उपदान योजना

2491. **श्री आर जीवरत्नम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में बीड़ी तथा पटसन उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति 55 साल की उम्र में भी इन उद्योगों में काम कर रहे हैं;

(ग) क्या बीड़ी तथा पटसन उद्योग के इन श्रमिकों के लिए कोई पेन्शन योजना तथा अवकाश उपदान आरम्भ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तमिलनाडु में लगभग 6 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। तमिलनाडु में जूट की पैदावार नहीं होती हैं और न हीं वहां पर कोई ऐसी जूट मिल है जिसमें बड़ी संख्या (20 से अधिक) में कर्मकार नियोजित हैं।

(ख) इस प्रकार से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 बीड़ी और जूट औद्योगिक कर्मकारों पर लागू होता है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाता औद्योगिक कर्मकारों के लिए एक पेंशन योजना पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाता बीड़ी और जूट औद्योगिक कर्मकारों पर भी योजना लागू होगी।

असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

2492. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने असम में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस दिये हैं; और

(ख) ये शाखाएं, बैंक-वार राज्य के किन-किन स्थानो में खोली गई हैं अथवा खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) असम में वे स्थान, जहां ये शाखाएं खोली गई हैं और खोले जाने के लिए प्रस्तावित हैं, नीचे दी गई हैं :—

बैंक का नाम	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	जोरहाट	जोरहाट जेल रोड
बैंक आफ बड़ौदा	जोरहाट	जोरहाट गरमुर
भारतीय स्टेट बैंक	जोरहाट	जोरहाट बोरपुल
भारतीय स्टेट बैंक	कामरूप	गुवाहाटी कालीपुर
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	कामरूप	गुवाहाटी अम्बिकागिरी नगर
इण्डियन बैंक	कामरूप	गुवाहाटी, पेलटोला
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कामरूप	गुवाहाटी, अदाबाडी
केनरा बैंक	कामरूप	गुवाहाटी, काहिलीपाडा

इसके अलावा असम राज्य में शहरी तथा अर्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं। बैंकों को परिसरों का पता लगाने तथा आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करनी है जिसके पश्चात् उन्हें लाइसेंसों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करना होगा। इन शाखाओं को 31-3-1995 तक खोला जाना है।

गारन्टी बैंक का नाम	जिला	केन्द्र
1	2	3
बैंक आफ इण्डिया	जोरहाट	जोरहाट-बंगाई अहकुरी
सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	जोरहाट	जोरहाट, राजाबाड़ी
कारपोरेशन बैंक	कामरूप	गुवाहाटी, पुराने बस स्टेट के पास केदार रोड, माछखोवा

1	2	3
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	कामरूप	गुवाहाटी, एम० जी० रोड०
भारतीय स्टेट बैंक	कामरूप	गुवाहाटी औद्योगिक वित्त शाखा
भारतीय स्टेट बैंक	मोरी गांव	मोरी गांव
भारतीय स्टेट बैंक	नागांव	लुमडिंग
इण्डियन ओवरसीज बैंक	सोनितपुर	तेजपुर
इण्डियन ओवरसीज बैंक	नागांव	नागांव
इण्डियन ओवरसीज बैंक	कछार	सिछार
इण्डियन ओवरसीज बैंक	शिवसागर	शिवसागर
इण्डियन ओवरसीज बैंक	बोंगाइगांव	बोंगाईगांव
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	गोलाघाट	काथलगुड़ी
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	सोनितपुर	बिस्वानाथ चरैत

1990-95 की वर्तमान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए असम सरकार के माध्यम से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता

2493. **श्री रामचन्द्र घंगारे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश रक्षा उपकरणों के मामले में किस हद तक आत्मनिर्भर है;

(ख) रक्षा उपकरणों के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारत में रक्षा सम्बन्धी उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार है, और उनके उत्पादन के लिए पर्याप्त उत्पादन-तन्त्र मौजूद हैं । सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपकरणों का आयात उसी समय किया जाता है जब उनका देश में अपेक्षित समय-सीमा के भीतर तथा किफायती ढंग से उत्पादन नहीं किया जा सके । सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित उपस्कर शस्त्रों और शस्त्र-प्रणालियों, गोला-बारूद और अतिरिक्त पेच-पुर्जों का देश में उत्पादन किए जाने के मामले में काफी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है, और रक्षा सम्बन्धी मदों के आयात में कमी करने और रक्षा सम्बन्धी मदों के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

गुजरात में कृषि ऋण

2494. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 28 फरवरी, 1993 तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गुजरात के जामनगर और राजकोट जिलों के किसानों को जिलावार कितना कृषि ऋण दिया गया और 1993-94 के दौरान कितना ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार सभी भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल ऋणों का कम-से-कम 18 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष कृषि वित्त के लिये प्रदान करें। इस सम्बन्ध में नये सिरे से ऋण देने के लिए कोई राज्यवार अथवा जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989-90, 1990-91, 1991-92 और चालू वर्ष 1992-93 (जून 1992 तक, अद्यतन उपलब्ध) में गुजरात राज्य में स्थित जामनगर और राजकोट के जिलों में किसानों को संवितरित किये गये कृषि ऋणों की रकम नीचे दर्शायी गयी है।

(रकम लाख रुपये में)

वर्ष	जामनगर	राजकोट
1989-90	3058.63	4620.20
1990-91	6245.26	7785.36
1991-92	6626.73	8486.37
1992-93 (जून, 1992 तक)	1658.44	4462.95

[हिन्दी]

बाल श्रम सम्बन्धी समिति

2495. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुरुपद स्वामी की सिफारिशों के अनुसार बाल श्रम प्रकोष्ठ, बाल श्रम सलाहकार बोर्ड और बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन निकायों ने क्या कार्य किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : (i) श्रम मंत्रालय में 1979 में बाल श्रम प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ नीतियां बनाने, उनके समन्वयन तथा कार्यान्वयन और बाल मजदूरों के कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। यह प्रकोष्ठ सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्रवाई के माध्यम से कार्य पर बालकों के कल्याण में लगा हुआ है।

(ii) बाल श्रम सलाहकार बोर्ड को आरम्भ में 4-3-81 को गठित किया गया था तथा समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित विद्यमान विधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, श्रमजीवी बालकों के कल्याण के लिये विधायी उपायों तथा कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने, उन उद्योगों और क्षेत्रों, जहां बाल श्रम को क्रमिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए, के बारे में सिफारिश करने के उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ने प्रतिष्ठित विधि-वेत्ता;

डा० एल० एम० सिंघवी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रम सम्बन्धी टास्क फोर्स की सिफारिश पर विचार किया था।

(iii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 3-8-1987 को बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति की तीन बैठकें हुई हैं तथा सिफारिशों के आधार पर अभी तक एक व्यवसाय तथा 3 प्रक्रियाओं को अनुसूची में जोड़ा गया है। अपनी पिछली बैठक में बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति ने अनुसूची में और 15 प्रक्रियाओं को जोड़े जाने की सिफारिश की है।

जीवन बीमा निगम द्वारा भवन निर्माण अग्रिम

2496. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को गत वर्ष भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने में हुई अनेक अनियमिततायें सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2497. **डा० चिन्ता मोहन** :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की किसी योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 1992 तथा 1993-94 के दौरान पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात सरकार द्वारा निर्यात के लिये कितना अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी, हां। सरकार बासमती चावल

मसाले, ताजे फल और सब्जियां प्रसंस्कृत खाद्य और पुष्प उत्पाद जैसी कृषि सम्बन्धी मदों के निर्यातों का संवर्धन करने की इच्छुक है। संवर्धनात्मक अभिकरण जैसे मसाला बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अभिकरण (ए० पी० डी०) निर्यातकों की सूचना, बाजार आसूचना, वित्तीय सहायता देकर और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित करके सहायता करते हैं।

(ख) उपर्युक्त तीन संगठनों के दो वर्षों के परिव्यय निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु०)

	1992-93 (संशोधित अनुमान)	1993-94 (बजट अनुमान)
1. स्पाइसेज बोर्ड	8.05	9.70
2. तम्बाकू बोर्ड	10.06	23.91
3. एपीडा	1.90	6.23

(ग) से (ङ) : वर्ष 1992-93 के लिये विभिन्न कृषि मदों के निर्यात के लिये निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

		लक्ष्य 1992-93 (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	मसाले	165
2.	काजू	300
3.	तम्बाकू	175
4.	खाद्यान्न	275
5.	आयल, केक, आदि	500
6.	फल, सब्जियां उनके उत्पाद डेयरी उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस और मांस के उत्पाद	425
7.	चीनी और शीरा	150
8.	गम कार्यों, नाइजर बीज चमड़ा आदि	10
		2000

वर्ष 1993-94 के लिये मूल्य के रूप में 15 प्रतिशत निर्यातों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लौंग की तस्करी

2498. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका से भारत में लौंग की तस्करी किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष लौंग की कितनी मात्रा की तस्करी होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि लौंग की थोड़ी-थोड़ी मात्रा में विशेष रूप से श्रीलंका से यात्री असबाब के रूप में, बराबर तस्करी की जाती रहती है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, इसलिये इस तरह की जाने वाली तस्करी की मात्रा का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है।

बीड़ी उद्योग में कार्यरत बच्चे

2499. **श्री राम विलास पासवान :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी उद्योग में कार्यरत बन्धुआ बच्चों तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991 के अन्त तक देश में बाल श्रमिकों में से अनुमानत: कितने प्रतिशत बच्चे बीड़ी उद्योग में कार्यरत थे तथा वे किस आयु वर्ग के थे;

(घ) क्या कुछ माता-पिताओं ने बीड़ी उद्योग में ठेकेदारों से लिए ऋण को चुकाने हेतु अपने बच्चों को गिरवी रख दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार बच्चों को गिरवी रखने से रोकने हेतु एक उपयुक्त कानून बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (छ) : सरकार ने देश के ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके बारे में सिफारिशें करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का गठन किया था। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसमें से एक बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्या के बारे में थी। बीड़ी उद्योग मुख्यत: एक गृह आधारित उद्योग है, जिसमें अधिकांश कर्मकार नियोक्ताओं/ठेकेदारों द्वारा दी गयी सामग्री की सहायता से अपने-अपने घरों में बीड़ियां बनाते हैं। बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का औद्योगिक परिसर में नियोजन प्रतिषिद्ध है। तथापि, गृह आधारित बीड़ी कर्मकार बीड़ियां बनाने में बालकों सहित अपने परिवार के सदस्यों की सहायता लेते हैं। बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों का रेहन अथवा बंधुआ रखे जा रहे बालकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है। इसी दृष्टि से, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विधान लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्रों की तस्करी

2500. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बंगलादेश तथा नेपाल से बड़े पैमाने पर होने वाली वस्त्रों की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक वर्ष तस्करी द्वारा लाये गये वस्त्रों का अनुमानित मूल्य क्या है; तथा इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पादन की मांग में अनुमानत: कितनी कमी आई है;

(ग) देश में बड़े पैमाने पर वस्त्रों की तस्करी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : अन्य देश के मूल के अथवा अन्य देशों से आयात किये गये यार्न से विनिर्मित सिंथेटिक वस्त्र बंगलादेश और नेपाल से भारत में तस्करी के लिए बराबर आकर्षण की वस्तुयें बने हुए हैं। तथापि, चूंकि, तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा है, अत: इस तरह की जाने वाली तस्करी की मात्रा का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है और इसलिए इस प्रकार की जाने वाली तस्करी के कारण स्वदेशी उत्पादों की मांग में आई गिरावट का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है। यद्यपि भारतीय सिंथेटिक वस्त्र गुणवत्ता, छपाई तथा बनावट की दृष्टि से अच्छी टक्कर देते हैं, फिर भी वे आयातित वस्त्रों से ज्यादा महंगे होते हैं।

(घ) तस्करी रोधी एजेन्सियां वस्त्रों सहित सभी प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के प्रति सतर्क रहती हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

फ्रैंकफर्ट में व्यापार मेला "होमटैक्सटाइल"

2501. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फ्रैंकफर्ट में आयोजित स्वदेशी वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले "होमटैक्सटाइल" में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था; और

(ग) इस मेले के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और कितने मूल्य में क्रयादेश प्राप्त हुए ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 57 भारतीय फर्मों ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के जरिये भाग लिया। भाग लेने वालों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) मेले पर 45.64 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। भागीदारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 37.78 करोड़ रुपए का कारोबार बुक किया गया और 43.23 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए बातचीत की गई।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम
	जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया
1.	अजन्ता आर्ट एक्सपोर्टर्स, बम्बई
2.	ग्लोब एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
3.	इण्डिया एम्पोरियम इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
4.	इण्डो एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली
5.	पी० देनकान्ना एण्ड कम्पनी, पालाकोल
6.	प्रकाश बिहारी लाल एक्सपोर्टर्स, मद्रास
7.	रिजेंसी एक्सपोटर्स प्रा० लि०, बम्बई
8.	रामकृष्ण परमहंस एण्ड कम्पनी डब्ल्यू जी० डी० टी०, आंध्र प्रदेश
9.	मेकनिल इण्टरनेशनल लि०, बम्बई
10.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास
11.	श्री नरसम्बा लेस इण्डस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश
12.	पी० ए० पी० एक्सपोर्टस, कारूर
13.	प्रेम इन्टरनेशनल, कारूर
14.	अमन एक्सपोर्टस, कारूर
15.	एक्सपोर्ट फैब, कारूर
16.	दिग्नेश्वर एक्सपोर्टस, प्रा० लि०, बम्बई
17.	विस्मा इण्टरनेशनल, नई दिल्ली
18.	अमितारा फेब्रिक्स प्रा० लि०, बम्बई
19.	बद्रीदास गौरीदत्त प्रा० लि०, बम्बई
20.	देवी एक्सपोर्टस कारपोरेशन, केरल
21.	ईस्टर्न एक्सपोर्टस, नई दिल्ली
22.	एन्कोर थीम्स, नई दिल्ली
23.	एस्पी एक्सपोर्टस, बम्बई
24.	एक्सपोर्टस इण्डिया, नई दिल्ली
25.	हीरा लाल एण्ड सन एक्सपोर्टस, नई दिल्ली
26.	इण्ड्स क्राफ्ट्स, नई दिल्ली
27.	आई० टी० सी० लि०, नई दिल्ली

1	2
28.	काशिका एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
29.	कपूर इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
30.	ला० सोरोगीका इण्टरनेशनल, नई दिल्ली
31.	महाजन ओवरसीज प्रा० लि०, नई दिल्ली
32.	स्टारलेस इण्डस्ट्रीज, नरसापुर, डब्ल्यू जी जिला, आंध्र प्रदेश
33.	निधि एक्सपोर्टस, नई दिल्ली
34.	ओशियन एक्सपोर्टस इण्डिया, जयपुर
35.	आर्किड्स, नई दिल्ली
36.	पूर्णिमा हस्तशिल्प, जयपुर
37.	रावसिटार्स एक्सपोर्टस प्रा० लि०, नई दिल्ली
38.	शाइन ओवरसीज, दिल्ली
39.	स्टारटेक्स, दिल्ली
40.	सनलाई एपेरल्स मैं० कं०, नई दिल्ली
41.	वूलटाप वीवर्स, मद्रास
42	अखिल भारतीय हथकरघा, दिल्ली
43.	अमर ज्योति फेब्रिक्स लि०, कारूर
44.	एवको ट्रेडर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
45.	बनारस सिल्क मैं० कं०, वाराणसी
46.	एवरग्रीन इण्टरनेशनल, नई दिल्ली
47.	फेज 3 एक्सपोर्टस प्रा० लि०, बम्बई
48.	सृष्टि एक्सपोर्टस, नई दिल्ली
49.	पसारी एक्सपोर्टस, बंगलौर
50.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली
51.	भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई
52.	टी० टी० के० एक्सपोर्टस प्रा० लि०, वाराणसी
53.	प्रकाश सिल्क फेब्रिक्स, बंगलौर
54.	चिनसन टेक्सटाइल, कारूर
55.	मानपोर्ट इन्टरनेशनल (मोन्टारी इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली का प्रभाग)
56.	शोरेवाला एक्जिम इन्टरनेशनल, दिल्ली
57.	तिब्बत इण्टरनेशनल ट्रेडर्स, नई दिल्ली

(हिन्दी)

मध्य प्रदेश में लघु/मध्यम स्तर के औद्योगिक एकक

2502. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम दर्जे की बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(अनुवाद)

मौरीशस के साथ व्यापार

2503. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौरिशस ने अति विकसित अपलट व्यापार केन्द्र और मुक्त परिषद का लाभ उठाने के लिए भारतीय व्यवसाइयों और व्यापारियों को आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय व्यापारी समुदाय को मौरिशस के साथ व्यापार करने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) मौरिशस के साथ व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और दोनों देशों के व्यापार समुदाय एक-दूसरे के साथ व्यापार करने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

(ग) और (घ) : मौरिशस के साथ व्यापार करने के लिए कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है । तथापि, भारतीय व्यापार-समुदाय दोनों देशों की एक्जिम नीति के तहत मौरिशस के साथ व्यापार कर सकता है । इसके साथ ही मौरिशस सहित सभी देशों में उपक्रमों की स्थापना करने के लिए भारतीय प्रोत्साहकों द्वारा विदेशों में पूंजी लगाने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी हाल ही में उदार बनाया गया है ।

(हिन्दी)

जर्मनी के साथ समझौता

2504. **श्री शिबू सोरेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जर्मन शिष्टमंडल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में हुई वार्ता और हस्ताक्षर किये गए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) जर्मन और भारतीय प्राधिकारियों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के मुद्दों, विशेष रूप से निवेश को प्रोत्साहन देने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार; जर्मनी के एकीकरण के निहितार्थों, यूरोपीय एकीकरण की प्रवृत्तियां, और पूर्वी यूरोप तथा रूस स्थित; भारत के पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध और उत्तर-दक्षिण वार्ता और गैट उरुग्वे दौर के समझौते जैसे बहुपक्षीय मुद्दों के बारे में वार्ता हुई थी। जर्मन विकास बैंक (के० एफ० डब्ल्यू०) के साथ दो वित्तीय प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए। इन प्रोटोकोलों में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(i) उड़ीसा मे लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम के लिए कुल 55 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण जिसे उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम (ओ० एल० आई० सी०) जो उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(ii) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० (आई० सी० आई० सी० आई०) को निजी स्वामित्व के उद्यमों की मध्यम आकार की परियोजनाओं के वित्तपोशण के लिए लगभग 30 मिलियन ड्यूश मार्क का ऋण प्रदान करना।

बंधुआ बाल श्रमिक

2505. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बंधुआ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने बंधुआ बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) सरकार ने इन बंधुआ बाल श्रमिकों को मुक्त करने तथा उनका पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाये हैं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बंधुआ स्थिति में कार्य कर रहे बालकों की कुछ घटनाओं की सूचना सरकार को मिली है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने बंधुआ स्थिति में कार्यरत बालकों की संख्या क्रमश: 20, 1, 75 और 43 होने की रिपोर्ट दी हैं। बालकों को मुक्त करा दिया गया है और उनको उनके माता पिता के पास भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियम के पश्चात् से बंधुआ श्रम की पद्धति समाप्त कर दी गयी है। जहां कहीं भी बंधुआ स्थिति में बालकों के कार्यरत होने का पता चलता है, राज्य सरकारें अपने प्रवर्तनतंत्र के माध्यम से उनकी मुक्ति और उनको उनके माता-पिता के पास पहुंचाने के लिए समुचित कार्रवाई करती हैं। अत: बंधुआ बाल श्रमिकों को न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अफीम का उत्पादन

2506. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में वर्ष वार अफीम का कितना उत्पादन हुआ.....

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान जैसा कि अफीम के उत्पादन के आधार पर आकलन किया गया है; अफीम के छिलके (डोडा-चूरा) का उत्पादन कितना हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात हेतु कितने परमिट जारी किए गए तथा परमिटों को जारी किए जाने के उद्देश्य क्या थे;

(घ) क्या अफीम के छिलके के उत्पादन और इसके निर्यात में जिस प्रयोजनार्थ ये परमिट जारी किए गए थे, काफी अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम का उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	70 डिग्री संसक्ति वाली अफीम का उत्पादन (किलोग्राम में)
1989-90	244415
1990-91	215701
1991-92	263130

(ख) और (ग) स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों के तहत पोस्त भूसी (डोडा चूरा) को अपने पास रखने, उसके परिवहन, अन्तर-राज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भण्डारण, बिक्री, खरीद, खपत और उपयोग का विनियमन किया जाता है । अतः भारत सरकार पोस्त की भूसी के उत्पादन और अन्तर-राज्य निर्यात के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है । तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय-सरकार द्वारा अन्य देशों को अफीम की भूसी का निर्यात करने के लिए कोई परमिट जारी नहीं किए गए हैं ।

(घ) से (च) ऊपर भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋण

2507. **श्री हरिसिंह चावड़ा** :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों और विभिन्न परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इस बकाया ऋण राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

प्राइवेट कम्पनियों से ऋण की वसूली

2508. **श्री खेलन राम जांगडे :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राइवेट कम्पनियों से ऋणों की समय पर वसूली करने में कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऋणों की तेजी से वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा

2509. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित प्रणाली से बैंकों में होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सकेगा; और

(घ) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचार से सम्बन्धित घोष समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षा का शुरू करना उनके विचाराधीन है ।

(ख) शाखाओं के समवर्ती लेखा परीक्षकों से लेन-देनों के साथ-साथ जांच करने और बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में बैंक के प्रयासों में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली का विस्तृत विवरण तैयार कर रहा है ।

(ग) चूंकि समवर्ती लेखा परीक्षकों का कार्य मुख्य रूप से दैनिक परिचालनों/लेन-देनों, खासकर हाऊस कीपिंग, प्रविष्टियों का मिलान, आय के रिसाव इत्यादि, की निगरानी करना है, अतः यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित प्रणाली अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने और उनको रोकने में अधिक सहायक होगी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किये जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथियारों की बिक्री

2510. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हथियारों तथा रक्षा/सैन्य उपकरणों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस सम्बन्ध में देश की क्या स्थिति है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणियां पहले से ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं, रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई में नीति और प्रक्रिया में उदारीकरण, विदेश स्थित हमारे मिशनों में आधारभूत सुविधाओं का उपयोग, विदेशी शिष्टमण्डलों के साथ सम्पर्क और निर्यात सम्बन्धी प्रचार शामिल हैं। इस सम्बन्ध में उत्पादन एजेन्सियों ने निर्यात क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी विपणन योजनाएं भी तैयार की हैं।

(ग) इस क्षेत्र में अभी हमारी शुरुआत ही हुई है, इसलिए लम्बे समय से निर्यात कर रहे अन्य देशों, जिन्होंने रक्षा बाजार पर अपना पर्याप्त कब्जा कर रखा है, के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर कर सकते। यदि भारत को उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो रक्षा सामान के निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं, परन्तु इस कार्य में आने वाली सुविधाओं को सुलझाना होगा और सम्भावित खरीदारों का पता लगाना होगा।

तम्बाकू का उत्पादन

2511. **श्री पी०वी०शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का है जिससे कि उसके उत्पादन को नियमित किया जा सके और उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया

(एफ०सी०वी०) तम्बाकू पहले से ही तम्बाकू बोर्ड के कार्य-क्षेत्र में है। गैर-वर्जीनिया तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के कार्य क्षेत्र में लाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सोने का आयात

2512. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान अनिवासी भारतीय कितना सोना भारत लाये हैं;

(ख) इससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या स्वर्ण आयात नीति लागू किये जाने के पश्चात् सोने के भाव गिर गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992 के दौरान (मार्च, 92 से दिसम्बर, 92 तक) स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत भारत में लगभग 92 मीट्रिक टन सोना लाया गया था। अनिवासी भारतीयों द्वारा लाये गये सोने के बारे में अलग-से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार को इस कारण लगभग 210 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) सोने का मूल्य, जो फरवरी, 1992 में (एक मार्च, 1992 को स्वर्ण आयात योजना के लागू होने से पहले) प्रति 10 ग्राम 4708 रुपये था, जुलाई, 1992 में घटकर प्रति 10 ग्राम 4122 रुपये और फरवरी, 1993 में प्रति 10 ग्राम 4018 रुपये हो गया।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैंक ऋण

2513. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ट्रकों, बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाता है जिसके कारण ट्रांसपोर्टरों को काफी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है कि ट्रांसपोर्ट संगठन भी इस बैंक ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, छह वाहनों से अनधिक, जिसमें वित्त-पोषण किये जाने वाला प्रस्तावित वाहन भी शामिल है, वाहनों वाले लघु सड़क परिवहन चालकों के अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर रहे हैं। बैंकों द्वारा

ऋणों की मंजूरी हेतु वित्तीय रूप से अर्थक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहार्य समस्त आवेदनों पर विचार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परामर्श दे दिया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह प्रभावित न हो और प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को बैंक से ऋण प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[अनुवाद]

गुजरात में बन्दरगाहों के जरिए से आयात और निर्यात

2514. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 और 1992 के दौरान गुजरात के छोटे बन्दरगाहों के जरिये बन्दरगाह-वार कुल कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिकों की छंटनी

2515. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संगठित उद्योग में विगत दो वर्षों के दौरान श्रमिकों की छंटनी की चिन्ताजनक प्रवृत्ति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अलग-अलग तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेषकर महाराष्ट्र में क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र के उद्योगों में श्रमिकों की छंटनी की कोई चिन्ताजनक प्रवृत्ति नहीं थी। 1987-92 के दौरान छंटनी करने वाली इकाइयों और छंटनी किए गए श्रमिकों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में छंटनी किए गए श्रमिकों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में छंटनी की दशा में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कतिपय उपायों की व्यवस्था है। अधिनियम के अंतर्गत किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के किसी नियोजक के लिए, जो छंटनी करने का इच्छुक हो, समुचित सरकार को नोटिस देना अनिवार्य है। इसी प्रकार उस कारखानें खान या बागान जिसमें 100 से अधिक श्रमिक नियोजित हों, के नियोजक को श्रमिकों की छंटनी के लिए समुचित सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना भी की है।

विवरण-I

1987-92 के दौरान छंटनी करने वाली इकाइयों और छंटनीग्रस्त श्रमिकों की राज्यवार संख्या

	1987		1988		1989 (अ०)		1990 (अ०)		1991 (अ०)		(जनवरी-नवम्बर) 1992 (अ०)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	2	107	13	512	4	85	4	126	8	53	10	282
अरुणाचल प्रदेश	...	...	—	—	—	—	—	—	...	...	...	...
असम	1	58	1	44	—	—	1	14	—	—	—	—
बिहार	3	187	6	166	—	—	1	8	1	51	—	—
गोवा	1	23	6	220	1	34	4	104	3	55	1	13
गुजरात	159	1075	181	1543	37	375	88	736	116	1045	90	662
हरियाणा	23	278	28	428	39	284	73	842	28	250	8	116
हिमाचल प्रदेश	—	—	3	36	2	21	5	171	—	—	10	459
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	...	...	—	—	—	—
कर्नाटक	1	15	3	11	—	—	2	19	3	40	—	—
केरल	3	22	1	6	5	43	6	47	2	7	1	11
मध्य प्रदेश	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महाराष्ट्र	45	493	79	994	41	355	40	409	22	233	26	316
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	976
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
नागालैंड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
उड़ीसा	37	1889	8	153	3	130	11	86	23	1573	7	133
पंजाब	4	125	1	47	2	23	4	30	—	—	2	95
राजस्थान	16	198	10	387	14	1390	4	59	6	82	5	58
सिक्किम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
तमिलनाडु	12	226	4	55	3	10	5	61	7	91	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	10	293	9	258	10	334	7	290	13	666	13	184
पश्चिम बंगाल	16	45	10	42	3	4	3	10	3	19	1	33
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	...	...	1	30	—	...	—	—	1	—	—	—
चंडीगढ़	1	8	...	...	—	—	—	—	...	...	...	...

दादर और नगर हवेली	1	20	—	—	—	—	—	—	...	...	...	...
दिल्ली	20	131	15	82	10	170	10	27	5	100	—	—
दमन और दीव	...	...	...	...	...	...	—	—	1	57	...	...
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—
कुल योग	356	5202	379	5014	174	3258	268	3037	235	4396	175	3338

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला — : शून्य

क : इकाइयों की संख्या ... : उपलब्ध नहीं

ख : छंटनीकृत श्रमिकों की संख्या (अ) : अनन्तिम

विवरण-II

वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के छटनीकृत श्रमिकों की संख्या

	1991 (अ)		1992 (जनवरी-नवम्बर) (अ)	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	...	53	—	282
अरुणाचल प्रदेश	00	00	00	00
असम	...	...	...	...
बिहार	51	...	...	...
गोवा	...	55	...	13
गुजरात	98	947	62	600
हरियाणा	...	250	...	116
हिमाचल प्रदेश	...	...	...	459
जम्मू और कश्मीर	...	...	...	...
कर्नाटक	...	40	...	...
केरल	...	60	...	11
मध्य प्रदेश	...	...	...	...
महाराष्ट्र	...	233	...	316
मणीपुर	10	...	976	...
मेघालय	...	...	...	...
मिजोरम	00	00	00	00
नागालैण्ड	00	00	00	00
उड़ीसा	13	1560	...	133
पंजाब	...	...	44	51
राजस्थान	53	29	4	54
सिक्किम	00	00	00	00
तमिलनाडु	...	91	...	...
त्रिपुरा	...	...	...	...
उत्तर प्रदेश	317	349	77	107

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	...	19	...	33
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	...	...	...	...
चण्डीगढ़	00	00	00	00
दादर एवं नागर हवेली	00	00	00	00
दिल्ली	...	100	...	...
दमन और दीव	...	57	00	00
लक्ष्य दीप	...	...	...	...
पांडिचेरी	...	11	...	...
कुल योग	542	3854	1163	2175

...=शून्य

00=उपलब्ध नहीं अ=अनंतिम

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

विश्व चाय परिषद् में भाग लेने का प्रस्ताव

2516. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व चाय परिषद—चाय का उत्पादन करने वाले देशों का एक मंच में भाग लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को चाय उत्पादक देशों के एक मंच विश्व चाय परिषद के मध्य की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन, विश्व के अधिकांश चाय उत्पादक और उपभोक्ता देशों की एफ० ए० ओ० के तत्वावधान में चाय पर अन्तः सरकारी समूह के रूप में प्रतिवर्ष बैठक होती है जिसमें चाय की मांग आपूर्ति स्थिति चाय की गुणवत्ता कीमतें, आदि सहित चाय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है।

गुजरात में बन्द पड़ी मिलें

2517. **श्री हरिन पाठक** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषकर अहमदाबाद में मिलों के बन्द होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

जापान और अमरीका को झींगा मछली का निर्यात

2518. **श्री राजेश कुमार** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा जापान और संयुक्त राज्य अमरीका को सप्लाई किये जाने वाली झींगा मछली की गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए इन देशों द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों के दल इन देशों को भेजे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इन देशों को इनकी यात्रा के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इन विशेषज्ञ दलों ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय कर रही है ।

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अभी हाल में इस सम्बन्ध में यू० एस० ए० या जापान को विशेषज्ञों का कोई दल नहीं भेजा गया ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

2519. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **जल भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गयीं हैं; और

(ख) इनमें चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिये गए ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की केवल एक बैठक हुई है ।

(ख) उपर्युक्त बैठक में, सन् 2001 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम करके 25,000 करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का मसौदा इसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने सड़क सुरक्षा नीति दस्तावेज को अन्तिम रूप देने के लिए जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल तथा परिषद की एक उप-समिति गठित करने की सिफारिश की । इस दस्तावेज को इस वर्ष के आखिर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में विचारार्थ एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सहायक बैंक

2520. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय समुदाय के देशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायक शाखायें स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे बैंकों के कार्यनिष्पादन के सम्बन्ध में क्या आकलन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक यू० के० में, जो यूरोपियन समुदाय का एक सदस्य है, एक अनुषंगी को नियमित करने की अनुमति दी गयी थी। इस अनुषंगी को 7 दिसम्बर, 1992 को वेल्स इंग्लैंड में निगमित किया गया है और इसका मुख्यालय लन्दन में होगा। भारतीय स्टेट बैंक को यू० के० में अपनी कुछ शाखाओं और अन्तवर्ष, पेरिस और फ्रैंन्कफर्ट स्थित शाखाओं को अनुषंगी के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। इस अनुषंगी के उद्घाटन मार्च, 1993 के अन्त तक किए जाने की सम्भावना है।

निर्यातकों को सुविधायें

2521. **श्री पाला के० एम० मेथ्यू** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को कुछ सुविधायें जैसे आयात वित्त दर को कम करना, उपलब्ध विदेशी मुद्रा में "फ्री-शिपमेंट क्रेडिट" प्रदान करना, विदेशों में निर्यात-बिलों पर पुनः छूट देना तथा निर्यात वित्त ब्याज पर से कर हटाने इत्यादि, प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सुविधायें कब तक प्रदान की जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही अनेक सुविधायें प्रदान की हैं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त पर ब्याज की दर कम करना, लदान पूर्व एवं लदान पश्चात ऋण विदेशी मुद्रा में प्रदान करना, निर्यात ऋण पर ब्याज की दर कम करना, चालू खाते की सुविधा के माध्यम से सभी उत्पादों के लिए साख पत्र। पुख्ता निर्यात ऋयादेश पहले से प्रस्तुत किए बिना लदान पूर्व ऋण प्रदान करना और बैंकों से निर्यात ऋण के मामले में ब्याज कर हटाना।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालयों के पास लम्बित मामले

2522. **श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-12-92 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित थे;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के निपटाये के लिए कोई न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो कितने मामले इस निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में 5091 विवाद और 9826 आवेदन लम्बित थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में 3828 विवाद तथा 7550 आवेदन 6 महीने से अधिक अवधि से लम्बित थे ।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवादों का शीघ्र न्याय निर्णय करने के लिए की जा रही कार्रवाई निम्नानुसार है :—

(i) संराधन तन्त्र को बेहतर तथा सुदृढ़ करना ताकि बड़ी संख्या में मामलों को संराधन अवस्था पर ही निपटाया जा सके;

(ii) श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्रता से भरना;

(iii) जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों की स्थापना करना;

(iv) जहां कहीं सम्भव हो, लोक अदालतें आयोजित करना ।

निर्यातकों के लिए बैंक से धन

2523. **श्री प्रभुदयाल कटेरिया :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक ऑफ इण्डिया ने निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अलग से धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक द्वारा निर्यातकों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपनाये जाने वाले तरीके का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुविधा किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अमरार अहमद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

[अनुवाद]

सिगरेटों का निर्यात

2524. **डा० बसन्त पवार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1992 के दौरान कितनी मात्रा में सिगरेटों का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के निर्यात की गई सिगरेटों की मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1990-91	4482	3659.41
1991-92	1753	1610.68

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें

2525. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 तक महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न बैंकों की वर्तमान शाखाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) इन बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कितने लघु उद्योगों को ऋण दिये गये; और

(ग) कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) 30 सितम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में लघु उद्योग एककों को दी गई राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

के अन्त में	खातों की संख्या	बकाया शेष
सितम्बर 1989	164126	270848
मार्च 1990	164076	290264
मार्च 1991 (नवीनतम उपलब्ध)	161744	324141

विवरण

30 सितम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या।

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की सं०
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	758
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	17
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	146
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	12
5.	स्टेट बैंक आफ महाराष्ट्र	14
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	5
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	13
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	7
9.	इलाहाबाद बैंक	76
10.	आन्ध्र बैंक	75
11	बैंक आफ बड़ौदा	260
12.	बैंक आफ इण्डिया	516
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	844
14.	केनरा बैंक	147
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	461
16.	कारपोरेशन बैंक	35
17.	देना बैंक	253
18.	इंडियन बैंक	63
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	60
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	21
21.	ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स	27
22.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	21
23.	पंजाब नेशनल बैंक	114
24.	सिंडिकेट बैंक	131

1	2	3
25.	यूको बैंक	113
26.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	289
27.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	28
28.	विजया बैंक	45
	जोड़	4501

महिला एवं बाल श्रमिकों के संबंध में
श्रम कानून को लागू करने के लिए तंत्र

2526. **श्री सूरज भान सोलंकी :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों को समुचित ढंग से लागू करने के लिए राज्य प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने हेतु कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान मार्गदर्शी आधार पर पचास प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली एक योजना शुरू की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत दो राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को केन्द्रीय हिस्सों की धन राशियां जारी की गयी हैं । जबकि आंध्र प्रदेश में यह योजना अभी तक लागू नहीं की गयी है किन्तु मध्य प्रदेश के चार जिलों अर्थात् इन्दौर, रायपुर, सागर तथा ग्वालियर में इसे लागू किया जा चुका है । राज्य ने सूचना दी है कि 1989-92 के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अधीन कुल 2068 निरीक्षण किए गये हैं । तथापि, अब इस योजना को राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित किया गया है ।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पत्तनों हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता

2527. **श्री जी०एम०सी० बालयोगी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारतीय पत्तनों, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के पत्तनों के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक (ए० डी० बी०) ने विभिन्न पत्तन परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता की मंजूरी दी है। इसमें आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पत्तन के विकास के लिए 77.90 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता भी शामिल है। फिलहाल इस पर आंध्र प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।

हुगली नदी में नौ-वहन

2528. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

हुगली नदी में बड़े जहाजों की नौ-वहन को सुचारू बनाने की दृष्टि से इस नदी की नौ-वहन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हुगली नदी की नौगम्यता में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने नदी सुधार और निकर्षण कार्यों को मंजूरी दी है। कलकत्ता पत्तन न्यास अपने ड्रेजरों और भारतीय निकर्षण निगम के ड्रेजरों से नियमित रूप से अनुरक्षण निकर्षण करता है। कलकत्ता पत्तन के कुछ पुराने ड्रेजरों को बदलने की स्कीमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

2529. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के प्रारम्भ में घरेलू ऋणों के सम्बन्ध में संचित ऋण वसूली की स्थिति क्या थी तथा वर्ष 1992 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत इसकी वसूली की गई;

(ख) वर्ष 1992 के अन्त में बकाया ऋणों की तुलना में अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों का कितनी मात्रा में होने का अनुमान है;

(ग) ऋणों की धीमी वसूली के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऋणों की वसूली के लिए बैंकरों को अधिक विधिक शक्तियां देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन-से अन्य उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) बैंक आर्थिक रूप से अर्थक्षम कार्य करने हेतु ऋण देने के लिए योग्य उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं। बैंक ऋण देने के लिए उन योग्य उधारकर्ताओं को सीमित मात्रा में उपभोक्ता ऋण देते हैं जिनके पास ऋणों की वापसी अदायगी के लिए आय के दूसरे स्रोत हैं। बैंकों द्वारा तब ऋण मंजूर किये जाते हैं जब उधारकर्ता को ऋण दिए जाने के लिए उसकी योग्यता सुनिश्चित हो जाए। फिर भी खातों के परिचालनों में कुछ ऋण विभिन्न कारणों से अशोध्य हो सकते हैं और जिससे अनिदेय राशियां बनती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1990, मार्च 1991 और सितम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम और अनिदेय राशियां नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रु०)

की स्थिति के अनुसार	बकाया राशियां	अतिदेय राशियां	बकाया राशियों की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता
मार्च 1990	85497	13675	16.00
मार्च 1991	110802	17320	15.54
सितम्बर 1991	102480	17967	17.53

अतिदेय राशियां कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के सम्बन्ध में उनके वसूली कार्य में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. बैंकों से कहा गया है कि वे बैंकों के दुर्लभ संसाधनों को एक ओर जरूरतमंदों और अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में पुर्ननिवेश करने में सहायता करने तथा दूसरी ओर ऋण-दाता बैंकों को लाभ-प्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए अर्थक्षम वसूली प्रणाली स्थापित करें।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि वे बड़े अग्रिमों की मानिटरिंग करने पर स्वयं ध्यान दें।

3. अग्रिमों की कारगर मानिटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अलग-अलग अग्रिमों के स्वास्थ्य को बताने के लिए विस्तृत और एक-समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना।

5. जब यह पाया जाता है कि अग्रिम अवरुद्ध हो गए हैं तो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

(घ) और (ङ) बैंक अपनी देय राशियों की वसूली मुकदमें दायर करने, समझौते आदि करने जैसी सामान्य कानूनी कार्यवाही में उपलब्ध उपायों के अनुसार करते हैं और इस सम्बन्ध में बैंकों को सीधे और अधिक कानूनी अधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों के लिए आयोग

2530. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक आयोग गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भर्ती केन्द्र

2531. श्री जीवन शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में तीनों सेवाओं के लिए भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों में ऐसे कुछ और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के युवकों की तीनों सेनाओं में भर्ती करने के लिए तीन शाखा भर्ती कार्यालय अर्थात् लैन्सडौन, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ प्रत्येक में एक-एक कार्यालय है ।

(ख) से (घ) देश में कोई नया भर्ती केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा भर्ती केन्द्र सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थियों की मांग को पर्याप्त रूप से पूरी कर रहे हैं ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में संशोधन

2532. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को उदार आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून सहित किसी कर कानून को युक्तिसंगत बनाना और उसे फिर से नया रूप देना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । जब कभी भी जरूरत पड़ती है, तो इसमें आवश्यक संशोधन कर दिए जाते हैं ।

बिहार में परियोजनायें हेतु फ्रांस से सहायता

2533 श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से प्राप्त ऋण सहायता राशि के कुछ भाग का बिहार में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवंटित कुछ धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू की जाएंगी;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं के निर्माण में अधिक समय लगा है तथा इनकी अनुमानित लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बढ़ी हुई लागत तथा समय सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी हां। बिहार में पूर्वी कटरास (ईस्ट कटराज) नामक केवल एक परियोजना है जहां फ्रांसीसी सहायता उपयोग में लाई जा रही है। 26 मार्च, 1991 को फ्रांस के साथ एक वित्तीय प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करके इस परियोजना के लिए 37.168 लाख फ्रांसीसी फ्रांक की धनराशि प्राप्त की गई है चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में फ्रांसीसी सहायता से कोई नई परियोजना आरम्भ करने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) : इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ था। यह परियोजना पिछड़कर कुल 24 माह में पूरी हुई। इस परियोजना के संपन्न होने की संशोधित अनुमानित तारीख मार्च,1994 है। लक्षित तारीख पिछड़ने के कारण निम्नानुसार है :—

(i) लम्बी दीवार (लांगवाल) पैनलों की कम लम्बाई, जैसा कि संशोधित परियोजना रिपोर्ट मे आयोजना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक से दूसरे पैनल तक लम्बी दीवार (लांगवाल) सैट का बार-बार स्थान बदलना पड़ा इससे लांगवाल उपकरण का समग्र कार्यनिष्पादन गिरा। वर्तमान लांग-वाल पैनल केवल 160 मीटर लम्बा है और इसके लगभग 4 माह तक ही चलने की आशा है।

(ii) अतिरिक्त विस्फोटन दीर्घा उपकरणों की उपलब्धि में विलम्ब।

[अनुवाद]

बारापूझा पुल

2534 **प्रो० के० वी० थॉमस** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के एर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 पर बारापूझा पुल के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस पुल के निर्माण पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस पुल पर निर्माण कार्य, सरकार द्वारा पुल के प्राक्कलन को स्वीकृत किए जाने तथा ठेका दिए जाने के बाद ही प्रारंभ किया जा सकता है।

(ग) इस पुल के निर्माण की अनुमानित लागत 26.64 करोड़ रु० है।

श्रम नीति में परिवर्तन

2535. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान श्रम नीति को सरल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान श्रम नीति में क्या-क्या परिवर्तन लाए जाने का विचार है;

(ग) क्या वर्तमान श्रम नीति में परिवर्तन लाने से पूर्व उद्योगों और श्रमिक संगठनों के प्रति-निधियों से कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) श्रम नीति को कारगर बनाने का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है। यह कार्य सरकार द्वारा नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ठ सहयोग तथा त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाता है। विगत में राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन सहित विभिन्न मंचो पर किए गए विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर उत्पादकता बढ़ाने, अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करने, विवादित प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने तथा औद्योगिक सम्बन्धों को सदभावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कुछ श्रम कानूनों को संशोधित करने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

जलेश्वर-चन्दनेश्वर सड़क का विकास

2536. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने जलेश्वर-चन्दनेश्वर सड़क के विकास हेतु अंतर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त पोषण किए जाने के लिए कुछेक प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों में 481.00 लाख रु० लागत की प्रश्नगत सड़क भी शामिल है जिसे परियोजनाओं की सूची में निम्न प्राथमिकता दी गई है। सीमित निधियां उपलब्ध होने के कारण आठवीं योजना में उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नगत सड़क के विकास को शामिल करना कठिन है।

उड़ीसा में "स्वगृह योजना" के अंतर्गत ऋण

2537. **श्री अर्जुन चरन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "स्वगृह योजना" के अंतर्गत उड़ीसा में आवासीय ऋण स्वीकृति की सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम के कुछ केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा जीवन बीमा निगम के ये केन्द्र किन-किन क्षेत्रों में खोले गए हैं या खोले जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम अपने सम्बलपुर स्थित मण्डल कार्यालय के माध्यम से 'अपना घर बनाओ" (ओन योर होम) योजना के अन्तर्गत अपने पालिसी धारकों को आवास ऋण प्रदान करता है। जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड अपने भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आवास ऋण प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के नए केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा संगठनों द्वारा खरीद

2538. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा संगठनों द्वारा की जाने वाली सीधी खरीद का कुछ प्रतिशत हिस्सा पूर्व सैनिकों से खरीदना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इस प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन किया जावेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रक्षा स्थापनाओं द्वारा सिविल बाजार से सीधी खरीद में 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा खोली गई लघु उद्योग इकाइयों में बनाई जा रही कम प्रौद्योगिकी की मदों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है, बशर्ते कि वे गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर हों।

(ग) क्रय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए हैं कि :—

(1) जिस भूतपूर्व सैनिक उद्यमी ने न्यूनतम दर प्रस्तुत की हो, पूरा ठेका उसी को दिया जाना चाहिए। यदि ठेका किसी गैर-भूतपूर्व सैनिक को दिया गया हो तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक उद्यमी को, जिसने स्वीकृत निविदा के निकटस्थ दर प्रस्तुत की हो, गैर-भूतपूर्व सैनिक उद्यमी द्वारा प्रस्तुत की गई दर के आधार पर ही ठेके का 10 प्रतिशत कार्य दिया जाना चाहिए।

(2) मूल्य-निर्धारण के पश्चात् चुने हुए भूतपूर्व सैनिक उद्यमी को माल सप्लाई के आदेश दिए जाने चाहिए परन्तु साथ ही पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को रिजर्व में भी रखना चाहिए ताकि जिस भूतपूर्व सैनिक ने न्यूनतम दर प्रस्तुत की है परन्तु यदि वह सामान की पूर्ति नहीं कर पाता है तो दूसरे भूतपूर्व सैनिक को ऐसा करने का मौका दिया जा सके।

[अनुवाद]

सार्वजनिक बैंकों की लाभ/हानि

2539. **श्री हुस्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने अब तक कितना लाभ अर्जित किया है और कितनी हानि उठाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

स्पेन के बैंक की शाखा

2540. **श्री बलराज पासी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन ने अपने बैंक की एक शाखा भारत में खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे स्पेन की सरकार या स्पेन में किसी वाणिज्यक बैंक से भारत में शाखा खोलने का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

निर्यात उत्पादों के लिए ब्रांड रेट स्कीम

2541. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात उत्पादों के लिए कोई नई ब्रांड रेट स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को सभी निर्यात उत्पादों तथा अन्य क्षेत्रों पर भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : 1 जनवरी, 1993 से एक सरलीकृत ब्रांड दर नियतन योजना लागू की गई है जिसमें सभी निर्यात उत्पादों को शामिल किया गया है। जैसे पहले किया जा रहा था उससे भिन्न, अब इस योजना में किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट/कोस्ट अकाउंटेंट से प्राप्त प्रमाण-पत्र के अधीन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये निविष्ट-उत्पादन आंकड़ों को बिना पूर्व सत्यापन के ब्रांड दरें नियत करने के लिए स्वीकार करने की परिकल्पना की गई है। ब्रांड दर नियत कर दिए जाने के बाद आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। इस स्कीम, जो 1 जनवरी, 1993 से पूर्व रसायनों, इलैक्ट्रानिक्स तथा इंजीनियरी माल नामक केवल तीन सेक्टरों पर ही लागू थी, को सभी सेक्टरों पर लागू कर दिया गया है ताकि दरों के नियतन में लगने वाले समय को कम करके निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[हिन्दी]

पूंजी संचयन

2542. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूंजी संचयन की दर संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूंजी संचयन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) : चालू मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण की दर जो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 के दौरान 19.6 प्रतिशत थी वह सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान 27.3 प्रतिशत की ऊंची दर पर पहुंच गई। हालांकि यह दर राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार

1990-91 के दौरान गिरकर 26.3 प्रतिशत और 1991-92 के दौरान फिर से गिरकर 25.5 प्रतिशत रह गई थी, फिर भी पूंजी निर्माण की दर पर्याप्त रूप से ऊंची और संतोषजनक है।

(घ) सरकार द्वारा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में बचतों की दर को बढ़ाने तथा पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कटौती के माध्यम से उन वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने पर जोर दिया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

2543. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को संविधान की नौवी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) 20 दिसम्बर, 1990 को आयोजित श्रम मंत्रियों के 39 वें सम्मेलन में अन्य बातों में रिट याचिकाओं को दायर करने को रोकने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

2544. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 1990; 1991 और 1992 के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को और अधिक धनराशि लगाने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०अबरार अहमद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अनिवासी भारतीयों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राप्त जमाराशियां बैंकों की सामान्य जमाराशियों का अंश होती हैं और उनका उपयोग, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों और अनुदेशों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

विदेशों से जानवरों की खाल के आयात पर प्रतिबंध लगाना

2545. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से जानवरों की खाल का आयात करने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुन: निर्यात के आधार पर इससे प्रतिबंध करने का है; और

(घ) देश में विदेशी जानवरों की खाल की कुल कितनी मांग है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) : वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के खंड 2 में दी गई प्रजातियों के व्यवसाय पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ है और अन्य कानूनों में इसी तरह के प्रतिबन्ध के कारण आयात की अनुमति नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जानवरों की खाल के आयात की आवश्यकता के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों को बोनस

2546. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों को बोनस देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मानदंडों की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वे कर्मचारी जिनका वेतन/मजदूरी 2500/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस पाने के लिये पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यापार मेले

2547. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान भारत द्वारा कितने व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लिये जाने की संभावना है और इनमें कितना कारोबार होने की आशा है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारत में कौन-कौन से व्यापार मेले आयोजित किए जाएंगे और इनके निर्धारित कार्यक्रम क्या हैं तथा उनमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन मेलों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किये जाने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वाणिज्य मंत्रालय ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 1993-94 में भाग लिए जाने के लिए विदेशों में 46 मेलों तथा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों द्वारा सीधे ही भाग लेने के लिए विदेश में लगभग 75 मेलों को मंजूर किया है। सम्पन्न किये जाने वाले व्यापार की वर्ष के शुरू में ही मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किसी विशेष देश में उत्पादनों की मांग, उस देश की आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) वर्ष 1993 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा भारत में आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों की एक सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। वर्ष 1993 में प्रगति मैदान में अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों की एक सूची विवरण-II के रूप में है।

इस वर्ष जो देश अब तक पहले ही भाग ले चुके हैं वे हैं आस्ट्रेलिया, इटली, यू० के०, यू० एस० ए०, हांगकांग, बैल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ग्रीस, चैक गणतंत्र, ताईवान, नेपाल, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जापान, चीन, कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड और ब्राजील हैं।

जहां तक आगामी व्यापार मेलों में दूसरे देशों द्वारा भाग लेने का सम्बन्ध है, इस समय उनके नाम बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इन मेलों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रक्रिया चल रही है।

(ग) भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित किए जाने वाले सभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सभी प्रचार सामग्री में हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।

विदेशों में जहां हिंदी अच्छी तरह समझी जाती है, मेला कैटेलाग तथा पोस्टर आदि द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी तथा हिंदी में तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण-I

1993 के दौरान इट्पो द्वारा भारत में आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों की सूची

क्र०सं०	व्यापार मेले का नाम
1	2
1.	टैक्स इण्डिया '92-93 23 दिसम्बर, 1992 — 3 जनवरी, 1993
2.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला '93 (मद्रास) 31 जनवरी—4 फरवरी, 1993
3.	आहार '93 2—9 मार्च, 1993
4.	प्रिन्टपैक इण्डिया '93 2—9 मार्च, 1993
5.	वाटर इण्डिया 23—29 अप्रैल, 1993
6.	कन्ज्यूमेक्स '93 8—16 मई, 1993
7.	राष्ट्रीय बाल मेला '93 29 मई—13 जून, 1993
8	सजावट '93 14—22 अगस्त, 1993

1	2
9.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी '93 1—5 सितम्बर, 1993
10.	जूता मेला '93 17—19 अक्तूबर, 1993
11.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला '93 14—23 नवम्बर, 1993
12.	टैक्स इण्डिया '93-94 26 दिसम्बर, 1993—7 जनवरी, 1994

विवरण-II

1993 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों की सूची—

क्रम सं०	व्यापार मेले का नाम	आयोजक का नाम
1.	इलेक्ट्रामा '93 13—19 फरवरी, 1993	आई०आई०ई०एन०ए०, बम्बई
2.	दसवां भारतीय परिधान मेला '93 22—24 जनवरी, 1993	ए०ई०पी०सी०, नई दिल्ली
3.	दसवां भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेला '93 14—21 फरवरी, 1993	सी०आई०आई०, नई दिल्ली
4.	पाटा ट्रेवल मार्ट '93 2—5 अप्रैल, 1993	आई०आई०टी०एम०, नई दिल्ली
5.	ग्यारहवां भारतीय परिधान मेला '93 6—8 अगस्त, 1993	ए०ई०पी०सी०, नई दिल्ली
6.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी '93 सितम्बर, 1993	एम०ए०आई०टी०, नई दिल्ली
7.	कार्टेक्स '93 14—18 अक्तूबर, 1993	एम०एम०एम०सी०, नई दिल्ली
8.	ब्राडकास्टिंग केबल एण्ड सेटेलाइट एग्जीबिशन '93 25—28 अक्तूबर, 1993	मैसर्स एग्जीबिशंस इंडिया एण्ड ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी, नई दिल्ली
9.	आटो एक्सपो '93 7—15 दिसम्बर, 1993	सी०आई०आई०, नई दिल्ली
10.	पेपरेक्स '93 9—12 दिसम्बर, 1993	टेफकान,नई दिल्ली

ऋण वृद्धि दर

2548. **डॉ० परशुराम गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान ऋण वृद्धि दर में कटौती करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंक ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय सरकार के 1993-94 के बजट में 2 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण की न्यूनतम ब्याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को भी समान रूप से एक प्रतिशत बिन्दु तक कम किया गया है।

(ग) निर्यात ऋण सहित वाणिज्यिक क्षेत्र को वर्धित बैंक उधारों को कायम रखने के लिए सरकार बैंकिंग प्रणाली से ऋण के अपने आश्रय को नियंत्रित रखना जारी रखेगी। सांविधिक नकदी अनुपात को घटा दिया गया है और वृद्धिकारक नकदी प्रारक्षित अनुपात को समाप्त कर दिया गया है।

सीमा शुल्क की विभिन्न दरें

2549. **श्री खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुपयोगी पदार्थों पर सीमाशुल्क की विभिन्न दरें लगायी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सीमाशुल्क की निम्न रियायती दर का दुरुपयोग किया गया तथा सामान विभिन्न व्यवसायों के अन्य उपभोक्ताओं को दे दिया गया; और

(घ) ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। कुछेक प्रकार के माल पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अन्तर्गत जारी की गई छूटप्रदायी अधिसूचनाओं के जरिए शुल्कों की रियायती दरें लागू की जा रही हैं जो इस बात पर निर्भर है कि उक्त माल का किन-किन चीजों से उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, कीटनाशकों के विनिर्माण के लिए रसायनों, बोआई/रोपाई के लिए तिलहन, गर्भनिरोधकों के विनिर्माण के लिए तांबे की तार आदि जैसे मामले हैं।

(ख) इस समय ऐसी बहुत-सी छूटप्रदायी अधिसूचनाएं हैं जिनका विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाने वाले सीमाशुल्क टैरिफ में पुनः उल्लेख किया जाता हैं। सभी छूटप्रदायी अधिसूचनाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर भी रखा जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तम्बाकू का निर्यात

2550. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में तम्बाकू का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है परन्तु इसका निर्यात करने वाले देशों में इसका नौवां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश में विदेशी कम्पनियों से निर्यात प्रयोजनों से संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) क्या सरकार ने उन कम्पनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कलैण्डर वर्ष 1991 के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का अनिर्मित तम्बाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है परन्तु अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में आठवां स्थान है ।

(ख) कारणों में शामिल हैं :—

— उत्पादन के प्रमुख भाग में बीड़ी तम्बाकू जैसा गैर-निर्यात योग्य किस्म का तम्बाकू शामिल है ।

— एफ०सी०वी० तम्बाकू में से 50 प्रतिशत तम्बाकू घरेलू सिगरेट उद्योग द्वारा ले लिया जाता है ।

— सुगन्धित एफ०सी०वी० तम्बाकू का उत्पादन अन्य प्रतियोगी देशों की तुलना में कम है ।

— ब्राजील, जिम्बाब्वे, मालावी, अर्जेन्टिना आदि के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा ।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में किसी विदेशी कम्पनी द्वारा तम्बाकू के निर्यात के लिए किसी संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का अभी तक अनुमोदन नहीं किया है ।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मास्टर गेन स्कीम

2551. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी मास्टर गेन स्कीम द्वारा काफी धनराशि एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस धनराशि का निवेश किया गया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान किये गये पूंजी निवेश पर कितना लाभ अर्जित हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मास्टर गेन 1992 स्कीम के जरिए लगभग 4500 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

(ख) निधियों का निवेश मुख्यत: इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में किया गया है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत निवेशों की बिक्री द्वारा अभी तक कोई लाभ दर्ज नहीं किया गया है।

सेना अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना

2552. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेना अधिनियम, 1950 के अधीन प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को रैंकवार बर्खास्त किया गया;

(ख) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) क्या इस अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन किया गया था;

(घ) क्या बर्खास्त किये जाने के किसी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने मामलों में दंडित किये गये अधिकारी के पक्ष में निर्णय दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) बर्खास्तगी के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या पहले से नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रत्येक मामले में निर्णय, सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

(ग) अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ही निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) से (च) बर्खास्तगी के 61 मामलों में से 10 मामलों में दिए गए आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी गई है। हाल ही में 2 मामलों में सरकार के पक्ष में और एक मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया है। शेष मामलों में आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

सेना अधिनियम, 1950 के अधीन गत तीन कलेण्डर वर्षों के दौरान सेवा से बर्खास्त किए गए अफसरों का रैंकवार और वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	रैंक	1990	1991	1992
1.	सेकिंड लेफ्टिनेंट	—	1	—
2.	लेफ्टिनेंट	3	—	2
3.	कैप्टन	6	5	5
4.	मेजर	6	3	10
5.	लेफ्टिनेंट कर्नल	1	2	6
6.	कर्नल	1	4	3
7.	ब्रिगेडियर	—	3	—
	जोड़ :	17	18	26

प्रतिकारक व्यापार अवयव

2553. **श्री गुरूदास कामत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े उपक्रमों के आयात में अनिवार्य प्रतिकारक व्यापार अवयव लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

काफी उत्पादकों द्वारा किस्तों में ऋण का भुगतान किया जाना

2554. **श्री मुरलीधरन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काफी उत्पादकों को उनके द्वारा लिये गये ऋणों की किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) काफी उपजकर्ताओं को इनके द्वारा लिए गए ऋण का किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा कराया जाना

2555. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति/नियम हैं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम किसी भी विदेशी बैंक में कितनी भी राशि जमा करा सकता है;

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिटी बैंक अथवा किसी अन्य विदेशी बैंक में कितनी राशि जमा की है; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क)दिनांक 3-1-1992 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह अनुमति दी गई हैं कि वे अपनी पसन्द के विदेशी बैंकों सहित किसी भी बैंक से सामान्य बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं।

(ख) एम० एम० टी० सी० द्वारा पिछले तीन वर्षों में विदेशी बैंकों में जमा की गई कुल राशियों के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :—

(करोड़ रु०)

बैंको के नाम	1991-92	1990-91	1989-90
ग्रिण्डलेज बैंक	66.73	शून्य	शून्य
सिटी बैंक	9.97	शून्य	शून्य

(ग) उपरोक्त राशिया दिनांक 3-1-1992 के बाद अलग-अलग तारीखों में जमा कराई गई, इनमें अक्तूबर, 1991 में ग्रिण्डलेज बैंक में दो दिनों की अवधि के लिए रखी गई 10 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है। अतः एम०एस०टी०सी० द्वारा निगमों के उल्लंघन के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

रोमानिया के साथ संयुक्त उद्यम

2556. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में रोमानिया के साथ कोई संयुक्त उद्यम लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितना निवेश किया जाएगा तथा दोनों देशों का कितना हिस्सा होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रूमानिया में संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए किसी भी भारतीय बैंक से अनुमोदनार्थ कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

2557. **प्रो० सुशांत चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं का निर्यात प्रतिस्पर्धा स्तर पर करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कृषि वस्तुओं का निर्यात प्रतिस्पर्धा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है;

(ग) क्या निर्यात के लिए प्रसंस्कृत कृषि आधारित वस्तुओं को कोई प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रसंस्करण एककों को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर असंसाधित कृषि वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। परन्तु, सरकार की नीति यह है कि ऐसा इस तरीके से किया जाए जिससे आम उपभोक्ता वाली मदों की घरेलू उत्पादकता पर असर न पड़े। सरकार ने निर्यात के लिए नीति-वातावरण में सुधार करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू आयात-निर्यात नीति 1992-97 द्वारा इन नीतिगत उपायों को पुनः सुदृढ़ बनाया गया। एकीकृत विनिमय दर की शुरूआत भी कृषि मदों के निर्यात में सहायक होगी। कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए या प्रस्तावित विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 में कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप को विनिर्माण क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करना।

(2) कुछ शर्तों के अध्यधीन कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात सम्बन्धी अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण को समाप्त करना।

(3) ताजे फल एवं सब्जियां, मसाले, काजू गिरी, तिलहन, बासमती चावल, आदि जैसी महत्वपूर्ण मदों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

(4) प्रदर्शनियों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और आयातकों से सम्पर्क करने के जरिए सम्भावित देशों में व्यापक विपणन।

(5) गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम।

निर्यात के क्षेत्र में बासमती चावल, पुष्पोत्पाद तथा संसाधित खाद्य पदार्थों को थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

सरकार का संसाधन इकाइयों को सामान्य से कम कीमत पर कच्ची कृषि वस्तुएं उपलब्ध कराने का विचार नहीं है। तथापि सरकार ने संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से संसाधित खाद्य पदार्थ उद्योग के लिए पूंजीगत माल एवं कच्ची सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्कों में भारी कमी करने की घोषणा की है।

औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों को फिर से चलाना

2558. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड सरकारी क्षेत्र के अन्य रुग्ण एककों की भारत राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी रुग्ण मिलों को फिर से चलाने हेतु एक संशोधित कार्यक्रम तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पुनर्वास कार्यक्रम पर कितनी पूंजी परिव्यय करने का अनुमान है; और

(घ) यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए केबिनेट द्वारा बनाये गये एकमुश्त कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०अबरार अहमद): (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने एन० टी० सी० मिल्स के 5 संदर्भ दर्ज किए हैं जिनमें से एन० टी० सी० बंगलौर को 12-1-1993 को रुग्ण घोषित किया गया तथा कम्पनी से कहा गया है कि अपनी सम्भावित कार्य नीति बनाए। एन० टी० सी० के शेष 4 संदर्भों में, बी० आई० एफ० आर०, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

2559. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री छीतू भाई गामीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात में सरकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने में बरती गई कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करना होता है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लोगों को ऋण देना भी सम्मिलित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों के ऋण प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर जोर दिया गया है कि उन्हें अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों को देना चाहिए। इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों के लिए उचित बैंकिंग योजनाओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। तदनुसार, वाणिज्यिक बैंक उनकी आर्थिक उन्नति के लिए अर्थक्षम योजनाओं को लागू करने के लिए पहचान किए गए

हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक उत्पादक कार्यों के लिए समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अपनी योजनाएं भी तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हिताधिकारियों को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है और नोटिस में आई कमियां, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई बकाया राशि बढ़ रही है जोकि निम्न-लिखित तालिका से स्पष्ट है :—

खातों की संख्या लाखों में
राशि करोड़ रुपए

के अन्त की स्थिति के अनुसार	प्राथमिकता क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
उत्तर प्रदेश						
मार्च, 1990	39.46	4175	27.46	1196	10.67	472
मार्च, 1991	41.07	4639	28.93	1351	11.14	520
गुजरात						
मार्च, 1990	16.05	2431	11.27	428	4.64	146
मार्च, 1991	15.91	2543	10.54	429	4.55	149

बैंक शाखाओं द्वारा ऋण आवेदन सीधे आवेदकों से अथवा कुछ राज्य प्रायोजित एजेंसियों से से प्राप्त होते हैं और उन्हें तदनुसार स्वीकृत किया जाता है। जानबूझकर की गई उपेक्षा, अनुदेशों का अनुसरण न करने, कोई सूचित कदाचार आदि के लिए अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैंकों की सूचना प्रणाली के उन कर्मचारियों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं होती है जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोपों के लिए कार्रवाई की गई अथवा अपेक्षित थी।

[अनुवाद]

करेंसी नोट पेपर का आयात

2560. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में करेंसी नोट पेपर की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में करेंसी नोट पेपर का कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ग) क्या करेंसी नोट पेपर की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात भी किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो 1989-90 और 1990-91 के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) करेंसी/बैंक नोट कागज की इस समय कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 6500 मी० टन है।

(ख) इस समय प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद का करेंसी नोट कागज का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 3300 मी० टन है।

(ग) जी, हां।

(घ) आयात सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष		आयात की गई मात्रा (मी० टन)
1989-90	...	1229
1990-91	...	2605

रक्षा व्यय के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण

2561. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोशिएशन ने रक्षा व्यय के लिए अपनी एजेन्सी से ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बैंक डकैतियां

2562. **श्री अखिल उरांव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिहार में हुई डकैतियों का ब्यौरा क्या है और इन डकैतियों में बैंकवार कितनी धनराशि गई;

(ख) उसमें कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए; और

(ग) बैंकवार डकैती की घटनाओं में मारे गए/घायल हुए लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी गई सहायता/रोजगार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान बिहार में लूटपाट डकैतियों की क्रमशः 30, 38 तथा 44 घटनाएं घटी थीं। डकैतियों/लूटपाटों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त धनराशि तथा मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित बैंकवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान बिहार राज्य में लूटपाट/डकैतियों में अंतर्ग्रस्त धनराशि तथा मारे गए/घायल लोगों की संख्या को दर्शाने वाला बैंक वार विवरण

(लाख रुपए)

क्र०सं०	बैंकों का नाम	1990			1991			1992		
		मामलों की सं०	अंतर्ग्रस्त धनराशि	मारे गए/ घायल लोग	मामलों की सं०	अंतर्ग्रस्त धनराशि	मारे गए/ घायल लोग	मामलों की सं०	अंतर्ग्रस्त धनराशि	मारे गए/ घायल लोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद बैंक	2	3.86	—	3	1.37	—	3	1.53	1 घायल
2.	बैंक आफ इंडिया	7	8.37	—	6	15.50	5 मरे 3 घायल	13	23.33	1 मरा 6 घायल
3.	केनरा बैंक	—	—	—	1	18.98	3 घायल	1	6.06	—
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	—	—	—	3	0.38	—	3	0.83	1 घायल
5.	देना बैंक	—	—	—	1	1.50	—	—	—	—
6.	इंडियन बैंक	1	0.02	—	—	—	—	—	—	—
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	19.05	—	2	0.86	—	—	—	—
8.	न्यू बैंक आफ इंडिया	—	—	—	1	0.55	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	पंजाब नैशनल बैंक	5	15.02	1 मरा	7	10.31	1 मरा	8	6.62	—
10.	पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	—	—	—	1	2.00	1	—	—	—
11.	भारतीय स्टेट बैंक	7	7.85	1 घायल	6	8.47	1 मरा 2 घायल	9	30.78	2 मरे 2 घायल
12.	यूको बैंक	5	10.60	—	3	6.14	1 घायल	4	2.44	—
13.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	—	—	—	2	0.56	1 घायल	—	—	—
14.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	2.04	2 घायल	3	4.32	—	2	9.97	—
15.	विजया बैंक	1	6.05	—	—	—	—	1	40.00	—
	योग :	30	72.86	1 मरा 3 घायल	38	70.94	7 मरे 11 घायल	44	121.56	3 मरे 10 घायल

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-2 के दिल्ली-आगरा खण्ड को चौड़ा करना

2563. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 के दिल्ली आगरा खण्ड को चौड़ा करके चार लेन वाला बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) संविदा के अनुसार इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में रा० रा० 2 के बल्लभगढ़ मथुरा खण्ड को चार लेन का बनाने के कार्य के लिए अप्रैल, 1991 में टैंडर दिए गए थे । कार्य प्रगति पर है और ठेके के अनुसार इसके पूरा होने की लक्षित तारीख मई, 1995 है ।

(ग) मौजूदा अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर कुल लगभग 133 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है ।

[अनुवाद]

बैंक कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी समिति

2564. श्री संदीपान भगवान घोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में वर्ष 1990-94 की अवधि के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिये एक भावी योजना तैयार करने के वास्ते सितम्बर, 1988 में एक समिति का गठन किया था । समिति ने दिसम्बर, 1989 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हैं ।

उक्त समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें संक्षेप में नीचे बताई गई है :—

(i) पांच वर्ष की अवधि (1990-94) के लिये बैंक कम्प्यूटरीकरण में मुख्य जोर उन

2000-2500 बड़ी-बड़ी शाखाओं में सभी परिचालनों को कम्प्यूटरीकृत करने पर दिया जाना चाहिए जिनमें 750 या उससे अधिक वाउचरों का दैनिक कार्यभार हो और जो शाखाएं 30 शीर्षस्थ कारोबार केन्द्रों में स्थित हों।

(ii) आरम्भ के दो/तीन वर्षों में लगभग 500 बड़ी-बड़ी शाखाओं (जिसमें प्रतिदिन 1500 या उससे अधिक वाउचर आते हों) में कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ सहायक कार्यालय कम्प्यूटरीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद के दौर में बाकी 1500-2000 शाखाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया जाए।

(iii) क्षेत्रीय/अंचल/मंडल कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना होगा। बैंक यथाशीघ्र प्रधान कार्यालयों के लिए मेन फ्रेम कम्प्यूटर हासिल करने और उन्हें चालू करने के लिए गहन प्रयोग कर सकते हैं।

(iv) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में सहकारी आधार पर एक सामान्य आंकड़ा सूचना नेटवर्क के रूप में बैंकनेट स्थापित किया जाना चाहिए। इस नेटवर्क का इस्तेमाल बैंक के भीतर और अन्तर-बैंक कार्यों जैसे कि ग्राहकों द्वारा किसी भी शाखा से रकम आहरित करने/जमा करने, निधियों के अंतरण, क्रेडिट-कार्ड प्रमाणीकरण, सांख्यिकी, बैंकों की निधियों के किफायती अभिनियोजन, विदेशी मुद्रा कारबार, स्विफ्ट तक पहुंच आदि के लिए किया जा सकता है।

(v) भारतीय बैंक संघ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार, स्वचालित टेलर मशीनों के साझे नेटवर्क की आजमाइश की जा सकती है और आरम्भ में, बम्बई में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ए०टी०एम० लगाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। अलबत्ता अन्य केन्द्रों, पर इस परियोजना को लागू करने से पहले, इस पर होने वाले निवेश और व्यय की तुलना में, इसकी क्षमता तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिये पर्याप्त ध्यान रखना पड़ेगा।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने मोटे तौर पर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारतीय बैंक संघ ने, बैंकिंग उद्योग में आगे और कम्प्यूटरीकरण करने की दृष्टि से कर्मचारी यूनियनों के साथ उद्योग स्तरीय समझौता करने का प्रयास किया था। चूंकि इन यूनियनों के साथ उद्योग स्तरीय बातचीत सफल नहीं हो पाइ। अत: भारतीय बैंक संघ ने सदस्य बैंकों को अपनी-अपनी कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए कहा। अब तक केवल भारतीय स्टेट बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा ने अपनी-अपनी कर्मचारी यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। शेष बैंक अपनी-अपनी कर्मचारी यूनियनों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं।

थोक मूल्य सूचकांक

2565. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के शुरू में 1981-82 को आधार मानकर थोक मूल्य सूचकांक कितना है;

(ख) प्रत्येक माह के बाद मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या थी;

(ग) उन तिथियों को संगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचकांक की गणना में शामिल किए गए सभी समूहों के मूल्य स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वे मुख्य वस्तु समूह कौन-कौन से हैं जिनके मूल्य में गिरावट आई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने से संबंधित थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सारणी 1 में दिए गए हैं ।

सारणी 1

वर्ष 1992-93 के दौरान थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

महीना	थोक मूल्य सूचकांक आधार : 1981-82	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : 1982
अप्रैल, 1992	219.4	231
मई, 1992	221.6	234
जून, 1992	224.1	236
जुलाई, 1992	226.6	242
अगस्त, 1992	228.8	242
सितम्बर, 1992	230.7	243
अक्टूबर, 1992	232.4	244
नवम्बर, 1992	231.7	244
दिसम्बर, 1992	231.1	243
जनवरी, 1993	230.3	241
फरवरी, 1993*	231.3	उ० न०

*(20-2-1993 को समाप्त होने वाले 3 सप्ताहों का औसत)

(च) चालू वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने में थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर नीचे दी

गई है :—

सारणी 2

थोक मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में मुद्रास्फीति दर

(आधार : 1981—82=100)

महीना	मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)
अप्रैल, 1992	13.8
मई, 1992	13.8
जून, 1992	13.0
जुलाई, 1992	11.7
अगस्त, 1992	9.4
सितम्बर, 1992	9.6
अक्टूबर, 1992	10.6
नवम्बर, 1992	9.1
दिसम्बर, 1992	8.4
जनवरी, 1993	6.9
फरवरी, 1993*	6.9

*(20-2-1993 को समाप्त होने वाले 3 सप्ताहों का औसत)

(घ) और (ङ) जी नहीं, खाद्यान्न, खाद्य-भिन्न वस्तुओं, चमड़ा और चमड़ा उत्पादों में गिरावट की प्रवृति दिखाई दी है (सारणी 3)

सारणी-3

वर्ष 1992-93 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वित्तीय वर्ष परिवर्तन

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सभी वस्तुएं	0.8	1.8	2.9	4.1	5.1	6.0	6.8	6.4	5.2	5.8
I. प्राथमिक वस्तुएं	—0.1	0.7	2.6	4.7	6.1	4.8	4.4	3.9	3.2	2.2
(क) खाद्य वस्तुएं	1.0	2.6	5.9	7.5	8.3	7.1	7.2	7.2	6.5	5.6
खाद्यान्न	—0.7	—1.1	—0.2	0.8	2.3	0.0	—2.4	—2.8	—3.0	—2.2
(ख) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	—2.2	—2.7	—2.9	0.2	3.0	1.3	0.0	—1.9	—2.7	—4.1
(ग) खनिज	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
II. ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहक (लुब्रीकेंट्स)	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	5.2	10.0	10.0	10.0	11.1
(क) कोयला खनन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(ख) खनिज तेल	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9.0	18.0	18.0	18.0	18.0
(ग) विद्युत	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	4.4
III. विनिर्मित उत्पाद	1.5	2.7	3.6	4.4	5.4	6.8	7.6	7.3	7.2	7.0
(क) खाद्य उत्पाद	1.5	3.6	4.5	7.3	8.7	7.7	8.8	6.7	7.3	5.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ख) मादक पेय, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	0.0	2.2	2.8	2.8	2.8	3.1	3.4	3.9	3.8	3.9
(ग) वस्त्र	0.6	0.2	—0.5	—03	0.2	1.1	1.9	2.1	2.1	1.6
(घ) लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	30.2	56.0	56.0	56.0	62.4	87.7	87.8	87.8	87.8	87.8
(ङ) कागज और कागज उत्पाद	5.4	5.4	5.4	5.5	10.0	10..9	10.9	10.9	10.7	10.7
(च) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	0.1	0.9	0.9	—0.7	—1.9	—2.1	—1.1	—0.3	—0.6	—0.4
(छ) रबड़ और रबड़ उत्पाद	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.3	4.0	4.0	4.4
(ज) रसायन और रासायनिक उत्पाद	0.5	1.6	2.9	3.4	5.5	11.8	12.4	12.1	11.9	12.0
(झ) गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	0.4	0.2	0.7	1.7	1.8	1.6	1.9	0.7	—0.3	0.5
(ञ) बुनियादी धातुएं, मिश्र धातुएं और धातु उत्पाद	0.5	1.2	5.1	6.2	7.0	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4
(ट) मशीनरी और मशीनरी औजार	1.2	1.8	2.0	2.6	2.7	3.3	5.3	5.6	5.4	5.9
(ठ) परिवहन उपस्कर और हिस्से पुर्जे	0.5	1.0	1.2	1.0	1.1	3.8	4.1	4.2	4.2	4.2
(ड) अन्य विविध विनिर्माण उद्योग	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा

2567. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे यू० टी० आई० एल० आई० सी० इत्यादि के खातों की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सौंपने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा के काम को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपने की समय-समय पर मांग होती रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके कुछ समय पहले इस प्रश्न की जांच की गई थी। इन संस्थाओं के परिचालनों की वाणिज्यिक प्रकृति और सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में स्वायत्तता तथा जिम्मेदारी के उचित मिश्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने यह आवश्यक नहीं समझा कि इन संगठनों की लेखा परीक्षा के काम को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा जाए।

(ग) से (ङ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मई 1992 में यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा का काम उनके क्षेत्राधिकार में लाया जाए।

असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2568. **श्री प्रबीन डेका** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु असम सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं तथा उनके लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) असम सरकार से आठवीं योजना में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनमें सुधार के लिए 24.58 करोड़ रु० की लागत की 21 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, इसमें वर्ष 1993-94 भी शामिल है। इनमें से 14.03 करोड़ रु० की लागत की परियोजनाओं को अब तक मंजूरी दे दी गई है।

1992-93 के दौरान 12.75 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है जिसमें चल रहे कार्यों से संबंधित खर्च शामिल है। 1993-94 के लिए आबंटन संसद द्वारा अनुदान राशि पारित किए जाने के बाद ही ज्ञात होगा।

कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता

2569. **श्री विजय एन० पाटील :**
श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में कृषि क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कितना वित्तीय सहयोग देने का वायदा किया गया है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तव में उपयोग की गई इस प्रकार की सहायता की तुलना में यह सहायता कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय सहायता वचनबद्धता वार्षिक रूप से विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाता अभिकरणों, द्वारा भारत सहायता संघ की वार्षिक बैठक में दर्शायी जाती है। इसके अलावा विदेशी सहायता परियोजनाओं से आबद्ध होती है। और सहायता का उपयोग परियोजना विशिष्ट कार्यान्वयन अनुसूची पर निर्भर करता है। इन परिस्थितियों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सम्भावित वित्तीय सहायता वचनबद्धताओं को बताना सम्भव नहीं है। इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तव में उपयोग की गई सहायता से तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दो भागों में विभाजित करना

2570. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंहम समिति ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दो भागों में विभाजित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) यह सच है कि नरसिंहम समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) को केवल अपने शीर्ष एवं पुनर्वित्तपोषण की भूमिका को ही बनाए रखना चाहिए तथा उसके सीधे उधार देने के कार्यों को किसी अलग संस्थान को अंतरित कर दिया जाना चाहिए, जिसे एक कम्पनी के रूप में नियमित किया जाए।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दो भागों में बांटने पर फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है।

क्षेत्रीय आवास वित्त कम्पनियां

2571. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास सेक्टर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चार क्षेत्रीय आवास वित्त कम्पनियों को कारोबार बढ़ाने की अनुमति दी है;

(ख) जिन वित्तीय कम्पनियों को कारोबार बढ़ाने की अनुमति दी गयी उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान उन कम्पनियों द्वारा कितने मकान बनाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) व्यक्तियों तथा अन्य भवन निर्माताओं से कितनी ब्याज दर ली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकों द्वारा प्रायोजित आवास वित्त कम्पनियां, नामत: कैन फिन होम लि०, एस० बी० आई० होम फाइनांस लि०, पी० एन० बी० हाउसिंग फाइनांस लि०, सेन्ट बैंक होम फाइनांस लि० और ए० बी० होम फाइनांस लि० को राष्ट्रीय आवास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कारोबार को फैलाने की अनुमति प्रदान की है।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्ष 1993-94 के दौरान बनाए जाने वाले मकानों की सम्भावित संख्या की जानकारी नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार और 1 अक्तूबर, 1991 से प्रभावी ब्याज दरें, जो आवास वित्त कम्पनियां ले रही हैं (ब्याज करके अलावा) निम्नलिखित हैं :—

1. वर्ग	ब्याज दर (प्रतिशत)
व्यक्तिगत 75000/- रु० तक	10.0
7500/- रु० से 15000/- रु० तक	11.5
15000/- रु० से 25000/- रु० तक	13.0
25000/- रु० से 50000/- रु० तक	15.0
50000/- रु० से 1,00,000/- रु० तक	15.5
1,00,000 से अधिक	16.0 (न्यूनतम)

2. परियोजनाएं	
सरकारी अभिकरणों और सहकारी आवास समितियों लिए	उपर्युक्त 1 में दर्शाये गए ब्याज दर के आधार पर आकलित भारित औसत दर, प्रत्येक व्यक्तिगत प्लाट या आवासीय इकाई के संबंध में ऋण प्रभाजन के लिए लागू होगा।
व्यावसायिक बिल्डरों/विकासकों/किराये के आवास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए (प्रतिकूल परिस्थितियों वालों के अतिरिक्त)	20
प्रतिकल परिस्थितियों वालों अर्थात् कामकाजी (वर्किंग) महिलाएं, पुलिस आवास, वृक्षारोपण कर्मकार आदि के लिए किराये के आवास संबन्धी परियोजनाओं के लिए 40 वर्ग मी० वाले रिहायशी इकाइयों के लिए	17

[हिन्दी]

जापान के साथ समझौता

2572. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क के निर्धारित किए गए मूल्य में 9-11 प्रतिशत कमी करने के जापान के एकतरफा निर्णय से भारत को 1600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में जापान के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जापानी स्टील मिल्स (जे०एस०एम०) के साथ लौह अयस्क की कीमतों का निर्धारण प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कीमत रुझों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक करार में भारतीय सप्लायरों द्वारा कीमत में ढेलों के लिए 9.01 प्रतिशत और फाइन्स तथा सान्द्रण के लिए 11 प्रतिशत की कटौती पर जो सहमति की गई है वह उसी कीमत के अनुरूप है जोकि जे०एस०एम० ने लौह अयस्क के अन्य प्रमुख सप्लायरों—ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया के साथ तय की है। इस कीमत कटौती के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन में पिछले वर्षों की मिलियन तुलना में कुछ हानि होगी।

(ग) जापानी स्टील मिल्स को लौह अयस्क का निर्यात एक पंचवर्षीय दीर्घावधि संविदा के अंतर्गत किया जा रहा है। यह संविदा एम०एम०टी०सी०, एम०एम०डी०सी० और के०आई०ओ०सी० एल० द्वारा संयुक्त रूप से जे०एस०एम० के साथ अक्तूबर, 1990 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में की गयी थी। इस संविदा में प्रतिवर्ष 11.53-13.75 मिलियन टन लौह अमस्क निर्यात किए जाने का प्रावधान है। इस मात्रा-सीमा के भीतर ठीक-ठीक मात्रा और उसकी कीमत का निर्णय प्रतिवर्ष वार्षिक कीमत-वार्ताओं के समय किया जाता है। वर्ष 1993-94 के लिए जे०एस०एम० के साथ दिनांक 20 जनवरी, 1993 को किए गए वार्षिक करार के अनुसार, जे०एस०एम० को 10.2 मी० टन लौह अयस्क की सप्लाई की जानी है।

[अनुवाद]

मोटर यान अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

2573. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चार्टर्ड बसें चला कर परमिट धारकों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की संविदा परमिट खंड का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1992 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के उल्लंघनों की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इस किस्म की कुछ घटनाएं देखी गई हैं। वर्ष 1992 के दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 738 बस मालिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा मुकदमे दायर किए गए थे।

(ग) परमिट शर्तों के उल्लंघन को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा नियमित रूप से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनियां

2574. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों को प्रतिवर्ष विदेशों में विशेष रूप से अरब देशों में निर्माण कार्य के कितने ठेके प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय और राज्यों की सरकारी क्षेत्र की वे भारतीय निर्माण कम्पनियां जो ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया की पंजीकृत सदस्य हैं निम्नलिखित हैं :—

(1) इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इरकाम)

(2) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

(3) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड

(4) इण्टरनेशनल एअरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड

(6) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

(7) नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन

(8) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन

(9) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

(10) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

(11) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड और

(12) इण्डियन रोड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

(ख) भारतीय एक्सिम बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उन कम्पनियों ने अप्रैल 90 से जनवरी, 93 की अवधि के दौरान अरब क्षेत्र में जो सुविधाएं प्राप्त की हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

कम्पनी	संविदा की संख्या/वर्ष	देश का नाम जहां से संविदा प्राप्त की गई
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन	1 / 1991-92	यामन
इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	1 / 1991-92	सऊदी अरबिया

अमेरिका द्वारा पूंजी निवेश और सहयोग

2575. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के व्यापारिक कार्यकारी अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजी निवेश तथा सहयोग के किन-किन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी पूंजी निवेश और सहयोग के किसी निश्चित प्रस्ताव पर चर्चा/अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

रक्षा बजट में कटौती

2576. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1988 की तुलना में इन वर्षों में रक्षा बजट में कितनी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वेतन और पेंशन तथा सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिये बजट की अलग-अलग कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वार्षिक बजट आबंटनों का वास्तविक रूप में आंकलन करने के लिए कोई स्थापित मानदंड नहीं है। निवल रक्षा व्यय में वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि होती जा रही है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल रक्षा व्यय
1988-89	13341.02
1989-90	14416.17
1990-91	15426.48
1991-92	16347.04
1992-93 (संशोधित अनुमान)	17500.00

(ग) वेतन तथा भत्तों पर निवल व्यय कुल रक्षा व्यय का 1990-91 में 32.7 प्रतिशत, 1991-92 में 34.1 प्रतिशत और 1992-93 (संशोधित अनुमान) 36.2 प्रतिशत रहा।

रक्षा पेंशन पर होने वाला व्यय रक्षा बजट का भाग नहीं है। इसे सिविल प्राक्कलनों में शामिल किया गया है। हालांकि रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण पर व्यय के लिए कोई अलग-विशिष्ट बजट शीर्षों का प्रावधान नहीं किया गया है परन्तु रक्षा सेनाओं द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय, जोकि वायु-यान, भारी और औसत वाहनों आदि जैसे लम्बे समय तक काम में आने वाली परिसम्पत्तियों के अर्जन

पर किए गए व्यय को दर्शाता है, इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1990-91	4552.35
1991-92	4905.43
1992-93 (संशोधित अनुमान)	5138.34

कोचीन बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल

2577. **श्री वी०एस० विजयराघवन :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में बालारपदम में कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल चालू करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) विदेश से ली जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक चालू हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) निजी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना के प्रस्ताव को विज्ञापित किया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि इस स्कीम के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इस स्तर पर इनके ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

निर्यात एकक

2578. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात एककों के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अग्रिम लाइसैंस योजना के अन्तर्गत निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने वाले अधिसंख्य निर्यात एककों को "कारण बताओ नोटिस" जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है; और

(घ) लंबित मामलों पर शीघ्र विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) निर्यात इकाइयों के क्रियाकलाप को मानीटर नहीं किया जाता है। किन्तु अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत लागू किए गए निर्यात दायित्व को विभिन्न लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा मानीटर किया जाता है। प्रारम्भिक आकलन से पता चलता है कि योजना के लागू होने के समय से जारी किए गए लाइसेंसों में से केवल लगभग 6.15 प्रतिशत मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ये कारण बताओ नोटिस केवल ऐसे मामलों में ही जारी नहीं किए जाते जहां निर्यातक इकाइयां मूल्य के रूप में निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहती हैं अपितु उन मामलों में भी जारी किये जाते हैं, जहां मात्रा के रूप में निर्यात दायित्व पूरा करने में असफल रहती हैं। इसके अलावा जहां निर्यातक इकाइयां अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं

उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अब तक निर्यात दायित्व पूरा नहीं करने से सम्बन्धित मामलों की संख्या जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या का 2 प्रतिशत से कम है।

ऐसी फर्मों के खिलाफ पूरी कार्यवाही करने के सतत प्रयास किए जाते हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और परिणाम यह भी हो सकता है कि विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत अर्थ दंड लगाने के अलावा उन्हें वारित भी किया जा सकता है।

एफ० सी० बी० तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

2579. **श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कितना फ्लू कर्वड् वर्जिनिया (एफ०सी०बी०) तम्बाकू का उत्पादन किया गया;

(ख) देशी सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा कितने फ्लू कर्वड् वर्जिनिया तम्बाकू की खरीद की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितना फ्लू कर्वड् वर्जिनिया तम्बाकू के निर्यात का विचार था;

(घ) वास्तव में कितना एफ सी० बी० तम्बाकू का निर्यात किया गया; और

(ङ) कब तक बाकी बचे तम्बाकू का निर्यात कर दिया जायेगा ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश में 132.78 मिलियन कि० ग्रा० और कर्नाटक में 33.50 मिलियन कि० ग्रा०—कुल मिलाकर 166.28 मिलियन कि०ग्रा० तम्बाकू का उत्पादन हुआ।

(ख) घरेलू सिगरेट विनिर्माताओं से 1992 की आंध्र नीलामियों में नीलामी मंचों से 45.54 मिलियन कि०ग्रा० तम्बाकू की सीधी खरीद की। घरेलू सिगरेट विनिर्माताओं से वर्ष 1991-92 की कर्नाटक नीलामियों में 8.66 मिलियन कि०ग्रा० की सीधी खरीद की थी।

(ग) से (ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात हेतु 55.000 मी०टन के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान 51.758 मी०टन एफ० सी० बी० तम्बाकू का निर्यात किया गया।

[हिन्दी]

व्यापारिक घरानों से बिक्री कर की वसूली

2580. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों/व्यापारिक घरानों से करोड़ों की धनराशि का बिक्री कर वसूल करना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कलक्टरी-वार कितनी बकाया धनराशि वसूल करनी है; और

(ग) उक्त धनराशि को वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्यों द्वारा स्वयं ही केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण और वसूली की जाती है तथा वे ही इसे अपने पास रखते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कर की किसी बकाया राशि को वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम आयोग

2581. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय सम्मेलन में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। मामला विचाराधीन है।

स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों का कार्यकरण

2582. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टॉक एक्सचेंजों के शासी निकाय उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बोर्डों में कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिये कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो पकड़ी गयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों की कार्य-प्रणाली को एक्सचेंजों के नियमों/संस्था के अंतर्नियमों के उपबंधों के द्वारा विनियमित किया जाता है। एक्सचेंजों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता के सन्दर्भ, में निवेशक संरक्षण के एक उपाय के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण करने के लिए सरकार ने जून, 1991 में भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को प्राधिकृत किया था। तद्नुसार, सेबी स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण कर रही है जिसमें एक्सचेंजों के शासी बोर्डों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। अभी तक सेबी ने 13 स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण कर लिया है और इसने दिल्ली और बंगलौर के स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों की कार्य-प्रणाली के बारे में भी जांच की है। सेबी के द्वारा जिन अनियमितताओं का पता लगाया गया है, उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं :—

(i) सरकार के नीति-निर्देशकों का अननुपालन।

(ii) सदस्य दलालों द्वारा बोर्डों के संकल्पों का अननुपालन।

(iii) स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों उप-विधियों और विनियमों का अननुपालन ।

(iv) विवाचन मामलों और निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए निष्प्रभावी तंत्र ।

(v) बाजार नियम के लिए निष्प्रभावी तंत्र ।

2. सेबी ने एक्सचेंजों के सुव्यवस्थित कार्य-संचालन और निवेशक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों को नया रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है । सेबी, संबंधित एक्सचेंजों के द्वारा उनकी निरीक्षण/जांच रिपोर्टों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन का मानीटर भी कर रही है।

साधारण बीमा कम्पनियां

2583. **श्री हरीश नाराय प्रभु झांट्ये ।**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचालन संबंधी घाटे को कम करने के लिये एक कार्य योजना लागू करने के बावजूद देश की सभी चारों साधारण बीमा कम्पनियां भारी संचालन घाटे/बीमा संबंधी घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कम्पनियों की कार्यकुशलता में सुधार करने और इनके संचालन सम्बन्धी घाटे को रोकने के लिये प्रत्येक कम्पनी के लिये कम्पनीवार कौन-सी कार्य योजना तैयार की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों ने 1 जनवरी, 1974 से अपने प्रारम्भ होने से लेकर प्रत्येक वर्ष में समग्र लाभ अर्जित किए हैं । वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 को छोड़कर लगभग प्रत्येक वर्ष के दौरान, उन्होंने बीमांकन (अंडरराइटिंग) लाभ भी अर्जित किए हैं । इन चार सालों के दौरान हुई बीमांकन हानियां क्रमश: 106.84 करोड़ रुपए, 121.49 करोड़ रुपए, 85.06 करोड़ रुपए और 91.63 करोड़ रुपए थीं । इन चार सालों के दौरान भी, सहायक कम्पनियों ने मिलकर क्रमश: 159.33 करोड़ रुपए, 159.85 करोड़ रुपए, 245.38 करोड़ रुपए और 290.30 करोड़ रुपए निवल लाभ अर्जित किए हैं ।

(ख) बीमांकन हानियां मुख्यत: विविध एव मोटर कारोबार में हानि अनुपात का सूचक अंक अधिक होने की वजह से है जिसका कारण कलपुर्जों एवं मरम्मत की लागत में काफी वृद्धि और तृतीय पक्ष मोटर दावों (थर्ड पार्टी मोटर क्लेम्स) के सम्बन्ध में न्यायालयों/अभिकरणों द्वारा दिए गए कानूनी अधिनिर्णय हैं । असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी पड़ेगी क्योंकि निवल प्रीमियम आय में वृद्धि हुई है और इसने भी बीमांकन लाभों को कम कर दिया है ।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में मोटर दावे के अनुपात में 10 प्रतिशत कमी करने और समग्र दावे अनुपात में न्यूनतम 3 प्रतिशत कमी करने के उद्देश्य से भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा कम्पनियों के लिए एक सामान्य कार्य योजना तैयार की गई है । कार्य योजना का कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिए एक विशेष कृतिक दल (टास्क फोर्स) का गठन भी किया गया है ।

म्यूचुअल फण्ड

2584. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को म्युचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में म्यूचुअल फंडों की स्थापना को शासित करने वाले म्यूचुअल फंड के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। विनियमों में म्यूचुअल फंडों के पंजीयन के लिए शर्तों और प्रक्रिया, उनका संघठन और प्रबन्ध, स्कीमों का संचालन, निवेश के उद्देश्यों तथा मूल्यांकन नीतियां, सामान्य बाध्यताएं और निरीक्षण एवं विनियमों के अनुपालन में चूक के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पोत निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2585. **श्री हरिन पाठक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोत निर्माण उद्योगों में निजी क्षेत्र और विदेशी सहयोगकर्त्ताओं को सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विदेशी कम्पनियों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार द्वारा जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार युद्ध पोतों के निर्माण, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है, को छोड़कर जहाज निर्माण उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 10,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के यंत्रीकृत सेलिंग वेसल्स के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विदेशी प्रौद्योगिकी और 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता हेतु स्वत: स्वीकृति दी गई है। निजी क्षेत्र के उद्यमी आवश्यकतानुसार विदेशी सहयोग से देश में नए शिपयार्ड स्थापित कर सकते हैं।

(ख) कुछ विदेशी कम्पनियों ने भारतीय शिपयार्डों के साथ तकनीकी सहयोग में रूचि दिखाई है।

[हिन्दी]

गुजरात में बन्द किए गए औद्योगिक एकक

2586. **श्री एन० जे० राठवा** :

डा० अमृत लाल पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में कुछ औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इन एककों में कुल कितनी धनराशि अवरूद्ध हो गई है; और

(घ) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आरक्षित रिक्त पदों को भरना

2587. **श्री एल० जे० राठवा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 तक उनके मंत्रालय में तथा उनके मंत्रालय के अधीन विभागों/उपक्रमों में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद किन तारीखों से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इनके क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

पीड़ितों को मुआवजा

2588. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं, विमान, बस तथा रेल दुर्घटनाओं, साम्प्रदायिक दंगों तथा नृसंशता के शिकार लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की दरों में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक दुर्घटना में दिए जाने वाले मुआवजे की दर क्या है;

(ग) क्या इन सभी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों में समानता लाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

निजी उद्योगों द्वारा रक्षा उपकरणों की आपूर्ति

2589. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के उद्योगों से रक्षा उपकरणों की खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उद्योगों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री अपेक्षित स्तर की है, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। निजी क्षेत्र के उद्योग से विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों/सामानों की खरीद की जा रही है। भारी रक्षा उपस्करों के असेंब्लियों/सब-असेंब्लियों/सघटकों के साथ ही वर्दी, कम्बल, जूते और तम्बू आदि जैसी मदें भी खरीदी जाती हैं।

(ग) रक्षा सेनाओं के लिये सप्लाई किए गए सभी सामान, चाहे वे निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सप्लाई किए गए हों, रक्षा गुणता आश्वासन संगठनों द्वारा की गई गहन जांच और निरीक्षण के बाद ही स्वीकार किये जाते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सप्लाई किये गये सामान निर्धारित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हैं।

सिंगापुर नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास

2590. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर के नौसेना युद्ध पोतों ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में पोर्टब्लेयर के निकट संयुक्त अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयुक्त अभ्यास के उद्देश्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सिंगापुर के दो नौसेना पोतों, एक मिसाइल कार्वेट और एक गन बोट ने 12 फरवरी, 1993 को पोर्टब्लेयर के निकट संयुक्त नौसेना अभ्यास किए थे। भारत की ओर से भा० नो० पो० अंजदीप, पेट्या श्रेणी के एक पोत और भा० नो० पो० कृपाण, खुकरी श्रेणी की एक कार्वेट ने इन अभ्यासों में भाग लिया, जिसमें युद्धाभ्यास, खोज एवं बचाव कार्य का प्रदर्शन, वायुयानरोधी ट्रैकिंग आदि शामिल थे। इन अभ्यासों का उद्देश्य था—नौसेना कौशल और दक्षता को विकसित करना तथा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच विश्वास बढ़ाना।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना

2591. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री विजय नवल पाटिल :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना को, उद्यमितों के लिये अधिक आकर्षक तथा सरल बनाने के लिए उनका नवीनीकरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदान किए गये प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) एकमुश्त लाभों में लोहे और इस्पात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना की सुविधा बढ़ाना, प्रस्ताव लागू करने और उन पर कार्रवाई करने की संशोधित पद्धति, अनुमोदन बोर्ड/ प्रशासनिक मंत्रालयों के कुछ विशिष्ट अधिकार निर्यात संसाधन जोनों के विकास आयुक्त को देना तथा क्रियाविधि सम्बन्धी कुछ सरलीकरण शामिल हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49

2592. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के कोचीन-मदुरै खण्ड के विकास सम्बन्धी कार्य इस समय किन चरण में हैं;

(ख) मार्ग के इस भाग के विकासार्थ अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के इस भाग के विकासार्थ वर्ष 1993-94 के दौरान कौन-कौन से विशेष कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के कोचीन-मदुरै खण्ड के दुर्घटना बहुल स्थानों और पुलियों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । इन कार्यों के लिये 134.596 लाख रु० की राशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ग) संसद द्वारा अनुदान मांगों को मंजूरी दिए जाने के बाद ही रा० रा०-49 के इस भाग के विकास हेतु वर्ष 1993-94 के दौरान किये जाने के लिये प्रस्तावित विशिष्ट कार्यों के बारे में बताया जा सकता है ।

[हिन्दी]

दिन-रात की बैंक सेवा

2593. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक सेवा को अधिक सुविधाजनक तथा उपयोगी बनाने हेतु दिन-रात की बैंक सेवा शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ऑफ इन्डिया, इन्डियन बैंक, विजया बैंक, ए० एन० जेड० ग्रिंडलेज बैंक, हांगकांग बैंक और सिटी बैंक ने आटोमैटिक टेलर मशीनें (ए० टी० एम०)स्थापित की हैं। ए०टी०एम० एक स्वचलित मशीनें हैं जिसका परिचालन ग्राहकों द्वारा बैंक के कार्य घंटों के बाद और कार्य घंटों के दौरान भी राशियां जमा करने, राशियां निकालने, बकाया राशि की पूछ-ताछ करने, नई चैक बुक के लिए अनुरोध करने, निधियों का अन्तरण करने, खातों के विवरण आदि के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

मदुरै-कोचीन राष्ट्रीय राजमार्ग को कोचीन पत्तन के साथ जोड़ना

2594. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै-कोचीन राष्ट्रीय राजमार्ग को कोचीन पत्तन के साथ जोड़ने के कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सड़क पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) कोचीन पत्तन को कोचीन बाई पास (एन० एच० 47ए) से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क (0 मीटर से 3750 मीटर तक) का चरण I भाग पूरा होने वाला है। 3750 मीटर से 5920 मीटर तक चरण II का निर्माण कार्य मार्च, 1993 में शुरू किया गया है, इसके 1997 तक पूरा होने की सम्भावना है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

2595. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :
डा० अमृत लाल कालीदास पटेल :
श्री मोहन लाल झिकराम :
श्री चित्त बसु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सहायता देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपाय क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का भूतपूर्व सशस्त्र सैनिकों के पुनर्वास हेतु कुछ नए उपाय शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सैनिक बोर्डों को सशक्त बनाने तथा भूतपूर्व सैनिकों या उनके परिवारों (उनके मृत्यु के बाद) को उचित समय के अन्दर स्वीकार्य सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास और कल्याण सम्बन्धी उपायों की व्यापक योजनायें बनाई गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ"

पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की है। रक्षा सेवा के ऐसे कार्मिक, जो युद्धकाल में अथवा शांतिकाल के दौरान निशक्त हो जाते हैं या जिनकी निशक्तता सैन्य-सेवा के कारण होती है, उन्हें प्राथमिकता-1 प्रदान की जाती है जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर रोजगार के प्रयोजन से युद्ध में वीरगति प्राप्त/निशक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के दो आश्रितों को, जिनमें उनकी विधवा पत्नी भी शामिल है, प्राथमिकता-2 (क) की पात्रता होती है) जिनकी अशक्तता 50 प्रतिशत से अधिक हो और जो रोजगार के लिये अयोग्य ठहराए गए हों लेकिन जिनकी निशक्तता सैन्य-सेवा के कारण हुई हो)। अधिकतर राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग स्तर में सिविल पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक योजनायें भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में, भूतपूर्व सैनिकों के लघु उद्योम प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सेम्फेक्स-I योजना बनाई गई है और भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी फार्म और गैर-फार्म कार्यकलापों के प्रोत्साहन के लिए सेम्फेक्स-II योजना बनाई गई है। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों के आवंटन, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की एजेंसियों का आवंटन, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन एजेंसियों, रक्षा स्थापनाओं को सप्लाई किए जाने के लिए, उत्पादों के लिए, लघु उद्योगों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मूल्य में छूट देना आदि के अवसर प्रदान करने के लिए सेम्फेक्स-III योजना भी शामिल हैं।

भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा और निकटतम सी० एस० डी० कैन्टीनों में कैन्टीन सुविधाएं पाने के लिए प्राधिकृत हैं। देशभर में विभिन्न स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो सौ छब्बीस सैनिक विश्राम-गृह हैं।

युद्ध में वीरगति प्राप्त या निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे शिक्षा शुल्क, छात्रावास प्रभार, वर्दी का खर्च आदि के मामलों में शैक्षिक छूट पाने के पात्र हैं। युद्ध में वीरगति प्राप्त सभी कार्मिकों की पत्नियों को दूसरी श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराये में पचहत्तर प्रतिशत की रियायत दी जाती है। शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्मिकों को विमान और रेल से द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त कार्मिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए कार्मिकों और शांतिकाल के दौरान हताहत हुए कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न रेजिमेन्टल केन्द्रों में 34 युद्ध स्मारक होस्टलों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक पात्र बच्चे को प्रतिमाह 400/- रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त कार्मिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए कार्मिकों और शांतिकाल के दौरान हताहत हुए कार्मिकों को गृह निर्माण करने और अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निर्धन भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवा पत्नियों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मन्त्री की अपील समिति और राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा उनकी कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गम्भीर रोगों के विशेष इलाज के लिए भी उन्हें अनुदान दिए जाते हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए अधरांग घात गृहों, चैशायर होम्स और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान भी देता है।

हाल ही में, सरकार ने, रक्षा स्थापनाओं द्वारा सिविल मार्किट से की जाने वाली सीधी खरीद के मामले में, 60 वर्ष की आयु से कम के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई

कम प्रौद्योगिकी मदों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है, बशर्ते उनकी वस्तुएं गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर हों।

भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सुविधाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं/योजनाओं में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किये जाते हैं।

सैनिक बोर्ड संगठनों के पुनरुद्धार के बारे में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अधिकतर सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारें/संघ शासित राज्य क्रमश: केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी ग्राह्य सुविधायें भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को उपयुक्त समय के भीतर दी जाएं।

सड़क निर्माण के लिए बैंकों से वित्त उपलब्ध कराना

2595. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद ने सिफारिश की है कि सड़क निर्माण को महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाए ताकि गैर सरकारी क्षेत्र को बैंकों से रियायती दर पर वित्त मिल सके तथा सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय औद्योगिक वित्त नियम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को संचालित करने वाले अधिनियमों जिनके द्वारा सड़कों के विकास, रख-रखाव और निर्माण कार्य को "औद्योगिक मामला" विनिर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन किया गया है जिससे निजी क्षेत्र वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त कर सकें।

केरल में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखायें

2597. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1993 के दौरान केरल में भारतीय जीवन बीमा निगम की और अधिक शाखायें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ये शाखायें खोले जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) नये शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय अप्रैल, 1993 को प्रारम्भ हो रहे नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है और केरल राज्य के जिन क्षेत्रों में नई शाखाओं को खोला जाना है उनका निर्धारण उचित समय पर कर लिया जायेगा।

सोने की तस्करी

2598. **श्री बलराज पासी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान सोने की तस्करी के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार की वर्तमान उदारवादी आर्थिक नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात् सोने की तस्करी कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कम हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) स्वर्ण आयात योजना के लागू होने के बाद पकड़े गए सोने की तस्करी की मात्रा की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान पकड़े गए सोने की मात्रा से तुलना करने पर सोने की तस्करी में गिरावट आने की प्रवृत्ति का पता चलता है, जैसे कि नीचे दिया गया है । इससे इस बात का पता चलता है कि देश में सोने की तस्करी में भी कमी हो रही है । तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा है, इसलिए सोने की तस्करी में कितनी गिरावट आई है, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

पकड़े गये सोने की मात्रा (मीट्रिक टन में)

1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 दिसम्बर 92 तक
6.0	5.8	4.6	1.9

सितम्बर 1992 से फरवरी, 1993 तक की पिछले 6 महीने की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अन्यर्गत समस्त देश में 670 व्यक्तियों (आंकड़े अनन्तिम) को गिरफ्तार किया गया है । केवल सोने की तस्करी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

भुगतान सन्तुलन

2599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

डा० परशुराम गंगवर :

श्री सुभाष चन्द्र नायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक के अन्तिम निष्कर्ष का निश्चित अनुमान लगा लिया है जिसके अनुसार आयात में निर्यात लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उदारीकरण नीति से भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 92, नवीनतम अवधि जिसके व्यापार

आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान निर्यात-आयात का मूल्य तथा व्यापार सन्तुलन का ब्यौरा निम्नलिखित है;

	करोड़ रुपया	मिलियन अमरीकी डालर
निर्यात	37329	12075
आयात	47480	16630
भुगतान सन्तुलन	—10151	—3555

वर्ष 1992-93 के लिए 20132 मिलियन अमरीकी डॉलर (57580 करोड़ रुपये) का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयात कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। निस्संदेह अप्रैल-दिसम्बर, 92 के दौरान आयात में 1991-92 की समसामयिक अवधि की तुलना में डॉलर के रूप में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि इसलिए भारी दिखती है क्योंकि वर्ष 1991-92 के दौरान भुगतान सन्तुलन के कारण भारी आयात दबाव का आश्रय लेना पड़ा। वास्तव में अप्रैल-दिसम्बर, 92-93 में वर्ष 1990-91 की समसामयिक अवधि की तुलना में आयात में डॉलर के रूप में 7.4 प्रतिशत की कमी आई है।

(ख) और (ग) उदारीकरण की नीति के प्रारम्भिक परिणामों से भुगतान सन्तुलन की प्रचलित स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई दिया है। वर्ष 1992-93 के दौरान आयात में अधिक सामान्य स्तर तक वृद्धि के बावजूद स्थाई विनिमय दर के साथ भुगतान सन्तुलन बनाए रखना सम्भव हुआ है वर्ष भर पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार को और इसके अलावा दुहरे विनिमय दर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई है। ऐसी आशा है कि इससे निर्यात में वृद्धि होगी और भुगतान सन्तुलन में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा के आगमन को प्रोत्साहन मिलेगा। भुगतान-सन्तुलन की स्थिति को सुधारने के लिये जो अन्य के लिए उपाय किए गए हैं उनमें प्रतिबन्ध हटाने के लिये मदों की सूची की पुनः समीक्षा, निर्यात के लिए समुचित ऋण उपलब्ध कराना, रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज-दर में कमी, निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सीधे अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उपाय आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

2600. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितना कृषि उत्पादन हुआ और चालू वर्ष के दौरान खरीफ की फसल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस उत्पादन में से कितने मूल्य के कृषि उत्पादकों का निर्यात किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किये गये निर्यात का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1991-92 में कृषि उत्पादों का निर्यात कम रहा था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) : वर्ष 1991-92 के दौरान कृषि-

उत्पादन तथा वर्ष 1992-93 के दौरान सम्भावित उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन टन)

कृषि उत्पादन	1991-92 (अन्तिम)			1992-93 (सम्भावित)		
	रबी	खरीफ	कुल	रबी	खरीफ	कुल
1. कुल अनाज	68.03	86.98	155.01	69.5	92.7	162.2
2. कुल दालें	7.61	4.44	12.05	8.5	6.0	14.5
3. कुल तिलहन	9.36	8.92	18.28	9.5	10.5	20.0

(स्रोत—कृषि मंत्रालय)

(ख) में (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड रु०)

क्रमांक	वस्तु	1989-90	1990-91	1991-92
1:	चावल	426.52	461.57	754.98
2.	गेहूं	2.14	31.13	121.47
3.	मोटा अनाज	1.97	2.77	6.74
4.	तम्बाकू	175.04	263.39	377.29
5.	मसाले	276.98	233.94	370.40
6	काजू	365.07	441.90	668.45
7.	तिल तथा राम तिल	137.52	91.34	101.19
8.	मूंगफली	34.14	56.06	7.40
9.	आयव सील	610.16	608.50	871.27
10.	चपड़ा	14.89	17.55	25.10
11.	चीनी एवं शीरा	32.51	37.57	144.23
12.	पुष्प-उत्पाव	7.27	7.87	13.16
13.	फल तथा सब्जियां	201.90	213.25	348.96
14.	संसाधित फल एवं रस	68.39	60.40	88.38
15.	विविध संसाधित मदें	142.09	152.30	243.99
16.	मांस से बने पदर्थ	113.70	139.84	230.52
	योग :	2610.29	2819.38	4373.53

(स्रोत—वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

सरकार कृषि-वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक है। परन्तु, सरकार की नीति यह है कि ऐसा इस तरीके से किया जाय जिस से आम उपभोक्ता वाली मदों की घरेलू उत्पादकता पर असर न पड़े। सरकार ने निर्यात के लिये नीति-वातावरण में सुधार करने के लिये पहले ही कई उपाय किए हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू आयात-निर्यात नीति द्वारा इन नीतिगत उपायों को पुनः सुदृढ़ बनाया गया है। एकीकृत विनिमय दर की शुरूआत कृषि मदों के निर्यात में लाभदायक सिद्ध होगी। कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए या प्रस्तावित विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 में कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप को विनिर्माण क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करना।

(2) कुछ शर्तों के अध्यधीन कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात सम्बन्धी अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण को समाप्त करना।

(3) ताजे फल एवं सब्जियां, मसाले, काजू, गिरी, तिलहन, बासमती चावल, आदि जैसी महत्वपूर्ण मदों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

(4) प्रदर्शनियों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और आयातकों से सम्पर्क करने के जरिये सम्भावित देशों में व्यापक विपणन।

(5) गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और दालों का निर्यात

2601. **डा० परशुराम गंगवार :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं, चावल और अन्य मोटे खाद्यान्नों तथा दालों आदि का निर्यात उन देशों को करने पर विचार कर रही है, जहां अभी तक बाजारों का पता नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इन मदों का निर्यात किन-किन देशों को किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस निर्यात से हमारी घरेलू मांग पर कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सरकार निर्यात बढ़ाने को उत्सुक है और कृषि मदों के निर्यात को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। लेकिन गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दालें जैसी अधिक खपत वाली मदों के निर्यात को नियंत्रित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन निर्यातों से घरेलू बाजार में इन वस्तुओं का अभाव या उनकी कीमतों में वृद्धि जैसा विपरीत प्रभाव न पड़े। इन मदों का निर्यात कीमत, कोटा या लाइसेंस प्रतिबन्धों के अध्यधीन है। हमारे चावल के मुख्य बाजार हैं यू०के० और पश्चिम एशियाई देश जैसे सऊदी अरबिया,

जार्डन, यू०ए०ई० आदि। जहां तक दालों और मोटे अनाजों का सवाल है इनका निर्यात बहुत कम मात्रा में और मुख्यत: पश्चिम एशियाई देशों को किया जाता है।

गुजरात के समुद्रीतट क्षेत्र में तस्करी

2602. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के समुद्रीतट क्षेत्र में हो रही भारी तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों से सामान की तस्करी हो रही है; और

(घ) इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र पश्चिम एशिया के कुछेक देशों से सक्रिय गिरोहों द्वारा मुख्य रूप से सोने और चांदी की तस्करी के लिए बराबर आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं। इन तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में किए गए मुख्य-मुख्य अभिग्रहणों की संख्या और उनमें पकड़े गये निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मुख्य-मुख्य मामले	सोने/चांदी का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1990	6	31.88
1991	4	16.54
1992	5	19.62

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क कार्यालयों को पोतों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों आदि से लैस कर दिया गया है। धातु खोजी यंत्रों, रात को काम आने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता हो, दूरसंचार संजाल की भी व्यवस्था की गई है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

इसके अलावा, स्वर्ण तथा चांदी आयात योजनाओं को भी लागू किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इन वस्तुओं की तस्करी की भी रोकथाम की जा सके।

[हिन्दी]

रक्षा कार्मिकों के लिए स्वीकृत की गई मदिरा की कथित बिक्री

2603. **श्री जीवन शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कार्मिकों के लिए स्वीकृत की गई मदिरा को खुले बाजार में कथित रूप से बेचे जाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने रक्षा कार्मिकों को पकड़ा गया;

(ग) ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जायेंगे;

(घ) क्या सरकार द्वारा सैनिक कैन्टिनों की मदिरा आपूर्ति पर दी गई राजसहायता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में सैन्य कार्मिकों द्वारा शराब की कथित अनधिकृत बिक्री के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए पहले ही प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को संबंधित फॉरमेशन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित दण्ड दिया जाता है।

(घ) और (ङ) सशस्त्र सेनाओं को सप्लाई की गई शराब पर कोई सीधी राजसहायता नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

राज्यों से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वसूली

2604. **श्री गुरूदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक राज्यों को दिए गए करोड़ों रुपये के ऋण को लेकर दुविधा में है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों से ऐसे ऋणों की वसूली संदेहास्पद हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों से इन ऋणों की वसूली हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) बैंक आर्थिक रूप से अर्थक्षम गतिविधि शुरू करने के लिए समस्त राज्यों में ऋण के लिए पात्र उधारकर्ता संस्थाओं को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक उधारकर्ता की ऋण प्राप्त करने की पात्रता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही ऋण मंजूर करते हैं। तथापि, खातों के परिचालन में विभिन्न कारणों से कतिपय ऋणों के अशोध्य हो जाने की सम्भावना रहती है जिसके कारण राशियां अतिदेय हो जाती हैं।

मार्च, 1990, मार्च 1991 और सितम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक से सम्बन्धित बकाया अग्रिम और अतिदेय राशियां नीचे दी गई हैं :—

करोड़ रुपए

के अनुसार	बकाया	अतिदेय राशियां	बकाया राशियों की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता
मार्च, 1990	25964	3819	14.71
मार्च, 1991	29902	4220	114.11
सितम्बर, 1991	28847	4308	14.94

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अतिदेय राशियों को कम करने और वाणिज्यिक बैंकों की विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के सम्बन्ध में वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किए हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देश निम्नानुसार हैं :—

1. बैंकों से कहा गया है कि वे बैंकों के दुर्लभ संसाधनों को एक ओर जरूरतमंदों और अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में पुनर्निवेश करने में सहायता करने तथा दूसरी ओर ऋण-दाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए अर्थक्षम वसूली प्रणाली स्थापित करें।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि वे बड़े अग्रिमों की मानीटरिंग करने पर स्वयं ध्यान दें।

3. अग्रिमों की कारगर मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अलग-अलग अग्रिमों के स्वास्थ्य को बताने के लिए विस्तृत और एक समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना।

4. बड़े अवरुद्ध बातों की वसूली पर निगरानी रखना।

5. जब यह पाया जाता है कि अग्रिम अवरुद्ध हो गए हैं तो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण

2605. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योगों को श्रेणीवार निगम द्वारा उक्त अवधि में ऋण प्रदान किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता देने में कोई अनियमितताएं तथा प्राथमिकता क्षेत्र की उपेक्षा करने की जानकारी प्रकाश में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निगम ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि वह साधारणतः 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लागत वाली परियोजनाओं के वित्तीय सहायता सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करता है। 5 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं की सावधि वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएं साधारणतः राज्य

स्तरीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक पूरा करते हैं। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नई परियोजनाओं को मंजूर सहायता का पूंजी लागत-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) संस्थान के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता दिए जाने में किसी प्रकार की अनियमितता बरतने की सूचना सरकार को नहीं दी है। इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक नीति के अनुसार ही ऋण देता है।

(ङ) अगस्त, 1991 से पहले, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहायता इसके लिए निर्धारित मानकों तथा शर्तें, जैसे कि प्रवर्तकों के अंशदान, ब्याज दर, परिवर्तनीयता विकल्प और अनुज्ञेय ऋण-ईक्विटी संरचना में छूट देकर देता रहा है। ब्याज दरों के विनियमन को समाप्त कर देने के परिणाम-स्वरूप रियायतों को वापस ले लिया गया है। तथापि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश के पिछड़े इलाकों में स्थापित अर्थक्षम परियोजनाओं को सहायता देना जारी रखा है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का राज्य-ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1990-91		1991-92	
		मंजूर सहायता	संवितरित सहायता	मंजूर सहायता	संवितरित सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	310.96	150.36	144.53	157.52
2.	असम	13.05	14.82	17.98	16.75
3.	बिहार	23.08	5.44	6.38	12.70
4.	गोवा	10.88	12.25	15.90	13.85
5.	गुजरात	448.16	187.04	341.45	187.37
6.	हरियाणा	86.24	53.88	80.44	70.54
7.	हिमाचल प्रदेश	59.18	14.17	100.71	35.34
8.	जम्मू व कश्मीर	5.00	0.42	9.02	1.13
9.	कर्नाटक	151.32	80.91	80.90	52.06
10.	केरल	8.20	10.90	16.97	12.20
11.	मध्य प्रदेश	224.80	128.62	184.26	100.32

1	2	3	4	5	6
12.	महाराष्ट्र	626.20	251.96	436.16	293.06
13.	मणिपुर	--	0.38	—	—
14.	मेघालय	—	0.36	0.13	0.28
15.	उड़ीसा	52.09	62.57	40.39	42.28
16.	पंजाब	144.77	104.95	136.68	85.28
17.	राजस्थान	155.90	80.47	146.21	90.09
18.	सिक्किम	—	—	0.06	—
19.	तमिलनाडु	192.32	124.23	196.82	115.75
20.	उत्तर प्रदेश	291.12	204.20	387.49	289.61
21.	पश्चिम बंगाल	79.86	46.08	432.57	33.44
22.	अंडमान व निकोबार	0.45	0.30	—	0.14
23.	चण्डीगढ़	7.62	2.14	1.27	1.08
24.	दादरा व नागर हवेली	14.47	4.77	0.70	2.54
25.	दमन व दीव	1.96	0.98	0.68	1.57
26.	दिल्ली	40.71	23.14	87.34	25.89
27.	पांडिचेरी	16.72	9.60	4.17	14.39
	योग :	2965.06	1574.94	2869.21	1605.18

विवरण-2

वर्ष 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नई परियोजनाओं को मंजूर और संवितरित सहायता का पूंजी लागत-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

पूंजी लागत	परियोजनाओं की सं०		मंजूर राशि	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
5 करोड़ रु० तक	49	12	57.99	25.36
5 करोड़ रु० से 10 करोड़ रु० तक	48	29	83.73	72.63
10 करोड़ रु० से 20 करोड़ रु० तक	42	29	106.94	100.28

1	3	4	5	6
20 करोड़ रु० और अधिक	84	50	887.76	924.40
नई परियोजनाओं के लिए कुल	223	120	1136.42	1122.67
अन्य परियोजनाओं के प्रसार/आधुनिकरण आदि के लिए सहायता।	737	488	1828.61	1746.54
कुल जोड़	960	608	2965.06	2869.21

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी धारक विकास योजना

2606. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने कोई पॉलिसी धारक आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में कितने आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण किया जाता है और उन्हें पर्ची डालने के माध्यम से पॉलिसी धारकों को बेच दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अब तक 3710 रिहायशी इकाइयों का निर्माण किया है। आज की तारीख तक, 1229 इकाइयों का निर्माण चल रहा है।

(ग) विशाखापट्टनम में 200 रिहायशी इकाइयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड

2607. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, अधिनियम लागू करने के बाद से भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपने उद्यमों तथा नये निर्गमों की स्वीकृति में सार्वजनिक शेयरधारिता कम करने के लिए अनेक प्रोमोटर कम्पनियों द्वारा शोषण सहित इसमें अनेक खामियां पायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के कार्यकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सेबी को जनवरी, 1992 में स्थापित किया गया था। सेबी अधिनियम को अप्रैल, 1992 में पारित किया गया और प्रथम विनियम अक्तूबर, 1992 में जाकर अधिसूचित हुआ। महानियंत्रक और लेखा-परीक्षक के कार्यालय के द्वारा सेबी की प्रथम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शीघ्र ही सम्पन्न हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संस्थाओं/संगठनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से धनराशि

2608. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक तथा विदेशी बैंकों द्वारा वर्ष 1991 और 1992 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को संस्थान/संगठनवार दी गई राशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : आंकड़ा सूचना प्रणाली से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

[हिन्दी]

बिहार के पठार की विकास परियोजना

2609. **श्री ललित उराँव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन जिलों में विश्व बैंक की सहायता से बिहार के पठार की विकास परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक जिले में विश्व बैंक सहायता की कितनी-कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बिहार पठार विकास परियोजना को नौ जिलों अर्थात् रांची, गुमला, लोहारदागाह, गढ़वा, पालामाऊ, सिंहभूम (पश्चिमी), दुमका, साहिबगंज और छोटा नागपुर के गोड्डा तथा बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) ऋण सम्बन्धी दस्तावेजों में निधि का जिला-वार आबंटन निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस परियोजना को पांच वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने की दृष्टि से तैयार किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 1997 तक इस परियोजना के पूरे हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि

2610. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में दिसम्बर, 1992 तक उत्तर प्रदेश से लघु बचत योजनाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय बचत योजनाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में संस्थावार जमा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पांच शीर्ष जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान अधिकतम राशि जमा की गई है; और

(ग) इनमें से किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई है और कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा किन-किन शर्तों पर यह राशि उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश में डाकघरों में अल्प-बचत के निवल संग्रहण निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए)
1989-90	1132.34
1990-91	1542.57
1991-92	828.08
1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक)	423.38

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक की शाखाओं का विस्तार

2611. श्री संदीपान भक्त्वान थोरात : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चालू वर्ष के दौरान अपनी शाखाओं का विस्तार करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्य-वार, किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को जिला प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित राज्य सरकारों के मार्फत आवेदन भेजना पड़ता है। जहां तक अर्ध शहरी केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अपनी पसन्द के केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए 31 मार्च, 1995 को समाप्त अवधि में निश्चित कोटा आबंटित किया है। किसी राज्य के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। जहां तक शहरी/महानगरीय/पत्तन शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने का सम्बन्ध है, इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यदल द्वारा पता लगाए गए इन केन्द्रों में बैंक रहित/अल्प बैंक सुविधा वाले स्थानों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1991 में बैंक को उनके कोटा अनुसार स्थान आबंटित किए हैं।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति को और सरल बनाया है। अब बैंक, अर्ध शहरी शहरी/महानगरीय/पत्तन शहरी केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि, वे संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों और निर्धारित तारीखों तक विवेकपूर्ण लेखा मानकों को पूरा करते हों।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित केन्द्रों की सूची एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बट्टे खाते में डाले गए कर

2612. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय करों की भारी धनराशि को बट्टे खाते में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय करों की कुल वसूली से तुलना करने पर बट्टे-खाते डाली गई राशियां मामूली-सी हैं। वित्त वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 5 के अधीन बट्टे-खाते डाली गई अथवा माफ की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया राशियां निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	बट्टे-खाते डाली गई राशियां (करोड़ रुपये में)
1990-91	12.61
1991-92	11.52

इन दो वर्षों में बट्टे-खाते डाली गई सीमा-शुल्क की राशियां निम्नानुसार थीं :—

वर्ष	बट्टे-खाते डाली गई राशियां (करोड़ रुपये में)
1990-91	0.30
1991-92	0.29

इन दो वर्षों के दौरान बट्टे-खाते डाली गई प्रत्यक्ष-कर की मांगों की राशियां निम्नानुसार थीं :

वर्ष	बट्टे-खाते डाली गई राशियां (करोड़ रुपये में)
1990-91	6.02
1991-92	5.48

वर्ष 1992-93 के आंकड़े वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संकलित किए जाएंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 5 के अधीन उत्पाद-शुल्क ऐसे माल के सम्बन्ध में केवल अशोध्य मांगों को ही बट्टे-खाते डाला जाता है अथवा माफ किया जाता है, जिन्हें स्वाभाविक कारणों की वजह से मात्रात्मक दृष्टि से अपूर्ण पाया जाता है ।

स्वापक पदार्थों को जब्त करना

2613. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

प्रो० के०वी० थामस :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों ने जनवरी, 1993 में मुम्बई में मेथाक्वालीन और असम में गांजा बहुत बड़ी मात्रा में जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) नशीली औषधियों की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तारीख 10/21 जनवरी, 1993 का मुम्बई में मेथाक्वालीन जब्त की गई थी । जनवरी, 1993 में स्वापक निबंन्त्रण ब्यूरो द्वारा असम में गांजे की कोई बड़ी जब्ती नहीं हुई है ।

(ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुम्बई के अधिकारियों द्वारा 20/21 जनवरी, 1993 की रात को 3200 किलोग्राम मेथाक्वालीन पाउडर तथा 150 किलोग्राम मेथाक्वालीन दाने की जब्दी की गई थी । नशीले औषध की तस्करी का प्रयास निर्यात पारेषित माल द्वारा किया गया था ।

(ग) दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(घ) आसूचना एकत्र करने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान करन की व्यवस्था को कारगर बनाया गया है । विभिन्न एजेंसियों के प्रवर्तन अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है । भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी ने भी तस्करी को कुछ सीमा तक रोका है । सीमा क्षेत्रों पर प्रवर्तन एजेंसियों के बल को बढ़ाया गया है । कुछ प्रवर्तन एजेंसियों को उपकरण भी दिए गए हैं ताकि सीमा क्षेत्रों पर गतिशीलता तथा संचार सुविधाओं को बढ़ाया जा सके ।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

2614. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना तथा कितने मूल्य का चावल, गेहूं और मोटा अनाज निर्यात/आयात किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल, गेहूं और मोटे अनाज का प्रति टन औसत मूल्य कितना था ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) :

निर्यात

मात्रा टनों में

मूल्य लाख रुपयों में

वस्तु	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल	4,21,737	42652.06	5,05,029	46157.23	7,11,416	75498.06
गेहूं	11,766	214.11	1,39,470	3113.47	5,68,552	12146.85
अन्य अनाज	5,954	196.49	7,310	277.02	13,643	674.02

आयात

वस्तु	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल	5,44,485	28290.92	66,038	3918.44	12,117	1094.42
गेहूं	39,649	2141.52	62,590	2227.12	उपलब्ध	नहीं
अन्य अनाज	94,871	2349.64	1,399	35.23	1,858	41.66

स्रोत : ड०जी०सी०आई० एंड एस०, कलकत्ता।

अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कीमतें

अमरीकी डालर प्रतिटन

वस्तु	1989	1990	1991
1. चावल (थाई 100 प्रतिशत द्वितीय ग्रेड)	305	278	302
	(जुलाई-जून)		
	1989-90	1990-91	1991-92
2. गेहूं (यू०एस० नं० 2 हार्ड विन्टर)	161	118	150
3. सोरघम (यू०एस० नं० 2 पीला)	105	104	110

स्रोत : एफ०ए०ओ०।

"आश्रय" योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में मकानों का निर्माण

2615. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 से कार्यान्वित की जा रही "आश्रय" योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त योजना को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने 1992 के दौरान "आश्रय" नामक एक व्यापक आवास कार्यक्रम की घोषणा की थी और कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने "आश्रय योजना" को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है और इसलिए निर्मित मकानों की संख्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी, जनवरी 1993 के अन्त तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी वित्त योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि० के विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में 5.22 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। जनवरी 1993 के अन्त तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने भूमि विकास और आश्रय परियोजना के सम्बन्ध में कर्नाटक राज्य में 2 करोड़ रुपए की राशि का विशेष संवितरण किया है।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना के विमानों तथा हेलीकाप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2616. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान तथा हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(घ) भविष्य में इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1992 के दौरान हेलीकाप्टरों समेत भारतीय वायुसेना के उनतीस (29) वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए।

(ख) प्रत्येक वायुयान दुर्घटना के लिये जांच अदालत बिठाई जाती है।

(ग) ये वायुयान दुर्घटनायें मानव भूल (वायुकर्मीदल), तकनीकी खराबियों, पक्षियों के टकराने, प्राकृतिक और प्रचालन सम्बन्धी जोखिमों आदि के कारण हुई थीं।

(घ) प्रत्येक वायुयान दुर्घटना की जांच अदालत द्वारा की जाती है। इसमें वैमानिकी के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। वायुयान दुर्घटना होने के किसी सम्भावित कारण अथवा किसी संवेदनशील क्षेत्र का पता चलने पर विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं के विशेषज्ञों के सहयोग से संयुक्त रूप से विशेष अध्ययन किया जाता है, ताकि उक्त समस्या पर गहराई से विचार कर समुचित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

2617. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की विद्युत परियोजनाओं हेतु दी जाने वाली सहायता में कमी करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि भारत सरकार विद्युत परियोजनाओं हेतु दी गई विश्व बैंक सहायता का पूरा उपयोग नहीं कर पाई है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ऋण का उपयोग परियोजना की समय-अनुसूची पर निर्भर करता है। कुछ परियोजनाओं में क्रियान्वयन कार्यक्रम पर पूरक रुपया राशियों की अपर्याप्त उपलब्धता, खरीद सम्बन्धी विलम्ब, पुनर्वास और पुनर्निपटान के मुद्दे तथा भूमि अधिग्रहण की समस्याओं जैसे घटकों का प्रभाव भी पड़ता है।

मोटर साइकिल टैक्सियां

2618. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विशेष स्थान से किसी विशेष स्थान तक मोटर साइकिल टैक्सियां चलाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरम्भ में इन्हें किन मार्गों पर चलाया जाएगा तथा इसके लिये प्रस्तावित भाड़ा-सूची का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने अकेले यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने और सस्ती परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्वाइंट टू प्वाइंट मोटर साइकिल टैक्सी चालू करने का निर्णय लिया है। आटो रिक्शा की तरह ही ये मोटर साइकिल टैक्सी यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्वाइन्ट से चलाई जा सकेंगी। परमिट प्रदान करने के समय इनका किराया ढांचा नियत किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वदेशी कम्पनियों द्वारा विभिन्न संविदाओं हेतु बोली लगाना

2616. **श्रीमती रीता वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी कम्पनियों को विभिन्न संविदाओं के लिए बोली लगाने वाले विदेशियों के समान किसी भी विदेशी मुद्रा में बोली लगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनियों के लिये कोई उदार विदेशी मुद्रा विनियम योजना शुरू करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) उन मामलों में जहां केन्द्र सरकार ने बोली लगाने वाली प्रक्रियाओं को प्राधिकृत किया है जिससे विदेशी कम्पनियां/निकाय सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए बोली लगा सकते हैं और बोलियां आमंत्रित की हैं, वहां बोली लगाने वाले भारतीयों को किसी भी मुद्रा (भारतीय रुपये को शामिल करते हुए) में बोली लगाने और उन्हें विदेशी बोली लगाने वालों के समान ही ऐसी मुद्राओं में राशियां प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है ।

जहां ऐसी भारतीय बोलियां विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित की जाती हैं वहां बोली लगाने वाले भारतीयों को न केवल संशोधित उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन पद्धति (एल० ई० आर० एस० एस०) का लाभ (अर्थात् प्रचलित बाजार दर पर रूपान्तरण और 15 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रतिधारण) प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई हैं बल्कि वे निर्यात और आयात नीति 1992-97 के पैरा 122 में विनिर्दिष्ट लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे ।

(ग) से (ङ) भारतीय परियोजना/सेवा निर्यातकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित रूप में, विदेशों में विदेशी मुद्रा बैंक खाते खोलने, अस्थाई कार्यालय, एजेंसी कमीशन की अदायगी और विदेशों में अस्थायी योजक वित्त प्राप्त करने के लिये सामान्य अनुमति प्रदान कर दी गई है । उन्हें भारत को प्रत्यावर्तित 15 प्रतिशत परियोजना आय को भारत में अपने विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों में प्रतिधारण करने का विकल्प भी प्राप्त है ।

इसके अलावा, बोली लगाने वाले ऐसे भारतीयों को 1 मार्च, 1993 से प्रभावी संशोधित उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन पद्धति के तहत, अपनी शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा आय को प्रचलित बाजार दर पर रूपान्तरित करने की अनुमति है ।

पूर्वोक्त की दृष्टि से, कोई और उदारीकृत विदेशी मुद्रा योजना, विशेषकर जो ऐसी कम्पनियों पर लागू हो, आरम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

निर्यात मदों की सूची

2620. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी 34 मदों का पता लगाया गया है जिन पर निर्यात गति बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों के क्या नाम हैं; और

(ग) इन मदों की ओर क्या विशेष ध्यान दिये गये हैं, तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक्स्ट्रीम फोकस उत्पाद के नाम से जाना जाने वाला 34 निर्यात मदों को सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के लिये इस आधार पर अभिज्ञात किया गया है कि उक्त मदों के मामले में बष्वम अवधि के दौरान प्रतिवर्ष मात्रा अथवा मूल्य की दृष्टि से 30 प्रतिशत निर्यात वृद्धि प्राप्त करने की सम्भावना है ।

(ख) मदें हैं : मात्तियको, कृषिरसायन, आटो कम्पोनेन्ट्स, साइकिल, तथा उसके पुर्जे, सीमेन्ट तैयार वाहन, औषधि तथा भेषजीय पदार्थ, रंजक तथा मध्यवर्ती सामान, इलैक्ट्रिक पावर जनरेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन उपस्कर, फ्लोरीकल्चर, फुटवियर ताजे फल, स्वर्ण आभूषण, ग्रेनाइट, हैन्डटूल्स, इन्टरनल कम्बस्टन इंजिन तथा उसके हिस्से-पुर्जे, इन्डस्ट्रियल कास्टिंग्स तथा फोर्जिंग्स, टमाटर पेस्ट उत्पाद, उष्ण कटिबन्धिय फलों के रस, गूदा तथा सान्द्रण, संरक्षित कुकुरमुत्ता, सिलेसिलाये परिधान, चावल, साफ्टवेयर पैकेज, सिस्टम साफ्टवेयर नेटवर्क, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन/कम्प्यूटर एडेड विनिर्माण, मसाले, चीनी, गीरा, इथाइल अल्कोहल सहित एल्कोहल चीनी मशीनरी सिन्थेटिक तथा मानवनिर्मित वस्त्र तथा टायर ।

(ख) इन मदों के सम्बन्ध में व्यापार समूहों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की गई और इस सम्बन्ध में कई निर्णय लिये गए हैं : निर्यात ऋण पर ब्याज दर पर कटौती निर्यात सेक्टर के लिये ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फेटस्टेशनों का क्षेत्र प्राइवेट सैक्टर के लिए खोलना, पैकेजिंग सामग्री के लिये देश में परीक्षण सुविधायें बढ़ाना, तथा निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिये बैंक गारन्टियों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल बनाना । वर्ष 1993-94 के बजट में, व्यापार खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया है और सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है, खासकर कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के लिए । इससे उक्त मदों को प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी, जिससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ।

अफीम की खेती

2621. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कितने क्षेत्र में अफीम की खेती होती है;

(ख) अफीम की खेती करने वालों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अफीम का खरीद मूल्य कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान भारत में राज्यवार अफीम-पोस्त की खेती का लाइसेंसशुदा क्षेत्र इस प्रकार है :—

राज्य	क्षेत्र हैक्टेयर में (अन्तिम)
मध्य प्रदेश	6857
राजस्थान	4391
उत्तर प्रदेश	2497

(ख) फसल वर्ष 1991-92 के दौरान पोस्त की खेती करने वाले किसानों को 70° संसक्ति वाली प्रति हैक्टेयर 44 किलोग्राम से अधिक उपज प्रस्तुत करने पर 100 रु० प्रति किलोग्राम की दर से कार्य-निष्पादन पुरस्कार अदा किया गया था। फसल वर्ष 1992-93 से पोस्त की खेती करने वाले किसान 70° संसक्ति वाली प्रति हैक्टेयर 45 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम तक प्रस्तुत की गई अफीम की मात्रा पर प्रति हैक्टेयर 500 रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 70° संसक्ति वाली प्रति हैक्टेयर 60 किलोग्राम से अधिक अफीम की उपज को प्रस्तुत करने पर एक हजार रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 70° संसक्ति वाली अफीम का खरीद मूल्य इस प्रकार रहा :—

वर्ष 1990-91 और 1991-92

रु०

(i) यदि किसी किसान की औसत उपज प्रति हैक्टेयर 34 किलोग्राम तक थी। 175/- रु०

(ii) यदि किसी किसान की औसत उपज प्रति हैक्टेयर 34 किलोग्राम से अधिक थी। 205/- रु०

वर्ष 1992-93

250/- रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से सामान्य मूल्य।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम का विस्तार

2622. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी नई शाखाएं खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसकी शाखाओं की संख्या इस प्रकार है : -

ग्रामीण क्षेत्र	—	119
शहरी क्षेत्र	—	44

(ग) नए शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय अप्रैल, 1993 को प्रारम्भ हो रहे नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है और आन्ध्र प्रदेश के जिन क्षेत्रों में नई शाखाओं को खोला जाना है उनका निर्धारण उचित समय पर कर लिया जाएगा।

उड़ीसा में बैंक शाखाएं

2623. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंक शाखाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये हैं और इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा; और

(ग) राज्य में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बाद भी बैंक आखाएं नहीं खोली जा सकीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है ।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में इन बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसैंसों की संख्या और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है :—

जिले का नाम	जारी लाइसैंसों की संख्या	केन्द्र/स्थान का नाम
कटक	8	सेमीनार छाक, बीजू पटनायक छाक, मनि साहू छाक, जोबरा, गोपालपुर (कटक शहर का बाहरी विकास) जगतपुर, पीथापुर, जंजीर मंगला
गंजम	2	ब्रज नगर, गोपालपुर पोर्ट
भुवनेश्वर	12	उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, चन्द्रशेखर पुर, आई० आर० सी० ग्राम इन्द्रधनु मार्केट काम्पलैक्स के पास, यूनिट मार्केट, कपिल प्रसाद मार्केट काम्पलैक्स सामन्तपुर, सतसंग बिहार, अशोक मार्केट, जगमारा, लक्ष सागर, गोडा गोपीनाथ प्रसाद, मालीसाही, बीजेआई नगर
पुरी	5	स्वर्णद्वार, चक्रतीर्थ रोड (मुनेरा गनरंगा) नबाकाबार रोड (गुण्डीचावरी), लोकनाथ रोड, म्युनिसिपल मार्केट (दैत्यापाद साही)
सम्भलपुर	5	गोशाल (चिपलिमा) साकी गोपीनाथ, धनकौडा एस० एफ० सी० आई० काम्पलैक्स, ज्योति बिहार ।
सुन्दरगढ़	5	आई० डी० आई० कालोनी, (देसाई नगर) चन्द एच०एस० पी० कालोनी नाग मार्केट, काम्पलैक्स कुले नगर, वेद व्यास छाक, फर्टिलाइजर छाक

कलकत्ता गोदी

2624. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय जलपोत सेवाएं कलकत्ता गोदी प्रणाली का प्रयोग करने को उत्सुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी उत्पादों के प्रमुख आयातक के रूप में नेपाल के उभरने और कन्टेनर यातायात सुविधाओं के प्रावधान ने कलकत्ता गोदी प्रणाली के विकास और उपभोग की दिशा में बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने हेतु पर्याप्त सम्भावनाएं बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता गोदी से माल लाने-ले जाने हेतु कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नेपाल को दी गई विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) (ख) जी हां। फिलहाल 15 यूरोपियन लाइनें कलकत्ता गोदी प्रणाली के माध्यम से फीडर/ब्रेक बल्क लाईनर जहाज आपरेट कर रही हैं। आशा है शीघ्र ही एक रूसी लाईन कलकत्ता और रूस के बीच प्रचालन शुरु करने वाली है।

(ग) और (घ) कलकत्ता गोदी प्रणाली के माध्यम से नेपाल द्वारा आयातित कार्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :—

	(टन)
1990-91	2,87,004
1991-92	3,43,693
1992-93 (25 फरवरी तक)	3,50,148

कलकत्ता गोदी प्रणाली के माध्यम के यातायात के सुकर प्रवाह के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास ने निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं :—

(1) नेपाल ट्रांजिट वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन लि० के लिए ढ़के हुए आवास तथा खुले यार्ड हेतु स्थान।

(2) नेपाली कार्गो ढ़ोने वाले जहाजों के लिए पर्याप्त बर्थिंग सुविधाएं।

(3) 7 दिन का विलम्ब शुल्क मुक्त समय।

(4) माल को रेल द्वारा ढ़ोने के लिए रेल बनाने के लिए 3 दिन का मुक्त समय।

[हिन्दी]

चोरी किए गए आई० ई० पी० लाइसेंसों का दुरुपयोग

2625. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात-निर्यात नीति में वर्तमान उदारीकरण की घोषणा करने से पूर्व पुनः पूर्ति लाइसेंस चुरा लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य से विशेषतः कानपुर और दिल्ली क्षेत्रों से सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्ते राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन निर्यातकों को राज्य-वार कितने डुप्लिकेट लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ङ) क्या देश में इस समय इन चुराये गये लाइसेंसों का दुरुपयोग हो रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ज) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ज) आर० ई० पी० लाइसेंसों की चोरी के सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फ्रांस से सहायता

2626. **श्री एस०बी० थोरात** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फ्रांस से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई तथा प्राप्त होने की आशा है तथा फ्रांस से गत वर्ष प्राप्त सहायता की तुलना में यह कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फ्रांस से प्राप्त सहायता में से कितनी राशि विशेष परियोजनाओं को दी गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फ्रांस से अब तक कुल 568.2 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक की राशि प्राप्त हुई है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 299.4 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक (एफ०एफ०) की राशि प्राप्त हुई थी। इस वित्तीय वर्ष के दौरान फ्रांस से कोई अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीत वर्ष के दौरान प्राप्त फ्रांसीसी सहायता निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए है :—

क्र०सं०	परियोजनायें		राशि
1	2		3
1.	द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता और फ्रांस के लिए भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देना।	एफ०एफ०	7.00 मिलियन (अनुदान)
2.	कोयला ब्रिकेटिंग उपस्कर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	एफ०एफ०	1.20 मिलियन (अनुदान)

1	2	3
	3. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए स्टेटिक वी०ए०आर० कम्पेनशेट्रस	एफ०एफ० 96.00 मिलियन (मिश्रित ऋण)
	4. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के लिए सार्ट सर्किट अल्टरनेटर	एफ०एफ० 79.00 मिलियन (मिश्रित ऋण)
	5. राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए रिहिटिंग फर्नेसेज	एफ०एफ० 66.00 मिलियन (मिश्रित ऋण)
	6. चन्द्रपुर में एच०वी०डी०सी० बैंक टू बैंक स्टेशन	एफ०एफ० 319.00 मिलियन (मिश्रित ऋण) एफ०एफ० 568.20 मिलियन

तम्बाकू की नीलामी

2627. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश में नीलामी केन्द्रों के बाहर तम्बाकू की बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नीलामी को निश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तम्बाकू उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह सुनिश्चित करने के उपाय किये गये हैं कि नीलामी मंचों पर बिक्री हेतु आने वाले तम्बाकू का सही माप-तौल हो, समुचित वर्गीकरण किया जाए, बिक्री की रकम का समय पर भुगतान हो तथा क्रेताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके ।

[हिन्दी]

एशियाई विकास बैंक की सहायता

2628. **श्री ललित उरांव** :
श्री जी०एम०सी० बालयोगी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चार परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है, जिनके लिए एशियाई विकास बैंक ने 1992 के दौरान सहायता देने का आश्वासन दिया था;

(ख) उनमें से किन-किन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) परियोजना-वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1992 में एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित चार परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

परियोजना	राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)	वर्तमान स्थिति
(i) विद्युत दक्षता कार्य क्षेत्र	250.00	ऋण करार पर 23-4-92 को हस्ताक्षर किए गए थे। निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।
(ii) वित्त क्षेत्र कार्यक्रम	300.00	करार पर 15-12-92 को हस्ताक्षर किए गए थे और 150 मिलियन अमेरिकी डालर राशि का इस्तेमाल किया गया था।
(iii) कोयला पत्तन परियोजना	285.00	12-2-93 को हस्तांक्षरित ऋण करार को अभी प्रभावी घोषित किया जाना है।
(iv) ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	147.00	करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण योजना तैयार करना

2629. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य-वार ऋण योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार उन नए क्षेत्रों को दर्शाने वाली जिन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है; सामान्य नीति तथा दिशानिर्देश क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता देने के वास्ते देश में सभी जिलों के सम्बन्ध में क्षमता सम्बद्ध ऋण योजनाएं तैयार करता है। तदनुसार नाबार्ड द्वारा जिले की क्षमता सम्बद्ध योजनाओं (पी०एल०पी०) में लगाए गए अनुमानों पर आधारित राज्य ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं। राज्य योजनाओं पर राज्य सरकारों और ऋण आयोजना सम्बन्धित प्रक्रिया में सम्मिलित बैंकों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श होता है।

नाबार्ड द्वारा तैयार की गई आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान योजनाबद्ध ऋण देने सम्बन्धी राज्य-वार पुनर्वित्त प्राक्कलनों की स्थिति संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान राज्य-वार योजनाबद्ध ऋण देने के लिए पुनर्वित्त अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण

लाख रुपए में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्वित्त				
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
चंडीगढ़	17	21	24	28	28
दिल्ली	95	95	102	105	117
हरियाणा	12573	13186	14713	16703	18182
हिमाचल प्रदेश	2099	3078	3539	4070	4681
जम्मू व कश्मीर	1039	1560	1661	1853	1997
पंजाब	15403	16694	18493	20054	21753
राजस्थान	10554	27718	31060	34648	39409
अरुणाचल प्रदेश	265	300	320	345	375
असम	7453	8342	9438	10375	11604
मणिपुर	473	494	563	605	660
मेघालय	495	574	656	754	866
मिजोरम	102	117	135	155	178
नागालैण्ड	65	100	138	190	259
त्रिपुरा	760	1405	1594	1789	2019
सिक्किम	140	743	769	324	313
बिहार	12466	13368	14029	14719	15462
उड़ीसा	6067	9473	10741	11983	12931
पश्चिम बंगाल	17357	20187	22075	23895	26221
अंडमान व निकोबार	82	88	97	105	119
मध्य प्रदेश	15540	28125	22475	25150	28228
उत्तर प्रदेश	42346	47038	52832	60872	67563

1	2	3	4	5	6
दादर व नगर हवेली	74	95	109	132	159
गुजरात	13009	14490	12160	18115	20405
गोवा	384	612	705	663	866
महाराष्ट्र	60090	67646	77495	81674	96618
आन्ध्र प्रदेश	24567	28661	31617	33122	35682
कर्नाटक	20300	22657	25313	28414	32003
लक्षद्वीप	3	3	4	4	5
केरल	10768	22876	24573	26929	28986
पांडिचेरी	195	199	211	243	265
तमिलनाडू	18755	19022	19898	22403	24217
जोड़	294335	360478	400949	443420	492119

तम्बाकू उत्पादकों को कोयले की सप्लाई

2630. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों को चालू मौसम के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू उत्पादकों को समय पर कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वर्तमान आन्ध्र फसल शोधन मौसम (1992-93) के लिए कुल 10,030 खत्ता धारकों ने 90,270 एम०टी० कोयले के लिए आवेदन किया। इसके विपरीत अक्टूबर 1992 और 15 फरवरी, 1993 के बीच 8683 खत्ता धारकों को 74,156 एम०टी० कोयले की आपूर्ति की गई।

(ग) तम्बाकू बोर्ड ने सिंगरैनी कोयला खानों, आन्ध्र प्रदेश, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, रेलवे तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ नजदीकी सम्पर्क बनाए रखा और सभी जरूरतमंद किसानों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की।

लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यचालन पूंजी मांग

2631. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यचालन पूंजी की युक्तियुक्त मांग की प्रतिशतता को घटाने/बढ़ाने का है;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ ने भी इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटे और बड़े लघु औद्योगिक एककों, की वर्तमान कार्यचालन पूंजी की मांग कितने प्रतिशत है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लघु क्षेत्र के लिए आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण

2632. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षोन्मुखी दृष्टिकोण से आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकिंग नीति में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु क्षेत्र के जिन एककों ने एक करोड़ रुपये तक का ऋण लिया है, उन पर ऋण का दबाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सुरक्षोन्मुखी दृष्टिकोण के स्थान पर आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

राज्यों को विदेशी वित्तीय सहायता

2633. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने परियोजनाओं के विकास हेतु विश्व के निकायों के माध्यम से विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली समूची धनराशि राज्यों को देने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी विदेशी सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत संवितरण के समकक्ष राशि अगस्त, 1992 से सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को जारी कर दी जाएगी ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राज्यों को जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3808.91	6805.15	29077.13
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम	6.45	264.88	173.85
3.	बिहार	1261.07	1983 82	1729.31
5.	गोआ			
6.	गुजरात	13598.55	17288.94	44540.86
7.	हरियाणा	2154.94	3521.07	3249.44
8.	हिमाचल प्रदेश	575.01	2198.72	3167.07
9.	जम्मू और कश्मीर	689.24	691.77	712.67
10.	कर्नाटक	4480.44	5791.43	13844.55
11.	केरल	2486.67	4612.52	4367.36
12.	मध्य प्रदेश	8938.53	4780.79	9614.19
13.	महाराष्ट्र	10307.76	13986.04	22865.09
14.	मणिपुर			
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम			
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा	5812.82	4696.39	7806.97
19.	पंजाब		400.31	1634.24

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	935.22	12.44	3989.37
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु	9548.72	14260.94	24155.54
23.	त्रिपुरा	405.78		
24.	उत्तर प्रदेश	23978.96	29268.66	84557.66
25.	पश्चिम बंगाल	4915.34	4109.82	8848.07
	कुल	93905.04	215905.02	264334.00

सरकारी क्षेत्र के कर योग्य बाण्डों के स्थान पर डिबेंचर

2634. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के कर योग्य बाण्डों के स्थान पर डिबेंचर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सरकार का प्रस्ताव है कि सार्वजनिक क्षेत्र की वे कम्पनियां, जो बाजार से ऋण प्रतिभूतियां जुटाना चाहती हैं, उन्हें क्रमश: डिबेंचरों के इश्यू को शासित करने वाली सेबी के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों संबन्धी समिति

2635. **श्री हाराधन राय :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों संबंधी घाटोवार समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा उसमें की गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के सम्बन्ध में घाटोवार समिति की रिपोर्ट 12-11-1992 को श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखी गयी थीं। इसके बाद समुचित कार्रवाई के लिये यह रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दी गयी है।

श्रमिकों में धूल से होने वाले रोग

2636. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में श्रमिकों में धूल से संबंधित रोग फैलाने वाले कारखानों/औद्योगिक एककों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत में कुछ ऐसे कारखानों/इकाइयों में कुछ अध्ययन करवाये गये थे जिनमें एस्बेस्टस, सिलिका, कॉटन, कोयला तथा धातु की गर्द से कर्मकार प्रभावित हुए थे, अध्ययनों के दौरान व्यावसायिक रोगों की निम्नलिखित प्रवृत्ति का पता चला था ।

व्यावसायिक रोग	जांच किये जाने वाले कर्मकारों की संख्या	प्रवृत्ति (प्रतिशत)
एस्बेस्टोसिस	712	7.2
सिलिकोसिस	2033	27.6
बाईसिनोसिस	1241	8.8
कोयला कर्मकारों को होने वाला न्यूमोकोनोसिस	950	18.3
सीसे द्वारा जहर फैलने का रोग (धुआं और गर्द से प्रभावित होने के कारण)	363	9.8

एस्बेस्टस, सिलिका गर्द, रूई की गर्द, सीसा, मैंगनीज और अन्य विषाक्त् रसायनों आदि के संबंध में कार्य वातावरण में प्रभावन (एक्सपीजर) के स्वीकार्य स्तर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किये गये हैं । एस्बेस्टस, सिलिका (ग्लास और सिरामिक आदि), कोयला, सीसा और इसके यौगिक, अलौह धातुयें, धातुकर्म उद्योग, कीटाणुनाशकों (इन्सेक्टिसाइड्स) और पेस्टीसाइड्स आदि का कार्य करने वाले उद्योगों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है । खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं को विनियमित करने के लिये वर्ष 1987 में उपरोक्त अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया है । अधिनियम के प्रावधानों का पालन कारखाने के अधिधारक (अकूपायर) द्वारा किया जाना और इनका प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

ग्रेनाइट पत्थर का खनन और निर्यात

2637. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक भागों में ग्रेनाइट पत्थर का खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है;

(ख) क्या ग्रेनाइट पट्टियों का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य ने ग्रेनाइट पत्थर के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खनन कार्य को जारी रखने और ग्रेनाइट पट्टियों का निर्यात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कर्नाटक और तमिलनाडु के कई भागों में ग्रेनाइट पत्थर की भारी मात्रा का मुख्यत: निर्यात के लिए खनन किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निर्यात के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रेनाइट और ग्रेनाइट उत्पादों का कुल निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1989-90	147
1990-91	227
1991-92	380

(घ) और (ङ) ग्रेनाइट एक मुख्य खनिज नहीं है और इसलिए उसका खनन पृथक-पृथक राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है । ग्रेनाइट स्लैब मूल्य वर्धित उत्पाद है, इसलिए उसके निर्यात को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

डुंकेल प्रस्ताव

2638. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में डुंकेल प्रस्तावों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कृषि क्षेत्र में इनके अपनाए जाने का प्रत्याशित प्रभाव क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित डुंकेल, प्रस्ताव में कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) डुंकेल प्रस्तावों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनसे अपनी कृषि संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुपालन करने की हमारी क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उरुग्वे दौर की समझौता-वार्ताओं के तहत कृषि सम्बन्धी करार का कृषि को दिए जाने वाले घरेलू उपदानों या सार्वजनिक खरीद कार्यों की हमारी क्षमता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कोई प्रभाव न पड़े । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हमें कृषि उत्पादों के आयात के लिए कोई न्यूनतम बाजार पहुंच बचनवद्धता नहीं करनी होगी । बौद्धिक सम्पदा/अधिकारों के क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम जो पादप-किस्म संरक्षण प्रणाली शुरु करने जा रहे हैं उसका किसानों या अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और उद्यान उत्पादों का निर्यात करने के लिए कार्यक्रम

2639. **श्री चन्नूलाल चन्द्राकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ते हुए व्यापार के अन्तर को समाप्त करने के लिए खाद्यान्नों और उद्यान उत्पादों के निर्यात के लिये कोई त्वरित (क्रैश) कार्य-क्रमतैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले मदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार कृषि जन्य निर्यात संवर्धन को उच्च प्राथमिकता देती है। किन्तु, सरकार की नीति यह है कि ऐसा इस तरीके से किया जाए कि व्यापक खपत की मदों की घरेलू उपलब्धता पर बुरा असर नहीं पड़े। कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय निम्नानुसार हैं : —

(1) एकल विनिमय-दर प्रारम्भ करना;

(2) आयात-निर्यात नीति 1992-97 में "विनिर्माण क्रियाकलाप" की परिभाषा में संशोधन करना जिससे कि कृषि क्रियाकलाप को भी उसके दायरे में शामिल किया जा सके;

(3) अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण को कुछ खास शर्तों के अध्यधीन समाप्त करना;

(4) प्रदर्शनियों में सहभागिता करके, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके और आयातकों के साथ परस्पर बातचीत के जरिए सम्भाव्य देशों में उत्साही विपणन करना; और

(5) क्वालिटी आश्वासन कार्यक्रम आरम्भ करना।

विशेष थ्रस्ट के लिए चुनी गई मदें ये हैं—बासमती चावल, मसाले, ताजे फल तथा सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य, पुष्पोत्पाद मदें और मछली उत्पाद।

———

[अनुवाद]

12.00 मध्यान्ह

राष्ट्रपति से संदेश

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राष्ट्रपति से दिनांक 11 मार्च, 1993 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

> "22 फरवरी, 1993 को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

———

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिनाडु में, एक कांग्रेस विधायक पर हमला किया गया हैं। महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान तमिलनाडु विधान सभा

में कांग्रेस (ई) के सक्रिय सदस्य पर हुए घातक हमले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक श्री पीटर अल्फान्स जब विधान सभा के परिसर की ओर जा रहे थे तब उन पर ए०डी०एम० के दल के गुण्डों ने घातक हमला किया था।

कुछ माननीय सदस्यगण : हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : वहां पर सत्ताधारी दल हिंसा होने दे रहा है। अब इस तरह के घातक हमले बार-बार होने लगे हैं। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल ए०आई०ए०डी०एम०के०, की राजनीतिक असहनशीलता के कारण कांग्रेस (ई) के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, इस तरह की घटनायें पहली बार नहीं घट रहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : इससे पहले, जब श्री चिदम्बरम केन्द्रीय मन्त्री थे, उन पर हमला किया गया था। उसके पश्चात् केन्द्रीय मन्त्री श्री अरुणाचलम पर हमला हुआ था। यहां तक कि इस माननीय सदन के सदस्य श्री सुन्दर राज पर भी हमला हुआ था। जब कोयम्बटूर में विमान पत्तन का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी मेरी हत्या कर देने की कोशिश की गई थी। ए०आई०ए०डी०डी० एम० के० के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और मेरी कार पर भी हमला किया गया था और उसे तोड़-फोड़ दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जब वह बोल रहे हैं तब अन्य सदस्यों को बैठ जाना चाहिए।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : मैं जब तिरुपुर में साम्प्रदायिक सौहार्द सभा का आयोजन कर रहा था तब ए० डी० एम० के० के कार्यकर्त्ताओं ने इस सभा का आयोजन करने नहीं दिया और उन्होंने सार्वजनिक सभा स्थल के मंच को जला दिया। तमिलनाडु में हिंसात्मक प्रवृत्ति तेजी से फैल रही है और हिंसा होने दी जा रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और अब उसकी स्थिति बहुत खराब है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर देने की अनुमति दूंगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैं आपके ध्यान में और एक समस्या लाना चाहूंगा। ऐसे समय जबकि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर हिंसा होने दी जा रही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा बजरंग दल जैसे संगठनों के साम्प्रदायिक तत्वों को पनाह दी जा रही है। केन्द्रीय सुरक्षा बल जिन साम्प्रदायिक तत्वों का खोज कर रहा है, उनमें से कुछ तत्व तमिलनाडु में शरण लेना चाहते हैं। विडम्बना की बात है कि उनको तमिलनाडु में सुरक्षा दी जा रही है। अतः मैं महसूस करता हूं कि गृहमन्त्री को इस सन्दर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहिए।

श्री ए० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : सत्ताधारी दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर निरन्तर इस तरह से हमला किया जा रहा है। हमने अपने जीवन में इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी। जब स्वर्गीय अन्नादुरे तथा एम० जी० आर० तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री थे यब ऐसा नहीं होता

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

था। ऐसा अभी हो रहा है। जब स्वर्गीय कामराज जी तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री थे तब माहौल शांत था। तमिलनाडु के सार्वजनिक जीवन में पहले आर० वी० आर० पेरियार तथा भक्तवत्सलम और बाद में अन्नादुर्रै शामिल थे। जब तक एम० जी० आर० वहां पर थे, तब तक यह शांत माहौल बना रहा। अब वर्तमान शासनकाल के दौरान माहौल शांत नहीं रहा है तथा माहौल और अधिक कलुषित हो गया है। अल्पसंख्यक लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। जिन लोगों ने द्राविड़ आन्दोलन का मार्ग अपनाया था, अब वह हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों से हाथ मिला रहे हैं।

केन्द्र को इस पर ध्यान रखना होगा और केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में तेजी से बढ़ती हुई इस हिंसक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई करनी होगी। चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय एवं दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में घट रही इन घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, इस एक घटना के सम्बन्ध में तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मुलिजम का बचाव नहीं करता हूं। (व्यवधान)

महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। केवल आपका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में जा रहा है और कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन : मैं मुलजिम का बचाव नहीं करता हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यही मामला सुबह तमिलनाडु विधान सभा में भी उठाया था। अध्यक्ष महोदय ने खेद व्यक्त किया और हमारे मुख्यमन्त्री ने भी खेद व्यक्त किया और उस घटना की भर्त्सना की। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि दोषी व्यक्तियों के प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने इस घटना की व्याख्या की। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० जी० नारायणन, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। केवल आपका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया रहा है। कृपया जारी रखें।

श्री पी० जी० नारायणन : यह घटना विधान सभा के बाहर हुई। मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु में आज विधान सभा की कार्यवाही को रोकने का यह एक स्पष्ट षड्यंत्र और एक पूर्व-नियोजित घटना है। तथ्य यह है कि विधान सभा सदस्य श्री पीटर आल्फोन्स ने कल एक उत्तेजक वक्तव्य दिया था और हमारी मुख्य मंत्री पर भारी नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तिगत वार किये जो कि बहुत गन्दी भाषा में थे·····(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोगों द्वारा तैयार किया गया एक षड्यंत्र है जो विधान-सभा की कार्यवाही को रोकना चाहते थे जो वहां आज शुरू हुई है। यह एक नियोजित घटना है। (व्यवधान) जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, हमारी मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही की जायेगी। एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मुजरिम को खोज रही है। वास्तविक दोषी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। पहले कदम के रूप में मुख्य मंत्री जी ने प्रथम दोषी सुधा गोपाल को आज अपने दल से निकाल दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कही है। बहुत अच्छा। आपने उस पर बहुत जोर दिया है। अब, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, पिछले दो-तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश में राजनैतिक हत्यायें जारी हैं जिनमें हमारी पार्टी के स्व० श्री शारदा प्रसाद रावत और तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधान सभा पार्टी के उप-नेता स्व० श्री महेन्द्र सिंह भाटी की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी। विषय की गम्भीरता को देखते हुए और भंग विधान सभा में इस बात पर लम्बी बहस होने के बाद उक्त हत्याओं के मामले को तत्कालीन उ० प्र० सरकार ने केन्द्र सरकार के पास सी० बी० आई० से जांच के लिये भेजा हुआ है। हम चार बार कई तरह से इसे सरकार के ध्यान में ला चुके हैं; एक बार तो हम, श्री रवि राय तथा अन्य पांच-सात माननीय सदस्य होम मिनिस्टर साहब से मिले थे और इस प्रकरण की गम्भीरता को उन्हें बताने का काम किया था। उन्होंने बार-बार एश्योर भी किया कि इस सवाल पर सी० बी० आई० की इंक्वारी होगी और जरूर होगी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वे उस इलाके के जन-नेता थे। उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई और उत्तर प्रदेश में राजनैतिक हत्याओं का दौर इतना बढ़ गया है कि इस सवाल पर सारी पार्टियों ने सहमत होकर प्रकरण की सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग की है। लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, आज तक सी० बी० आई० की इंक्वायरी जारी नहीं हुई है।

मैं होम मिनिस्टर साहब से तीन दिन पहले मिला था और उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि हम जल्दी करने वाले हैं। फिर मैंने कहा कि इस सवाल को हम सदन में उठायेंगे तो उन्होंने कहा कि सदन में उठाइये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह प्रकरण बड़ा गम्भीर और संगीन है। वहां के लोगों की जन-भावनायें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अत: सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकरण को टालने का काम न करें और जल्दी से जल्दी जांच करायें। वे हमारे उप-नेता थे। उस इलाके के वे एक बड़े नेता थे। सभी पार्टियों ने सहमत होकर उनकी हत्या की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग की है, लेकिन आज तक जांच का काम आरम्भ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार जल्दी से इस प्रकरण पर तवज्जह दे और जल्दी इंक्वायरी के लिये इसे सी० बी० आई० को सौंपे ताकि हमें न्याय मिल सके और उत्तर प्रदेश में राजनैनिक हत्याओ का जो सिलसिला चला हुआ है वह रुक सके।

[अनुवाद]

श्री बी० अकबर पाशा (वेल्लोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महीने की 21 तारीख, जिस दिन मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है, को मद्रास शहर में भा०ज०पा० द्वारा प्रस्तावित रैली के सम्बन्ध में एक हवाला देना चाहूंगा। यह त्यौहार महाशिवरात्री की तरह होता है। (**व्यवधान**)

कृपया मुझे बोलने दीजिये। आप बाद में जवाब दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाना चाहता हूं कि 24 जनवरी को मोदी नगर में जो मोदी स्टील का कारखाना है, उसमें

तालाबंदी घोषित कर दी गयी है। इस तालाबंदी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी, आज तक, वहां जो ढाई हजार मजदूर हैं, और उनमें जो 900 स्थायी मजदूर हैं, दिसम्बर माह से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। यद्यपि कारखाने की तालाबंदी को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है लेकिन उस तालाबंदी को उठाने के लिये, लॉक-आऊट को लिफ्ट करने के लिये जो कदम उठाने चाहिये थे, वहां की सरकार उन कदमों को नहीं उठा रही है।

हम मांग करेंगे कि इन दिनों जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन चल रहा है तो इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार का है, केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री का है, उद्योग मंत्री का भी है। हमने इस बारे में कृष्णा साही जी को चिट्ठी भी लिखी है और उनका भी दायित्व है। और कल हम श्रम मंत्री महोदय से भी मिले हैं और हम मांग करते हैं कि जो तालाबंदी गैर-कानूनी घोषित की गई है और वहां के जो ढाई हजार मजदूर, खाली ढाई हजार मजदूर ही नहीं बल्कि उनके आश्रित 20 हजार लोग आज भूखों मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि केन्द्रीय सरकार और उसका श्रम मंत्रालय तत्काल इस तालाबंदी को उठाने के लिए कदम उठाएं और दिसम्बर महीने से ढाई हजार मजदूरों और उनके साथ जो 900 अस्थाई मजदूर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको तत्काल तनख्वाह दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएं और मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप भी केन्द्र सरकार को इस बारे में निर्देश दें क्योंकि उद्योग मंत्री श्रीमती कृष्णा साही जी यहां पर हैं, वे कुछ श्रम करें और तालाबंदी उठाकर, उनको तनख्वाह दिलाएं और वे कुछ बोलें।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बहुत अच्छी हिन्दी बोले हैं, अब आप बैठ जाएं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार पर बकाया है, केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि तत्काल बिहार सरकार को उस बकाया का भुगतान करे। उदाहरण के तौर पर बिहार सरकार के खनिजों का अधिभार का करीब 137 करोड़ रुपया और परिवार कल्याण विभाग का करीब 206 करोड़ रुपया बकाया है और बिहार सरकार को इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है एक तरफ पलामू, गढ़वा, डाल्टेन गंज, राहेतास और भभुआ के कुछ भाग, पगुआ जिलों में भीषण सुखाड़ है और गढ़वा तथा डाल्टन गंज के जिलों में तो भीषण और हृदय विदारक सुखाड़ है, जिसके कारण बिहार सरकार के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए केन्द्र सरकार को बिहार को विशेष धनराशि देनी चाहिए थी, ऐसा करना तो दूर रहा, बल्कि बिहार सरकार का बकाया भी उसको नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस समय बिहार की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि वह अपने कई विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा कई निगमों के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को वेतन देने की भी स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार बिहार सरकार की बकाया धनराशियों को अविलम्ब और तत्काल भुगतान करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी और आप बोल चुके हैं। अब कृपया वही बातें नहीं दोहराइए और इस तरह से आगे नहीं आइए। श्री मृत्युन्जय नायक।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, क्या मैं आपको याद दिलाऊं, कि इस माननीय सभा में मैंने अपने गृह राज्य के अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थायी निवासियों सम्बन्धी भूमि की चकबंदी के मामलों के सम्बन्ध में बार-बार आपका संरक्षण मांगा है।

महोदय, यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उनकी भूमि पर स्वामित्व के उचित कोटे के अधिकार से वंचित रखा गया है। नई दिल्ली में हुए मुख्य-मंत्रियोंके सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने कुछ विशिष्ट निर्देश दिए थे और आपने भी इस विशिष्ट मुद्दे को सरकार के साथ उठाया था।

मैं एक बार फिर गम्भीरतापूर्वक तथा बड़े उत्साह से आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार तथा भारत सरकार को विशिष्ट निर्देश दें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत के नाम पर अमरीका के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तानी एम्बैसी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर के, एक्स्टर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, प्रार्थना करूंगा कि एम्बैसी ने एक पत्र लिखा है, उसमें लिखा कि आपको यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्म-भूमि के मामले में अपना निर्णय दे दिया है।

उस निर्णय के अन्दर यह कहा है कि यहां पर किसी प्रकार के हिन्दू देवी-देवता का कोई मंदिर नहीं था। यह एम्बैसी के एक अंडर सैक्रेटरी के द्वारा दिया गया पत्र है जो सारे समाचारपत्रों में अमरीका में प्रकाशित हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने या यहां पर श्री सिद्धार्थ शंकर रे, जो हमारे एमबैसडर हैं, ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और उस कारण सारे विश्व में भारत के बारे में गलत सिगनल जाते हैं, गलत प्रचार होता है, गलत धारणाएं बनती हैं।

मैं प्रार्थना करूंगा कि एक्सटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसके बारे में जांच करे और वहां पर जो पाकिस्ता ी एम्बैसी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, उस प्रचार का खंडन करे। एम्बैसी ने इसके प्रचार का खंड न क्यों नहीं किया, सिद्धार्थ शंकर रे, ने अब तक इसके बारे में कन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं किया? यह मामला विचाराधीन है।

कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके पश्चात् हम निर्णय करेंगे और वहां पर यह कहा जा रहा है कि निर्णय हो चुका है और इस प्रकार का हो चुका है कि वहां पर कोई राम मंदिर नहीं था।

मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका कन्ट्राडिक्शन किया जाए और एमबैसडर के खिलाफ इसके बारे में उचित मार्गदर्शन दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं पिछले ग्यारह दिनों से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। यह हाल ही में अयोध्या में हुई अहिंसा से प्रभावित दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के राहत कार्यों और पुनर्वास में प्रगति से सम्बन्धित हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि अयोध्या में 6 दिसम्बर को हुई त्रासदी के तुरन्त बाद 17 व्यक्ति मारे गए थे, 458 घर जल गए थे, 58 दुकानें जल गई थीं और लूट ली गई थीं और लगभग 5 हजार व्यक्ति विस्थापित हो गए थे। उन्होंने अनेक जगहों पर आश्रय लिया। अब वे सरकार द्वारा घोषित राहत और पुनर्वास कार्यक्रम की इन्तजार में हैं।

मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने मारे गए सोलह व्यक्तियों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये दिए हैं। लेकिन दूसरे सम्बन्ध में उदाहरण के लिए उन घरों के सम्बन्ध में जिन्हें नुकसान पहुंचा

कि ऐसी कोई बात हुई थी अथवा नहीं। महोदय, निस्संदेह मैंने यह बात कही है और मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि यह निश्चित रूप से औचित्य का मामला है और एक संधीय ढांचा है। उस मामले के लिए राज्य के किसी मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री की संसद में उपस्थिति कहने को कोई कुछ कहे, परन्तु यह कार्य सर्वथा असंगत है। अतः औचित्य नहीं होना चाहिये। लेकिन जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे पूर्वी पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया गया एक निश्चित विनिर्णय विद्यमान है। मैं समझता हूं कि यह विनिर्णय कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक में मौजूद है।

अतः, स्वस्थ संसदीय परम्परा हेतु इस मामले पर हमेशा-हमेशा के लिए एक बार ही अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिये। क्योंकि यह मामला सामने आ रहा है और सरकार के एक तरह की पतली-स्थिति में होने के कारण, अतः मैं नहीं जानता कि यह मामला अक्सर उनका ध्यान आकर्षित करता रहेगा। इसलिए इस मामले पर हमेशा-हमेशा के लिए एक बार में ही निर्णय होने दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, कल का मुद्दा समाप्त हो गया है। अतः, आप सोमवार को सुविचारित विनिर्णय दे सकते हैं ताकि इस मामले में सभी पूर्व-विनिर्णयों और कल की स्थिति सम्मिलित हो सके·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, कल की आपकी रूलिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपने संविधान के अनुसार अपनी राय दी। कल रेड्डी साहब जब आये तो मेरे दिमाग में यह चीज स्वाभाविक रूप से आई, हमको लगता है कि सारे सांसदों के दिमाग में आई होगी कि कानूनी बारीकी में न जाकर वोटिंग के समय वह मुख्य मन्त्री हैं और उन्होंने स्वेच्छा से यहां विधि मन्त्री के नाते से जो जिम्मेदारी ली थी, उसको छोड़कर वह वहां गये। मेरा यह कहना है कि कानूनी बारीकी जो भी हो, उसको एक समय हम भुला दें लेकिन एक चीफ मिनिस्टर इस तरह से वोटिंग जिस दिन यहां हो, आयें, पहले भी इस तरह से एक बार हुआ था तो उस समय भी लोक सभा में खलबली मची थी तो मेरा यह कहना है कि इसमें एक चीज है, लोक सभा में पहले ही एक रूलिंग है कि यह प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकते और वोट भी नहीं दे सकते तो जब यह चीज है तो फिर मैं आपसे आगे के लिए विनती करूंगा कि जो स्वेच्छा से लोक सभा को छोड़ना चाहेगा, उसमें जो 6 महीने की चीज है, उसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमको लगता है कि नैचुरल जस्टिस और ग्रैसफुलनैस दिमाग में रखकर उस आदमी को सदन में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने चुन लिया है कि मैं विधान सभा में रहूंगा, वह विधान सभा चुनाव के लिए इन्तजार कर रहे हैं और रेड्डी साहब की शायद नामजदगी हो गई होगी, इनकी इलैक्शन कमीशन के जरिये तारीख भी तय हो गई है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आगे के लिए आप उस कन्फ्यूजन को दूर करके एक इण्टीग्रेटेड रूलिंग दें। इतना ही आपसे कहना है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने एक अति-रोचक मुद्दा उठाया है और इस सभा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। आन्ध्रप्रदेश के मुख्य मन्त्री जी, जोकि इस सभा के सदस्य भी हैं, ने कल सभा में उपस्थित होकर कल

ही इस मुद्दे को उठाया था। आपने एक विनिर्णय देने की कृपालुता की थी कि आप उन्हें इस सभा में भाग लेने से मना नहीं कर सकते।

वास्तव में अब उस विनिर्णय को संशोधित करने अथवा शायद एक सुविचारित विनिर्णय देने की मांग की जा रही है, क्योंकि एक माननीय सदस्यगण ने इस मुद्दे पर कहा है। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा बिना बात के कोई व्यवस्था नहीं दी जाती हैं। वह मुद्दा आज बिल्कुल नहीं उठा है। जब मुद्दा कल उठा था, विनिर्णय दे दिया गया था।

जब वह मुद्दा अगली बार उठेगा, केवल तभी आपका ध्यान अनेक पूर्वनिर्णयों की ओर आकृष्ट किया जा सकता है और तभी विनिर्णय दिया जा सकता है। लेकिन आप अध्यक्ष महोदय को किसी भी समय, बिना बात के जबकि वह मुद्दा सभा के समक्ष विचार-विमर्श हेतु होता ही नहीं, विनिर्णय देने के लिये कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना सही नहीं होगा और न ही ऐसा करना संसदीय लोकतंत्र की अच्छी परम्परा के अनुरूप होगा। अगर अगली बार कोई मुद्दा उठता है, तभी माननीय सदस्यगण इन मुद्दों पर बहस करने के पात्र होंगे। तभी पिठासीन अधिकारी अपना विनिर्णय दे सकते हैं। लेकिन बिना बात के विनिर्णय नहीं दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पात्र जी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यहां कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जो व्यवस्था दर्शायी गयी है कि या तो सदस्य निर्वाचित होगा अथवा बदले में किसी राज्य का एक मन्त्री मतदान नहीं करेगा अथवा वह सभा की चर्चा में भाग नहीं ले सकेगा। इसमें एक बात है। आज तक संविधान के नियम सभा की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसी वजह से मैं आपके और इस माननीय सभा के समक्ष यह निवेदन करता हूं कि अगर कोई मुख्य मन्त्री यहां आता है और संसद की बैठक में भाग लेता है, तो यह इस समूची सभा की शान और गर्व होगा। यही मेरा विचार है। माननीय सदस्यगण शायद मुझ पर हंसेंगे। यह इस सभा का विशेष अधिकार होगा कि एक संसद सदस्य और एक राज्य के मुख्य मंत्री में कोई भेद नहीं है। मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात पर गर्व महसूस करते है कि इस सभा के एक सदस्य और मुख्य मंत्री के रूप में राज्य के प्रभारी, के बीच कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अगर संशोधन-प्रस्ताव आता है, तो इसे जारी रहना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैंने कल कहा था, मैं उसे पुनः दोहराना चाहूंगा :

> "हम एक ऐसी स्थिति में में जिसमें हम अपने आप को पाते हैं कि हम सांवैधानिक-उपबंधों पर एक कड़ी-व्याख्या प्रस्तुत करने वाले हैं। पिठासीन अधिकारी श्री विजय भास्कर रेड्डी को इस सभा में भाग लेने अथवा संविधान के अनुसार जो कुछ वे और कर सकते हैं, उन करने से प्रतिबन्धित करने की स्थिति में नहीं हैं।"

मैंने अपने कहे शब्दों को पढ़ दिया हैं। लेकिन इस बात के दो पहलू हैं। प्रथम पहलू यह है कि सभा में एक व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है, लेकिन तब ऐसा करना सांवैधानिक और विधायी मुद्दों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश में एक व्यवहार है तथा यह सभा किसी अन्य किस्म के युद्ध की बजाय वागिवदग्धताओं के युद्ध के लिये एक मैदान है। अतः इस प्रकार के व्यवहार की जब ऐसा व्यवहार मात्र सांवैधानिक विषयों से सम्बन्धित हो, कभी अनिच्छा से और कभी इच्छापूर्वक अपवाद रूप में ही अनुमति दी जाती है।

मैं श्री आडवाणी जी की बात से सहमत हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती चाहिये। मैं सांवैधानिक उपबंधों का बड़ी सावधानीपूर्वक अध्ययन करूंगा और यदि आपको इस विषय पर कुछ कहना है, तो आपकी बात सुनने की कोशिश करूंगा और फिर इस विषय पर अपना विनिर्णय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गत दिनों जो ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश में, उससे खंडवा जिला भी अछूता नहीं रहा है। लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। फसलें नष्ट हुई हैं और घर टूटे हैं। सरकार द्वारा अभी तक उसका आंकलन नहीं हुआ है। राहत के नाम पर सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है और किसानों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सरकार ओलावृष्टि के इस नुकसान की ओर ध्यान देकर जांच करवायें और अतिशीघ्र राहत दिलवाएं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में नौ तारीख को जो घटना हुई है, गन्टूर जिले में, उस दुर्घटना में 19 लोग मर गये हैं और बहुत लोग अस्पताल में मृत्यु के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अभी तक उस घटना के ऊपर सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। यह घटना किससे हुई है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार की सोर्स आफ इन्फार्मेशन के अनुसार 120 लोगों ने शायद कैरोसीन डालकर जलाया है। ऐसी ही घटना गलत साल भी हुई थी। उस घटना में भी कम से कम 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां पर 120 लोगों के एक्टिविस्ट बनने के बाद मंत्री महोदय महोदय आन्ध्र प्रदेश के लिये ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिटरी फोर्स भेजें, ताकि आन्ध्र प्रदेश में शान्ति और सुरक्षा कायम रहे।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद बाराबंकी में कल्याणी नदी के किनारे कोसों दूर तक सीपेज की एक समस्या पैदा हो गई है और उस समस्या के कारण दूरदराज तक हजारों एकड़ जमीन में फसल की पैदावार होनी बन्द हो गई है। वहां के हरे-भरे बाग सूख रहे हैं, लोगों के मकानों का गिरना शुरू हो गया है और चारे की एक समस्या पैदा हो गई है। मान्यवर, यह जो समस्या है यह उस इलाके के किसानों की जानलेवा समस्या है। इस समस्या को लेकर बार-बार वहां पर आन्दोलन हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह जो सीवेज, जलरिसाव की जो समस्या है इसका समाधान कराया जाएगा लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उससे तो अत्यधिक खर्चा आता हैं उस खर्चे की कमी के वजह से यह समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि वहां इन्दिरा नहर और शारदा समान्तर शाखा नहर हैं उसका जो सायफन है उसको बड़ा किया जाए और जो कल्याणी नदी से सीपेज की समस्या पैदा हो गई है उस नदी को गहरा करवा करके सीपेज की समस्या का समाधान कराया जाए ताकि जनपद बाराबंकी के लोग राहत की सांस ले सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, में आपसे अत्यन्त विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और खास तौर से दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। अभी आपने सुना होगा कि तीन-चार दिन पहले लाहौरी गेट के मेवा व्यवसायी प्रमोद कुमार का अपहरण कर लिया गया। **(व्यवधान)** अभी बरसों मुकेश जैन पशुपति एकीलान के प्रबन्धक का अपहरण हो गया। वह जब अपने घर में आ रहे थे तो उनके घर के अन्दर जाकर अपहरणकर्त्ताओं ने उनको खींचा, गोलियां चलाई और जब उनका गार्ड उनकी रक्षा के लिये आया तो उसको गोली मार दी गई और आज तक मुकेश जैन का कोई पता नहीं चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ के व्यवसायी परेशान हैं और इस कारण से वहां बहुत भय का वातावरण व्याप्त हो गया हैं। गाजियाबाद में निरन्तर ऐसी ही घटनायें हो रही हैं। बनारस में, गाजीपुर में इस प्रकार की तमाम घटनायें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस पर जबाब दे। **(व्यवधान)**

12-43 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पिठासीन हुए)

मैं पुन: आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर एक वक्तव्य दिया जाना बहुत आवश्यक है। अब संसदीय कार्य मंत्री इन पर अपना वक्तव्य देने को राजी हैं या नहीं। **(व्यवधान)** संसदीय कार्य मंत्री इसको सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वे आश्वासन दें कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है, सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (सहारनपुर) : मेरा आरोप है कि यह सरकार अपराधी गुटों से मिली हुई है इसलिए इस तरह का अपहरण का सिलसिला चल रहा है। **(व्यवधान)** इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद आदि जगहों पर हो रही हैं। **(व्यवधान)** अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और सरकार खामोश बैठी हुई है। इन सारी बातों के लिए एक मात्र केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में बयान दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार को इन मामलों में मिलीभगत है और सरकार का उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें, परसों घर से खींच कर अपहरण किया गया, सरकार ने इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप संसदीय कार्य मंत्री को बयान देने के लिए निर्देश दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सत्ता पक्ष की ओर से शीघ्र ही प्रत्युत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वे इस मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यदि इस मामले में तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार से तत्काल प्रत्युत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने मालिनी जी का नाम पुकारा है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान चार राष्ट्रीय महिला संगठनों के उस प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहती हूं, जो अहमदाबाद, भोपाल और सूरत के दंगाग्रस्त क्षेत्रों की महिलाओं से मिला था। इस रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। हम देखते हैं कि महिला प्रतिनिधि-मंडल ने यह टिप्पणी की है कि इन स्थानों में दंगे एकाएक नहीं भड़के, बल्कि दंगों को विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा उकसाया गया, ये वे पार्टियां हैं जो जनता में साम्प्रदायिकता का बीज बोने का प्रयास कर रही हैं। ये विशेषकर भाजपा, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा कुछ अन्य अवांछित तत्व हैं जो जनता की पीड़ाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिनिधि-मंडल में महिलाओं ने विशेषकर निजी आवासीय समितियों की भूमिका को भी निर्दिष्ट किया है।

यह देखा गया कि पुरुष और महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आए हैं लेकिन इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं पर विशेष रूप से हमले हुए हैं। निस्सन्देह ऐसे भी उदाहरण हुए जब दो समुदायों की महिलाओं ने आवश्यकता पड़ने पर परस्पर एक-दूसरे को बचाया। लेकिन प्रचार माध्यमों द्वारा ऐसे मामलों को प्रचारित नहीं किया गया। वे इन मामलों में खामोश रहे।

पुनः हम यह देखते हैं कि हमलों की संख्या हमलों के वर्णन से काफी अधिक होती है। मैं इन पार्श्विक विवरण की बात नहीं कर रहा हूं —सामान्यतया इन्हें पार्श्विक कहा जाता है—लेकिन मैंने यह कभी नहीं सुना कि कोई जानवर स्वजाति के दूसरे जानवरों पर अत्याचार करता हो।

हम यह भी देखते हैं कि जहां तक राहत और पुनर्वास का सवाल है, इन दोनों में बड़ी गम्भीर असमंजसता की स्थिति है। ये महिलाएं नौकरशाही-वर्ग द्वारा उपेक्षा से उत्पन्न असमंजसता के कारण, जो अधिकांश मामलों में अपने पति या अपने पिता को खो चुकी हैं, सरकार द्वारा सुनिश्चित राहत का लाभ नहीं उठा पातीं। उदाहरण के लिए भोपाल में मुख्य सचिव से बात करने पर पता चला। 38 प्रभावित घरों में से केवल 21 सदस्य तथाकथित नियोज्य श्रेणी के अन्तर्गत पाए गए और केवल 8 सदस्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं को पूरा कर पाए। सरकारी 'वान्ड्स' के मामलों में भी बड़ी असमंजसता है जो राहत किए जाने का एक तरीका है। महोदय, मैं तो यह कहूंगी कि सरकार यह न सोचे कि अब दंगे समाप्त हो गए हैं और सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है। आतंक और दुखदर्द वहां अभी भी व्याप्त है।

आज पूरी जनता का साम्प्रदायिक रूप से विभाजन हो गया है और इसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि साम्प्रदायिक दंगे भड़कने का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बात का राष्ट्रपति के अभिभाषण या प्रधानमंत्री के जवाब में कहीं उल्लेख नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि महिला संगठनों से मिलकर एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस आतंक को बिना किसी विलम्ब के समाप्त किया जाय तथा जनता के भय को दूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : 1 बजे तक सदस्यों के अनुरोध, सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र आदि का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 12 बजे प्रश्न-काल समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शून्य-काल भी 1 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल 1.40 बजे तक शून्य-काल चलता रहा। अधिकांश वरिष्ठ सदस्य अपने मुद्दे उठाए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ सदस्यों को शून्य-काल के दौरान अपनी बात कहने के अवसर से वंचित रहना पड़ा। यह प्रथा ठीक नहीं है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश राज्य मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। कालीकट का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जिसके अन्तर्गत·····

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय·····

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : महोदय, कालीकट का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जिसके अन्तर्गत केरल के 6 जिले आते हैं—एक पासपोर्ट जारी करने में डेढ़ वर्ष का समय लगाता है। महोदय, इस समय वहां 50,000 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। यदि वर्तमान कार्य पद्धति चलती रही तो एक व्यक्ति को उसके आवेदन करने के 5 वर्ष पश्चात् पासपोर्ट मिल जाएगा।

महोदय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट का मुद्दा सभा में कई बार उठाया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरी बात सुनी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर दिया जा रहा है। आप से कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए आप चिन्ता क्यों करते हैं ?

श्री ई० अहमद : मंत्रीगण यहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण भी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।

श्री ई० अहमद : विदेश मंत्री भी यहीं हैं इसीलिए मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं (व्यवधान)

विदेश जाने वाले विशेषकर खाड़ी के देशों को जाने वाले लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह इसलिए है कि उन्हें रोजगार के लिए खाड़ी के देशों को जाना पड़ता है। इस देश में रोजगार न मिलने के कारण वे खाड़ी के देशों को जाना चाहते हैं। वे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कालीकट से पासपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

कालीकट में चार लेमिनेटिंग मशीनें हैं जिनमें से केवल एक ही चालू रहती है। जब ये मशीनें ही चालू हालत में नहीं हैं तो एक साधारण व्यक्ति को पासपोर्ट कैसे मिल सकता है ? (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब शून्य-काल समाप्त हो गया है। मैं अन्य विषयों को ले रहा हूं। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

12.53 म०पा०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

काफी बोर्ड का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए : देखिए संख्या एल०टी० 3546/93]

प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचना और मारमुगांव पत्तन न्यास का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र पभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 10 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 34(आ), जो 7 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि 7 जनवरी, 1993 से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से अधिसूचना में वर्णित विदेशों को जाने वाले सभी जलयानों, गृह-व्यापार जलयानों तथा चलत जलयानों के सम्बन्ध में भारत में स्थित सभी बन्दरगाहों पर प्रकाश की देय राशि का भुगतान किया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3547/93]

(2) (एक) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3548/93]

निर्यात (गुणवत्ता नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निर्यात (गुणवत्ता और निरीक्षण) अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रशीतित मत्स्य और मत्स्य उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1992, जो 31 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2760 में प्रकाशित हुए थे।

(2) डिब्बा बन्द मत्स्य और मत्स्य उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1992, जो 31 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2761 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3549/93]

(3) शुष्क मत्स्य निर्यात निरीक्षण (संशोधन) नियम, 1992, जो 5 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2989 में प्रकाशित हुए थे।

(4) का०आ० 2990, जो 5 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मत्स्य भोजन निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1990 का निरसन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3550/93]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अनेक सूचनाएं तथा निक्षेप बीमा और ऋण गारन्टी निगम, मुम्बई का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 19(अ), जो 15 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यात्री सामान (छूट की शर्तें) नियम, 1975 को विखंडित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 20(अ), जो 15 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या

137/90-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 21(अ), जो 15 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 204/84-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 22(अ), जो 15 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 205/84-सी०शु० को विखंडित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 57(अ), जो 9 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में संलग्न सारिणी में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा०का०नि० 78(अ), जो 18 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 203/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 88(अ), से सा०का०नि० 172(अ), जो 28 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 27 फरवरी, 1993 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3551/93**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 248(अ), जो 28 फरवरी, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 27 फरवरी, 1993 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन तथा छूट के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3552/93**]

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के 1 जुलाई, 1991 से 30 जून, 1992 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3553/93**]

(4) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम, मुम्बई के वर्ष 1991-92 कार्यकरण की सरकार द्वारा सतीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3554/93**]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 229, जो 24 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सेवा को 6 जनवरी, 1993 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये सक्रिय सेवा के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3555/93]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही, जब आपका नाम पुकारा गया था, तो आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। अब हम अगले विषय पर आ चुके हैं। शून्य-काल का समय इस प्रकार बढ़ाना सदस्यों के लिये उचित नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : जब सभा में व्यवस्था ही नहीं थी तो क्या यह मेरा दोष था? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था थी। आप मंत्री महोदय को कृपया वक्तव्य देने दीजिये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

12.55 म०प०

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 15 मार्च, 1993 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :—
   (क) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1993
   (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993
   (ग) अयोध्या में कतिपय भूमि क्षेत्रों का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

3. वर्ष 1993-94 के लिये रेल बजट पर सामान्य चर्चा ।

4. रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा ।

5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) वर्ष 1993-94 के लिए अनुदान मांगे (रेल)

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे (रेल)

6. सामान्य बजट 1993-94 पर सामान्य चर्चा ।

7. वर्ष 1993-94 के लिये लेखानुदान मांगों (सामान्य) को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना ।

8. वर्ष 1992-93 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये :-

(1) ऐतिहासिक एवं धार्मिक सौहार्द्र के लिए प्रख्यात अजमेर शहर में टेलीफोन के क्रासबार सिस्टम को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज से बदले जाने की आवश्यकता ।

(2) पर्यटन की दृष्टि से अजमेर एवं पुष्कर को विकसित करने हेतु अधिक संसाधन की आवश्यकता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न-लिखित प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाये :-

(1) उ०प्र० तथा मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 21 जनपदों के पिछड़ेपन को समाप्त करने हेतु विकास तथा प्रशासनिक सुविधा देने हेतु तुरन्त बुन्देलखण्ड विकास परिषद का गठन किया जाये ।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार झांसी जनपद में टैहरोली तथा जालौन जनपद में माधवगढ़ में तहसील का निर्माण तुरन्त किया जाये ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जायें :—

(1) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय संबंधों का विशेष हवाला देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा ।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की चर्चा ।

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :—

(1) सूचना और प्रसारण निदेशालय में सरकारी विज्ञापनों हेतु बजट-अनुमान तैयार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अपनी अलग-अलग संचार योजनायें बनाने की आवश्यकता ।

(2) सरकारी विज्ञापनों पर एक स्पष्ट और संयुक्त नीति दस्तावेज अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा।

श्री के० वी० थामस (एर्नाकुलम) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाये परेशान यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिये एयर इण्डिया के फ्लाइट इंजीनियरों की हड़ताल पर शीघ्र समझौता करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अलले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें :—

(1) भुर्जी (भड़भूजा) जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव लाया जाये।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 महानगर बरेली में बाई-पास निर्माण की स्वीकृति दी जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये :—

1. जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन और इसके साथ संसद सदस्यों को सम्बद्ध करना।
2. पश्चिमी उड़ीसा के एक क्षेत्र सहित विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रीय विकास बोर्डों अथवा परिषदों का गठन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जाये।

श्री० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये :—

1. सुपर थर्नल पावर प्रोजेक्ट पर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने तथा बंगलौर-मैसूर-मेरकारा—मंगलौर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की आवश्यकता।
2. काफी अधिनियम में संशोधन करके काफी के अमरणीकरण के सम्बन्ध में चर्चा।

1.00 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1992-93

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3556/93]

11½. म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1992-93

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, वर्ष 1992-93 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3557/93]

10.01 म० प०

जम्मू-कश्मीर बजट, 1993-94

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन दिनांक 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों आर व्यय का विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान, 1992-93

राजस्व लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियों में 1676.19 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 372.75 करोड़ रुपए की निबल वृद्धि का पता चलता है। केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदानों राज्य का हिस्सा संशोधित अनुमानों में 947.05 करोड़ रुपए है जबकि इसकी तुलना में बजट में इसकी राशि 679.61 करोड़ रुपए है। विशेष श्रेणी राज्यों की वित्तीय समस्याओं के स्थायी हल का पता लगाने के लिए गठित डॉ० रंगाराजन समिति की सिफारिशों पर नवीनतम निर्णय के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य, असम और पंजाब के वित्तीय असंतुलन की जांच करने के लिए स्थापित अन्तर-मंत्रालयीय दल के साथ-साथ मंत्रिमंडल सचिव के स्तर पर हुई चर्चा से जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित राहत पैकेज से राज्य सरकार को चालू वर्ष के अनुमानित घाटे के स्तर को कम करने में काफी मदद मिली है। इस पैकेज के फलस्वरूप, राज्य को 222.53 करोड़ रुपए के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है, जिसमें सुरक्षा के संबंधित व्यय के लिए सहायता के रूप में 150.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। राजस्व व्यय में 92.62 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अतिरिक्त व्यय के निवल प्रभाव से प्रदर्शित होती है जोकि राज्य सरकार द्वारा ब्याज संबंधी अदायगियों के कारण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर व्यय विभिन्न सेवाओं से संबंधित तदनुरूप प्राप्तियों और व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया है।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां 258.37 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान में 235.19 करोड़ रुपए की है। पूंजीगत व्यय में 841.61 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना

में 302.99 करोड़ रुपए की कमी हुई है। व्यय में कमी मुख्यत: केन्द्रीय ऋणों की वसूली आस्थगित करने के कारण हुई।

लोक लेखे और वास्तविक अथ घाटे में लेन-देनों को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के 531.60 करोड़ रुपए के समग्र घाटे परं बन्द होने का अनुमान था जबकि इसकी तुलना में बजट अनुमान 1992-93 में 1265.48 करोड़ रुपए होने की परिकल्पना की गई।

बजट अनुमान, 1993-94

बजट अनुमान 1993-94 में राजस्व प्राप्तियों की राशि 1846.31 करोड़ रुपए रखी गई है। केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा 759.06 करोड़ रुपए है। राजस्व व्यय की राशि 168.80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पूंजी लेखे के मामले में प्राप्तियां 238.04 करोड़ रुपए की होने का अनुमान है, जबकि व्यय में 1119.88 करोड़ रुपए के अनुमान रखे गए हैं। लोक लेखे से संबंधित लेन-देनों का हिसाब रखने के बाद वर्ष 1993-94 के लिए घाटा 1246.40 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

आयोजना परिव्यय

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य का आयोजना परिव्यय 880 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय आयोजना सहायता की राशि 795.05 करोड़ रुपए तथा आयोजना राजस्व अन्तर अनुदान की राशि 2.32 करोड़ रुपए होगी।

लेखानुदान

जैसा अपेक्षित है, वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और संबंधित अनुदान की मांगें भी अन्य बजट दस्तावेजों सहित माननीय सदस्यों को परिचालित की जा रही हैं, मैं इस समय, लद्दाख को छोड़कर, जिसके मामले में पूरे वर्ष की पूर्ति मांगी गई है, वित्तीय वर्ष 1993-94 के पहले छ: महीनों के लिए लेखानुदान मांग रहा हूं।

13.01½ म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश, 1992-93)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3559/93]

1.02 म० प०

उत्तर प्रदेश बजट, 1993-94

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 6 दिसम्बर, 1992 को जारी की गयी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन व्यवहार्य होती हैं। अत: उत्तर प्रदेश राज्य का वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिये अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान, 1992-93

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर और करेतर राजस्व 5111.41 करोड़ रुपये आंकलित किया गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 170.81 करोड़ रुपये अधिक है। संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों, शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायता अनुदान 5729.13 करोड़ रुपये है जबकि बजट अनुमानों में यह धनराशि 5105.37 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमानों में राजस्व लेखे का व्यय 11,63.76 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमानों में यह 1142.68 करोड़ रुपये था। 361.08 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सहकारिता पर व्यय के बढ़ने के कारण हुई है। व्यय की तुलना में प्राप्तियों में अधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बजट के राजस्व लेखे में 1356.71 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा कम होकर 923.22 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है।

मूल बजट में अनुमानित 594.82 करोड़ रुपये की शुद्ध पूंजी प्राप्तियों की तुलना में संशोधित अनुमान (—) 350.22 करोड़ रुपये है। आकस्मिकता निधि में शुद्ध प्राप्तियां तथा लोक लेखा के अन्तर्गत लेन-देनों और वास्तविक प्रारम्भिक घाटे को हिसाब में लेकर चालू वर्ष की समाप्ति 261.30 करोड़ रुपये के घाटे के साथ होने की सम्भावना है।

बजट अनुमान, 1993-94

राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 11937.19 करोड़ रुपए लगाया हैं जो वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1096 65 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य की कर और करेतर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 5789.49 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों से 678.08 करोड़ रुपये अधिक है। केन्द्रीय करों में राज्य का अंश तथा अनुदान 6147.70 करोड़ रुपये हैं जो कि वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों से 418.57 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व लेखे में व्यय का अनुमान 13172.80 करोड़ रुपये किया गया है।

पूंजी लेखे के अन्तर्गत प्राप्तियों का अनुमान 4546.04 करोड़ रुपये तथा ऋणों और अग्रिमों सहित व्यय का अनुमान 4408.60 करोड़ रुपये है। राजस्व लेखे, पूंजी लेखे, लोक लेखे और प्रारम्भिक घाटे का हिसाब में लेकर वर्ष 1993-94 का बजट 255.59 करोड़ रुपये के घाटे से समाप्त होने की सम्भावना है।

वार्षिक आयोजना, 1993-94

राज्य की वार्षिक आयोजना वर्ष 1993-94 के लिये 4050 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिये 200 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार राज्य आयोजना के लिये कुल परिव्यय 4250 करोड़ रुपये होता है जिसके समक्ष 1165.49 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा 1083.56 करोड़

रुपये की सहायता बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये अनुमानित है। इस परिव्यय में से राज्य के उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिये कुल परिव्यय 408 करोड़ रुपये है।

लेखानुदान

अपेक्षानुसार वर्ष 1993-94 के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें भी बजट के अन्य साहित्य के साथ माननीय सदस्यों के मध्य परिचालित की जा रही हैं। मैं, इस समय वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम छः महीनों के लिये लेखानुदान की मांग कर रहा हूं।

1.02½ म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मध्यप्रदेश), 1992-93

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में कनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3561/93]

1.03 म० प०

मध्यप्रदेश बजट, 1993-94

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए मध्यप्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

मध्यप्रदेश सरकार का बजट, 1993-94

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश राज्य के विधान मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना हैं। इसलिये 1993-94 के वित्तीय वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान, 1992-93

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर-भिन्न राजस्व 3688.43 करोड़ रुपये का आंका गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 112.08 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से सहायता-अनुदान में राज्य का हिस्सा 2773.96 करोड़ रुपये होगा, जबकि बजट में यह राशि 2584.41 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमानों में राजस्व खाते का खर्च 6157.88 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि बजट अनुमानों में 6144.55 करोड़ रुपये

था। 13.33 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि एवं साम्प्रदायिक दंगों के मारे गये व्यक्तियों की विधवाओं को स्वीकृत पेंशन के कारण है। इसके फलस्वरूप बजट में राजस्व खाते से 240.37 करोड़ की अनुमानित बचत 304.51 करोड़ रुपये की बचत में बदल जायेगी।

पूंजी खाते के अंतर्गत, बजट अनुमानों में 1921.26 करोड़ रुपये की प्राप्तियों की तुलना में 2703.92 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। बजट अनुमान रुपए 480.29 करोड़ के घाटे की तुलना में लोक खाते के लेन-देनों और प्रारम्भिक घाटे को हिसाब में शामिल करने के बाद चालू वर्ष की समाप्ति 234.24 करोड़ के घाटे से होने की आशा है।

बजट-अनुमान, 1993-94

आगामी वर्ष 7141.62 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है जो 1992-93 के लिये संशोधित अनुमानों की तुलना में 679.23 करोड़ रुपए वृद्धि का द्योतक है। राज्य की कर और कर-भिन्न प्राप्तियां वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 473.34 करोड़ रुपए अधिक अर्थात् 4161.77 करोड़ होने का अनुमान है। केन्द्री करों, शुल्क और अनुदानों में राज्य का हिस्सा 2979.85 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 1992-93 के लिये संशोधित अनुमानों की तुलना में 205.89 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व खाते में 6595.03 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

पूंजी खाते के अंतर्गत 1754.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय 2592.41 करोड़ रुपए का आंका गया है। राजस्व खाते, पूंजीगत खाते और लोक खाते को हिसाब में लेते हुए वर्ष 1993-94 का बजट 231.07 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त होता है।

आयोजना व्यय

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य का आयोजनागत परिव्यय 2400.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 630.08 करोड़ रुपए होगी।

लेखानुदान

अपेक्षानुसार, वर्ष 1993-94 के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें अन्य बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों के बीच परिचालित की जा रही हैं। मैं इस समय केवल आपदा राहत मद को छोड़कर जिसमें आकस्मिक परिस्थितियों के लिए अधिक प्रावधान रखा गया है, वित्तीय वर्ष 1993-94 के पहले छ: महीनों के लिये केवल "लेखानुदान" प्राप्त करने की मांग कर रहा हूं।

1.3½ म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (राजस्थान), 1992-93

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए राजस्थान राज्य के लम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3563/93]

1.04 म० प०

राजस्थान बजट, 1993-94

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए राजस्थान राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

विवरण

राजस्थान सरकार का वर्ष 1993-94 का बजट

संविधान के अनुच्छेद 556 के अन्तर्गत 15 दिसम्बर. 1992 को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, राजस्थान राज्य के विधान-मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना है । इसलिए 1993-94 के वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एवं वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

संशोधित अनुमान, 1992-93

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर एवं कर भिन्न राजस्व 2717.59 करोड़ रुपये आंका गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 131.21 करोड़ रुपये अधिक है । संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार की सहायता-अनुदान में राज्य का हिस्सा 2197.52 करोड़ रुपये होगा जबकि बजट में यह राशि 2058.62 ककोड़ रुपये थी । संशोधित अनुमानों में राजस्व खाते का व्यय 4961.76 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि बजट अनुमानों में यह व्यय 4790.20 करोड़ रुपये का था । 171.56 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः विभिन्न भत्तों एवं सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप है । बजट अनुमानों में राजस्व मद में 145.19 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था किन्तु संशोधित अनुमानों में यह घाटा कम होकर 46.65 करोड़ रुपये रह गया है जोकि मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययिता एवं राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप है ।

पूंजी खाते के अन्तर्गत बजट अनुमानों में 1282.27 करोड़ रुपये की प्राप्तियों की तुलना में 1106.22 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है ।

लोक खाते लेनदेनों और प्रारम्भिक अधिशेष को हिसाब में शामिल करने के बाद, चालू वर्ष के 186.13 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ समाप्त होने की सम्भावना है ।

बजट अनुमान, 1993-94

5204.20 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है जो 1992-93 के लिये संशोधित अनुमानों की तुलना में 289.09 करोड़ रुपये की वृद्धि का द्योतक है । राज्य की कर और कर भिन्न प्राप्तियां 2844.91 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है, जोकि संशोधित अनुमान 1992-93 से 127.32 करोड़ रुपये अधिक है । केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्य का हिस्सा 2359.29 करोड़

रुपये है जो वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 161.77 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व खाते में 5404.70 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है जोकि वर्ष 1992-93 के संशोधित अनुमानों से 442.94 करोड़ रुपये अधिक है।

पूंजी खाते के अन्तर्गत 1360.70 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय 1799.68 करोड़ रुपये का आंका गया है।

राजस्व खाते, पूंजीगत खाते और लोक खाते एवं प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेते हुए वर्ष 1993-94 का बजट 23.74 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ समाप्त होने की सम्भावना है।

आयोजना परिव्यय

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य का आयोजनागत परिव्यय 1700 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जोकि वर्ष 1992-93 की तुलना में 290 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 1993-94 के लिये आयोजना राजस्व अनुदान को शामिल करते हुए केन्द्रीय सहायता 783.18 करोड़ रुपये होगी, जोकि वर्ष 1992-93 की तुलना में 101.43 करोड़ रुपये अधिक है।

लेखानुदान

अपेक्षानुसार वर्ष 1993-94 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें अन्य बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों के बीच परिचालित की जा रही है। मैं इस समय चुनाव एवं राज्य कर्मचारियों को ऋण की आवश्यकताओं को छोड़कर जिसके मामले में वार्षिक आवश्यकता स्वीकृत की जाने की जरूरत है, वित्तीय वर्ष 1993-94 के पहले छः महीनों के लिए केवल "लेखानुदान' प्राप्त करने की मांग कर रहा हूं। लेखानुदान की कुल राशि 3898.41 करोड़ रुपये है।

———

1.04/15 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (हिमाचल प्रदेश), 1992-93

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"वर्ष 1992-93 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।"

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3564/93]

1.04½ म० प०

हिमाचल प्रदेश बजट, 1993-94

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं "वर्ष 1993-94 के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण" प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा के

परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विधान मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना है। इसलिये 1993-94 के वित्तीय वर्ष के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान, 1993-94

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर और कर-भिन्न राजस्व 275.11 करोड़ रुपये आंका गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 12.39 करोड़ रुपये अधिक है। संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से सहायता-अनुदान में राज्य का हिस्सा 799.96 करोड़ रुपये होगा, जबकि बजट में यह राशि 747.26 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमानों में राजस्व खाते का खर्च 1153.01 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि बजट अनुमानों में यह 1125.75 करोड़ रुपये था। 27.26 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: ब्याज अदायगियों, सड़कों तथा जल आपूर्ति एवं सिंचाई स्कीमों के रख-रखाव तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण है। राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप बजट के राजस्व खाते में 115.76 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा 77.94 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जायेगा।

पूंजी खाते के अन्तर्गत, बजट अनुमानों में 249.74 करोड़ रुपये की प्राप्तियों की तुलना में 250.35 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। लोक खाते के लेन-देनों और प्रारम्भिक घाटे को हिसाब में शामिल करने के बाद, चालू वर्ष 332.20 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की आशा है।

बजट अनुमान, 1993-94

1151.07 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है जो 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 76.00 करोड़ रुपये की वृद्धि का द्योतक है। राज्य की कर और कर भिन्न प्राप्तियां 1992-93 के संशोधित अनुमानों की तुलना मे 24.77 करोड़ रुपये अधिक, अर्थात् 299.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्य का हिस्सा 851.19 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 51.23 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व खाते में 1327.11 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

पूंजी खाते के अन्तर्गत 513.84 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय 395.12 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व खाते, पूंजी खाते और लोक खाते तथा आरम्भिक घाटे को हिसाब में लेते हुए वर्ष 1993-94 भी 332.20 करोड़ रुपये के ही घाटे के साथ समाप्त होना सम्भावित है।

आयोजना परिव्यय

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य का आयोजनागत परिव्यय 550.73 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 396.56 करोड़ रुपये होगी। केन्द्र 6.94 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की भी व्यवस्था करेगा।

लेखानुदान

अपेक्षानुसार वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें अन्य बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों के बीच परिचालित की

जा रही हैं। मैं इस समय वित्तीय वर्ष 1993-94 के पहले छः महीनों के लिये केवल "लेखानुदान" प्राप्त करने की मांग कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2.05 तक के लिए स्थगित होती है।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.05 म० म० के लिए स्थगित हुई

2.09 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—(जारी)

और

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न इस कानून को सदन में लेने के बारे में है। मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज आये जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जो विधेयक यहां आया है, यह भारत सरकार के अपने फैसले की तरफ से नहीं आया, बल्कि विश्व बैंक के आदेश से ही यह विधेयक आया है और इसमें सीधे भारत की जो सार्वभौमिकता है.....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं ? अगले वक्ता आप ही हैं। उस समय आप अपनी बात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मुझे इसमें व्यवस्था चाहिये। इस मायने में चाहिये कि यह सदन ऐसे कानून को स्वीकार कर सकता है।

क्या यह सदन ऐसे कानून को स्वीकार कर सकता है कि जो हमारी सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहा हो। क्योंकि जब लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस का सवाल आता है तो

[अनुवाद]

संसद राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है।

[हिन्दी]

और मैं सबूत इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जो इस बात का गवाह है कि यह कानून मंत्री जी ने तहां नहीं लाया है, कैबिनेट ने नहीं लाया है, इस कानून को लाने की प्रक्रिया वर्ल्ड बैंक में शुरू हुई है और उसके दस्तावेज हमारे पास हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप इस कानून के पूरे इतिहास को देख लीजिए। इस कानून को इन लोगों ने पहले सर्कुलेट किया पिछले सैशन में, मगर सर्कुलेट इसलिए किया क्योंकि विश्व बैंक को इन्होंने वायदा किया था कि हम दिसम्बर, 1992 के पहले, इसे पास करके आपको दे देंगे। यह लिखित आपका उनके सामने कमिटमैंट था कि हम दिसम्बर, 1992 तक इसे पास कराकर आपको दे देंगे। मगर आप उसे पास नहीं करा पाये क्योंकि सदन में कुछ दूसरी चीजें आ गयीं।.....(व्यवधान).....जी हां, लिखित है, उसका सबूत है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : संसद की कोई परवाह नहीं की जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देश की कोई परवाह नहीं है, उसकी संप्रभुता को महत्व नहीं दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस कानून को आपने इस सदन में आने के लिए दे दिया।

मैंने प्रधानमंत्री जी का कल भाषण सुना है। वित्त मंत्री जी सदन के भीतर और सदन के बाहर, सरकार की नई नीति को लेकर, जो भी बातें कहते हैं, हम उनको सुनते हैं और टीका-टिप्पणी भी करते हैं। उनकी और हमारी लड़ाई भी होती है और मैं उन सारी चीजों को समझ सकता हूं कि जहां पर किसी सिद्धांत को लेकर, सरकार की किसी नीति को लेकर, वाद-विवाद हो, मतभेद हो, लेकिन यहां कोई नीति का सवाल नहीं बचा, यहां देश की सार्वभौमिकता का प्रश्न खड़ा हुआ है। चूंकि विश्व बैंक ने इन्हें कहा कि आपको यह कानून पास करके हमें देना चाहिए, जिसके जवाब में इस सरकार ने लिखित रूप में उनको कहा कि इस कानून को हम पास कर देंगे, लेकिन इस अधिकार एक्जीक्यूटिव को नहीं है और इस मामले को सदन के भीतर से जाकर चर्चा करानी होगी।

क्या विश्व के किसी भी मुल्क को आप कहोगे कि हम अपने देश की पार्लियामैंट में कानून बनाकर, आपके पास आ जायेंगे। कल ब्रतानिया आपको कहेगा, या रूस कहेगा, या जापान कहेगा या अमेरिका कहेगा कि अमुक-अमुक चीजों का कानून बनाकर हमारे पास आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे,

क्या इस देश की इतनी आबरू अभी नहीं बची है कि विश्व का कोई भी मुल्क हमसे कहेगा, और यहां तो किसी विश्व के मुल्क ने हमसे नहीं कहा, यहां तो विश्व बैंक हमें कह रहा है।

विद्युत मंत्री जी, इस सदन का आत्म-सम्मान क्या चीज है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। सरकार की जो मर्यादाएं हैं और सरकार का अपना जो मान और सम्मान है, उसके बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आपके पावर सैक्रेटरी आजकल कौन हैं, लेकिन मेरे पास यह एक पत्र है जो मि० वासुदेवन, पावर सैक्रेटरी ने वर्ल्ड बैंक को 8 दिसम्बर, 1992 को लिखा है, वर्ल्ड बैंक के मि० वर्किन हैं, मुझे उनके नाम की स्पेलिंग मालूम है, वी ई आर जी आई एन—लेकिन प्रोनन्शियेशन कैसे होगा, वह मैं नहीं जानता। मि० वर्किन डायरेक्टर आफ इण्डिया डिपार्टमैंट हैं और हो सकता है कि यहां दिल्ली में ही कहीं बैठते हों, मुझे नहीं मालूम, मगर यह चिट्ठी अमेरिका से आयी है, वाशिंगटन से आयी है। इस चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ उपाध्यक्ष जी, यह लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

"हमने श्री एन०के० सिंह, संयुक्त सचिव (एफ० बी०) वित्तीय कार्य विभाग, श्री राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और श्री आर० के० नारायणन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ग्रिड निगम को इस पत्र की एक प्रति भेजने की स्वतन्त्रता ली।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहूंगा कि जब भारत सरकार का सेक्रेटरी, किसी भी बात को लिखता है, बोलता है, वह सरकार की तरफ से बोलता है और सरकार को भेजी हुई चिट्ठी—

[अनुवाद]

भारत सरकार के सचिव, जो प्राधिकृत हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं··· (व्यवधान)···

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि किस कागजात से यह उद्धृत कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विश्व बैंक के एक पत्र से उद्धृत कर रहा हूं।

श्री ए० चार्ल्स : क्या इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, यह प्रमाणित है और सभा पटल पर रखा जायेगा।

[हिन्दी]

अब उपाध्यक्ष जी, हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत सरकार का सैक्रेट्री, यानी भारत सरकार, भारत सरकार के सैक्रेट्री को भेजी हुई चिट्ठी को, उसका एक जाइंट सैक्रेट्री की उस पत्र के ऊपर एंडोर्स करके भेजेगा और केवल जाइंट सैक्रेट्री को नहीं भेजेगा, आपने जो यह ग्रिड कारपोरेशन बनाया है, इस पर मैं बाद में बोलूंगा, मैं कानून का विरोध कर रहा हूं, इस पर यहां बहस

नहीं हो सकतीं हैं, जब तक कानून मंत्री यहां आकर वाद-विवाद न करें, जब तक एटॉर्नी जनरल यहां आकर पर वाद-विवाद न करें, बहस नहीं हो सकती है। यह सदन की सार्वभौमिकता का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष जी, एन०के० सिंह, राजेन्द्र सिंह और आर०के० नारायण, विश्व बैंक का छोटा अधिकारी, इंडिया डिपार्टमेंट का मुखिया, हम जानते हैं कि विश्व बैंक कितनी बड़ी चीज है, हमारे देश का भी विश्व बैंक में एक मालिक है, हम लोगों की भी इक्विटी है, अब यह डेढ़ परसेंट है या दो परसेंट है, या कम, ज्यादा है, उसके मालिक हैं, लेकिन जिसका निर्माण करने में भारत का भी एक योगदान रहा है, उसके इंडिया डिपार्टमेंट के मुखिया, डायरेक्टर ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, उसका एक छोटा अधिकारी, भारत सरकार के सैक्रेट्री को चिट्ठी लिखे, शर्तें लगाकर लिखें और उसके बाद उसकी एक कॉपी एन०के० सिंह को भेजी—

[अनुवाद]

"मैं यह श्री एन०के० सिंह—इन व्यक्तियों, जो इस निगम के अध्यक्ष हैं, को यह भेज रहा हूं।"

[हिन्दी]

कौन इस देश का मालिक है उपाध्यक्ष जी, कौन है इस देश का मालिक ? किस स्तर पर विश्व बैंक के अधिकारी हमारे सरकार के अधिकारियों के साथ रिश्ता जोड़ेंगे और यह प्रश्न केवल एक पैराग्राफ का नहीं है, मैं केवल एक पैराग्राफ नहीं जोड़ रहा हूं, आगे देखिए, मंत्री जी आपका विभाग है, मैं जानता हूं कि आप इस राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने ढंग से कितने परेशान हैं। मैं आपको जनवरी 14, 1993 का एक और पत्र पेश कर रहा हूं, जिसे भी औथेंटिकेट करके सभा-पटल पर रख रहा हूं, यह बात मैं अपने मित्र चार्ल्स साहब को बता रहा हूं। यह है—वर्ल्ड बैंक इंडिया इनर्जी ऑपरेशंस डिवीजन, यह फैक्स है, यह आता है,

[अनुवाद]

लेकिन वह उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने यह संदेश भेजने के लिए कहा।

[हिन्दी]

अब यह कौन है—सान फ्रासुआ ब्रोआ, पद नहीं दिया है कि क्या पद है, किसको आता है मैसेज, एन०के० सिंह को आता है और यह मैसेज पढ़िए उपाध्यक्ष जी, आपकी सार्वभौमिकता है, जब गिरावट आने लग जाती है, जब सरकार इस देश की सार्वभौमिकता की चिन्ता नहीं करती है, तो छोटे-छोटे अधिकारी, विश्व बैंक और अन्य जगहों पर बैठे हुए अधिकारी, हम लोगों के प्रति किस प्रकार का रुख अपनाते हैं, हमें किस प्रकार की नजरों से देखते हैं यह पत्र इसका सुबूत है। क्या बोलता है वह—

[अनुवाद]

"विषय : प्रस्तावित पावर ग्रिड प्रणाली विकास परियोजना

संदर्भ : बुधवार को आपकी श्री वर्जिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत।"

[हिन्दी]

तो एन०के० सिंह का मामला है, यह मामला बड़ा गंभीर लग रहा है। इस पत्र को देखते हुए।

पहले सैक्रेट्री को भेजा जाता है, उसकी एक कॉपी जूनियर अधिकारी को एंडोर्स की जाती है और यह कह कर कि आई एम टेकिंग दि लिबर्टी, और बाद में जूनियर अधिकारी के साथ रिश्ते बन गए हैं और ये रिश्ते कैसे हैं, घोटाले में हमने खूब अधिकारियों के रिश्ते देखे हैं, कहां-कहां किस प्रकार के रिश्ते बांधे जाते हैं, हमने खूब देखा है। बड़े अफसोस की बात है उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में जो चाहे जिस प्रकार का दंगा कर सकता है और सब कुछ माफ हो जाता है। अभी मैं उसके ऊपर विषयान्तर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मन में गुस्सा है, इसलिए मेरे मुंह से यह बात निकल गई।

उपाध्यक्ष जी वे कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"अब एक सप्ताह के भीतर 'येलो कवर स्टाफ एप्रेजल रिपोर्ट' पूरी करने के लिए जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। ऋण सम्बन्धी वार्त्ताओं के लिए पूरी की जाने वाली शेष शर्तें संलग्न हैं। सामान्य तौर पर पावर ग्रिड और विशेषरूप से नार्दन रीजन ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट को जी०ओ०आई० वित्तीय इक्विटी सहायता देना एक गंभीर मुद्दा है। जबकि नयी परियोजना के लिए योजना आबंटन पर्याप्त प्रतीत होता है, नार्दन रीजन ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट के लिए आबंटन, जो नेथफा झाखरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमीशन प्रदान करेगा, परियोजना की आवश्यकता का लगभग एक करोड़ रुपया है।"

मैं उद्धृत करता हूं :

"हम पावर ग्रिड वाणिज्यिक प्रबन्ध के विकास तथा सी०ई०ए० से आरसन डी०सी० के पावर ग्रिड को अंतरण के बारे में चिंतित हैं। मुझे विश्वास है कि इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"

और अब—

"मैं इस फेक्स की एक प्रति विद्युत मंत्रालय के सचिव, श्री आर० वासुदेवन को भेज रहा हूं।"

[हिन्दी]

ज्वायंट सैक्रेट्री को मैसेज जाता है और एक अधिकारी वर्ल्ड बैंक में बैठकर लिखता है कि मैं इसकी कॉपी सैक्रेट्री को भेज रहा हूं। क्या गरिमा रह गई है भारत सरकार की ? कौन भारत सरकार को इस समय चला रहा है ? हम जब इस सदन में और सदन के बाहर चिल्लाते रहे कि देश की आजादी जा चुकी है, गिरवी नहीं गिरवी के आगे जा चुकी है तो हम जैसे लोगों का मुंह यह कहकर बन्द करने का प्रयास होता है कि हम गैर-जिम्मेदार लोग हैं। कौन-आजादी बची है ?

अब यह जो कानून है आप इसको देखिए :

[अनुवाद]

"इस अभिनियम के उपबंध धारा अमुक-अमुक के सिवाय 1 अप्रैल, 1992 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।"

'समझे जायेंगे', कैसे ? विश्व बैंक ने कहा और उन्होंने मान लिया (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब यह कैसे कानून में आ गया, यहां मेरी सार्वभौमिकता का मूल प्रश्न है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : श्री फर्नान्डीज, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूं कि अन्य अनेक बातें भी सामने आई हैं। यह 7 अक्तूबर, 1992 के पत्र से सामने आई हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह मेरे पास है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : ठीक है (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, आपने इस विधेयक के पारित होने और देश की सम्प्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किये हैं। क्या मैं उन पर अपना विनिर्णय दूं ?

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पर नहीं बोल रहा हूं। मैं इस पर विधान बनाने की सभा की सक्षमता के बारे में बोल रहा हूं।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, आप एक विधेयक पारित करने की इस सभा की सक्षमता पर प्रश्न लगा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है ? आपका कहना है कि यह स्वतः पूर्ण विधेयक सभा के समक्ष सरकार द्वारा नहीं लाया गया और इसको किसी और ने प्रस्तुत किया और इससे देश की सम्प्रभुता को खतरा पैदा हुआ है। आपका यही कहना है। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह बात नहीं है। वह प्रस्तावना है। बात यह है कि जब यह विधेयक इस रूप में सभा के समक्ष आया तो वास्तव में इसने अपनी सम्प्रभुता सौंप दी। यह सभा या देश की सम्प्रभुता पर प्रश्न लगाने की बात नहीं है (**व्यवधान**) पर विधान बनाकर हम अपनी संप्रभुता समाप्त कर रहे हैं। मेरा यही कहना है।

श्री ए० चार्ल्स : यह व्याख्या क्या है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं विनिर्णय दूं ?

(**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : यह सरकार के साथ आम पत्राचार है। यह गलत अभ्यावेदन है। यदि प्रत्येक पत्राचार पर ऐसे ही प्रश्न उठाए जायेंगे तो सरकार कार्य कैसे कर सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, क्या आप इस पर विनिर्णय चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये क्योंकि मैं इसका जो क्लिंचिंग एवीडेंस है वह आपके सातने अभी रख रहा हूं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न है कि क्या सभा में जो विधेयक चर्चा के लिये आया है यह सभा उस पर चर्चा करने के लिए सक्षम है या नहीं? क्या यही बात है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय। बात यह नहीं है। जहां तक इस सभा की सक्षमता का सम्बन्ध है यह एक अलग मुद्दा है। सभा यह विधान बनाने के लिए सक्षम नहीं है जिससे संघ की सम्प्रभुता समाप्त होती हो। मुद्दा यह है (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : इसे इस समय नहीं उठाया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्यों नहीं? मुझे आज दस्तावेज मिले हैं। मुझे अभी दस्तावेज मिले हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह सभी तर्क पुरःस्थापना के समय दिये जाने चाहिये थे। अब यह मुद्दे उठाने का क्या लाभ है? (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, सभा सर्वोच्च है। यह प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता है। इस सभा ने विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, क्या आप विनिर्णय चाहते हैं?

(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्री फर्नान्डीज गाड़ी निकल जाने के बाद ही प्लेटफार्म पर पहुंचे हैं। अब स्थिति बदल चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस बात पर मैं एक विनिर्णय देना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर ये दस्तावेज मेरे पास पहले आए होते तो इस विधेयक को सदन में पेश करते समय मैंने इसे रोका होता। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इसके डिसएप्रूवल का स्टैटूटरी रेजोल्यूशन मूव कर रहा था, उस समय तक हमें यह डाकुमेंट नहीं मिला था। यह हमें शाम को मिला। अगर वह उस समय मिलता तो जो सवाल जार्ज साहब अभी उठा रहे हैं, वे मैं कल उठाता।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रात्रि में डाकुमेंट्स मिले हैं। इसलिये इस पर महत्वपूर्ण फैसला होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : जी नहीं महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो गया है, जोकि सभा की विधायी क्षमता के बारे में है जिसके तहत ऐसा विधिनिर्माण किये जाने की बात है जहां आप देश की प्रभुसत्ता को अभ्यर्पित नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप पहले मेरी बात समझ लीजिये। 7 अक्टूबर को भारत सरकार के सचिव श्री वासुदेवन ने श्री वर्जिन को जो पत्र लिखा, उसके 2-5 जुमले मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। शुरुआत होती है :—

[अनुवाद]

"प्रिय श्री वर्जिन जी,

हमने बहुत ध्यान से इन शर्तों पर विचार किया है·····**(व्यवधान)**

आप एक महान देशभक्त हैं। आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं ?

श्री ए० चार्ल्स : मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन·····**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके महत्व को आपके मंत्री महोदय भी समझ रहे हैं। आप जैसे महान देशभक्त अब क्यों खड़े हैं।

श्री ए० चार्ल्स : आपने ये आपत्तियां विधेयक पुरःस्थापित करते समय उठानी चाहिये थी। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं इस तरह के व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय को यह बात बताना चाहूंगा कि मुझे यह दस्तावेज आज सुबह ही मिला है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें सुनना चाहिये।

श्री ए० चार्ल्स : उन्होंने आधा घन्टे से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री अनिल बसु : उन्होंने यह बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आध घण्टे से ज्यादा ? हम भारत की प्रभुसत्ता पर चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के लिये समय सीमा नहीं है। यह तो उन पर निर्भर है कि वह व्यवस्था के प्रश्न को उचित ठहरायें चाहे माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : रोजाना ही कुछ नेता सभा का पूरा समय लेते हैं। (व्यवधान) सभा पर उनका एकाधिकार नहीं होना चाहिए या इस सभा में कुछ नेताओं का एकाधिकार नहीं चलना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा भारत के संविधान के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कृपया इस सम्बन्ध में विनिर्णय दें कि क्या इस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री नीतीश कुमार : व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे तो यह दस्तावेज आपको देना है। मुझे यह दस्तावेज सभा में प्रस्तुत करना है। इसलिये सभा को मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं जानता हूं, मुझे आपसे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कभी भी उटाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस समय यह बात व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठायी जा सकती है अर्थात् जब सभा पहले से ही इस पर चर्चा कर रही हो। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : एक संवैधानिक गड़बड़ी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, यह सभा पहले ही इस पर विचार कर रही है। यह बात जिसे वह इस समय उठा रहे हैं को वह पुरःस्थापित करते वक्त भी उठा सकते थे। (व्यवधान) कृपया अपना विनिर्णय दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दे सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेरे हाथ में यह दस्तावेज आज ही आया है इसलिए इसे आज ही बता रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, श्री वासुदेवन ने श्री वर्जिन को इस तरह लिखा है :—

"हमने भारत में बैंक के द्वारा उसके अनुवर्ती मिशन एन० टी० पी० सी० पावर जनेरेशन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में जो आंकलन आईड मेमोयर में दिये गये हैं, को पूर्ण करने से पहले इन शर्तों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। इन शर्तों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति इस प्रकार है :—

"हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाणिज्यिक और निवेश नीतियों सम्बन्धी शर्तों को पूरा..." (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : यही आपत्ति है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको अवसर मिले तो आप इसका खुलासा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह बहुत ही नाजुक मुद्दा है कि भारत सरकार निर्णय ले चुकी

है और विश्व बैंक को लिखा है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो भारत में विद्युत क्षेत्र में भागीदार होंगी अर्थात् अमरीका की मैसर्स स्पैक्ट्रम टेक्नोलोजी एन०टी०पी०सी० के गोदावरी गैस आधारित परियोजना में हिस्सेदार होंगी, मैसर्स ए०बी०बी० जेसू की बवाना परियोजना तथा मैसर्स जी० वी० के० इन्डस्ट्रीज, जामुरूपाडू गैस आधारित परियोजना को प्राप्त करना चाहेंगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, जार्ज जी आपने अपना मुद्दा बहुत स्पष्ट कर दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यहां प्रश्न मेरे मुद्दे को रखने की नहीं है, यहां तो प्रश्न भारत की प्रभुसत्ता का है। यह कैसे हो सकता है कि मैं इस सभा के सदस्य होने के नाते देश के साथ इस तरह का विश्वासघात करूं ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? महोदय, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर एक विनिर्णय दूंगा। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरी आपसे सहृदय प्रार्थना है—मुझे आपसे और अनुरोध करने दीजिए। महोदय, मेरा आपसे और सरकार से अनुरोध है कि आप इस विधेयक को सभा की विधायी क्षमता से परे ही रखें, क्योंकि सभा अपनी प्रभुसत्ता को नहीं गवां सकती है। हम इस विधि निर्माण द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को नहीं खो सकते हैं। अतः महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है तथा सरकार से और विशेष रूप से श्री सल्वे से अनुरोध है कि इस विधेयक को इसमें आ रही अड़चनों को देखते हुए वापस लें तथा इस विधेयक की उलझनों के सम्बन्ध में इस सभा के नेताओं से चर्चा करें और फिर निर्णय लें कि आप इस उदारीकरण से क्या करना चाहते हैं। हो सकता है मैं आपसे सहमत नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से आप उदारीकरण कर रहे हैं मेरी इससे असहमति है, यह अलग मसला है। परन्तु जब सभा की प्रभुसत्ता की बात आती है और सभा की प्रभुसत्ता किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप देने की बात आती है तो हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे और सरकार से मेरी यह विनती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उन्होंने अपने व्यवस्था के प्रश्न को उचित ठहराया है। अतः अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की जरूरत है। इसलिए अब मैं अपना विनिर्णय दूंगा। यह लोक सभा की पहले से चलती आ रही परम्परा है कि अध्यक्ष किसी ऐसे व्यवस्था के प्रश्न पर कि क्या विधेयक सवैधानिक रूप से सभा की विधायी परिधी के अन्दर है या नहीं, विनिर्णय नहीं देते हैं। सभा विधेयक के गुण दोष के इस प्रश्न विशेष पर भी निर्णय नहीं लेती है। इस मसले पर सदस्य अपने विचार रख सकते हैं तथा सभा के विचारार्थ गुण दोषों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। सदस्य इस पहलू पर विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए रखे प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं या विधेयक पर अनुवर्ती प्रस्ताव के लिए कह सकते हैं। अब मैं श्री पाण्डे से अपना भाषण जारी रखने के लिए आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैं कल निवेदन कर रहा था, जब विश्व बैंक के प्रभाव से (व्यवधान) और विश्व बैंक के दबाव से काम कर रहे हैं और यह कहना कि हम हाई तकनीकी लाकर या एफीसिऐंसी के नाम पर ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ाने की दृष्टि से यह कार्य कर रहे हैं, ठीक नहीं है लेकिन जैसाकि मैंने कल भी उद्धृत किया था और आज पुनः उद्धृत

करना चाहता हूं, जिस पत्र का उल्लेख आज किया गया है, मैंने कल ही फाइनेंशियल एक्सप्रैस में और इकोनोमिक टाइम्स से उद्धरण देते हुए यह बात कही थी कि वासुदेवन जी ने जो पत्र लिखा है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जो हमारे देश की अस्मिता के खिलाफ हैं, हमारे देश की स्वायत्तता के खिलाफ हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा था, मैं उसके पैरा 8 को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें लिखा गया है···(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : आपकी इजाजत से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कल नीतीश कुमार जी ने भी प्रश्न उठाया था। उनके पास दस्तावेज नहीं थे, वही प्रश्न जार्ज फर्नान्डीज साहब ने उठाया है, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। जब मैं जवाब दूंगा, जितने प्रश्न उठाये हैं, उनका सबका मैं जवाब दूंगा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं भी उतना ही सैंसिटिव हूं, सोवरेण्टी के बारे में और भारत की इज्जत के बारे में जितने आप सैंसिटिव हैं। मैं जवाब दूंगा तो इतिहास बताऊंगा, तब आप समझ लेंगे कि तथ्य क्या हैं। आप एग्री करें, न करें, और बात है। मगर एक चीज है, इस बिल की जिम्मेदारी मेरी मिनिस्ट्री की है, सरकार की है। किसी आफिसर का नाम लेकर उनको डिमोरलाइज करने का कोई मतलब नहीं होता।

[अनुवाद]

इसके लिए मंत्रालय जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है और कोई भी नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : किसी आफिसर को डिमोरलाइज करने की बात तो नहीं हुई है। सरटेन डाक्यूमैण्ट कोट किया गया है, जो पावर सैक्रेटरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें डिमोरलाइज करने की बात कहां हैं, यह तो डाक्यूमैण्ट है।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसमें आगे चलकर कहा है—

[अनुवाद]

"अत: यह सुझाव दिया गया कि यदि बैंक एन० टी० पी० सी० को इसके स्वामित्व के अन्तरण पर जोर देता है तो इस अन्तरण सम्बन्धी समझौते में ठेके के आधार पर विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों से संबंध संचालन कार्य को बरकरार रखते के लिए उचित उपबन्धों को शामिल किया जाना चाहिए। कतिपय कारणों से यह बात नाभिकीय विद्युत केन्द्रों के मामलों में तथा भूमिगत विद्युत केन्द्रों जैसे उन विशेष मामलों में सम्भव नहीं होगी जहां जी० आई० स्विचगेयर है। इसे देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस शर्त पर विचार करें।"

[हिन्दी]

मैं इसको उद्धृत करते हुए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्र के उत्तर में जो कुछ भी कहा गया है, वह भी मेरे पास है। यह आठ दिसम्बर का पत्र है। सात अक्तूबर का पत्र सचिव की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, लिखा गया था और यह आठ दिसम्बर का पत्र वर्ल्ड बैंक से आया है।

इसके तीसरे पैरे को मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"हम इस अवसर पर यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि एन०टी०पी०सी०विद्युत परियोजना की प्रक्रिया के लिए बहुत सी आपेक्षित कार्रवाईयां पावर ग्रिड प्रणाली विकास परियोजना के लिए बातचीत की शर्तों को पूरा करने के लिए समान रूप से सापेक्ष है।

हम विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहेंगे कि एन०टी०पी०सी० तथा एन०एच०पी०सी० से पारेषण परिसम्पत्तियों के अंतरण की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने, पावर ग्रिड को मौजूदा क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र के अंतरण का दिसम्बर, 1993 से पहले पूरा किया जाये।"

[हिन्दी]

जिसका उल्लेख अभी यहां पर किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इसके आधार पर यह सीधी-सीधी बात है, हमने किसी दबाव में आकर, किसी प्रभाव में आकर, यह काम किया है। अन्यथा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और मेरा स्पष्ट मत है कि इस विधेयक को लाने से पूर्व ऋण की प्राप्ति के बारे में और जो तीनों कम्पनियां हैं, उनके एसैट्स के बारे में जो स्पष्ट होना चाहिए था। वह खुलासा यहां पर नहीं किया गया है। हाई टैक्नीक के नाम पर नोमैन पावर स्टेशन के बारे में जिस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है कि वह टैकनिक कैसी होगी। वह विदेशी टैकनीक होगी और हमारी जो देशी टैक्नीक है, उनके ऊपर इसका जिस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, स्वदेशी उद्योगों और उद्यमों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा सरकार पर स्पष्ट रूप से आरोप है कि सरकार ने सदन को मिसलीड किया है, गुमराह किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने सदन के सम्मुख स्पष्ट नीति नहीं रखी है। क्या कारण था, इन तीनों कम्पनियों को लेने का और बाकी सभी कम्पनियों को क्यों छोड़ दिया गया है? और बाकी सब कम्पनियां अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए कार्य करेगी या जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, राज्य विद्युत मंडल, वे अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए एक साथ काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेगी इस बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है।

तीनों कम्पनियों को अधिग्रहित करने और उनके एसेट्स ट्रांसफर करना कितना संवैधानिक है या कितना असंवैधानिक है, यह इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एसेट्स के ट्रांसफर करने के बारे में और सेवाओं के ट्रांसफर करने की जो बात कही गई है उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मेरे विचार से सर्विसेज को ट्रांसफर करना संवैधानिक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में नीति स्पष्ट करे और इलैक्ट्रीसिटी पावर सप्लाई एक्ट, 1910 और इलैक्ट्रीसिटी एक्ट, 1948 के होते हुए और सैन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथॉरिटी के होते हुए इस प्रकार का लैजिसलेशन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या आप इस काम को इस अथॉरिटी के द्वारा नहीं कर सकते थे? क्या आपकी केन्द्रीय अथॉरिटी इलैक्ट्रीसिटी के क्षेत्र में अक्षम सिद्ध हो गई थी? इस बारे में जो पत्र नेशनल कन्फैडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ दि सैन्ट्रल पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ से आया है, उन्होंने भी इस बारे में कहा है—

[अनुवाद]

"हम पुष्टि करते हैं कि वाणिज्यिक एवं निवेश सम्बन्धी नीतियों से सम्बन्धित शर्तों को पूरा किया जाएगा। जहां तक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के सम्बन्ध में एन०टी०पी०सी० तथा एन०पी०टी०सी० के बीच है। परिसम्पत्तियों के अन्तरण के बारे में एक अध्यादेश जारी किया जाना है जिससे कि अन्तरण को इस तरह से लागू किया जा सके ताकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी न लगे। अध्यादेश तैयार कर लिया गया है और इसे जल्दी ही जारी किया जायेगा।"

[हिन्दी]

स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कहा गया है। करोड़ों रुपए की यह स्टैम्प ड्यूटी है। मैं पूछता हूं, उसका क्या होगा और हमें कितने रुपए का लॉस होगा? विधेयक में जो यह वित्तीय ज्ञापन दिया गया है; फाइनेंशियल मैमोरेंडम है, इसका उसमें भी उल्लेख नहीं है कि क्या होगा।

[अनुवाद]

"ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर संसद को पार्टी के सचेतकों (ह्विपों) पर आधारित सम्पन्न कार्य का अनुमोदन करने के लिए केवल एक रबर स्टैम्प की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम यह मांग करते हैं कि विद्युत उपयोग के पूरे मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। अतः हम यह मांग करते हैं कि इस विधेयक पर आगे विचार करने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति प्रवर समिति को भेजा जाय।"

[हिन्दी]

प्रारम्भ में ही अध्यादेश का निरनुमोदन करते हुए और विधेयक पर बोलते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा था और माननीय सदस्यों ने जैसी कि राय व्यक्त की है कि सर्वथा देश के साथ विश्वासघात है और देश को गुमराह करने वाली बात है। देश की प्रतिष्ठा को कम करने वाला यह कदम है। आपको इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण आप एक पावर ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं। अन्यथा, जो काम चल रहा था, वह ठीक ही चल रहा था। इस सारे सन्देह में, जैसा मैंने कल भी कहा था, तमिलनाडु ने तो आपको साफ-साफ कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं। क्या सभी इलैक्ट्रीसिटी बोर्डस से आपने सहमति या स्वीकृति प्राप्त की है? किस प्रकार की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, यह सब स्पष्ट होना चाहिए।

मेरा निवेदन है, कि आप काम्प्रिहैंसिव बिल लायें और इस बिल को विद-ड्रा करें। सरकार से निवेदन है कि वह सारी बातों को स्पष्ट करें और नहीं तो इस बिल को ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी को विचार करने के लिए भेजें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए और निरनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० के० वी० थामस को भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

हमारे पास बहुत सीमित समय है। उस चर्चा के लिए दो घण्टों का समय दिया गया था। हम इस विषय पर पहले ही एक घण्टा और तीस मिनट ले चुके हैं। अब हमारे पास मुश्किल से तीस मिनट बचे हुए हैं।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए काफी समय लिया जा चुका है। (व्यवधान)

महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को पुरःस्थापन के समय तथा लघुकालीन चर्चा के दौरान, उस ओर के हमारे माननीय मित्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों में एक आपत्ति यह भी थी कि सरकार इस विधान को विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशानुसार प्रस्तुत कर रही है। प्राय: सभी विद्युत उत्पादन भले ही वह जल-विद्युत उत्पादन केन्द्र हो अथवा तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र हो, निगमों का वित्त पोषण विश्व बैंक अथवा भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा जापान के वित्तीय सहायता संघ द्वारा किया गया हैं। इसलिए, विश्व बैंक, भूतपूर्व सोवियत संघ तथा जापान के वित्तीय सहायता संघ ने वित्तीय सहायता देते समय अपनी शर्तें रखीं थी। मुझे अभी भी याद है कि जब यह पता चला कि भूतपूर्व सोवियत संघ से वित्तीय सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है तब पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री जी ने विद्युत मन्त्रालय को पत्र लिखा था कि जापान से वित्तीय सहायता ली जाये। अत:, यह स्वाभाविक है कि जब हमें अपने देश में ही धन प्राप्त नहीं होता, तब हमें वित्तीय सहायता के लिये अन्य देशों के पास जाना पड़ता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) . यह स्वाभाविक नहीं है। यह राज्यों पर लगाया गया प्रतिबन्ध है।

प्रो० के० वी० थामस : मैं आपको वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। प्राय: सभी प्रमुख विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिये हमें विश्व बैंक अथवा सोवियत संघ अथवा जापान के वित्तीय सहायता संघ द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही है। पश्चिम बंगाल भी ऐसा ही कर रहा है। आज भी जापान से वित्तीय सहायता लेने के लिए भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। यह भी वास्तविक बात है कि जब वे वित्तीय सहायता दे रहे हैं तो वे कुछ शर्तें रखेंगे। प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या वह शर्तें हमारे लिए स्वीकार्य हो सकती हैं अथवा नहीं। यदि वह शर्तें स्वीकार्य हो तो हमें वित्तीय सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि यह केवल भारत पर ही लागू नहीं होता है। चीन वित्त प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के पीछे लगा है। आपको भी इस बारे में सोचना चाहिये। चीन वित्त प्राप्त करने के लिये विश्व बैंक के पीछे लगा हैं।

श्री अनिल बसु : उनकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था काफी भिन्न है।

प्रो० के० वी० थामस : आपके लिये चीन की व्यवस्था भिन्न है परन्तु हमारे लिए नहीं। यह स्वाभाविक है कि हम अपने देश में विद्युत को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज की चर्चा में भी विद्युत को प्राथमिकता दी गई है। अत: नये विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिए तथा उत्पादित विद्युत के प्रभावशाली वितरण के लिये हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। भारत उन देशों में से एक है जहां विद्युत पारेषण के दौरान 18 से 22 प्रतिशत विद्युत हानि होती है। परन्तु कई विकसित देशों में यह हानि मात्र 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत है। इस राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का उद्देश्य यह है कि

एक ऐसी विद्युत वितरण प्रणाली हो जोकि बहुत प्रभावशाली हो। मैं केरल राज्य का रहने वाला हूं जहां प्रर विद्युत संकट है। केरल को केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से लगभग मेगावट विद्युत ही मिल रही है जबकि 200 मेगावाट का आवंटन किया गया है। इसका कारण यह है कि इसके लिए कोई प्रभावशाली वितरण प्रणाली नहीं है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। यह विधेयक 8-1-93 को प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेगा। एक अध्यादेश जारी किया गया था और हम पिछले सत्र में इस विधेयक को पारित नहीं कर सके। अतः इस विधेयक को इस सत्र में लाया गया है और इसका उद्देश्य हमारी पारेषण प्रणाली को पुनरुज्जीवन प्रदान करना और सुदृढ़ करना है।

हमारी ऊर्जा प्रणाली को कैसे सुदृढ़ किया गया है इसके पीछे एक लम्बी कहानी है। विद्युत केन्द्रीय सूची में नहीं है बल्कि समवर्ती सूची में है। अतः राज्य विद्युत मण्डल और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा विद्युत का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। भारत जोकि एक बड़ा राष्ट्र है, उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से, आर्थिक रूप से लाभप्रद व प्रभावशाली ढंग से विद्युत उत्पादन करना और देश के सभी भागों में इसका वितरण करना अति-दुष्कर कार्य है। हम काफी निवेश चाहते हैं। हम उतना धन देश में नहीं जुटा सकते हैं। इसलिए धन लेने के लिए या तो जापान जा रहे हैं अथवा हम पहले सोवियत संघ गये थे और विश्व बैंक के पास गए हैं।

हमारे राज्य केरल में कायमकुलम तापीय विद्युत संयंत्र नामक एक प्रतिष्ठात्मक परियोजना है। हम उसके पीछे उत्सुकता से लगे हैं। सबसे पहले सोवियत संघ इस बात के लिये सहमत हो गया था कि वह आवश्यक वित्तीय सहायता देगा। परन्तु अब वह सोवियत संघ नहीं रहा है। अब जापानी सहायता संघों ने यह सुझाव दिया है कि वे सहायता संघों के माध्यम से आवश्यक वित्त राशि देंगे। परन्तु परसों जब हमने समाचारपत्र में एक समाचार पढ़ा कि हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। मैंने यह बात उठाई थी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें जापानी सहायता संघों से वित्तीय सहायता मिलेगी। केरल ने इस परियोजना को इतना महत्व क्यों दिया है?

व्यस्त घण्टों के दौरान केरल की विद्युत खपत 1,500 मेगावाट है। केरल को अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,476 मेगावाट है और वास्तविक उत्पादन 1,100 मेगावाट है। हालांकि केन्द्र ने केरल के लिए 300 मेगावाट विद्युत का आवंटन रखा था, फिर भी कमजोर पारेषण प्रणाली के कारण हमें केवल 200 मेगावाट विद्युत ही मिल रही है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ऐसा मैं नहीं समझता। यह बात नहीं है कि कमजोर पारेषण प्रणाली के कारण आपको कम मेगावाट विद्युत मिल रही है। (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : हमें तमिलनाडु और कर्नाटक से विद्युत प्राप्त हो रही है। परन्तु पिछले एक महीने पहले ही हमको कर्नाटक के मालाबार से होकर विद्युत पारेषण हेतु एक अच्छी पारेषण प्रणाली मिली हैं। इसका यह भी एक कारण है कि हम भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। विद्युत की उस मात्रा को देश के विभिन्न भागों में उचित रूप से पारेषित नहीं किया जा सका। इस पारेषण हानि का यह भी एक कारण है। (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : उच्च विद्युद्गामी बल लाइनों के माध्यम से विद्युत पारेषण नहीं की गई है, बल्कि निम्न विद्युद्गामी बल लाइनों के माध्यम से विद्युत का वितरण किया जाता है।

प्रो० के०वी० थामस : यदि एक उचित उच्च विद्युद्गामी बल लाईन होगी तो आप तभी विद्युत का वितरण कर सकते हैं। यह एक कारण है जिसकी वजह से हम वितरण नहीं कर सके। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि रास्ता कोई भी हो, यदि विश्व बैंक की शर्तों से देश की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी तो हम विश्व बैंक से यह धनराशि ले सकते हैं। हम जापान से धन ले सकते हैं। सोवियत संघ हमारा पुराना मित्र था। यदि हमने उससे धन लिया होता तो आज हम बहुत खुश रहे होते। यदि हम सोवियत संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त किये होते तो हम बहुत खुश रहे होते। परन्तु आप जानते हैं कि सोवियत संघ की क्या स्थिति है। सरकार को सभी परियोजनाओं पर काम जारी रखना होगा। यहां तक कि यदि चीन हमें वित्तीय सहायता दे सकता है तो हमें खुशी होगी। परन्तु हमें चीन को धन देना है। हमें वित्त प्राप्त करना है। हमें इसलिए वित्त प्राप्त करना है ताकि हम सभी मुख्य विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा विद्युत वितरण प्रणाली को पुनरुज्जीवित कर सकें। केरल के बारे में मुझे केवल दो बातों का उल्लेख करना है। पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव आपके समक्ष पहले से ही है। यह प्रस्ताव वर्ष 1981 में सरकार के समक्ष रखा गया था और केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ने इसका अनुमोदन वर्ष 1986 में किया था और आज तक इसे पारित नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है ? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर शीघ्र कार्रवाई करें।

महोदय, सभी दक्षिणी राज्यों यथा-गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल ने एक दक्षिण गैस ग्रिड स्थापित करने का अनुरोध किया है। यदि यहां पर दक्षिण गैस ग्रिड होगा तो बम्बई में जितनी भी गैस जलाई जाती है, उसे दक्षिणी राज्यों में ले जाया जा सकता है और वह हमारे लिए उपयोगी होगी।

अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए और आपको देश में या विदेश से संसाधनों का पता लगाना चाहिए ताकि हमारे विद्युत उत्पादन केन्द्र भली-भांति कार्य कर सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अनिल बसु अपनी बात रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की ओर से अभी कोई नहीं बोला। इन्डिवीजुअल मैम्बर की हैसियत से हमारा स्टैच्यूटरी रैज्योलूशन आया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मेरे विचार से श्री नीतीश कुमार ने सही कहा है। हमने इसके बारे में अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा की थी कि सबसे पहले प्रथम दौर में वक्ता सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से लिया जाना चाहिये, इसके बाद दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी से, फिर तीसरी बड़ी विपक्षी पार्टी से और ऐसा इसी तरीके से ही होना चाहिये। उसके बाद दूसरे दौर में एक वक्ता विपक्ष की ओर से और

दूसरा सत्ता पक्ष की ओर से होना चाहिये। और फिर अन्तिम दौर में जब प्रमुख वक्ताओं ने बोलना हो तो उस समय भी प्रथम वक्ता सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और उसके बाद दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी से और फिर तीसरी बड़ी विपक्षी पार्टी से और इस प्रकार से वक्ताओं को बुलाया जाना चाहिए।

अब प्रत्येक दृष्टिकोण से यही यथोचित बनता है कि जनता दल के सदस्य को बोलने के लिये कहा जाना चाहिये। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो बात कही गई है, वह अपनी मान्यता रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यह समझ रहा था कि इन्होंने अपनी बात कहना आरम्भ कर दिया है। अब पहले श्री अनिल बसु को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हमें बचपन से ही देशभक्त बनना सिखाया जाता है। देश के सर्वोच्च प्रजातन्त्र के मंच पर इस सभा में बैठकर मैंने यह देखा है कि विद्युत मंत्रालय के गलियारे में देशभक्ति शब्द का कोई अर्थ नहीं है।

महोदय, इस विधेयक के द्वारा एन० टी० पी० सी०, एन० एच० पी० सी० और एन० ई० ई० पी० सी० को नव-सृजित पावर ग्रिड कार्पोरेशन को हस्तांतरित करने की बात से हमारे देश के विद्युत उद्योग के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। यह अवधारणा कहां से आयी है?

महोदय, न्यूजीलैण्ड को छोड़कर विश्व में अन्य किसी देश में भी इस तरह का निगम नहीं है। विश्व में केवल न्यूजीलैण्ड में ही 'नेशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन' है। ऐसा न तो इग्लैण्ड में है, न अमरीका में। यूरोपीय देशों, जापान और दक्षिण एशियाई देशों में भी ऐसा नहीं है। केवल न्यूजीलैण्ड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नैशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन बना हुआ है। और हमारा देश दूसरा देश है जोकि इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से यह निगम स्थापित करने जा रहा है। विभिन्न सूत्रों से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है इससे यह पता चलता है कि वाशिंगटन में विश्व बैंक में न्यूजीलैण्डर नाम का एक व्यक्ति है जोकि वाशिंगटन में स्थित विश्व बैंक के विद्युत विभाग में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और यह विधेयक इसी व्यक्ति के दिमाग की उपज है। हम भारत की संसद में बैठकर इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक का विषय-सामग्री वाशिंगटन से आयी है, विश्व बैंक के विद्युत विभाग के अध्यक्ष न्यूजीलैंडर की ओर आयी है।

विद्युत मंत्रालय के सचिव ने विश्व बैंक को जो पत्र लिखा है, जिसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बताया है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि हम अपने देश की संप्रभुता को विश्व-बैंक के विद्युत सेक्टर के हाथों सौंपने जा रहे हैं। हमने विश्व बैंक की तमाम शर्तों को स्वीकार किया है। विद्युत मंत्रालय के सचिव ने श्री चिरंजिन को लिखे अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 10/1/4/91 पी० एल० ए० दिनांक 7 अक्तूबर, 1992 में यह कहा है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यापारिक और विनियोजक नीतियों से सम्बन्धित शर्तों को पूरा किया जाएगा। जहां तक एन० टी० पी० सी०, जिसका नाम अब नैशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन कर दिया गया है, के साथ हुए समझौता ज्ञापन का सम्बन्ध है—आस्तियों के हस्तान्तरण के बाद एक अध्यादेश जारी किया जाना है ताकि हस्तान्तरण इस ढंग से हो सके कि स्टाम्प शुल्क न देना पड़े। अध्यादेश तैयार किया जा चुका है और शीघ्र ही जारी किया जाने वाला है। इस अध्यादेश को जारी किया गया था और अब यह विधेयक सभा में लाया गया है ताकि विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित इस कानून पर रबड़ की मोहर लगायी जा सके।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री काफी सक्षम हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : क्या मैं असक्षम हूं।

श्री अनिल बसु : मैं आपकी सक्षमता के बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप विद्युत मंत्री हैं; लेकिन वह एक सशक्त मंत्री हैं।

श्री अनिल बसु : 7 अक्टूबर, 1992 का श्री वसुदेव का पत्र, 8 दिसम्बर, 1992 का श्री हिंज विरजिन का पत्र और 12 जनवरी, 1993 का वसुदेव का पत्र—इन तीन पत्रों तथा विश्व-बैंक के इण्डिया-इनर्जी आप्रेशन डिवीजन से श्री जीन फ्रैन्कोइस बवार का संयुक्त संचिव—वित्त श्री एन० के० सिंह को भेजे गये फैक्स सन्देश से यह पता चलता है कि हम अपने समूचे विद्युत सेक्टर को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में समर्पित करने जा रहे हैं।

2.58 म० प०

[श्री पीटर जी मरबनिआंग पीठासीन हुए]

इस दिन भी एक अनुपूरक प्रश्न में मैंने खासतौर से पूछा था कि आज विश्व में विद्युत सेक्टर की स्थिति काफी कमजोर है और विश्व में विद्युत उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने उपकरणों को बेच देना चाहते हैं; वे प्रौद्योगिकी का निर्यात करना चाहते हैं। इसमें मंदी की स्थिति निरन्तर बनी हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय, बहु-राष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियों के एक अभिकरण के रूप में विश्व बैंक भी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों की मदद करने को इच्छुक है। चूंकि भारत में विद्युत की बहुत आवश्यकता है, इसलिये हमें अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। हमारे पास धनराशि नहीं है लेकिन इसके लिये हमें कोई मना भी नहीं करता। हम विश्व बैंक से ऋण ले सकते हैं, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऋण के लिए देश के हितों का समर्पित कर देना, देश की प्रभुसत्ता समर्पित कर देना और कोई ऐसा कदम उठाना जोकि देश के हितों के विरुद्ध हो, तब हम पूरे जोर-शोर से उसका विरोध करेंगे।

3.00 म०प०

सभापति महोदय : श्री अनिल बसु, इस समय तीन बज चुके हैं। हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को भी लेना है। अतः आप अपनी बात को बाद में रख सकते हैं।

श्री अनिल बसु : ठीक है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी। श्री श्याम बिहारी मिश्र ने एक प्रस्ताव दिया हुआ है। श्री श्याम बिहारी मिश्र।

3.01 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि यह सभा 11 मार्च, 1993 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 मार्च, 1993 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : कुछ विधेयक भी पुरःस्थापित किये जाने हैं। श्री डी० वेंकटेश्वर राव—अनुपस्थित। श्री चित्त बसु।

3.02 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(प्रस्तावना आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.02½ म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 75क और 164क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 12 मार्च, 1993 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित

3.03 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नये अनुच्छेद 156क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.03½ म०प०

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक*
(नयी धारा 13क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच०आई०वी०) संक्रामण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण

*दिनांक 12 मार्च, 1993 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों के विशेषज्ञनीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब तथा पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच०आई०वी०) संक्रामण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों के विशेषज्ञनीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलंब तथा पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा —उपस्थित नहीं हैं ।
श्री विश्वेश्वर भगत —उपस्थित नहीं हैं ।
श्री डी० वेंकटेश्वर राव—उपस्थित नहीं हैं ।

3.05 म०प०

मोटर यान (संशोधन) विधेयक*
(धारा 80 आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 11 पर विचार करेगी । श्री पी०सी० थामस ।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि माननीय सदस्य जो चाहते हैं मैं वही संशोधन ला रहा हूं । इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसे वापस ले लें । (**व्यवधान**) मैं पहले ही कह चुका हूं । (**व्यवधान**)

---

*दिनांक 12 मार्च, 1993 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अगर उनके संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया जाता है तो वह निश्चित रूप से वापस ले लेंगे। (**व्यवधान**)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य के मद्देनजर इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर जोर नहीं देता नि:सन्देह अगर सरकार ने इस विधेयक की आवश्यकता को महसूस किया है और अगर सरकार यह विधेयक पेश कर रही है तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना अच्छा होगा। लेकिन मुझे केवल दो मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं उन्हें आश्वासन दे रहा हूं कि इसे शामिल किया जाएगा।

श्री पी०सी० थामस : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने यह स्वीकारा है कि इस विधेयक को लाया जाए और सरकार यह विधेयक लाने के लिए पहले ही कार्यवाही कर चुकी है। मुझे खुशी है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाएगा। लेकिन मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित पर जोर नहीं दूंगा बशर्ते इसे इसी सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया जाए।

सभापति महोदय : क्या आप पुर:स्थापन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री पी०सी० थामस : इस सहमति के साथ कि इसे इसी सत्र के दौरान पुर:स्थापित किया जाएगा, मैं इस पर जोर नहीं देता। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रस्ताव की अनुमति से, वापस लिया गया।

3.07 म०प०

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक
(धारा 1 आदि में संशोधन)

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : मद संख्या 12, श्री शरद दिघे।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : सभा अब श्री बसुदेव आचार्य के रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 से संबंधित प्रस्ताव पर और विचार करेगी ।

पिछली बार श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, पिछली बार मैं इस विधेयक पर बोल रहा था ।

3.08 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

(विधेयक के पूरे नाम आदि के स्थान पर विधेय के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन)

वाद-विवाद स्थगित करने के लिए प्रस्ताव

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत इस रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक पर हो रहे वाद-विवाद को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित किया जाये क्योंकि माननीय मंत्री किसी चर्चा में व्यस्त हैं । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बसुदेव आचार्य के रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक 1991 (विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नाम का प्रतिस्थापन) पर वाद-विवाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री बसुदेव आचार्य के रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नये नाम का प्रतिस्थापन) पर वाद-विवाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.10 म०प०

[अनुवाद]

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी को संदाय और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय, इस देश का सबसे पिछड़ा इंसान, इस देश का सबसे दुखी इंसान जो अपने श्रम से अनाज उगाकर लाखों लोगों का पेट भरता है, आज कष्ट और अभावों में अपना जीवन जीता

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

है, जिसे दुनिया खेत मजदूर के नाम से जानती है। उसके कल्याण के लिये, उसके दर्द में हमदर्द बनने के लिये, मैं यह बिल सदन के सामने लाया हूं।

हमारे देश का खेत मजदूर और उसका सारा परिवार आजीवन कर्ज में डूबा रहता है। खेत-मजदूर कर्ज में करवट लेता है, कर्ज में कराहता रहता है और कर्ज में ही कब्र बनाता है। उसका सारा जीवन कष्ट और अभावों से भरा होता है। अपने श्रम से अनाज उगाकर लाखों लोगों का पेट भरने वाला खेत मजदूर स्वयं भूखा रहता है।

आजादी के इतने सालों बाद भी, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। निरक्षरता, ऋण-ग्रस्तता और गरीबी में पिसते खेतिहर मजदूरों की समस्या आज भी अनसुलझी है।

देश में इनकी संख्या 1961 में 3 करोड़ थी, जो 1971 में बढ़ कर 4 करोड़ 75 लाख और 1981 में 5 करोड़ 40 लाख हो गयी। यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और आज उनकी संख्या 7 करोड़ है।

देश में जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं। हर छोटा टुकड़ा आर्थिक से अनार्थिक टुकड़े में परिवर्तित होता जा रहा है। ये छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े इन पर आधारित कृषक परिवारों को न तो साल भर तक काम और न ही साल भर तक दाल रोटी देने में समर्थ रह गये हैं।

असिंचित जमीन के इन छोटे-छोटे हिस्सों पर किसान वर्षाकालीन फसल उगा लेते हैं जिससे उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है। लेकिन साल में 90 से 120 दिनों तक ही उन्हें काम मिलता है, साल के बाकी समय उन्हें बेकार रहना पड़ता है या काम के लिये अन्य जगहों पर भटकना पड़ता है।

साल के 365 दिनों में से, एक खेत मजदूर को उत्तर प्रदेश में 243 दिन, बिहार में 165 दिन, बंगाल में 188 दिन, तामिलनाडु में 150 दिन, महाराष्ट्र में 145 दिन, मध्य प्रदेश से 181 दिन, राजस्थान में 131 दिन, पंजाब में 270 दिन, उड़ीसा और कर्नाटक में 127 दिन और आन्ध्र प्रदेश में 144 दिन काम मिलता है। शेष दिनों में वे बेकार घूमते रहते हैं। अकेले मध्य प्रदेश में 50 लाख खेतिहर मजदूर हैं जबकि गुजरात में उनकी संख्या 32 लाख से भी ज्यादा है।

सभापति महोदय, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये सरकार ने अनेक कानून बनाये है, जिनका पालन काफी हद तक हो भी रहा है क्योंकि ये श्रमिक संगठित हैं। उनकी अपनी संस्थाएं हैं, यूनियन हैं। उनके मामलों के निपटारे के लिये श्रम न्यायालय भी बने हैं जहां इनकी शिकायतें सुनी जाती हैं और न्याय दिया जाता है लेकिन खेत मजदूरों का इस तरह का कोई संगठन नहीं है।

3.14 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सभापति जी, खेतों में किया जाने वाला काम, कारखानों में किये गये काम से अधिक श्रमसाध्य है। यहां धूप, पानी और सर्दियों में लगातार मिट्टी से जूझना पड़ता है। धूल, धुआं और धूप में काम करना होता है। शुद्ध पेयजल, छायादार स्थान, काम के निश्चित घण्टे और काम के बीच विश्राम जैसी सुविधाएं उनको नहीं मिलतीं, जो मिलनी चाहिये रोगनाशक दवाओं के छिड़काव के लिये उन्हें चोगा, मुंह, नाक व आंखों के लिये मास्क दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिये।

अलग-अलग राज्य सरकारों ने कृषि मजदूरों के लिये अलग-अलग मजदूरी तय की है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोआ में रोजाना 12 रुपये, गुजरात और बिहार में 15 रुपये तामिलनाडु में 14 रुपये, असम में 25 रुपये, हरियाणा और पंजाब में 35 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने कृषि मजदूरों के लिये 1989 में 15 रुपये रोजाना की दर से मजदूरी निश्चित की है।

अमेरिका में जनता को खाने के पैकेट्स दिये जाते हैं। बुढ़ापे में जरूरी बंदोबस्त किया जाता है लेकिन हमने अपने यहां क्या किया है? हमारे देश में हवाई जहाज से यात्रा करते हुए एक्सीडेंट में यदि कोई मर जाता है तो उसे 4 से 5 लाख रुपये, ट्रेन एक्सीडेंट में 50 हजार से एक लाख रुपये तक और साम्प्रदायिक दंगों में मरने वाले को दो लाख रुपये तक मुआवजा मिलता है परन्तु खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें खेतों में काम करने के लिये, रात, आधी-रात वक्त, बेवक्त आना जाना पड़ता है। खेत खलिहानों में सांप सपोले काट लेते हैं तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं देता। उनके लिये सार्वजनिक और निजि सुरक्षा के लिये कोई गारंटी नहीं है। खेत मजदूरों को कड़ी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिल पाता, उलटे उनका शोषण किया जाता है।

इस समस्या से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं यह बिल लाया हूं। उनको रोजाना तीस रुपए न्यूनतम मजदूरी मिले, महंगाई के मुताबिक उसमें वृद्धि हो, भविष्य में कोई पेंशन या कोई मुआवजा मिले ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार करे और सलाहकार समिति बनाये। वैसे तो अनेक कानून हैं, लेकिन वे कागजों तक ही सीमित हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए पृथक मशीनरी तथा पृथक विभाग होना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि—

"जो जन को अन्न प्रदान करे
जग उसको ही ठुकराता है।
उसकी हड्डी को नोच नोच
जग वैभव-भवन बनाता है।
वह चरणों को मस्तक रखता
जग ठुकरा कर इतराता है।
उसके चिथड़ों में आग लगा
जग हंसता है, मुस्कराता है।"

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार यह बिल स्वीकार करेगी ऐसी प्रार्थना के साथ बैठने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का संदाय और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं श्री देशमुख को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सभा में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के रूप में इस विधेयक को पेश किया। मैं इस प्रारूप में सम्मिलित प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, कृषि मजदूर ग्रामीण भारत में सबसे बड़ा कार्यबल है। आजादी के बाद से ही सरकार को कृषि को प्राथमिकता देने के बारे में कहती रही है क्योंकि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। लेकिन प्रारम्भ से कांग्रेस सरकार की यह नीति रही है कि ग्रामीण जनसंख्या में जमींदारों और बड़े जमींदारों तथा अमीर किसानों के वर्ग की ही मदद की जाए। यह इस सरकार का एक वर्ग के प्रति बर्ताव है। चूंकि ग्रामीण भारत में जमींदार कांग्रेस पार्टी का मुख्य आधार हैं। अत: यही जमींदार भारत में विदेशी शासन के समर्थक थे और जो हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष में गद्दार थे वही लोग स्वतन्त्रता के बाद अचानक देश भक्त बन गए। ये लोग जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए अपने स्वामित्व को छुपाते हैं। यद्यपि राज्य सरकारों ने भूमि सुधार लाने के लिए कुछ भूमि सम्बन्धी कानून पारित किए हैं लेकिन इन्हें लागू करने की बजाय इनका उल्लंघन अधिक होता है। इन भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों में खामियों की वजह से बड़े जमींदार अभी भी इस स्थिति में हैं कि अपनी भूमि पर कब्जा बरकरार रख सकें और कृषि भूमि का अधिकांश भाग अभी भी उनके पास है। ग्रामीण भारत के पांच प्रतिशत उच्च श्रेणी के लोगों के स्वामित्व में सारे देश की 40 प्रतिशत भूमि है। दूसरी ओर 70 प्रतिशत छोटे किसानों के पास देश की केवल 20 प्रतिशत भूमि है। इस प्रकार यह वास्तविक स्थिति है।

यह सरकार भूमि सुधारों की बात करती है। परन्तु ऐसा करना केवल दिखावा मात्र है। इसमें भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक इच्छाशक्ति का आभाव है। इसी कारण ग्रामीण भारत में गरीबी बढ़ रही है तथा परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। और इन 50 प्रतिशत लोगों में मुख्य भाग खेतिहर मजदूरों का है। उनके लिए हमने कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। कुछ राज्यों ने कानून बनाये हैं परन्तु उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाया गया है। देश के कुछ ऐसे भागों को छोड़ कर, जहां कि हरित क्रांति आई है तथा सिंचाई की अच्छी सुविधायें उपलब्ध हैं, अन्य स्थानों पर खेतिहर मजदूरों को काफी कम मजदूरी दी जाती है जो कि उनके जीवन निर्वाह के लिये भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए उनमें काफी असन्तोष है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक सभी कृषक संगठन, खेतीहर मजदूर संगठन, तथा मजदूर संघ न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून की मांग करते आ रहे हैं। केवल केरल राज्य में इस सम्बन्ध में एक सम्पूर्ण अधिनियम पारित करके उसे क्रियान्वित भी किया गया। सारे देश में खेतिहर मजदूर यह मांग कर रहे हैं कि केरल विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम की तरह ही सारे देश के लिये एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाये जिसके द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी भविष्य निधि, चिकित्सा, पेन्शन, बीमा तथा अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जाये। ऐसा केन्द्रीय कानून बनाना आवश्यक है। परन्तु कांग्रेस सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाने से इन्कार कर दिया है। यह ऐसा कह कर यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डाल रही है।

जनता दल के शासन काल के दौरान इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लाया गया था तथा तत्कालीन सरकार ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी खेतिहर मजदूर संगठनों, मजदूर संघों ने व्यापक विचार-विमर्श किया था। उन्होंने सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया था कि एक केन्द्रीय कानून बनाया जाये? उन्होंने उसका मसौदा भी तैयार किया था जिस पर चर्चा भी हुई थी। परन्तु बाद में जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, वह इसे दबा कर बैठी हुई है। क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए कोई

मजदूरी की दर निश्चित नहीं की गई है, इसलिए लोग अपने घर-बार छोड़कर पंजाब को जाते हैं, जहां उन्हें बिना किसी कसूर के आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ता है।

आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि राज्य के कानूनों का भी उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। ऐसा कोई ढंग नहीं है, जोकि इन कानूनों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सके। परन्तु ऐसे कानूनों का अधिकतर स्थानों पर उल्लंघन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कानून है। उसका उचित कार्यान्वयन भी किया जाता है, क्योंकि सरकार के पास इच्छा शक्ति है। वह यह सुनिश्चित करती है कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले। यह केवल सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही नहीं, बल्कि कृषकों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के कारण भी सम्भव हो सका है। जब भी इसका उल्लंघन होता है, वे आन्दोलन छेड़ देते हैं। सभी कृषक और खेतिहर मजदूर जमींदारों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए यह सब कुछ कानून तथा सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन का सम्मिश्रण है। दूसरे शब्दों में एक ओर कानून क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी तथा दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों और कृषकों द्वारा चलाए जाने वाले आन्दोलनों के कारण खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो पाया है। परन्तु देश के अधिकतर भागों में, खेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं, जिसके कारण बड़े-बड़े जमींदार इसका लाभ उठाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन कमजोर वर्गों की ओर ध्यान दिया जाये और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न किया जाये। उनका शोषण भी नहीं किया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में खेतिहर मजदूरों का सर्वाधिक शोषण होता है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाने की बातें करती है। अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए चलाया जाने वाला यह अतिप्रचारित कार्यक्रम था। आप जानते हैं, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया? सरकार ने यह निष्ठापूर्ण घोषणा की थी कि प्रत्येक खेतिहरमजदूर को कम से कम 100 दिन के लिए एक वर्ष में रोजगार दिया जायेगा, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से खेतिहार मजदूरों में से केवल एक को ही एक वर्ष में 15 दिन के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका तथा उन्हें इसमें 85 दिन का नुकसान हुआ। इस वर्ष के बजट में भी ऐसी बातें कहीं गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इसके लिए अधिक राशि का प्रावधान किया है। परन्तु जो गारन्टी पिछले चार-पांच साल के दौरान दी गई; उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? आप जानते हैं कि यह योजना आरम्भ की गई थी; तब तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने स्वयं यह कहा था कि इस सम्बन्ध में जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, उसमें से 100 रुपए प्रति व्यक्ति में से केवल 15 या 16 रुपए ही वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। इस योजना में एक और समस्या अंगभूत खर्च की भी है तथा यह रहेगी। ये विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों के कारण इस कार्यक्रम को देश के अधिकतर भागों में उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। देश के कई भागों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। वे भी इस राशि का एक बड़ा भाग खा जाते हैं तथा ये राशि खेतिहर मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए जिस 100 दिन के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया था; उसमें से केवल उन्हें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 15 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका। इसलिए ग्रामीण भारत में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार केवल अवसरों के सृजन करने की सम्भावनायें काफी धूमिल हैं। इसका कारण यह है कि इसे उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर हम सच्चे मन से यह चाहते हैं कि ग्रामीण भारत से गरीबी दूर हो

तो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेतिहर मजदूरों तथा गरीब किसानों को भूमि मिले। और जिस भूमि पर बड़े-बड़े जमींदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे सरकार के बिना कोई मुआवजा दिए अधिगृहीत करके भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों में बांट देना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बंजर भूमि का विकास किया जाना चाहिए। यह भूमि भी खेतिहर मजदूरों को दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि अधिकतर खेतिहर मजदूरों के पास सिर छुपाने को छत भी नहीं है। कुछ भूमि उनको भी आबंटित की जानी चाहिए ताकि हमारे देश के एक बड़े वर्ग को इसका लाभ पहुंच सके। वास्तव में वे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। कई बार प्राकृतिक कारणों से और कई बार खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत के कारण हमारा उत्पादन बढ़ता है तो उनका श्रेय हम ले जाते हैं। कानून के अभाव में अथवा वर्तमान कानूनों के उचित कार्यान्वयन न होने के कारण खेतिहर मजदूरों को सारे देश में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है।

अतः इस वजह से खेतिहर मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आवश्यक है, हो सकता है कि कृषि मंत्री खेतिहर मजदूरों से व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति रखते हों। मैं जब कभी उनके पास जाकर बात करता हूं, तो वे भी इस बात से सहमति जताते हैं कि इन गरीब लोगों को भी उनका हक मिलना चाहिए। परन्तु केवल कहने से ही समस्या हल नहीं होगी। सरकार को केरल के खेतिहर मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की तरह का एक व्यापक विधान लाना चाहिए। देश में केवल एक यही कानून है जिसमें खेतिहर मजदूर के जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है।

त्रिपुरा सरकार ने भी इसी तरह का एक कानून पारित किया है और तदनुसार उसने कुछ नियम बनाए हैं। परन्तु वह कानून अभी त्रिपुरा में कार्यान्वित नहीं किया गया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केरल के कानून को एक आदर्श के रूप में ले और उसी तरह का एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।

भूमि, आवास स्थान, न्यूनतम वेतन, पेंशन और बीमे आदि की समस्याएं हैं। जीवन बीमा निगम की पूरे देश में बीमे की एक योजना है, परन्तु किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। वे लोग असंगठित हैं। यदि उनके लिए कुछ धन मंजूर किया जाता है, तो दलाल उसका लाभ उठाते हैं और उसमें से आधी धनराशि ले लेते हैं। यदि इन योजनाओं का ठीक से प्रचार किया जाए और उन्हें ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाए, तो इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा।

चाहे बीमे का प्रश्न हो या भविष्यनिधि का अथवा आवास, चिकित्सा सुविधाएं जैसी अन्य सुविधाओं का, उन्हें इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके लिए कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि वे किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनके पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वह इलाज कहां करवाएंगे? हमारे ग्रामीण अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत आपको मालूम ही है। इन सभी बातों को खेतिहर मजदूरों के लिए व्यापक कानून में शामिल किया जाना चाहिए जोकि उनके लिए आवश्यक है।

यहां पर कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं। श्री चित्त बसु ने केरल के विधेयक की तर्ज पर एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया है, वह एक व्यापक विधेयक है जिसमें खेतिहर मजदूर के जीवन के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया है। यदि तर्ज पर, यदि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के शासन काल के दौरान सभी संगठनों के मध्य हुई चर्चा के आधार पर एक विधेयक तैयार किया जाता

है और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो लोग सरकार के इस आश्वासन को गम्भीरता से लेंगे। अन्यथा, यह उपेक्षित वर्ग अमानवीय स्थिति में ही रहेगा और आपको मालूम है कि उनकी असंगठित प्रकृति के कारण उन पर उत्पीड़न भरी स्थिति में काम करने के लिए दबाव डाला जाता है। अधिकांश खेतिहर मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, कम से कम 90 प्रतिशत खेतिहर मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा ऐसी है कि अधिकांश तथाकथित निम्न जातियां खेतिहर मजदूरी से सम्बन्धित हैं। अतः वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्पीड़ित हैं। उनका जीवन कोई जीवन नहीं हैं। वे पशुओं की तरह रहते हैं। उन्हें मनुष्य की तरह रहने के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए ताकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, हमारे देश की आबादी का कमजोर वर्ग जीवित रह सके, वह मानव जीवन जी सके, केवल तभी हमारा भारतीय समाज पनपेगा। उनकी क्रय शक्ति से हमारी अर्थव्यवस्था को पनपने में सहायता मिलेगी। जब इन करोड़ों लोगों के पास क्रय शक्ति होगी केवल तभी हमारे घरेलू बाजार का विस्तार हो सकता है।

उसके बाद इस तरह से हमारा उद्योग भी विकसित हो सकता है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं वह केरल के अधिनियम को आदर्श मानकर एक व्यापक कानून लाएं और यदि आप ऐसा कानून इस सत्र में लाते हैं, तो वह इस देश के सबसे गरीब वर्गों के प्रति सर्वोत्तम सेवा होगी।

वित्त मंत्री और श्रम मंत्री यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उनके दिल में गरीबों के लिए प्यार है और हमें उम्मीद है कि यह सरकार एक व्यापक विधेयक लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक लाने के लिए माननीय सदस्य को बधाई देता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को बधाई देता हूं।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यह हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि हमारे देश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है परन्तु दुर्भाग्य से धान के खेतों में काम कर रहे कामगारों की समस्याओं की हमेशा उपेक्षा की गई है। जो कमजोर वर्ग हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे लोगों के लिए भोजन प्रदान कर रहा है उसकी समस्याओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है, उसके मुद्दों को दर किनार कर दिया गया है और उसके कल्याण के उपायों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।

महोदय, कुछ राज्यों में, जैसाकि उदाहरणार्थ श्री हन्नान मोल्लाह ने ठीक ही इंगित किया है, केरल राज्य में कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरूआत की है। जब श्री आर० शंकर मुख्यमंत्री और श्री पी० टी० चक्को राजस्व मंत्री थे उस समय हमने यह लोकप्रिय भूमि सुधार अधिनियम पारित किया था। उस भूमि सुधार अधिनियम ने केरल राज्य में कृषक समाज को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया है। वह भारतीय इतिहास में एक उदाहरण है।

समाज में जो स्थिति व्याप्त थी वह बदल गई थी। राज्य के आम और गरीब लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई और भूमि सुधार अधिनियम से समाज की पूरी सोच बदल गई। उसके बाद खेतिहर मजदूरों के एक जैसा कानून बनाने की बहुत सी चर्चाएं हुई और अनेक मजदूर आन्दोलन शुरू किए गए।

संसद के भूतपूर्व सदस्य और केरल विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वोक्कम पुरुषोत्तमन, जो उस समय कृषि मंत्री थे, ने 1977 में एक विधेयक प्रस्तुत किया था और इसे पारित किया गया। वह केरल में खेतिहर मजदूर अधिनियम था। यह निश्चित रूप से एक आदर्श है और यह अधिनियम खेतिहर मजदूरों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब केरल में पेंशन योजना भी है। जो खेतिहर मजदूर धान के खेतों में काम नहीं कर सकते हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें पेंशन मिलेगी। उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हर वर्ष इसमें वृद्धि हो रही है। केरल सरकार ने पिछले बजट में भी इसमें वृद्धि की है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि समाज के कमजोर वर्गों, जिन्हें वर्षों तक उत्पीड़ित और दमित किया गया है, को ऊपर उठने और विकास का पर्याप्त अवसर दिया जाए। खेतिहर मजदूरों के लिए खेतिहर मजदूर विधेयक और पेंशन योजना पारित करके तथा उन्हें अन्य सहायता देकर केरल सरकार ने उनकी सहायता की है, अब उनकी स्थिति निश्चित रूप से सुधर रही है।

केरल राज्य में दो क्षेत्र हैं—पहला कुट्टनाड़ और दूसरा पालघाट, जिन्हें केरल के खाद्यान्न उपजाने वाले क्षेत्र कहा जा सकता है। हमें खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करना होगा। वह मजदूरों के अन्य वर्गों से एकदम भिन्न हैं। यह मौसम के अनुसार चलने वाला व्यवसाय है। कुछ क्षेत्रों में हम जब धान की बुआई कर रहे होते हैं, वे दूसरे क्षेत्रों में उस समय इसकी कटाई कर रहे होंगे। इस प्रकार यह मौसम के अनुरूप चलने वाला काम है। मौसमी कार्यों में लगे मजदूरों को सरकार से पूरी सहायता मिलनी चाहिए। अतः कल्याणकारी उपाय आवश्यक हैं और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न काम का समय है। इससे पहले वे घन्टों—लगभग 12 घण्टे या 15 घण्टे तक धान के खेतों में काम करते थे। परन्तु अब एक विशेष समय सीमा निर्धारित की गयी है। उस समय सीमा के बाद किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में क्या किया गया है? पहले खेतिहर मजदूरों को वेतन कई तरह से दिया जाता था। उन्हें उनके द्वारा उगाए गए धान की कुछ मात्रा मजदूरी के रूप में दी जाती थी। उन्हें नकद मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता था। उन्हें उनके उत्पाद अर्थात् धान का ही कुछ भाग दिया जाता था। कुछ क्षेत्रों में उन्हें अधिक और कुछ क्षेत्रों में कम मिलता था। अतः भूस्वामी गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे थे और वे मजदूरों के कल्याणकारी उपायों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे थे। अतः यह शोषण, यह उत्पीड़न वर्षों तक चलता रहा, उसके बाद कृषि क्षेत्र में मजदूर एकजुट हुए और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष किया।

जैसाकि मैंने कहा अन्तोगत्वा यह अधिनियम अस्तित्व में आया। उन्हें इन सभी कल्याणकारी उपायों का लाभ मिल रहा है। अतः मेरा माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध है कि उसको आदर्श विधेयक मानकर कल्याणकारी उपायों के बारे में सोचें। निश्चित रूप से केरल राज्य में स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि देश के अन्य भागों में है। वहां पर भिन्न स्थितियां, भिन्न जलवायु दशाएं और भिन्न प्रकार के व्यवसाय होंगे। वहां पर अन्तर होगा। परन्तु कल्याणकारी उपायों के बारे में सोचने का यह उचित समय है।

अब हम कह सकते हैं कि हम उन्हें कुछ आवंटित कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। मैं उन्हें कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन करने के लिए बधाई देता हूं। उदाहरण के लिए

जवाहर रोजगार योजना एक अच्छी योजना है । लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ? किसी भी व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है । ठेकेदार कार्य कर रहे हैं । वे अपने ही मजदूरों को काम पर लगा रहे हैं । कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में वे स्थायी सम्पत्ति का सृजन कर रहे हैं। गरीब लोग, समाज का असुरक्षित वर्ग, उत्पीड़ित और दलित वर्ग के लोगों तथा बेरोजगार युवकों को अवसर नहीं मिल रहा है । जब एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० जैसी योजनाएं वहां थीं तब वहां यह त्रुटि थी । अब इन दो योजनाओं को एक कर दिया है और वह है जवाहर रोजगार योजना । लेकिन तथ्य यह है कि न तो बेरोजगार युवकों को ही और न कृषि क्षेत्र में कृषकों को ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और इस तरह से उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है । इसलिए, हमें इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है । गरीब लोग बीमा योजना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कारण काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं । अधिकतर लोग अपने पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े समुदायों से सम्बन्धित हैं । इसलिए, हमें उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं बहुत विनम्रता से माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और सभा के सामने एक व्यापक विधेयक पेश होना चाहिए ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके । हमें उन गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए जोकि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ।

3.45 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को श्री बसुदेव आचार्य के विधेयक के संबंध में जो कि स्थगित कर दिया गया था एक लघु प्रक्रियात्मक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूं ।

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 1991

(विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नये नाम का प्रतिस्थापन)

वाद-विवाद को स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 30 के उपनियम (1) के उपबन्ध तथा नियम 29 के परन्तुक को श्री बसुदेव आचार्य के रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नये नाम का प्रतिस्थापन) पर वाद-विवाद, जिसे आज गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, पर लागू होने से निलम्बित किया जाए

ताकि यह विधेयक कार्य-सूची में बिना बैलट के प्रथम मद के रूप में सम्मिलित किया जा सके।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 30 के उप नियम (1) के उपबन्ध तथा नियम 29 के परन्तुक को श्री बसुदेव आचार्य के रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक के पूरे नाम, आदि के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन) पर वाद-विवाद, जिसे आज गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत आगामी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, पर लागू होने से निलम्बित किया जाये ताकि यह विधेयक कार्य-सूची में बिना बैलट के प्रथम मद के रूप में सम्मिलित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.47 म० प०

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री संयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री चन्दूभाई देशमुख को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अधिकतर कृषि कर्मकार, जिन्हें हम खेत मजदूर कहते हैं, भूमिहीन हैं और यदि इनमें से कुछ के पास भूमि का छोटा टुकड़ा है भी, तो वह उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, लगभग पूरा वर्ष वह किसी दूसरे की भूमि पर कार्य करते हैं, लगभग पूरा वर्ष वे बिना काम के रहते हैं, उन्हें अल्प रोजगार प्राप्त है तथा वे बेरोजगार हैं। खेत मजदूरों का अधिकतर भाग गरीबी की रेखा से नीचे है और वे हमारे समाज के निम्नतम स्तर से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। वे हमारे देश के वास्तविक श्रमजीवी हैं। वास्तव में उनमें से अधिकतर अपने जीवन का अधिकतर अथवा कुछ हिस्सा, वस्तुतः बन्धुआ मजदूर के रूप में जीते हैं। यदि सच कहें तो वे दरिद्र नारायण हैं जिनके बारे में गांधीजी ने कहा था और जिनके लिए और जिनके हित में गांधीजी ने हमें एक मंत्र दिया है जिसका हमारे सभी प्रधान मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों को लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी करते हुए पालन करना चाहिए। ये खेत मजदूर बिना नाम के तथा अस्तित्वहीन भारतीय हैं जोकि अभी भी हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि स्वतन्त्रता उनके लिए क्या लाई। गांधीजी की अहिंसा क्या है? जैसाकि आप याद करते हैं कि जब भी प्रशासन को किसी दुविधा का सामना करना पड़ता है—एक सही दुविधा न कि प्रेरित-दुविधा—वह क्या निर्णय लेने जा रहे हैं अथवा वह देश के लिए जो करने जा रहे हैं, वह वास्तव में

उपयोगी होगा ? क्या वह इतिहास की परीक्षा में तथा समय की परीक्षा में खरा उतरेगा ? उस समय गांधीजी ने नेहरू जी को सलाह दी थी और सभी मंत्रियों को चाहिए कि वे उस सलाह को दिमाग में रखें। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या उससे इन बेनाम और अस्तित्वहीन भारतीयों के जीवन में रोशनी की किरण और उम्मीद की किरण आएगी। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मैं सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमें अभी-अभी बम्बई में एयर इण्डिया बिल्डिंग और स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग में गम्भीर बम विस्फोट की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और क्रुध भीड़ ने इन बिल्डिंगों और इन क्षेत्रों को घेर लिया है। मेरा विचार है कि यह बहुत गम्भीर बात है और इससे पहले कि आज सभा स्थगित हो, मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि आप गृह मंत्री से एक वक्तव्य देने को कहें और सभा को अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं क्योंकि सभा यह जानना चाहेगी कि यह किस स्थिति में घटित हुआ और वहां की अद्यतन स्थिति क्या है। यही मेरा अनुरोध है। कृपया इसकी सूचना सरकार को दे दें और इससे पहले कि आज सभा स्थगित हो गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य देने को कहें।

सभापति महोदय : जी हां, कृपया इसे ध्यान में रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव : लेकिन किसी को खड़े होकर यह कहना चाहिए कि वे जाकर सरकार को इसकी सूचना देंगे। यह एक गम्भीर मामला है इसे केवल सुनिए नहीं और न ही इस पर केवल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

सभापति महोदय : जी हां, कृपया जांच कीजिए।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को सूचित करूंगा कि सभा में यह मुद्दा उठाया गया है और मैं माननीय सदस्य की भावनाओं के सम्बन्ध में भी उन्हें जानकारी दूंगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : तो महोदय, यह कृषि कर्मकार जोकि देश के वास्तविक श्रमजीवी हैं और जो गांधीजी के शब्दों में दरिद्र नारायण हैं, जो अस्तित्वहीन और बेनाम भारतीय हैं, जिनके लिए सरकारी मशीनरी को कार्य करना चाहिए वे अभी भी हमारे विकास तथा रामराज्य की और हमारे यशस्वी अभियान के मूक दर्शक हैं। वे राष्ट्र के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। एक कवि के रूप में कहते हैं :

[हिन्दी]

"वह एक शख्स जो बजाहिर खामोश था,
लेकिन लिए हुए था हजारों सवाल चेहरे पर ॥"

[अनुवाद]

वह एक साकार प्रश्न है। हमसे प्रश्न करने के लिए उनके पास राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वे हमसे प्रश्न करें, हमसे उत्तर मांगें, विद्रोह करें, बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करें। उन्हें अभी

भी हमारे समाज के शोषित, दलित, उत्पीड़ित वर्ग के लोग कहा जाता है जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है।

केरल सरकार हमारी बधाई की पात्र है कि उन्होंने उसे अंधकार से निकाला और वे आज श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत विधेयक के मुख्य विषय बन गए हैं। मैं यह भी उम्मीद व्यक्त करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार कृषि कर्मकारों के कल्याण के इस प्रश्न पर सोच-विचार करेगी और सभा के सामने और अधिक व्यापक विधेयक के साथ सामने आएगी। लेकिन आज हम श्री देशमुख के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस समस्या पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

यह विधेयक कृषि कर्मकारों को रोजगार देने तथा उन्हें भविष्य निधि और पेंशन सहित कुछ अन्य लाभ देने के संबंध में है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह मशीनरी जिस पर कि विधेयक के खंड 3 में विचार किया गया है, जटिल लगती है। यदि प्रत्येक कृषि कर्मकार सरकारी कार्यालय में रोजगार पत्र अथवा रोजगार कोटा लेने जाने लगे तो उसके लिए वास्तव में कार्य करना असम्भव होगा। वे स्थानीय कुल्लकों के बंधुआ मजदूर से लेकर नौकरशाहों के बंधुआ मजदूर हो जाते हैं और नौकरशाहों के जाल में फंस जाते हैं? मेरा विचार है कि हमें ग्रामीण स्तर पर कृषि कर्मकारों के रोजगार को नियमित करने के लिए एक और अधिक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता है। वे मूल रूप से जो चाहते हैं वह है पहचान पत्र और एक प्रणाली जहां उनके दैनिक पारिश्रमिक का एक भाग भविष्य निधि अथवा पेंशन योजना के अन्तर्गत जमा किया जाए और जब वह अपना जीवन निर्वाह करने की स्थिति में न हो तो वह इस भविष्य निधि अथवा पेंशन से अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसलिए, मेरे विचार में प्राधिकरण की इस संकल्पना को विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है और प्रक्रिया को सरलीकृत करने की आवश्यकता है ताकि हमारे न्यूनतम मजदूरी प्रणाली की तरह यह एक अन्य इन्सपेक्टर राज न बन जाए। इस तरह का प्राधिकरण दूसरे स्थानों से आए श्रमिकों के साथ वास्तव में न्याय नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं श्री देशमुख को सुझाव दूंगा कि वह एक अन्य योजना तैयार करें जोकि सरल हो और जिसका अनपढ़ खेत मजदूर आसानी से सहारा ले सकें।

दूसरी बात जोकि मैं यहां कहना चाहता हूं वह है न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना। हमारे पास एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। प्रत्येक राज्य को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी होती है और उसमें समय-समय पर संशोधन करना होता है। निश्चय ही समय-समय पर संशोधन नहीं किए जाते हैं जोकि किए जाने चाहिएं। लेकिन अब राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि गैर-सरकारी वेतनप्रणाली को सरकारी वेतन प्रणाली के अनुरूप लाया जा सके। मेरे विचार से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की परिकल्पना और अवधारणा बिस्त आयोग द्वारा वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए की गई सिफारिशों के अनुरूप की जा सकती है। आप उस न्यूनतम वेतनमान को लें जिसके लिए माननीय श्रम मंत्री को सुझाव दे सकत हैं। आप वह न्यूनतम वेतनमान लें जो वर्ग 'घ' या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बिस्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के लाभों को इसमें शामिल करते हुए मोटे तौर पर आंकड़ा लगभग 1500 रुपये प्रतिमाह होगा; 1500, रुपये प्रतिमाह का अर्थ हुआ 50 रुपये रोजाना। यह न्यूनतम मजदूरी मेरे विचार में इतनी हो जोकि आज एक परिवार के जीवनयापन करने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में एक विशिष्ट आंकड़ा जैसाकि

श्री देशमुख ने विधेयक के खण्ड 6 में दिया है, रखने की बजाय हमें इसके स्थान पर यह धारणा प्रतिस्थापित करनी चाहिए कि दैनिक मजदूरी कम से कम निम्नतम वर्ग के सरकारी कर्मचारी के भुगतान की गई कुल परिलब्धियों के समतुल्य हो। इससे दोहरा फायदा होगा। इससे न केवल राज्य को न्यूनतम मजदूरी में प्रतिवर्ष या अलग-अलग स्थान पर संशोधन करने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी बल्कि इससे हमारे कृषि परिवेश में सामाजिक स्थिति पर विशेष प्रभाव भी पड़ेगा। महोदय, किसान तथा खेत मजदूर के बीच हितों के परम्परागत झगड़ों को जानते हैं तथा इन संघर्षों को आपसी हित में सुलझाया जाना चाहिए··· (व्यवधान) मैं जमींदार की बात कर रहा हूं, वे लोग जो अपनी जमीन की जुताई खुद करते हैं ।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं हम कई वर्षों से कृषि संबंधी उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य के इस प्रश्न पर जोर देते रहे हैं।

3.59 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

इन दो संकल्पनाओं को आपस में मिलाया जा सकता है। कृषि संबंधी लागत मूल्यों के राष्ट्रीय आयोग जो कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है, ने श्रम आदान की लागत पर विचार किया है। लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि आयोग द्वारा ली गई श्रम आदान लागतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। मैं महसूस करता हूं कि कृषि सम्बन्धी उत्पाद की लागत का परिकलन जहां श्रम मात्रा मालूम हो और उसे आंका जा सकता हो, न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसका अभिप्राय एक उच्च राष्ट्रीय उत्पादन लागत से होगा और इसके साथ-साथ खेतिहर किसान को अधिक लाभकारी मूल्य मिलेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि किसान भूमि का मालिक या कृषक को यदि उसने अपने यहां खेत मजदूर रखा है तो उसको कम से कम न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। कई बार वह अपनी तथा अपने परिवार की मदद से काम करता है लेकिन जब वह बाहर से किसी खेतिहर मजदूर से काम लेता है तो उसे उस खेतिहर मजदूर को न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी देनी होगी। जहां तक उसके अपने श्रम और उसके परिवार द्वारा किये गये श्रम का सम्बन्ध है इससे उसको अधिक आय होगी तथा अपने उत्पादन का अधिक लाभकारी मूल्य मिलेगा।

4.00 म० प०

महोदया, मैं इस सदन से चतुर्थ श्रेणी वर्ग या 'घ' वर्ग के सरकारी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी के समकक्ष राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने का निवेदन करता हूं। कृषि संबंधी लागत के परिकलन के लिए उसको इसका आधार बनाया जाना चाहिए और उसे सभी खेतिहर मजदूरों पर लागू किया जाना चाहिए। जिनका श्रम कृषक द्वारा अपने कृषि संबंधी उत्पादनों में सहायता के रूप में लिया गया हो और इसलिए उससे देहातों में किसान और खेत मजदूर के बीच के संबंधों को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी तथा देहातों में सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार होगा।

महोदया, ये दो विचार हैं। प्रथम प्रक्रिया के सरलीकरण तथा विनियन्त्रक प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि कृषि सम्बन्धी श्रमिकों की पहचान की जा सके; जिन दिनों

उसने काम किया है और जो आय उसने प्राप्त की है उसे रिकार्ड किया जा सके और वह रिकार्ड उसके अंशदान का आधार बन सकता है जिसे निम्न स्तर से एकत्र किया जा सकता है जो उसकी भविष्य जमा निधि में जमा करने में सहायक हो सकती है। दूसरा, न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी को समूचे देश के खेत मजदूरों पर लागू किया जाना चाहिए। महोदय, इन दो सुझावों के साथ मैं श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के आधार पर श्रम मंत्री जिन्हें मैं जानता हूं जिन्हें न केवल संगठित श्रम बल्कि असंगठित श्रम से सहानुभूति है, निश्चय ही इस समस्या से निपटने के लिए सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लायेंगे और भारतीय मानवता के इस क्षेत्र को स्वतन्त्र आत्मनिर्भर बनायेंगे जो अभी तक स्वतन्त्रता का अर्थ नहीं जानते।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री श्री राजेश पायलट को मुम्बई के बारे में कुछ सूचना सदन को देनी है। मैं श्री राजेश पायलट को वह सूचना को देने का अनुरोध करता हूं।

4.02 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

मुम्बई में बम विस्फोट

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मुझे सदन को इस सूचना को देते हुए गहरा दुःख हो रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, यह बहुत गम्भीर स्थिति है। मुझे इस सूचना के मिलने से गहरा दुःख हुआ है।

श्री राजेश पायलट : लगभग 7-8 स्थानों पर यह दुःखद घटनायें घटित हुई हैं। यह घटनायें कुछ इस तरह घटित हुई हैं। उन्होंने कारों में बम रख कर उनको विभिन्न स्थानों पर खड़ा कर दिया और ये सब विस्फोट एक घंटे से डेढ़ घंटे के बीच 1 बजे से 2.30 बजे तक 2.45 तक लगभग 7-8 स्थानों पर हुए। मैंने अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की थी। उन्होंने बताया कि विशेषतया स्टाक एक्सचेंज के पास के स्थानों पर अधिक घटनाएं हुई। वे मृतकों की संख्या का पता लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहां से 15 से 20 शव ले जाए जा चुके हैं लेकिन घायलों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है।

महोदया, हम राज्य सरकार से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, हम उनसे सम्पर्क रखे हुए हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है तथा राज्य सरकार ने स्थिति पर पूर्णतया नियंत्रण किया हुआ है। मुख्यमंत्री से फोन पर जो कुछ सूचना मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूंगा।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : हताहतों का क्या हुआ ?

श्री राजेश पायलट : मैंने यही कहा है यह विस्फोट एक साथ लगभग 7-8 स्थानों पर हुए हैं। स्टाक एक्सचेंज के पास हताहत होने वाले लोगों की संख्या कुछ अधिक है। उन्होंने मुझे बताया कि

15-20 लोग पहले ही मर चुके हैं। मेरा विचार है कि अगले एक डेढ़ घंटे में हम सदन को और अधिक सूचना दे देंगे जो और अधिक प्रमाणिक होगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पहले उन्हें जितनी जल्दी संभव हो इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदया, मुझे लगता है कि आपको बहुत कम जानकारी है। क्योंकि यह घटना बम्बई तक ही सीमित नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि आज प्रातःकाल डक्कन एक्सप्रेस जो पुणे से बम्बई आती है उसमें सबसे पहला ब्लास्ट हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन तब से लेकर अब तक पांच की अधिकृत जानकारी मुझे है जहां बम ब्लास्ट हुए हैं, हमारे बम्बई के सचिव ने वहां जाकर देखा है और मुझे बताया है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग में उन्होंने 25 लाशें देखीं। आपने स्टाक एक्सचेंज की बात कही, वहां जो ब्लास्ट हुआ वह नीचे बैंक आफ़ बड़ौदा और बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में हुआ, लेकिन उसमें कितनी जानें गई हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन 25 की जानकारी पक्की है। एयर इंडिया के तीन बेसमेंट हैं उनके ऊपर वह ब्लास्ट हुआ है और एक साथ इतने स्थानों पर हुआ है। एक काथा बाजार में, एक शिवसेना भवन के पास पेट्रोल पम्प पर हुआ है। मेरे कार्यालय को पांच की अधिकृत जानकारी थी, लेकिन जो इधर-उधर से सुनी हुई बात है उसके अनुसार सात-आठ स्थानों पर ब्लास्ट हुआ है। कुल मिलाकर मुझे स्मरण नहीं कि हिन्दुस्तान में कभी भी एक स्थान पर योजना-बद्ध रूप से इतने सारे बलास्ट्स हुए हों। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले को बहुत गम्भीर मानना चाहिए। किसी विदेशी शक्ति का हाथ है कि नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन कम से कम जिसने भी यह योजना बनायी है, वह देश का बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई की जाये, उतनी कम होगी। मैं तो अपनी पार्टी की ओर से कह सकता हूं और मैंने कार्यकर्त्ताओं से कहा कि ब्लड डोनेशन का जो भी काम करना हो, शान्ति से मिलकर सब पीसफुली करें ताकि इसकी प्रतिक्रिया कहीं अन्यत्र न हो, यह उचित नहीं होगा।

सभापति महोदय, सरकारी तौर पर इसका कठोरता से नियमन करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंटेलीजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर लगता है और इंटेलीजेंस के लिए जो भी करना है, आपको करना चाहिए। इस प्रकरण को केवल महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी नहीं मानकर के केन्द्रीय सरकार अपनी जबाबदारी माने। मैं यह भी जानता हूं कि केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्रति अब तक जिस प्रकार का उपेक्षा का बरताव किया है, इसको गम्भीरता से नहीं लिया है। गत दंगे बहुत गंभीर थे और उन दंगों के बारे में भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें भी एक प्रकार का पार्टिजन एटीट्यूड था अन्यथा कभी कोई बर्दाश्त नहीं करता। आज का ऐसा प्रकरण है जिसके बाद हम संसद की ओर से उपेक्षा करते हैं कि सरकार पूरी जानकारी भी देगी और अभी अगर सदन चलेगा तो मैं चाहता हूं कि सदन उठने से पहले जितनी अधिकृत जानकारी आप एकत्र कर सकें तो करें और आप हमें बता दें।

श्री राजेश पायलट : जैसा मैंने खुद कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने भी कहा और यह खबर मिली कि पौने दो बजे ब्लास्ट्स हुए हैं। यह खबर मिलते ही हमने महाराष्ट्र सरकार से बात करने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर साईड पर

चले गए थे। इसलिए जब तक सही खबर सही रूप में न आ जाये, हाउस को देने में कठिनाई है। इसलिए सही बात कहना जरूरी है। वैसे मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि कल को कोई गलत खबर हाउस में दी जाये। मैं वापिस जा रहा हूं। हर घण्टे, आधे घण्टे में जो भी खबर होगी, हाउस को बताता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि सरकार की तरफ से हाउस उठने से पहले सही खबर हाउस को बता दूं।

दूसरा, जैसे यह खबर सरकार को मिली, सारे देश में एलर्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कहीं घटना और नहीं होने देंगे। सारी राज्य सरकारों को आदेश दे दिए हैं। जो भी सरकार के सिस्टम्स हैं, उनको वार्म-अप करके चालू कर दें जिससे यह घटना आगे न बढ़े। वह जगह एअर इण्डिया के बिल्डिंग के पास थी, जिसका आडवाणी जी ने जिक्र किया है। हमने कैजुअल्टीज के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी रिलीफ में लगे हुए हैं, रिकरी में लगे हुए हैं। इसलिए सारी खबर ठीक से जो भी होगी सदन में वापिस आने पर देने की कोशिश करूंगा और सदन के उठने से पहले ज्यादा से ज्यादा जानकारी सदन में दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदया, अपनी पार्टी की ओर से मैं विपक्षी नेता द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत हूं और इस मांग का समर्थन करता हूं कि सरकार को न केवल हमें इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए बल्कि इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति के अधीन आतंकवाद की कार्यवाही बरदाश्त नहीं की जानी चाहिए।

श्री राजेश पायलट : महोदया, मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि हम माननीय सदस्य की टिप्पणी को गम्भीरता से लेते हैं। हम ऐसी ताकतों के विरुद्ध कठोर कदम तथा कारवाई करेंगे।

श्री हम्माद मोल्लाह (उलूबेरिया) : अपनी पार्टी की ओर से भी मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में यह एक बहुत गम्भीर घटना घटी है और सरकार को ऐसी कारवाई करनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी ताकत जो देश का नुकसान करने पर आमादा है इस घटना का फायदा न उठा सके। अतः कठोर कारवाई की जानी चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों का पता लगाया जाय तथा उन्हें हर कीमत पर दण्ड दिया जाये, हर हालत में देश की शान्ति को बरकरार रखा जाये तथा इस घटना को ध्यान में रखते हुए कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखा जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं अपने सहयोगी से सहमत होते हुए इस आतंकवादी कार्य की भर्त्सना करता हूं और सरकार को इस घटना की पूरी जानकारी रखने, दोषियों का पता लगाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जैसाकि देश के कई भागों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि शान्ति बनाये रखी जाये और देश के किसी भाग में कोई गड़बड़ी न हो। सरकार को आज की कार्यवाही समाप्त होने से पहले जो कुछ घटनाएं मुम्बई में घटी हैं उन सबकी ताजा स्थिति की पूरी जानकारी सभा को देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इस घटना की निन्दा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जितनी भी ताकत से सम्भव हो, पूरी ताकत लगाकर, इस घटना में जो भी मुजरिम पाए जाएं उन्हें सख्त दंड देने की व्यवस्था करे, कोशिश करे। इसके साथ-साथ, मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश के पैमाने पर, चूंकि एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, देश तबाह है, अब फिर दूसरी बार ऐसी ही घटना सामने आयी है, मुझे मालूम नहीं कि क्या होने वाला है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि जितनी भी ताकत लगाना सम्भव हो, पूरी ताकत लगाकर इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जाए। क्योंकि यदि इन घटनाओं को रोका नहीं जाएगा तो उसके परिणाम हमारे सामने क्या आयेंगे, उसका परिणाम किस रूप में आयेगा, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, कम से कम मेरे जैसा आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे शंका है कि और जगह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। फिर से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उस तरह का मौका सरकार को नहीं देना चाहिए और पूरी ताकत लगाकर सरकार को इन घटनाओं को रोकना चाहिए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, अभी माननीय श्री चन्द्रजीत यादव ने जिस प्रश्न को सदन के सामने रखा कि बम्बई में बम विस्फोट हुए और उस पर, माननीय मंत्री जी अधूरा समाचार लेकर आये, उसके बाद विपक्ष के नेता, आडवाणी साहब ने जो कुछ यहां कहा, मैं यह मानता हूं कि इस देश में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन सबसे ज्यादा सीरियस यह घटना है। चूंकि हर जगह पर ऐसी घटनाएं घटना, वह हमें आगे के लिए यह संकेत दे रहा है कि ऐसी ही घटनाएं और जगहों पर भी अब घटेंगी और देश के अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ ऐसी ही घटनाएं होने वाली हैं। ऐसे मामलों में सरकार हमेशा यह कह कर चलती रहती है कि हम एक्शन लेंगे लेकिन एक्शन होता नहीं है। इसमें किसी दल या पार्टी का सवाल नहीं है। यह घटना अपने आप में बहुत संगीन है। मैं चाहता हूं कि सरकार को गम्भीरता से इसकी छानबीन करनी चाहिए और पता करना चाहिए और जितनी मुस्तैदी से हो, इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे दल की यही नीति है, कार्यक्रम है और मैं इस मामले में पूरा सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मेरा विचार है कि बम्बई की भयानक घटना जिसका अभी माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है उस बारे में सदन काफी चिन्तित है तथा यह सरकार का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए पर्याप्त है और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी सूचनाएं उपलब्ध हों उसको आज की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व सदन को दे दी जायें।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि श्री चन्द्रजीत यादव जी ने इस मुद्दे को सभा में उठाया था अतः मैंने तत्काल गृह मन्त्री

से सम्पर्क किया। गृह मन्त्री ने कहा कि श्री राजेश पायलट जी सभा में आ रहे हैं और जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह उसे सभा में रख देंगे। श्री राजेश पायलट जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि इसके अलावा अन्य जानकारी तत्काल सदस्यों को दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति जी, मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। चूंकि यह एक जघन्य घटना घटी है, इसलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदया, अगर सभा की कार्यवाही जारी रहती है, तभी यह सम्भावना होगी कि मंत्री महोदय, अन्य जानकारी सहित सभा में वापिस आ सकते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मुद्दा केवल यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व सभा में वक्तव्य अवश्य दें।

04.15 म० प०

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं श्री देशमुख को यह विधेयक प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। मुझे भी देश के कृषि-कर्मकारों के कार्यकरण की परिस्थितियों एवं रहन-सहन के बारे में ऐसा ही व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

महोदया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि श्रम मंत्री महोदय हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं। हमारे देश के कृषि-कर्मकारों को अब जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके अनेक पक्ष हैं। इस समस्या की ओर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना ही चाहिए। अब, प्रश्न यह है कि एक कृषि-कर्मकार, एक कर्मकार है अथवा नहीं। एक कर्मकार होने के नाते, एक कर्मकार को कतिपय अहस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों की रक्षा करने हेतु, आजादी से पूर्व ही कुछ विधान इस देश में पारित किए गए हैं। अतः, मैं श्रम मन्त्री महोदय से सबसे पहला प्रश्न यह पूछता हूं कि एक कृषि कर्मकार, एक कर्मकार है अथवा नहीं तथा वह कुछ अधिकारों का पात्र है अथवा नहीं। एक कर्मकार को हमारा संविधान, मानव अधिकार, एक नागरिक के रूप में अन्य अधिकार तथा उसके जन्म के कारण, वह आज कतिपय अधिकारों का हकदार है।

महोदय, औद्योगिक कामगारों के अधिकारों की संरक्षा की जा रही है और उन्हें जीवन की दशा सुधारने के लिए अनेक सामाजिक विधान प्राप्त हैं तथा सरकार भी प्रतिक्रिया करती है। सरकार कामगारों की मांगों पर प्रतिक्रिया करती है। 19 मार्च को यह सरकार इस देश की अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा दिये गए आह्वान पर एक हड़ताल का सामना करने जा रही है। अतः, चूंकि ये कामगार संगठित हैं, यह संगठित कार्यकारी-श्रेणी सरकार की अकर्मण्यता, उदासीनता और निर्दयता का मुकाबला कर सकते हैं और वे अपनी मांगों का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इन लाखों कर्मकारों

के बारे में क्या स्थिति है, वे भी अपना खून-पसीना बहाकर जीवकोपार्जन करते हैं ? क्या वे कामगार नहीं हैं ? आप उन्हें क्या संरक्षण देते हैं ?

अब, अगर हम गणना-प्रतिवेदन का अवलोकन करें, तो कृषि कर्मकारों की संख्या, हमारे देश के संगठित कामगारों से बहुत ज्यादा बनती है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 40 अथवा 50 लाख और होगी तथा रेलवे तथा अन्य विभागों समेत संगठित श्रमिकों की संख्या कुल मिलाकर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। लेकिन हमारे देश में कृषि कर्मकारों की संख्या के बारे में क्या स्थिति है ? अब विभिन्न जांच-रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी गई हैं। अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच, ग्रामीण श्रमिक जांच हुआ करती थी और 1965 में कृषि श्रमिकों पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी हुई थी। ये व्यवस्थाएं आरम्भिक दिनों की हैं। 1965 में यह अनुमान लगाया गया था कि कृषि कर्मकारों की कुल संख्या 3 करोड़ थी। अब, मुझे 1971 की गणना के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं जिनके अनुसार यह विदित होता है कि 1961 के 31.52 मिलियन की तुलना में भारत में कृषि कर्मकारों की संख्या 47 से 48 मिलियन है। यह 1971 की गणना की शासकीय रिपोर्ट है। 1981 में यह गणना से इससे काफी अधिक होनी ही चाहिए। सामान्यत: एक दशक के दौरान कम-से-कम एक करोड़ की वृद्धि इस संख्या में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में कृषि कर्मकारों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। श्रम मंत्रालय इस बारे में अत्यधिक चिन्तित है और इसे चिन्तित होना चाहिए तथा मैं भी संगठित कामगारों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण करने के बारे में चिन्तित हूं।

क्या मैं यह प्रश्न सभा और सरकार से पूछ सकता हूं, जिनकी संख्या अधिक है। कृषि कर्मकार संगठित श्रमिकों से पांच गुणा हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के सिवाय, उन्हें किसी विधान द्वारा संरक्षित कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिनियम कृषि श्रमिकों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामगारों के लिए भी है। कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने से अधिक उल्लंघना की जाती है। अनुपालना से अधिक इसे उल्लंघना के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं इन बातों पर बाद में चर्चा करूंगा।

अत: मैं मानवता के नाम पर लाखों दलितों के नाम पर, देश के कम अधिकार प्राप्त एवं शोषित जनसमूह हेतु, यह मांग करता हूं कि मानवता के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करने हेतु सरकार कानून क्यों नहीं बनाती है। यह बेइज्जती है। यह कुछ ऐसी बात है, जिसे संसद हर समय याद भी नहीं करती रहेगी। महोदया, अत: संसद मांग करती है कि कृषि-कर्मकारों के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। प्रारूप-विधेयक की विषय-वस्तु पर विचारों में कुछ भिन्नता हो सकती है। मैं इस विषय को बाद में लूंगा।

सच तो यह है कि सरकार भी इसके विरुद्ध नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप विधेयक नहीं लाना चाहते। जुलाई, 1975 में हुए श्रम मंत्रियों के छब्बीसवें सम्मेलन में केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 की सराहना की गई थी और इस विषय पर एकसमान केन्द्रीय विधान को बनाने का सुझाव दिया गया था। यह वर्ष 1975 की बात थी। 1978 में असंगठित ग्रामीण कर्मकारों पर एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसका कि मैं सदस्य था। समिति ने इस मुद्दे पर वार्ता की और देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इस समिति ने कृषि कर्मकारों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव की और सरकार के विचारार्थ एक मॉडल विधेयक भी प्रस्तुत किया। उसके

पश्चात्, श्रम मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति—गुरुदास दास समिति—ने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया। उस समिति ने हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे इन लाखों कृषि कर्मकारों के कष्टों एवं उनके शोषण के बारे में विवेचन किया। उस समिति ने एक केन्द्रीय कानून बनाने की भी सिफारिश की। सरकार की प्रतिक्रिया सदैव यह रही है कि केन्द्रीय कानून बनाने की क्या जरूरत है। जैसे केरल ने अपना कृषि कर्मकार कानून बनाया, उसी प्रकार आप भी पश्चिम बंगाल में अपना कानून बनाइए। पश्चिम बंगाल ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बिहार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? उत्तर-प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मध्य प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, वह ऐसा कानून बनाकर प्रसन्न होगा। लेकिन यह एक राज्य की समस्या नहीं है। लेकिन इसमें राजनैतिक समस्या है। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि अधिकतर राज्य सरकारें बड़े भू-स्वामियों द्वारा प्रभावित की जा रही हैं। बड़े भूपतियों की लाबी ही राज्य सरकारों का भाग्य तय करती हैं। अतः वे कृषि कर्मकारों के हितों की समुचित सुरक्षा हेतु एक कानून बनाने में रुचि नहीं रखते। अतः, विवादास्पद विषय यह है कि राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए। आपमें कानून बनाने की सक्षमता भी है। केन्द्रीय कानून क्यों नहीं बनाया गया? क्या ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है? यह एक समवर्ती विषय है। संसद को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह कृषि कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक कानून बनाने में सक्षम है। संसद इस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करती? आप इस जिम्मेदारी को क्यों टाल रहे हैं? आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं कि राज्य विधानमंडल इन कानूनों को पारित करे? अतः मुद्दे को मोड़ने की सरकार की ये केवल कोशिशें ही हैं।

अतः, अपनी बहस को फैलाने की बजाय, मैं सीधे तौर पर यह जानना चाहता हूं कि कृषि कर्मकारों के मुद्दे पर एक केन्द्रीय कानून क्यों नहीं अंगीकृत किया जाना चाहिए। सरकार को मेरे द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का एक सकारात्मक उत्तर देना चाहिए।

जहां तक इस कानून की विषय-वस्तु का संबंध है, मैंने विभिन्न पक्षों सहित एक विधेयक पुरस्थापित किया है। इस विधेयक में कृषि कर्मकारों एवं राज्य सरकार आदि के प्रतिनिधियों के समावेश सहित एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार शामिल है। इस विधेयक में कृषि कर्मकारों के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं को तैयार करने के कतिपय उपबंध होने चाहिएं, ताकि जिन दिनों में कोई कार्य नहीं होता है, उन दिनों में इन परियोजनाओं का आश्रय लिया जा सके तथा कृषि कर्मकारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ऐसा करने के पीछे समूची विचारधारा में यह देखना है कि हमारे देश के अनेक कानूनों द्वारा औद्योगिक कामगारों के जिन सभी अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है, उनकी कृषि कर्मकारों के लिए भी गारंटी दी जानी चाहिए।

जहां तक काम के घंटे, आराम के अधिकार, पेंशन का अधिकार तथा जीवन की अन्य सुविधाएं एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का संबंध है, इन सभी बातों को संसद द्वारा बनाये जाने वाले एक व्यापक कानून में शामिल किए जाने की जरूरत है, केवल तभी कृषि कर्मकारों के अधिकारों की समुचित देखभाल एवं सुरक्षा की जा सकती है।

अधिकांश कृषि मजदूर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होते हैं। इस दृष्टि से भी यदि आप हमारे समाज के इन उपेक्षित लोगों को वास्तव में आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना चाहते हैं तो इस तरह का कानून बनाया जाना बहुत कारगर सिद्ध होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के लोगों का तब तक उद्धार नहीं हो सकता जब तक उन्हें आर्थिक सुदृढ़ता मुहैय्या न कराई जाय और यह आर्थिक सुदृढ़ता तभी आ सकती है जब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस तरह का एक व्यापक कानून बनाया जाए। आप सामन्तशाही प्रथा को तोड़ सकते हैं। जब तक आप कृषि मजदूरों को उनकी दासता से मुक्त नहीं करते, तब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों से सामन्तशाही प्रथा के अवशेषों को समाप्त नहीं कर सकते। बिहार में क्या हो रहा है? सभी विवाद अधिकांशतः कृषि मजदूरों से ही संबंधित हैं। मुझे याद है कि केन्द्र सरकार में जब श्री वाई० बी० चव्हाण गृह मंत्री थे, एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि यदि सरकार कृषि मजदूरों के कल्याण में पर्याप्त रूचि नहीं लेती है तो उसे खूनी क्रान्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब खूनी क्रान्ति के बजाय हम वहां प्रति-आतंकवाद देख रहे हैं। बिहार में भूस्वामियों की ओर जाति के आधार पर कतिपय क्षेत्रीय हितों के आधार पर कुछ सेनाएं तैयार की जा रही हैं।

वे कृषि मजदूरों खासकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मजदूरों से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इसलिए यह मात्र निश्चित राशि के आर्थिक अधिकार की गारन्टी देने का ही सवाल नहीं है। इसमें सामाजिक और मानवीय अधिकारों की गारन्टी का भी उल्लेख है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्तवादी प्रथा को तोड़कर भारत को सामन्तवाद के अवशेषों से मुक्त करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि कृषि मजदूरों के कानून पर उक्त दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।

सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मुझे शीघ्रातिशीघ्र इस तरह का केन्द्रीय कानून न बनाने का ऐसा कोई व्यवहारिक कारण नहीं दिखाई देता। भूमि सुधार निश्चित रूप से एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वास्तविकता तो यह है कि केरल और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में कोई भूमि सुधार नहीं हुआ है। मेरे पास इस बात को सही ठहराने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

इसलिए यदि आप इस तरह का कानून बना सकते हैं और यदि कृषि मजदूरों को अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में लाया जा सके, यदि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाता है तो भूमि सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वियन भी आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि यह पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें अमानवीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया जा रहा है।

क्या संसद की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जितना भी हम कर सकते हैं यह तो कम से कम दायित्व है। और यह न्यूनतम दायित्व संसद में इससे संबंधित कानून बनाने का है। हमारे पास विधायी क्षमता भी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा विधेयक बनाये जिसमें श्री देवमुरा के विधेयक के उपबंधों और कुछ मेरे विधेयक के उपबन्धों को भी सम्मिलित किया जाय। केरल कृषि मजदूर विधेयक, 1974 के प्रारूप के आधार पर उन्हें भी ऐसा विधेयक लाना चाहिए। मेरा विचार है कि इसे जितना सम्भव हो जल्दी से जल्दी लाया जाये। इसे दलगत मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। यह ऐसा मामला बनकर नहीं रहना चाहिए जिसकी केवल सरकार ही पहल करे। समूचे

संसद को इसे उठाना चाहिए। मेरी आप सभी से अपील है कि सरकार को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए और राज्य विधानमण्डल पर कानून बनाने का ढोंग अलापने की बजाय उसे सीधे इस विधेयक को पुनःस्थापित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, श्री चन्दूभाई जी देशमुख के इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में खेती में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी दयनीय है। उनकी आर्थिक स्थिति तो कोई है ही नहीं, जिसके बारे में वर्णन किया जाय। उनके रहने को मकान नहीं है, वह झोंपड़ी में रहते हैं। सवेरे मजदूरी करने जाते हैं, शाम को जो छोटा मोटा मिल जाता है, गांव में तो अनाज मिल जाता है, उसको लाकर उनको गुजारा करना कितना कठिन है, यह आप सोच सकते हैं। फिर दूसरे दिन उनको मजदूरी पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी···इसके कारण आज दुखद स्थिति पैदा हो रही है। मजदूर का बेटा मजदूर ही बनता चला जा रहा है। वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, लिखा नहीं सकता है। गरीबी के कारण पढ़ाना-लिखाना तो दूर, वह भर पेट रोटी भी नहीं खा सकता है, यदि बीमार पड़ जाए, तो इलाज भी नहीं करा सकता है। इतनी दयनीय दशा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी का काम करने वाले मजदूरों की है।

इन मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य बात यह है कि इन मजदूरों की जो एम्पलॉयर है, उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। मालिक भी गरीब है और मजदूर भी गरीब है। मालिकों का भी पेट नहीं भरता है। वे पैसा दें, तो कहां से दें। जब तक उनको भरपूर वेतन नहीं मिलेगा, उसको भरपूर पैसा नहीं मिलेगा, तो अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कानून बनाने के साथ किसानों की आर्थिक दशा को भी सुधारे। एक समस्या और भी है, ओला यदि पड़ जाता है, तो खेती मारी जाती है सूखा पड़ जाता है, तो भी खेती मारी जाती है। मैं किसानों की स्थिति को जानता हूं। किसानों की हालत यह है कि किसी के पांच एकड़ जमीन है और किसी के पास आठ एकड़ जमीन है। यह बात भी ठीक है कि कुछ जगहों पर जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है और उन्होंने फर्जी नामों से अपनी जमीनों को रखा हुआ है। वे बड़े फार्मर हो सकते हैं और कुछ लोग वे भी हो सकते हैं, जो व्यापार करते हैं। नम्बर-दो का पैसा है, नम्बर-एक करने के लिए खेत खरीद लेते हैं या वे बड़े सरकारी अधिकारी हैं, नौकरी करते हैं वहां की रिश्वत की कमाई, नंबर-दो की कमाई को यहां पर लगा देते है। मैं उन किसानों की बात नहीं करता हूं, जो नकली किसान हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सीलिंग लगाने के बाद अब कोई बहुत बड़ा किसान नहीं रह गया है। पहले यह भी कहा जाता था कि आई०ए०एस० का बेटा आई०ए०एस० होता है, आई०पी०एस० का बेटा आई०पी०एस० बनता है और किसान का बेटा किसान होता है। मगर अब स्थिति यह है कि किसान का बेटा किसान नहीं होता है, किसान का बेटा मजदूर पैदा होता है। कारण यह है कि खेत अब बंटते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा कि हर वर्ष किसान मजदूर होता चला जा रहा है। मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि अब खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, वे संगठित नहीं हो सकते हैं, यूनियन नहीं बना सकते हैं। उनको श्रम विभाग के द्वारा

भी सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। उनको कोई श्रमिक नेता भी नहीं मिलते हैं। गांवों में उनकी कोई यूनियन नहीं बन पाती है। जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वे दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कानून बनाए और मैं तो यह चाहता हूं कि इसी बिल को मंजूर किया जाए और सर्वसम्मति से पास किया जाए और मजदूरों के हित में काम किया जाए।

मैं चाहूंगा कि मिनिमम वेज एक्ट लागू हो और माननीय सदस्य श्री चन्दूभाई देशमुख जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह 30 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने का रखा है, हालांकि मैं जानता हूं कि आज के जमाने में 30 रुपए में कुछ नहीं होता है। 12-14 रुपए अब मिलते हैं और इनसे 30 रुपए तो ज्यादा नहीं है। कम से कम यह राशि तो मिले। मेरा सुझाव है कि गांव-गांव में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए कि हर गांव में कितने मजदूर हैं और उनकी स्थिति क्या है और उसके बाद उन मजदूरों का बीमा किया जाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, काम करते हुए कभी-कभी मजदूर मर भी जाता है और मरने के बाद उसके परिवार का जीवन-यापन कौन करेगा। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से उनका बीमा होना चाहिए, जिससे उसके परिवार के लोगों को बीमा का लाभ हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल मौसम बहुत खराब हो गया था और बारिश हो रही थी। बादल गड़गड़ा रहे थे। जब-जब होली के बाद बादल और वर्षा होती है तो ओला गिरता है, होली से पहले वर्षा हो जाती तो कोई डर नहीं था। हम जिस समय आसमान का रंग रात को देखते हैं, अभी कल ही मैंने देखा, क्योंकि मैं एक किसान हूं मुझे मालूम है मेरा दिल कांप रहा था कि अगर ओला पड़ गया तब, क्योंकि जो प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारी रबी की फसल बहुत अच्छी है वह चौपट हो जाएगी, अगर ओला गिर गया तो फसल समाप्त हो जाएगी हम भगवान से प्रार्थना करें कि ओला न गिरे, अगर ओला गिर गया तो किसान मर जाएगा और जब किसान मर जाएगा तो गेहूं काटने के लिए खेत में कार्य नहीं रहेगा तो ये खेतीहर मजदूर क्या काटेंगे। उसको मजदूरी कहां से मिलेगी। (व्यवधान)

सभापति महोदया, अब स्थिति यह है कि यह चौपट हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी कहां से मिलेगी और वह खेतिहर मजदूर कहां जाएगा। गेहूं खेत में नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वे किसानों की फसल का बीमा कराएं जिससे किसान को हरजाना मिल जाए और उस हरजाने में वे अपने गरीब मजदूरों को कुछ दे पाए। इसलिए बीमा होना बहुत आवश्यक है और बीमा भी वैयक्तिक होना चाहिए, सामूहिक बीमा नहीं होना चाहिए। यह एक नया कानून बना दिया कि सामूहिक बीमा होगा और सामूहिक बीमा की, मैंने जब बीमा वालों से बात की तो उन्होंने इसकी परिभाषा की कि पूरे गांव के नुकसान का परसेंटेज लगाया जाए, यह क्या तमाशा है। मेरे खेत में ओला गिर गया, पड़ौस के दूसरे खेत में बच गया तो मुझे हरजाना इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पड़ोस के खेत वाले के यहां ओला क्यों नहीं गिरा। उसकी फसल चौपट क्यों नहीं हुई। यानि कि यह स्थिति हो गई कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके घर वालों को क्लेम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसके मुहल्ले वाला दूसरा क्यों नहीं मरा। यह क्या तरीका है। इसलिए व्यक्तिगत बीमा होना चाहिए, हर किसान का बीमा होना चाहिए और उसी आधार पर उसको उसका क्लेम मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, यह सरकार बड़ी गम्भीरता से इन चीजों को नहीं लेती है, यह बहुत हाईफाई ढंग से सोचती है कभी ठीक ढंग से नहीं सोचती है। अब खेतीहर मजदूरों की जो स्थिति है वह किसान की स्थिति पर निर्भर करती है अगर किसान की स्थिति दयनीय हो गई तो आप लाख कानून बना दीजिए किसान मजदूरी कहां से देगा। अब दुखद स्थिति यह है कि अगर डुंकेल प्रपोजल को आपने स्वीकार कर लिया तब तो और दशा खराब हो जाएगी, भगवान ही जाने तब क्या तमाशा बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं इस विषय को और लम्बा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे और भी साथी बोलने वाले हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि खेतीहर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए उनके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट बनना चाहिए। वैसे तो शहाबुद्दीन साहब जी कह रहे थे पचास रुपया रोज मिलना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि इस महंगाई में 50 रुपया बहुत कम है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 50 रुपया भी वैसे आज की महंगाई के हिसाब से 5-6 लोगों का पेट पालने के लिए कम पड़ता है मगर हमारे माननीय सदस्य ने 30 रुपया प्रतिदिन का बिल लाया है मैं सरकार की तरफ से और सब विरोधी पक्षों की तरफ से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आप 50 रुपया नहीं दे सकते हैं तो 30 रुपए का आप यह प्रस्ताव पास कराएं, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कराएं और इस प्रस्ताव पर राजनीति से ऊपर उठकर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चंदुभाई देशमुख इस बिल को लाए हैं इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति की दुर्गन्ध नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सही काम के लिए सही बिल लाए हैं, खेतीहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए उनको मिनिमम वेजेज देने के लिए और उनको जो सुविधाएं इसमें लिखी हैं वे सब प्राप्त कराने के लिए इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदया, श्री चन्दू भाई देशमुख का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी विधेयक प्रस्तुत किया। श्री शहाबुद्दीन जी ने यह ठीक ही कहा है कि यह विधेयक **दरिद्र नारायण** की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। **बाबरी मस्जिद** की बजाय **दरिद्र नारायण** की बात करते हुए श्री शहाबुद्दीन जी बहुत अच्छे लगते हैं। भाजपा मित्रों का भाषण भी बड़ा अच्छा लगा, जब उन्होंने रामजन्म भूमि के बजाय कुछ समय भारतीय श्रमिकों, कृषि मजदूरों से संबंधित मौलिक बातों को उठाया। सभापति महोदय, मैं यह सब हल्के-फुल्के ढंग से कह रहा हूं। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत आशय नहीं है। मैं इस विधेयक के लिए श्री चन्दू भाई देशमुख का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विधेयक हर तरह से प्रशंसनीय है।

जैसाकि आप जानते हैं कृषि भारतीय जीवन का और हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यह वह आधार है जिस पर भारत का सब कुछ खड़ा है। मैं समझता हूं कि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या, यदि इससे अधिक नहीं, कृषि पर निर्भर है। हमारी संस्कृति, सिद्धान्त, हमारी आस्था, सब कुछ कृषि पर ही आधारित है। यहां तक कि धर्म को भी कृषि से जोड़ा जाता है।

कुल मिलाकर यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कृषि मजदूर असंगठित रहता है। और कई मामलों में वे सोचते हैं कि उनकी औद्योगिक मजदूरों से, जिन्हें एक विशेष वर्ग माना जाता है, कहीं अधिक उपेक्षित कर दिया गया है।

मैं कारबर्ड ब्लाक के मेता श्री चिस बसु द्वारा कृषि मजदूरों के संबंध में व्यक्त की गई भावना को खूब समझता हूं, इसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनका इरादा औद्योगिक मजदूरों की तरह कृषि मजदूरों का मत हासिल करना नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब वह इस अवसर पर बोलते हैं, इसका समर्थन करते हैं तो लगता है कि वह वास्तव में श्रम कल्याण की भावना से प्रेरित हैं।

इस विधेयक में समूचे देश में कृषि मजदूरों का समान आधार का सही प्रावधान किया गया है। मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नितला इस विधेयक की भूमिका पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं कि यह विधेयक केरल जैसे राज्यों में पहले से ही लागू है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि हम कई राज्यों में ऐसा विधेयक ला चुके हैं। इसमें केवल समस्या यही आ रही है कि इसमें विभिन्न राज्यों में एकरूपता नहीं आ पा रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई केन्द्रीय कानून नहीं है, जिससे इसका कार्यान्वयन विनियमित किया जा सके, इस विधेयक को कार्य रूप दिया जा सके।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृषि मजदूर या कृषि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भारतीय जीवन प्रणाली के हर प्रकार के शोषण और दुर्भाग्य से सर्वाधिक पीड़ित रहे हैं। उदाहरणार्थ, बच्चों से खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करवाने के विरुद्ध सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, तथा नियोक्ताओं द्वारा उनके शोषण को रोकने के लिए न तो कोई कानून है और न ही कोई पैन्शन अथवा बीमा योजना, जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने उल्लेख किया है।

हमारे राज्य में सामान्यतः ऐसा शोषण नहीं होता है, क्योंकि हमारे राज्य असम में बड़े-बड़े जमींदार नहीं हैं। जब हम हिन्दी फिल्मों में यह देखते हैं कि मजदूरों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार हो रहा है तथा उन्हें सभी प्रकार के हथियारों से पीटा जा रहा है तथा बन्दी बनाकर रखा जाता है तथा उनका सभी प्रकार से दुरुपयोग होता है तो हमें बहुत घबराहट होती है तथा प्राकृतिक तौर पर अगर यह वास्तविक चित्रण है तो खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इस देश में और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। यह इस दिशा में काफी छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम होगा।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जबकि हम सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र को निर्यातोन्मुख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम अपने देश से बाहर इसका निर्यात बढ़ाने तथा नए बाजार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश के भीतर कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रगतिशील कानून बनाना अतिआवश्यक है। हमें अपने कृषि कामगारों की स्थिति की तुलना दूसरे देशों के कृषि कामगारों से करनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार चीन में हमसे कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद उत्पादन दोगुना है। जिसे भी भारत और चीन के खेतिहर मजदूरों की स्थिति का पता होगा; वह यह बता सकता है कि दोनों की स्थिति में बहुत अन्तर है। इस अन्तर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इस विधेयक के उद्देश्यों का सभी को समर्थन करना चाहिए। उद्देश्यों संबंधी कथन तथा कारणों में काम की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि भा०ज०पा० के मेरे एक मित्र ने उचित ही कहा है कि कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए हमें उनके वेतन ढांचे, पेन्शन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के बारे में राजनैतिक हितों

से ऊपर उठ प्रयत्न करने चाहियें। यह काफी समय से लम्बित है तथा यही उचित अवसर है जब हमें इस दिशा में कोई पहल करनी चाहिए। हम असम में पहले ही चाय की खेती में लगे खेतिहर मजदूरों को औद्योगिक मजदूरों के बराबर का दर्जा दे रखा है। हमारे माननीय श्रम मंत्री उसी क्षेत्र से हैं। उनका काफी व्यापक अनुभव भी है। वास्तव में वह मेरे अध्यापक थे। जिस स्कूल में वह पढ़ाते थे वहां उन्होंने अनेक चाय बागान में लगे मजदूरों को पढ़ाया है। वह उनकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह कौन सा विषय पढ़ाते थे ? मेरे विचार में श्रम कानून नहीं पढ़ाते थे।

श्री किरिप चालिहा : वह भूगोल के अध्यापक थे निर्विवाद रूप से वह कानून तथा मार्क्सवाद के भी सक्षम अध्यापक थे।

मुझे विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री महोदय केरल में लागू अधिनियम के आधार पर ही नहीं, अपितु चाय बागान के मजदूरों पर लागू होने वाले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को भी सक्षम रख कर इस कानून को गम्भीरता से बनाने पर विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए वह अवश्य ही कुछ विशेष कदम उठायेंगे।

मूल विषय वस्तु के संबंध में जो मजदूरी की दर के संबंध में विचार और राय प्रकट की गई है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में 30 रु० एक मामूली सी राशि है। खेतिहर मजदूर के लिए 30 रु० बहुत ही कम हैं तथा मैं नहीं समझता कि हम उससे न्याय कर रहे हैं। यहां तक कि मेरे राज्य में घर में काम करने वाले मजदूर को भी कम से कम 50 रु० प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि 700 रु० मासिक की बजाय 1500 रु० मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए।

विधेयक के खण्ड 14 में कहा गया है कि इसमें 40 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च आयेगा तथा इसके अतिरिक्त संचित राशि से 50 लाख रुपए का अनावर्ती खर्च आयेगा। मैं नहीं समझता था इतनी राशि का प्रबंध नहीं किया जा सकता। वास्तव में हमें डा० मनमोहन सिंह तथा उनकी बौद्धिक प्रबुद्धता पर इतना विश्वास है कि वह उनके लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करेंगे। वास्तव में मेरा तो विचार यह है कि जब असम में उन आतंकवादियों को 100 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं जोकि लोगों की हत्यायें कर रहे हैं—मारुति वाहन तथा 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लोगों की हत्यायें करने के लिए दिए गए हैं, तो 40 करोड़ रुपए की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। कृषि मजदूरों के लिए हम यह राशि बढ़ाकर दुगनी या तिगुनी भी कर सकते हैं। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। (व्यवधान) वे हमारे भारतीय जीवन की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसाकि गांधी जी ने कहा था। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब कि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने भी कांग्रेस के बारे में कोई आलोचनापूर्ण टिप्पणी नहीं की है तथा वह भारत के समक्ष समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। यह एक हर्षपूर्ण अवसर है जबकि मैं अपने से पहले के वक्ताओं का पूर्ण समर्थन करता हूं।

इन कुछेक शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी, हमारे माननीय सदस्य श्री चन्दूभाई देशमुख ने न्यूनतम मजदूरी एवं कल्याण विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हर आदमी जानता है कि हमारे देश में दो तरह के मजदूर हैं, एक तो संगठित मजदूर हैं और दूसरे असंगठित मजदूर हैं। असंगठित मजदूरों में हम खेतिहर मजदूरों को रखते हैं। खेतीहर मजदूर ही नहीं बल्कि उनमें ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं, जहां पर अधिकांश महिलाएं रहती हैं। खेत पर काम करने वाले जो मजदूर हैं तो वहां भी महिलाएं रहती हैं। उनकी तादाद पांच करोड़ है और इनकी तादाद एक करोड़ से अधिक होगी।

कल प्रधान मन्त्री जी बोल रहे थे, वह मैं इस सदन में याद दिलाना चाहता हूं। बहुत जोरदार शब्दों में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हमारा देश कृषि पर आधारित है और मैं इस चीज को भूला नहीं हूं और मैं उसी पर रास्ते पर जाने को तैयार हूं। देश को आर्थिक संकट से अगर निकालेंगे तो कृषि ही हमारा प्रधान कार्य है और उसी की बदौलत हमारा देश आर्थिक संकट से निकलेगा। हमारे देश में जब अच्छी फसल होने लगती है तो हमारा वित्तीय संकट भी दूर होने लगता है। अगर ऐसी बात सही है तो खेत में काम करने वाले कौन हैं। जो इतनी खेत की तरक्की करते हैं और फसल उगाते हैं और आज हम बहुत ज्यादा से ज्यादा खेत से फायदा उठा रहे हैं तो उनमें खेतीहर मजदूर हैं। उनकी स्थिति क्या है।

4.59 म० प०

(श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए)

कल मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला था। मैंने इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था कि खेतीहर मजदूरों की अभी तक वही हालत है जो सौ वर्ष पहले थी। आज उनके रहने के लिए कहीं झोंपड़ियां हैं जो पहले थीं। इन्दिरा आवास योजना चल रही है, कुछ जगह पर मकान बन रहे हैं अभी भी खगड़े लगाकर बरसात के मौसम में वे जीवन गुजारते हैं। इस पर बोलना अलग है लेकिन व्यवहार देखना अलग है। आप बढ़िया भाषण कर सकते हैं और आप विद्वान भी हैं, लेकिन गांवों में जाने से वहां की सच्चाई का पता लगता है कि उनकी स्थिति क्या है। खेतीहर मजदूरों की उम्र ढलने लगती है तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता। यह उनका परम्परागत तरीका है कि जब उनके बच्चे जवान होते हैं तो वे अलग हो जाते हैं और अकेले बूढ़े रह जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता जबकि संगठित मजदूरों के लिए भिन्न-भिन्न तरह के इंतजाम होते हैं। खेतीहर मजदूरों के लिये राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग संगठन बनाई हुई हैं।

5.00 म० प०

लेकिन वह सिर्फ कागज पर बना हुआ है, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। आप न्यूनतम मजदूरी की बात कहते हैं, राज्य सरकारों ने इसके लिए कानून बनाया है, लेकिन वह लागू नहीं होता है। आप जब तक खेत को उन्नत नहीं बनायेंगे, कृषि को लाभकर नहीं बनायेंगे तो आपके ये कानून जो बने हुए हैं टांय-टांय फिस्स हो जायेंगे। जैसे आपका बाल श्रमिक कानून बना हुआ है तो क्या आप आज तक उसको लागू कर पाये हैं या किसी बच्चे को मजदूरी करने से रोक पाये हैं। जिस इलाके में दो-दो साल से फसल मारी जाती है तो वहां पर न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो पाती, जहां सिंचाई का पूरा प्रबन्ध है

वहां पर न्यूनतम तो क्या अधिकतम मजदूरी भी लागू हो सकती है। इसलिए एक ऐसा केन्द्रीय कानून बनाना चाहिये जिससे उनके बुढ़ापे की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। चाहे सरकार इसके लिए अपना कोष बनाये, लेकिन उनके लिये यह कानून होना चाहिये। आज उनकी दवा के लिए प्रबन्ध नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। आज वही बात है कि हलवाई बाप का बेटा भी वही काम करता है ऐसे ही इनके बच्चे भी आगे चलकर शोषण का शिकार होते हैं।

सभापति महोदय, आज आपने अभी एक दुःखद घटना सुनी, उसी तरह से बिहार में भी ऐसे संगठन बन रहे हैं। उसमें इन्हीं खेतीहर मजदूरों के बच्चे हैं, यही गरीब और दलितों के बच्चे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए वे राष्ट्रीय धारा से अलग होकर उग्रवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। इनको ऐसा न करने देने के लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार आयोग बनाती है, जांच कराती है और उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको ठंडे बस्ते में रख देती है। आप भी रिपोर्ट से अवगत हो चुके हैं, इसलिए इसके लिए कुछ करना होगा जिससे ये बच सकें, देश बच सके। इन सब खेतीहर मजदूरों को, जो क्रेशर में काम करने वाले हैं, ईंट-भट्टे में काम करने वाले हैं उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाता इसलिए ऐसी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय धारा से अलग हो रहे हैं इनको राष्ट्रीय धारा में रखने के लिए उचित प्रबन्ध जल्दी से जल्दी करना होगा। यह सत्र लम्बा चलेगा, आप विधिवेत्ताओं से विचार-विमर्श करके इसी सत्र में कानून लाकर उनकी रक्षा के लिए काम करें।

हमारे ये मजदूर प्रदूषण का भी शिकार हो रहे हैं, इनको टी० बी० और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं और इससे ये मर रहे हैं। क्रेशर और भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों को जिनमें उनके बच्चे और महिलायें भी काम करती हैं, पत्थर की डस्ट उनके पेट में जाती है और टी० बी०, कैंसर रोग हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बन्दोबस्त नहीं किया जा रहा है। क्या उनके लिए यह देश नहीं है। जब उनको यह बताया जाता है कि तुम इतना काम करते हो, तुम दिन रात एक करके देश के लिए इतना कुछ करते हो, लेकिन देश ने तुम्हारे लिए क्या किया कि तुम्हारे खाने की भी उचित व्यवस्था नहीं की और तुम जाड़ों में ठिठुरते हुए मरते हो तो इस तरह की बातों से नौजवान के मन में यह भावना आती है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वह समझता है कि यही व्यक्ति मुझे रास्ता दिखाने वाला है इसलिए वह उसके साथ हो लेता है और उग्रवाद की तरफ कदम बढ़ाता है।

यह बात सही है कि हमारी पार्टी बार-बार इस बात का ऐलान करती आई है कि एक केन्द्रीय कानून न्यूनतम मजदूरी का बने जिससे इन मजदूरों को बचाया जा सके। जवाहर योजना की बात करते हैं, हमारे प्रधान मन्त्री ने बताया है कि इतना प्रतिशत दिया गया है, गत वर्ष से ज्यादा रुपया दिया गया है।

यह बात ठीक है तो जो रुपया दिया गया है, उसी को देखना पड़ेगा कि किस माध्यम से खर्च होता है। गांव में पेशा बन गया है कि मुखिया अपने ही आदमी को ठेकेदार बनाता है और से काम करवाना होता है जबकि नियम में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को भी देखना पड़ेगा, इसलिए जांच-पड़ताल को करना होगा। यह बात नहीं कि राज्य सरकार का काम है लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी इसकी देखभाल करनी होगी कि सचमुच में सही ढंग से मजदूरों की जेब में जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी सदन में हमारे स्व० प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि वहां पर इस योजना के तहत पैसा दिया जाता है, उसका 15 फीसदी भी वहां नहीं पहुंचता है जबकि

85 फीसदी पैसा बन्दर बांट में चला जाता है और इसी ख्याल से इस गलत बात को रोकने के लिए उन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलायी ताकि पैसा डायरेक्ट वहां पहुंचे लेकिन वहां अब वही हो रहा है। इस बात को केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये। मन्त्री जी को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। यह केवल बहस ही नहीं, इसको मानकर चलना चाहिये कि जो हालात देश में हो रहे हैं, कैसे-कैसे कहां से आवाजें आ रही हैं, जिस इलाके से आया हूं वे भी आवाज देते हैं। अब यह आवाज सही है या नहीं, इससे देश को क्या लाभ या हानि होने वाली है, इसको देखना होगा।

सभापति महोदय, हमारे बिहार में भुखमरी हो गयी और हमारे क्षेत्र में मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र है, जहां कई लोगों की मृत्यु हुई है। गरीब, हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों के खलिहानों में फसल नहीं। इसी वर्ष भी फसल नहीं। रबी की फसल ओले गिरने से नष्ट हो गयी और राज्य सरकार ने केवल 100-200 रुपया दिया है। जब सारी फसल नष्ट हो जाये तो 100-200 रुपये से क्या काम चलता है ? वह खेती भी नहीं कर सकता है, मजदूरों को जिन्दा नहीं रख सकता है। मरने के समाचार मिलते हैं। सरकारी अधिकारी जाते हैं लेकिन क्या यह केन्द्र का दायित्व नहीं है कि बिहार को बचाये ? बार-बार बिहार के लिए हंगामा हो रहा। ठीक है कमी-बेशी हिसाब-किताब की होती है लेकिन मानवता को बचाना भी तो कोई दायित्व है। अभी हिसाब-किताब भी मिल सकता है लेकिन अभी तो इनको बचाना है नहीं तो मानवता के साथ खिलवाड़ होगा।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार में कुछ विशेष पैसा देने की जरूरत है। सचमुच बिहार की स्थिति बदतर है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि यदि माननीय मन्त्री जी खेत-मजदूरों को सही ढंग से जिन्दा रखना चाहते हैं, कि वह भविष्य में यह महसूस करे कि यह देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, श्रमिक हैं और इस देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाना है और देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं तो नौजवानों के दिमाग में इस बात का विश्वास करना होगा कि उनके विकास के लिए सहायता देनी है। इसलिए बिहार के अन्दर जल्द से जल्द रुपया भेजना होगा और खेती के विकास के लिए जो भी योजना है, उसको पूरा किया जाए। सारी बिहार की योजनायें पैसे के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर पैसा दे दें तो ये योजनायें तैयार हो सकती हैं अन्यथा 80 प्रतिशत योजनायें खटाई में पड़ी रह जायेंगी। यदि ये चालू कर दी जायें तो किसान खुशहाल हो जायेगा हमारे मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और मजदूर इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होगा और जो नौजवान राष्ट्रीय धारा से अलग थलग हुए हैं, वे राष्ट्रीय धारा में आ जायेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं गैर-सरकारी संकल्प हमारे माननीय सदस्य श्री देशमुख साहब लाए हैं, इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूं। इस देश में जो सर्वहारा वर्ग है, उस वर्ग की इस सदन में, अपने माध्यम से एक चर्चा कराने का उन्होंने काम किया है। पूरे देश में अगर कोई वर्ग उपेक्षित हैं, तो मजदूर वर्ग उपेक्षित है और फिर मजदूर वर्ग के साथ ही किसान उपेक्षित है। (व्यवधान)

मान्यवर मैं यह कह रहा था कि देश में मजदूर और मजदूर के साथ ही किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। इसका उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि इस देश में 4 महानगरी हैं— दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मदास, इनमें देश के सारे मजदूर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता, वे शहर की ओर पलायन करते हैं और किस तरह से वे जिन्दगी जीते हैं, इसको तो हम सारे लोग अच्छी तरह से जानते

हैं। गांव में मजदूरों की स्थिति मान्यवर आपको पता ही है कि कितनी खराब है। इस सरकार ने अभी घोषणा की है कि गांवों में मजदूरों को रहने के लिये आवास की सुविधा दी जायेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी जो मजदूर गांव के हैं, उनको रहने के लिए जमीन नहीं दी गई है, जमीन उनको उपलब्ध नहीं है। जो गांव के मजदूर शहरों में नौकरी करते हैं, वे आज भी रैन बसेरा में अपनी जिन्दगी बिताते हैं। जो मजदूर लोग किसान के यहां काम करते हैं, उनको तो किसान के यहां से थोड़ा अन्न मिल जाता है, लेकिन जो लोग फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, उनको एक दो महीने के बाद निकाल दिया जाता है और इतना ही नहीं दो महीने काम लिया जाता है और एक महीने की मजदूरी दी जाती है और फिर भी उनको निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से कम मजदूरी भी दी जाती है और उसे नौकरी से निकाल भी दिया जाता है।

संगमा साहब, लेबर मिनिस्टर महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुनिए। हम इस बारे में आपसे बार-बार आग्रह करते रहते हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज निश्चित रूप से हमारे माननीय सदस्यों ने और श्री देशमुख ने जो कहा है कि न्यूनतम मजदूरी उनको 30 रुपया प्रतिदिन मिलनी चाहिये, यह बिल्कुल ठीक है बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि ये 30 रुपये भी प्रतिदिन कम हैं। मैं तो चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये। मंत्री महोदय तो उसी वर्ग से आते हैं, आप तो मजदूरों की स्थिति जानते हैं। आपका तो मैंने पत्रकार के नाते भी इन्टरव्यू किया है और आप जानते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से एक बिल लाइये और बिल के माध्यम से जो हर राज्य के स्तर पर अलग-अलग कानून बने हैं, उनको एक बराबर लाने का काम कीजिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संगमा साहब की तरफ भी मजदूर हैं और हमारे बिहार की मैं चर्चा करना चाहता हूं, हमारे बिहार में तो किसान की स्थिति बदतर है ही। उत्तर बिहार में बाढ़ और पानी के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। वहां मजदूरों की हालत यह है कि उनको कार्य नहीं मिलता, किसान के खेत में कार्य नहीं है, मजदूर भूखों मरने पर मजबूर हो जाया करता है। आप सर्वेक्षण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक आदमी, जो मजदूर है, उसकी देह पर वस्त्र नहीं है, वह ठीक से कपड़ा नहीं पहन सकता, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता, अगर गांव में स्कूल है तो वह इतनी दूर है कि बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा नहीं पाते हैं।

किसी भी ग्रामीण इलाके में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मजदूर क्लास या किसान वर्ग के लोगों के बच्चों का समुचित इलाज हो सके। इसपर आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। संविधान ने उनको भी इस देश में जीने का अधिकार दिया है, यह उनका संवैधानिक राइट है, उनको भी एक मनुष्य के नाते रहने का अधिकार है। उनको शिक्षा पाने का अधिकार है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, उनको मकान बनाने की आवश्यकता है। आज तक यह नहीं हो पाया है।

श्री पासवान जी जब लेबर मिनिस्टर थे तो इस ओर अग्रसर हुए थे। वे चाहते थे कि हम लेबर प्रॉबलम को दूर कर सकें, उनको भागीदारी दें, चाहे फैक्टरी में हो या जहां भी हो। लेकिन हम लोग वह नहीं कर पाए। आज आप उस चीज को लाये हैं। स्थिति देखने लायक नहीं है। हम गांव में रहते हैं, हम किसान हैं इसलिए हमने मजदूर की स्थिति को भी अच्छी तरह से जानने का काम

किया है। मैंने अपने आप भी खेती करने का काम किया है, मैंने हल चलाने का काम किया है। मैं जानता हूं कि मजदूर काफी परिश्रम करने के बाद भी अपना हक नहीं पाता है। हमारे किसानों के पास इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है और कहीं-कहीं पर बाढ़ आती है। किसानों को एक-एक खेत में 5-5 बार रोपाई और बुआई करनी पड़ती है, उसमें मजदूर काम करते हैं, किसान की कमर टूट जाती है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कानून लाए और उसके माध्यम से देश में मजदूर को मजदूरी दिलाने का काम करें। जब आप न्यूनतम मजदूरी फिक्स करेंगे तो उसमें किसान को भी रखने का काम करें। इस देश में जिस दिन किसान और मजदूर मजबूत हो जायेगा उस दिन बम्बई जैसे शहर में बम नहीं फूटेगा, इस देश में उग्रवाद खत्म होगा और बेरोजगारी खत्म होगी। आप यह दो काम करके देखिये। जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक देश में सुख, चैन नहीं रह सकता है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप यह बिल लाए हैं, इसमें आपको सभी दलों के लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। इसी के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं सभा की राय जान सकता हूं? इस चर्चा के लिए निर्धारित समय दो घण्टे था और वह पूरा हो चुका है। क्या हम इस चर्चा के लिए और समय बढ़ायें?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : एक घण्टा और बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : इस चर्चा हेतु एक घण्टा और बढ़ाया जता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए खुशी हो रही है, यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनतकश जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए लाया गया है। मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता श्री देशमुख का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मानवीयता के पहलू वाले इस विषय पर चर्चा का अवसर दिया।

महोदय, ग्रामीण श्रमिक की स्थिति बहुत खराब है। हम सब जानते हैं कि लाखों कृषि श्रमिक कितनी दयनीय हालत में अपना वक्त काट रहे हैं। जितना शीघ्र उनकी स्थिति सुधरे उतना ही अच्छा है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं।

मैं सभा में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं उनके द्वारा व्यक्त भावनाओं से स्वयं भी जोड़ना चाहूंगा।

आप जानते हैं, यह देश प्रगतिशील विधान विशेषकर औद्योगिक श्रम इत्यादि से सम्बन्धित के मामले में पीछे नहीं है। लेकिन जब हम इसके कार्यान्वयन पहलू पर गौर करते हैं तो हमें दुख होता है कि इन्हें उचित रूप में लागू नहीं किया जाता है। मैं सभी कानूनों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ कानून तो उचित रूप से लागू नहीं होते हैं। मैं यहां पर आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। बाल श्रम का मामला लें। क्या यह अच्छी प्रथा है? यह बिल्कुल भी अच्छी प्रथा नहीं है। हमें कुछ क्षेत्रों में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिये। बच्चे ऐसे कारखानों में

कार्यरत हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं लेकिन हम उन्हें नहीं रोक सकते। इस सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान है लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उनके माता-पिता उन्हें रोजगार के लिए भेजते हैं। आप बीड़ी फैक्ट्रियों के मामले को ले लें। वहां पर बच्चों को बीड़ी बनाने के लिए लगाया जाता है। सुबह भी भविष्य निधि से सम्बन्धित एक प्रश्न था। यहां पर मौजूद माननीय मंत्री श्री संगमा ने कहा कि इसे लागू करना बहुत कठिन है। उद्योगों की स्थिति, प्रकृति इत्यादि ऐसी बातें हैं कि कभी-कभी कुछ कानून काफी समय से विद्यमान तो हैं लेकिन उन्हें आज लागू नहीं किया जा रहा है। हमें इन कानूनों की पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिएं।

आज हम पाते हैं कि कुछ कानून लागू होने की स्थिति में नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे गलत न समझा जाए। आज हमारे देश में मौजूदा स्थिति के तहत मुझे आशंका है कि कुछ कानूनों को लागू करना बहुत कठिन है।

मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ प्रावधान हैं जैसे कृषि प्राधिकरण स्थापित करना जिसकी शाखायें विभिन्न स्थानों अथवा जिला मुख्यालयों पर हों। उनका कार्य भूमि रिकार्ड कृषि मजदूरों, किसानों के रजिस्टर बनाना इत्यादि होगा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है तो उसे रोजगार न दिया जाए। अगर कोई नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को रोजगार दे तो उसे कैद या जुर्माने की सजा दी जायेगी।

हमारे देश की विशालता तथा हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के मुख्य स्थान को देखते हुए अगर आज एक कानून पारित किया जाता है तो क्या आप समझते हैं कि यह लागू हो जाएगा? इनसे अनेक बातें जुड़ी हैं जैसे भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि।

आज हमें अधिक अधिकारियों की जरूरत महसूस होती है लेकिन कुछ केन्द्रीय स्थलों पर इस समय हमारे पास अधिक अधिकारी नहीं हैं।

गांवों से शहरी केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों, शहरी क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का पलायन हो रहा है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि यहां पर सामयिक रोजगार और अल्परोजगार है। इसलिए हमारे राज्य उड़ीसा में अनेक लोग हजारों की संख्या में अपने घर छोड़कर अपनी आजिविका हेतु राज्य से बाहर कहीं और जा रहे हैं। इस प्रकार ऐसा होता रहता है।

न्यूनतम मजदूरी दो वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी; यह 25 रुपये प्रतिदिन की दर से तय की गई थी। जब यह तय हुई तो यह हुआ कि कुछ किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। यद्यपि बंटाई पर फसल बोना गैर-कानूनी है और भूमि सुधार कानून के मुताबिक इसके लिए अनुमति नहीं है परन्तु विधवाओं, सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों, अव्यस्कों, विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है लेकिन यह आम जानकारी है और वामपंथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि से हमारे सदस्य जानते हैं कि ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार ऐसे ही उनमें से अनेकों ने कृषि करना छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि यह कार्य बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है।

मैं श्री सूर्यनारायण यादव द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। कुछ भागों में पंजाब तथा अन्य स्थानों पर भी सिंचित क्षेत्रों में किसान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वहां पर मजदूरों को 25 रुपये की बजाय 30 रुपये या इससे भी अधिक दिए जाते हैं और कृषि के व्यस्त मौसम में स्थानीय मजदूर पर्याप्त नहीं होते तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र, पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश से अनेक लोग हीराकुंड कमान

क्षेत्र में आते हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। कभी-कभी वृक्षारोपण का कार्य पट्टे पर दिया जाता है और मजदूर 60, 70 रुपये से भी अधिक प्राप्त करते हैं लेकिन यह कुछ अवधि या एक मौसम के लिए ही होता है।

लेकिन सूखे के क्षेत्रों में कभी-कभी जब मजदूर जाते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और जमींदार उन्हें नहीं लेते और कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी राशि अर्थात् 25 रुपये नहीं दे सकते हैं। वे कहते हैं कि 10 रुपये भी पर्याप्त होंगे। कभी-कभी स्थिति ऐसी हो जाती है।

इसलिए, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमें और अधिक सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिए था हमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, अधिक सिंचाई होने पर यह समस्या हल हो जाएगी। निःसन्देह इस संबंध में कानून रहेगा और इसे यथासंभव बेहतर तरीके से उचित प्रकार से लागू किया जाए।

अनेक अवसरों पर यहां पर ग्रामीण श्रम की इस दयनीय स्थिति और तकलीफ पर चर्चा हुई है और सभा ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मेरे विचार से 1987-88 में ग्रामीण श्रम पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने इस कार्य पर विस्तार से अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट दी है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि श्रम मंत्रियों ने इस पर चर्चा की और एक पेनल बना कि इस आयोग की सिफारिशों पर कैसे कार्यवाही की जाए और उन्हें किस प्रकार लागू किया जाए। इस बारे में क्या हुआ ? मैं समझता हूं कि इस आयोग ने सिफारिश की है कि भूमि सुधारों को तेजी से और सख्तीपूर्वक लागू किया जाए।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित समय समाप्त हुआ, आप अगली बार भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम आधा घंटे की चर्चा लेते हैं। लेकिन इससे पूर्व गृह मंत्री को कुछ पत्र सभा पटल पर रखने हैं।

5.30 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मार्च, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा और उपरोक्त उद्घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश आदि

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : मैं श्री एस० बी० चह्वाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मार्च, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 11 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 273(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) 11 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 274(अ) में प्रकाशित उपरोक्त उद्घोषणा के खण्ड (ङ) के उपखंड (एक) के अनुसरण में

राष्ट्रपति द्वारा 11 मार्च, 1993 को किये गये आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रपति को त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा भेजे गये दिनांक 10 मार्च, 1993 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3568/93]

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, साढ़े पांच बज रहे हैं और छः बजे उठ जाएगा। होम सिनिस्टर के स्टेटमेंट का क्या हुआ, जैसी कि सुबह बात हुई थी···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए। हम आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं। हम प्रक्रिया के अनुसार चलें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, बम्बई की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदन चिन्तित है, बम्बई के अंदर क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : एक तरफ बंबई शहर की चिंता है और दूसरी ओर आधा घंटा रह गया है, इसलिए यह बताया जाए कि वक्तव्य कब दिया जाएगा।

सभापति महोदय : आप इस बात को याद रखिए कि यदि वक्तव्य तैयार है तो मंत्री महोदय यहां आएंगे। संभवतः यह अभी तैयार नहीं है इसलिए कृपया धैर्य रखिए।

5.33 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

मंडल आयोग प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : सभापति महोदय, मैं चर्चा आरम्भ करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 नवम्बर को हुआ मंडल कमीशन के संबंध में। एक सौ दिन से भी अधिक बीत जाने पर भी, उसका कोई कन्क्रीट नतीजा सामने नही आया। हां, यह जरूर कहा गया है कि यह निर्देश दे दिया, यह पत्र लिख दिया और यह कमेटी गठन करने की बात है। इस प्रकार की टाल-मटोल की बातें

आज से नहीं बहुत पहले से होती आ रही हैं। आप देखें, मंडल कमीशन का गठन कब हुआ। आप यह देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब पेश की गई ? आप यह देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो पेश की गई है, वह कब तक दबा कर रखी गई है ? आप यह भी देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कितनी बार यहां लोक सभा में बहस हुई है। आप यह देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर क्या किसी ने कभी विरोध किया है। मैं कहता हूं, यह टाल-मटोल करने की नीति से काम नहीं चलने वाला है। अब वह समय नहीं रहा है। इसलिए मैं आप के माध्यम से सरकार से कहूंगा कि सरकार ईमानदारी से इसको लागू करे और बताए कि अगले दो महीने में, चार महीने या छः महीने में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी या मिली ? अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है कि सिर्फ आश्वासनों पर आश्वासन हों रहे हैं। मुझे अब सरकार की नीयत पर सन्देह है और उसके इरादे पर सन्देह है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्थिति को नहीं समझ रही है। अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। जो भूखे हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, कमजोर हैं, और अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वे अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप के झूठे आश्वासनों से और कागजों की हेराफेरी से काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपना ध्यान उन इलाकों की ओर ले जाए, जहां बम के धमाके और गोलियों की आवाजें आ रही हैं। वे कौन से इलाके हैं ? वे इलाके वही हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य इलाके हैं। जहां पर गरीब अधिक हैं। जहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जिनको अब तक अधिकार नहीं मिले हैं। वे वही लोग हैं। आप ये समझ लें, ये गांवों में रहने वाले लोग निकल कर मैदानों में आ रहे हैं। सड़क पर आ रहे हैं और राम-रहीम की दीवारें अब इन्हें नहीं रोक सकती हैं इन दीवारों को तोड़ते हुए, लांघते हुए अब वे आगे बढ़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसको लागू करें, जल्द-से-जल्द लागू करें जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उस पूरी रिपोर्ट को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार नहीं होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है— क्रिमिलेयर, वह भी तो आर्थिक आधार है। यह विरोधाभास, कंट्राडिक्टरी है। इसलिए मैं कहूंगा इन सबको छोड़ें। अब आप तुरन्त घोषणा करें, घोषणा ही नहीं तुरन्त उस आदेश को कार्यान्वित करें। और जो हक अनुसूचित जाति, जनजाति का, समाज के कमजोर वर्गों का जो उनका वाकई वाजिब हक है वह तुरन्त उनको लौटाएं। नहीं तो अब यह मामला चुप नहीं रहने वाला है। बहुत हो चुका, अब यह मामला चुप नहीं रहेगा। इतना ही नहीं आप देखिए आरक्षण जब से लागू हुआ तब से क्या हुआ, आरक्षण लागू होने के बाद जितनी जगहें आरक्षित की गईं, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए वे भी उनको नहीं मिलीं, अब तक नहीं मिलीं। मैं जानता हूं बिहार में डेढ़ लाख ऐसी जगह हैं जो आरक्षित पद हैं उन पर दूसरे लोग, सामान्य लोग कब्जा किए हुए हैं और यदि उनको जोड़ा जाए, रुपए के हिसाब से तो मैं आपको बताता हूं कि चार अरब पचास करोड़ रुपया सिर्फ बिहार में जो अनुसूचित जाति, जनजातियों के पास जाना चाहिए था वह उनसे वंचित हैं और दूसरे उसे ले रहे हैं। इसे यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वह 24 अरब रुपया है। क्या सरकार के पास दम है। क्या सरकार के पास इतनी इच्छाशक्ति है कि जो उसका रुपया है, जिसकी डकैती हुई है, जो दूसरों ने ले लिया है क्या उसको वापस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। कम-से-कम जो चीज गई वह तो गई लेकिन जो अब भी उसके हिस्से में है वह तो आप दें, नहीं तो मामला बिगड़ने वाला है। अब आप उन्हें चुप नहीं रख सकते। आप कागजी आश्वासन देकर उन्हें शांत नहीं कर सकते हैं यह समाज में किस तेजी से विषमता फैल रही है, जिस तेजी से अन्याय बढ़ रहा है वह अब बर्दाश्त से बाहर की बात है। समाज में जब विषमता फैलती है तो उससे कुव्यवस्था फैलती है और जब समाज में कुव्यवस्था फैलती है तो समाज के अन्दर से बहुत-सी गलत-गलत चीजें निकलती

हैं। आप जानते हैं इसी कुव्यवस्था के कारण इस देश में कभी फूलन देवी पैदा होती है, कभी मीरा ठकुराइन पैदा होती है, कभी कुसुम नाइन पैदा होती है, कभी मुन्ना धोबिन, कभी मोहन बिंद, कभी रामाशीष कोइरी पैदा होता है और अपने हक के लिए अब वह आगे बढ़ता है तो मामला बिगड़ता है। मैं इतना ही कहूंगा कि अब आप इस तरह से मत करें।

महोदय, आज से करीब चार साल पहले 2 मार्च, 1988 को जो बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का जूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उसने हाईकोर्ट के सामने एक मेमोरेंडम दिया और उसमें क्या दिया उसने कहा कि अब तक पटना हाई-कोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी सदस्य कभी भी कोई जज नहीं आया है। आज यह अनुसूचित जाति और जनजाति को जगह दीजिए, उन्होंने कहा कि वे काबिल नहीं हैं, लायक नहीं हैं। असल बात यह नहीं है, बात यह है कि वे लायक हैं, काबिल हैं लेकिन देने वालों की नीयत नहीं है। जिसका सत्ता और समाज पर वर्चस्व रहा है वे बेईमान हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है और वे देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं इस खतरे की ओर इशारा करना चाहता हूं महोदय, आप सरकार को इस बात से अवगत कराएं। अब तक जो आश्वासन मिला, लेकिन अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। अब तो जंगलों, पहाड़ों में जहां गरीब रहते हैं वहां एक नयी पढ़ाई शुरू हो गई है, नयी पाठशाला खुल गई है और उस पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारी किस्मत का फैसला इस तरह से नहीं होगा तुम्हें बुलेट के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप वैसा दिन नहीं आने दें। नहीं तो इस देश के लिए बहुत बुरा होगा। अब आप उसको फुसला कर नहीं रख सकते क्योंकि अब उधर से आवाजें आ रही हैं, उधर से आह्वान हो रहा है, कहा जा रहा है—

उठ जाग जवान—ओ शोषित के, कर इन्काल की तैयारी,
बारूद बिछ चुका है जगह-जगह, बस जरा लगा दे चिंगारी।

मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को व्यवहार में लाये, बोली में नहीं। सरकार को कर्म में बोलना चाहिए, वाणी में नहीं।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और काफी विस्तार से वर्मा जी ने इस बारे में कहा है। यह चर्चा 25 तारीख को होनी थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाई। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि पिछड़े वर्गों को इस रूप में पहचान करने के लिए स्थायी निकाय का गठन करने के लिए निर्देश नहीं दिया है, यानी किसी नए पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं होनी है, केवल यह निर्देश दिया था कि कोई आपत्ति या सुझाव हों तो उसके बारे में राज्य सरकारों को लिखा जाए और राज्य सरकारें उन पर बहुत जल्दी फैसला करें और सुझाव प्रस्तुत करें। आप देखिए कि 100 दिन से अधिक का समय हो गया है। सरकारी नीति हर मामले में ऐसी रहती है कि 3-4 महीने का समय तो और 3-4 महीने में कुछ नहीं हुआ, अब भी आप देखें कि राज्य सरकारों को लिखा गया है, लेकिन किसी राज्य सरकार ने कोई उपयुक्त जानकारी या परामर्श नहीं दिया है। आपने भी उत्तर में बताया है कि किसी भी राज्य क्षेत्र ने किसी स्थायी निकाय का गठन नहीं किया है। इसमें आगे लिखा है आप देखें, इसमें लिखा है कि शीघ्र ही संसद में एक अधिनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अध्यादेश, इसके बारे में विचार करेंगे। तब कितने दिन का समय और लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवम्बर को स्पष्ट निर्देश दे दिया है, उसके बाद भी जन-भावना की अनदेखी की जा रही है।

इसके बारे में मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं बोलना चाहता, सिर्फ 2-3 प्वाइंट पर मन्त्री जी का ध्यान चाहता हूं।

पहली बात यह है कि राष्ट्रीय आयोग का गठन कब तक होगा और कितनी अवधि में उसकी रिपोर्ट आएगी, इसकी समय सीमा निर्धारित की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने की जगह 3 साल लग जाएं। दूसरी बात यह है कि पिछड़ी जातियों की पहचान हो जाए, इसके बारे में कोई नए सिरे से पूरे देश में चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तत्काल नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। यदि कोई जाति कम या ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि लोक सभा के अन्दर उसके लिए बिल आते हैं, इसी तरह से यदि इसमें भी कोई जाति कम या ज्यादा होगी तो बाद में उसको शामिल कर लिया जाएगा, इस समय नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। इसलिए आज जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें पिछड़ी जातियों का आरक्षण देने की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। यह नहीं किया जा रहा है, इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है।

एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार ने लोक सभा के अन्दर इस बात को स्वीकारा है कि सरकार ऐसे वर्ग, जो अत्याधिक गरीबी में गुजर रहे हैं, गरीबी की रेखा से बहुत नीचे हैं उनको भी पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है। ये तीन मुख्य बातें हैं, इसके बारे में मन्त्री महोदय अपनी आख्या दें। आयोग का गठन और इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जारी करके इसको अन्तिम रूप दिया जाए, इसी सत्र के अन्दर रिपोर्ट आ जाए, इसको टालने की कोशिश न की जाए। और इस समय नौकरियों के अन्दर पिछड़ी जातियों को तात्कालिक रूप से, तत्काल आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। इन तीन विषयों पर मन्त्री महोदय अपनी स्पष्ट आख्या प्रदान करें, ताकि देशवासी इस बात को समझ सकें।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, आज हम फिर से मण्डल कमीशन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए, आधे घण्टे की चर्चा में इसकी अनुमति प्रदान की।

सभापति महोदय, पिछले समय में क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वर्मा जी ने काफी विस्तार से काफी ठीक बातें कहीं हैं। सारी चीजें पालीटिकल बिल, राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती हैं। आज के युग में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि बेलट बाक्स से पैदा होता है। मेजारटी राज करती है, लेकिन आज जो पिछड़ी जाति के, दलित और अक्लियत के लोग हैं, इनकी संख्या अधिक है, लेकिन देश का 90 फीसदी यह तबका भीख मांगने पर मजबूर है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वह शासन-सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए नीयत साफ रहती तो काका कालेकर कमीशन आज से 35 साल पहले लागू हो गया होता और आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। हमारी भी यदि नीयत साफ रहती, 77 में हम आए थे, हम 1977 में लागू कर सकते थे। लेकिन हमने भी मण्डल कमीशन के नाम से नया कमीशन बनाया। मण्डल कमीशन भी 1980 में रिपोर्ट देने के बाद 10 साल तक लगातार धूल चाटता रहा और 1990 में दस साल के बाद जाकर हम लोगों ने उसको लागू करने का काम किया।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गयीं, उसके बाद मामला कोर्ट में गया। वहां भी सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार बार-बार आर्थिक आधार के पीछे भागती रही और कहती रही की बैकवर्ड क्लास के बीच में आर्थिक आधार लागू करो, जिसके हम खिलाफ थे। अभी 540 मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, यहां 100 आदमी बैठे हुए हैं, 100 आदमियों को भी कहा जा रहा है कि तुम निकल जाओ, जबकि 52 फीसदी बैकवर्ड क्लास की आबादी

है, जिनका सरकारी नौकरियों में चार फीसदी स्थान है उसमें भी कहा जाता है कि क्रीमी लेयर लेने का काम किया जाए। हमारी सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, नरसिंह राव जी की सरकार ने बार-बार कहा कि आर्थिक आधार होना चाहिए। उसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार से पूछा गया कि क्रीमी लेयर से आपका क्या मतलब है, इसको बताने का काम करो। मन्त्री जी यहां बैठे हैं, क्रीमी लेयर के लिए जो कमेटी बनी थी, आज के तीन दिन पहले मैं टी० वी० पर देख रहा था, कमेटी के सदस्यों ने 15 तारीख के पहले अपनी रिपोर्ट इनको दे दी है। यदि मन्त्री जी जनहित के खिलाफ न हों और मैं समझता हूं कि खिलाफ नहीं हैं जो निश्चित रूप से यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें क्रीमी लेयर के क्या मायने हैं, किसको उन्होंने कहा है कि एडवांस बैकवर्ड क्लास माने जायेंगे। उसी तरीके से सभापति जी 16 नवम्बर को मण्डल कमीशन का जो जजमेंट हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मण्डल कमीशन लागू हो गया है। मैं सरकार से पूछता हूं कि कहां-कहां लागू हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि मण्डल कमीशन लागू कर दिया गया है, मण्डल कमीशन लागू हो गया है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मन्शा थी वह मन्शा यह थी कि जो हम लोगों ने अपने समय में 14 ज्वांइट सेक्रेटरीज को भेजकर और 14 स्टेट्स से लिस्ट लेकर फाइनेलाइज करने का काम किया था वह घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन फाईनल हो गया था। हम आज भी मानते हैं कि जिन राज्यों में बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिल रहा है वही कॉस्टर्स यदि मण्डल कमीशन की लिस्ट में हैं, कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट रोकता नहीं है। हां, यदि आप स्पोज कर लें, आपका क्रीमी लेयर का मामला है, जिस दिन आप क्रीमी लेयर पेश कर देंगे, उनको आप हटा दीजिए।

हमने उस दिन कहा था मंत्री जी समझ नहीं पाए, बाद में इन्होंने कहा कि आप ठीक बोले थे, लेकिन आप समझा नहीं पाए। हमने कहा कि हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अभी 1993-94 का आई०ए०एस० की परीक्षा का ऐडवरटाइजमेंट निकला, आए०ए०एस० और आई०पी० एस० एग्जामिनेशन होगा···(**व्यवधान**)···सभापति जी, हाफ एन आवर डिसकशन का मतलब होता है जैसे 193 के अन्तर्गत चर्चा एक घण्टे की होती है, तीन घण्टे तक चलती है, उसी तरीके से यह भी एक घंटे तक चलता है और मैम्बर्स की सुविधा रहती है क्वैश्चयन पूछने की और समय मिलता है अपनी बात साफ करने का। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का एग्जामिनेशन 1993-94 का है, मैं नहीं कहता कि सरकार की नीयत खराब है, लेकिन आपको बतलाया नहीं गया है या समझाया नहीं गया है, अभी जो आई० ए० एस० का एग्जामिनेशन हो रहा है इसका रिजल्ट निकलते-निकलते एक साल लगेगा उसमें कहीं आपने बैकवर्ड क्लास के लिए कॉलम नहीं रखा। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि इस बार जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं आयेंगे। यदि सरकार चाहती तो बैकवर्ड क्लास का कालम उसमें भरा रहता। जो उम्मीदवार क्वालीफाई कर जाता या जो उम्मीदवार फाईनल लिस्ट में आ जाता, तब तक आपका इकोनॉमिक क्राइटीरिया, क्रीमी लेयर का क्राइटीरिया तय हो जाता। क्रिमी लेअर से जो उम्मीदवार आते तो उनको छांट देते और उनके नीचे के जो उम्मीदवार होते तो उनको सीट मिलती। इसलिये मैंने कहा कि हम ने एजीटेशन किया। 22 तारीख को गिरफ्तारी देने का काम किया और साथ में श्री वी० पी० सिंह ने भी गिरफ्तारी देने का काम किया कि इस इम्पारटेंस को आपके सामने लाने का काम करें। मंत्री जी आप कुछ उसके लिए कर सकते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। जिन राज्यों में बैकवर्ड क्लास की लिस्ट नहीं बनी है·····(**व्यवधान**)

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अगर कुछ करने की बात है, प्रावधान होगा तो हम सोचेंगे। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : जुछ राज्यों में बैकवर्ड क्लास की लिस्ट नहीं बनी है जैसे-- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नहीं बनी है। राज्य सरकारों के ऊपर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। मंडल कमीशन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है। मंडल कमीशन ने जाति की लिस्ट प्रत्येक राज्य की कर दी है, यह सेन्ट्रल गवर्मेंट की जबाबदेही है। जल्दी से जल्दी उस कमीशन को बनवाकर, उन राज्यों की सूची आप चाहेंगे तो आप एक-एक प्वाइंट सेक्रेटरी को प्रत्येक राज्य में भेज दीजिए उन राज्यों में जहां बैकवर्ड क्यास की लिस्ट नहीं बनी है। वहां बैठकर राज्य सरकारों से बात करके उस लिस्ट को फाईनल करेंगे। राज्य सरकार की हिम्मत नहीं है कि बैकवर्ड क्लास के किसी व्यक्ति को निकाल सके। कोई राज्य सरकार क्रिमी लेअर लागू नहीं करेगी क्योंकि सामने वोट का मामला है, वोट कहां से मिलेगा। आप जितनी जल्दी से काम चलायेंगे तो उतनी ही राज्य सरकारों की गाड़ी तेज चलेगी। चौथी बात यह है कि पचास परसेंट का लिमिटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पचास परसेंट का मामला कर दिया है। उस दिन श्री राम लखन सिंह यादव जी ने प्रश्न पूछा था तो आपने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पचास परसेंट से अधिक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पचास परसेंट का हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं बनाया है·····(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने सूचियां आदि बनाने का प्रारम्भिक कार्य किए बिना आदेश क्यों जारी किए ? (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : श्री चार्ल्स आप नहीं जानते। हमारी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था। हमारी सरकार ने आम सूची पर निर्णय लिया था। आम सूची से मेरा अर्थ है कि वे जातियां जो अपने राज्यों में पहले ही पिछड़ी जातियों की सुविधा प्राप्त कर रही हैं और जो मंडल आयोग की सूची में भी हैं। जो आम सूची में हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया था। मैं यही जानना चाहता था। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : आपने उस दिन कहा कि शेड्यूल कास्ट्स का रिजरवेशन 22.5 परसेंट है और बैकवर्ड क्लास का 27 परसेंट है और मंडल कमीशन के मुताबिक दोनों मिलाकर 49.5 परसेंट हो गए। मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता हो तो करें। तमिलनाडु में 71 परसेंट और कर्नाटक में 68 परसेंट रिजरवेशन है। बहुत सारे राज्य हैं जहां साठ परसेंट रिजरवेशन से अधिक है। उसी तरह से विकलांग और एक्स-सर्विस मैन का मामला है। उस सम्बन्ध में संविधान में हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं था इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को क्लेरीफाई करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि जिन राज्यों में पचास परसेंट से ज्यादा रिजरवेशन का मामला है तो उसको भी बैकवर्ड क्लास के हित में जारी रखा जाए और उसके लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी करना चाहिए। आखिरी में प्रमोशन में रिजरवेशन का मामला है। हम लोगों ने चार दिसम्बर को इस मामले को उठाने का काम किया था। 22 दिसम्बर को आपने इस सदन में कहा और मैं जानता हूं कि आपने क्या लिखा, लेकिन हैड आफ दी डिपार्टमेंट के पास जाकर **क्या हो गया। उसके लिये मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। हैड आफ दी डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री**

हैं। आपने कहा कि एस० सी० एस० टी० के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जायेगा। आपने इस सदन में 22 दिसम्बर को घोषणा की थी। लेकिन जनवरी, फरवरी के बाद आपने एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिखने का काम किया। आप जैसे प्राप्ट आदमी इस मामले में सतर्क क्यों नहीं रहते। आपको तुरन्त काम करना चाहिए था। मैंने उस दिन पंजाब का उदाहरण दिया था और यह कहा था कि बहुत सारी जगहों पर प्रमोशन में रिजरवेशन का मामला है। वह अफसरशाही का जो कोटा है उसमें गड़बड़ करने का काम किया है। आप देखिए, ला मिनिस्ट्री उसे दिखाइये, विधि विशेषज्ञों से दिखाइए, ए०जी० से दिखाइये और आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से संविधान संशोधन लाइये। एक साजिश चल रही है कि किसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेज को शिड्यूल्ड कास्ट्स से लड़ाने का काम किया जाये, बैकवर्ड क्लासेज को माईनोरटीज से लड़ाने का काम किया जाये। वे इन साजिशों का शिकार न हों इनके लिए हमेशा से मानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन है वह इनर रिंग रोड है और जो बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन का मामला है वह आऊटर रिंग रोड है, वह डबल लॉक है, एक-एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नही है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो उसको भी सरकार को सुरक्षित रखना है और जो बैकवर्ड क्लासेज का मामला है उसको भी देने का काम करना है। आवश्यकता पड़े तो अल्पसंख्यकों के जो लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात आये तो देना चाहिये, हम भी देने की वकालत करते हैं। जो बैकवर्ड क्लास का, मंडल कमीशन का मामला है मैं दोहराना चाहूंगा आप हर हालत में देखिये कि उसमें अनुसूचित जाति का केवल एक जज है उसको भी जजों के पैनल में नहीं रखा गया था। अनुसूचित जाति के किसी भी पदाधिकारी से, किसी समाज सेवी संगठन से बात नही की गई थी और 16(34) के तहत डालकर उसको उलझाने का काम किया जा रहा है। इस मामले में हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि वह इसको देखें। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है और रिजर्वेशन का मामला है उसको न टालें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। यह पेट का सवाल है, सत्ता में भागीदारी का सवाल है। हम-आप तो पांच साल के लिये यहां बैठते हैं, लेकिन जो अफसर बनता है वह जीवन भर देश में राज करने का काम करता है। जब पोलिटिकल रिजर्वेशन हुआ किसी ने आत्मदाह नहीं किया था, लेकिन जब बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन का सवाल आया तो आत्मदाह किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उतनी ही गम्भीरता से आपको इसे लेना चाहिए। लेने के साथ-साथ हिम्मत करके उसको इम्पलीमेंट करने का काम करना चाहिए।

राजेश पायलट जी यहां बैठे हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी जहां-जहां जाते हैं लोग आपसे इसके बारे में पूछते हैं इसलिए जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी इसको देखना चाहिये। यह मामला बहुत गम्भीर है। आपकी नियत यदि साफ है और पोलिटिकल बिल है तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वह अक्षरशः पालन होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी उसका पालन होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया आई० पी० एस० और आई० ए० एस० के बारे में कि इसको टालने की कोशिश की जा रही है, वह नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं सभा की राय जान सकता हूं ? माननीय गृह मंत्री यहां हैं। कुछ मिनट पहले हम कुछ जानकारी चाहते थे। हम इस मद को स्थगित कर उन्हें वह जानकारी देने दें जो उनके पास है।

श्री राम नाईक : यदि पहले या बाद में सम्भव हुआ तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह मेरे शहर के बारे में है।

सभापति महोदय : बाद में।

5.59 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य
मुम्बई में बम विस्फोट

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभापति महोदय, जैसाकि कुछ देर पहले मैंने सदन को बताया कि बम्बई में बहुत दुखद घटना आज हुई है। उस वक्त जितनी सूचना सरकार तक पहुंची थी मैंने सदन में आकर बताई। वापस जाकर मैंने मुख्य मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सारा प्रशासन उस वक्त उन भाई-बहनों को जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं, रिलीफ देने के लिए लगा हुआ था, कुछ को अस्पताल ले जाता जा रहा था। पांच मिनट पहले मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि आज करीब डेढ़ बजे दलाल स्ट्रीट, बम्बई एक्सचेंज में एक बम ब्लास्ट हुआ और डेढ़ बजे से पौने तीन बजे तक दो घन्टे के अंदर और 13 जगह तरह-तरह रूप में बम ब्लास्ट हुए। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि गाड़ियों में बम रखे गये थे, कार में बम थे और ऐसी जगह पार्क किया गया था जहां क्राउडेड एरिया था, अनुमान है कि उनमें टाईम बम थे जैसे ही टाइमिंग हुई दो घन्टे के अन्दर 13 जगह बम ब्लास्ट हुए। इन बम ब्लास्ट्स में हमारे 84 भाई-बहन मारे गये।

6.00 म०प०

495 घायल हुए जिनमें से करीबन 150 की हालत गंभीर है और उनमें से भी 22 की बहुत चिन्ताजनक हालत है। सारे घायल भाई-बहिन अस्पताल में दाखिल कर दिये गये हैं। राज्य सरकार की तरफ से पूरी स्थिति नियंत्रण में है। उनके द्वारा सारे प्रयास हो रहे हैं जोकि किये जा सकते हैं। मुझे वहां के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सारी स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। हमने उनकी दो बातों के लिए भरोसा दिलाया है कि उनको केन्द्र सरकार की पूरी मदद मिलेगी जिसमें पैरा-मिलिट्री फोर्सेस हों या स्पेशलिस्ट्स चाहिए जिन में से जिससे पता चल सके कि ये ब्लास्ट्स किस रूप में हुए, किसने किये और इसके प्रति किसकी जिम्मेदारी है ? हमने फैसला किया है कि एक हाई लैवल टीम एक घण्टे के अन्दर बम्बई भेज रहे हैं जिसमें रा, आई० बी० एन० एस० जी०; आर० बी० या जो बम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड एक्सपर्ट्स हैं, वहां रात को पहुंच जायें ताकि इसपर तुरन्त कार्रवाई हो सके। हमें पता चलेगा कि किसने कहां, कैसे और किस रूप में यह सब किया।

सभापति महोदय, मैंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद केन्द्रीय सरकार से चाहिये वह आपके साथ जिस वक्त चाहेंगे मिलेगी ताकि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इसके साथ-साथ सारे देश में एलर्ट कर दिया गया है ताकि ऐसी घटना आगे न बढ़ सके। जैसाकि आडवाणी जी ने कहा था इस प्रकार की घटनाओं की चिन्ता सब को है। यह सही बात है। उन्होंने एक गाड़ी का जिक्र किया। सूचना के अनुसार वह एक लोकल ट्रेन थी जहां सुबह ब्लास्ट हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने पूरे इन्तजाम किये हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना पुनः न हो। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, मैंने मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से कह दिया है कि पूरे इन्तजाम कर दिये गये हैं और एक टीम आज ही चली जायेगी। मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई है उन्होंने स्वयं कहा है कि

वे स्वयं बम्बई जायेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी सूचना होगी, वक्त पर बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मुम्बई में बम विस्फोट होने के बारे में मेरे पास नवीनतम जानकारी है और जिन 13 स्थानों की सूचना दी गई है, वे मुम्बई के अति संवेदनशील स्थान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं एअर इंडिया भवन, स्टाक एक्सचेंज, कथा बाजार, शिव सेना भवन सेंचुरी बाजार, वॉरली पासपोर्ट कार्यालय, हवाई अड्डे के पास संतूर होटल, मदनपुरा, दादर के नजदीक प्लाजा सिनेमा, महिम में मच्छीमार कॉलोनी, नायर हास्पिटल और पुलिस आयुक्त के कार्यालय के निकट मनीष मार्केट। यहां एक के बाद एक बम विस्फोट हुए और मेरी जानकारी यह है इन विस्फोटों के कारण अब तक लगभग 176 लोग मर चुके हैं। यह संख्या वास्तविक नहीं है लेकिन वहां पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वह महत्वपूर्ण बात यह है कि जब महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, उसी दिन उन्होंने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुम्बई के दंगों में विदेशी हाथ है। अत: मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले की उस दृष्टि से भी जांच करे। यह एक पहलू है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

महोदय, हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेल बजट और आय बजट के विरुद्ध धरनों और विरोधस्वरूप बैठकों के आयोजन करने की सोची थी। मैंने उस आंदोलन को अब वापस लेने की घोषणा कर दी है, मैं यहां पर भी इस बात की घोषणा करता हूं कि हमने इस दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को वापस लिया है, क्योंकि यह कुछ इस तरह की बात है जिसमें सबको एक साथ हो जाना चाहिए। अब सभा जैसे ही आज दिन के लिए समाप्त होगी, हम तत्काल मुम्बई चले जाएंगे।

मैं भी मुम्बई के नागरिकों से अपील करता हूं कि वह धैर्य रखें और शांति बनाए रखें। मैं महसूस करता हूं कि बेहतर होता यदि यह अपील इस सभा की ओर से जाती। हमें वहां पर हुई मौतों पर संवेदना प्रकट करनी चाहिए और घायल व्यक्तियों तथा उनके परिवारों से सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। ऐसे अवसरों पर नगर में संकटकालीन व्यवस्था जैसा कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मैं यही बात कहना चाहूंगा।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, इन 13 स्थानों में से तीन घटनाएं मेरे ही निर्वाचन क्षेत में घटित हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुम्बई में यातायात इत्यादि सब सामान्य चल रहा है और क्या वहां पर कम से कम इस समय स्थिति शांत है।

श्री राजेश पायलट : सभा की जानकारी के लिए मैं इन 13 स्थानों के नाम कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित करता हूं :

(1) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज—चौथी मंजिल।

(2) पिथोनी में रासायनिक पदार्थ ले जा रहे एक ट्रक में।

(3) करजात के निकट लोकल ट्रेन में।

(4) सेंचुरी बाजार के निकट, वॉरली।

(5) ओबराय होटल के समीप—एअर इंडिया कार्यालय ।

(6) शिवसेना भवन के निकट, दादर ।

(7) मनीष मार्केट के निकट ।

(8) मंत्रालय के निकट ।

(9) प्लाजा थियेटर ।

(10) सेंतूर होटल ।

(11) सेंचुरी बाजार के निकट बस में ।

(12) ओपेरा हाऊस क्षेत्र में ।

(13) मस्जिद के निकट बांदर रेलवे स्टेशन ।

यही वे 13 स्थान हैं ।

मुख्य मंत्री ने मुझे स्थिति के बारे में बताया है । यातायात सामान्य है । इन स्थानों के नजदीक भीड़-भाड़ होने के अलावा हरेक काम सामान्य ढंग से चल रहा है । इन स्थानों पर लोगों के रिश्तेदार और अन्य लोग एकत्रित हो गए हैं । परन्तु राहत के उपाय और अन्य उपाय किए गए हैं ।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह बिलकुल ठीक है । राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है । इसीलिए हम केन्द्र से एक अति उच्च स्तरीय दल भेज रहे हैं, जिसमें रॉ, आसूचना ब्यूरो के अधिकारी और बम विस्फोट के विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि इसमें किसी का हाथ होने की आशंकाओं का देश को पता लग सके और इस बात का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यह किसने किया है और यह क्यों किया गया है तथा इसको ठीक करने के लिए संभावित उपाय करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बम्बई में जो कुछ हुआ है वह स्पष्टत: किसी एजेंसी का योजनाबद्ध काम है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है । अत: हमें ऐसे अन्य सभी महानगरों के बारे में सचेत रहना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान इस समय मुम्बई में आवश्यक राहत पहुंचाने और शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल करने पर केंद्रित रहे । परन्तु ऐसी बातों का पहले ही पता लगाने के लिए खुफिया तंत्र को अत्यधिक चौकन्ना रहना चाहिए । हमारा खुफिया तंत्र स्पष्ट रूप से असफल रहा है । अन्यथा इतनी बड़ी साजिश इस तरह से सामने न आती । मैं इस संबंध से सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा ।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने अपील के बारे में कहा है । हम इस अपील की भावनाओं की कद्र करते हैं तथा शोक संतप्त परिवारों के साथ उनके दुख में शामिल हैं । सभा की ओर से अपील की जा सकती है ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभा की ओर से आप पूरे देश से अपील कर सकते हैं ताकि शांति बहाल हो सके ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह सभा की भावना है । हम मुम्बई के लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करते हैं । सभा घायल लोगों से सहानुभूति रखती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करती है । हम आशा करते हैं कि मुम्बई में जल्दी ही शांति लौट आएगी ताकि हरेक व्यक्ति खुशी से रह सके ।

अब समय छह से ऊपर हो गया है। क्या आधे घण्टे की चर्चा पूरी करने तक समय बढ़ाने के लिए सभा सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

———

सभापति महोदय : श्री रासा सिंह रावत।

6.8 म०प०

आधे घंटे की चर्चा—जारी
मंडल आयोग का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, सभापति महोदय, जैसाकि बताया गया है, 16 नवंबर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने मण्डल आयोग के बारे में अपना निर्णय दिया। वी० पी० सिंह सरकार ने जो निर्णय लिया था, यदि वह निर्णय यथावत् लागू किया जाए, तो मैं जानना चाहूंगा ··· मान्यवर आपके माध्यम से कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मण्डल आयोग के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पिछड़ी जातियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनको सूचिबद्ध करने के लिए किसी आयोग का गठन किया है और यदि हां, तो किन-किन राज्यों की क्या-क्या प्रतिक्रिया रही और कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने पिछड़े राज्यों की सूची बना ली और बना ली है, तो उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की है और मान्यवर इस बारे में क्या कल्याण मंत्रालय ने भी अपनी ओर से कोई दिशा-निर्देश दिए हैं ?

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात जो तय हुई है और उसके अन्तर्गत जो क्रीमी लेयर वाला, मलाईदार हिस्सा पिछड़ी जातियों का है, उसका पता लगाने के लिए, जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, उसने किस कसौटी को अपना आधार बनाया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके बारे में अखबारों में, समाचारपत्रों में, रेडियो और दूरदर्शन पर कब जानकारी दी गई मान्यवर ?

परिणामस्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन वर्गों के अन्दर यह आम चिन्ता व्याप्त है कि कहीं ऐसा न हो कि मंडल आयोग की पहले जो सूची बनी थी, उस सूची में तो उन अमुक पिछड़ी जाति के नाम हैं और अभी क्रिमिलेयर के नाम पर किन्हीं जाति-विशेष को उसमें से निकाल न दिया जाए। इस बारे में बहुत अधिक चिन्ता व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उस विशेषज्ञ समिति को इस बारे में भी कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं ? क्या उनकी कसौटी होगी, उनकी पहचान करने का आधार क्या होगा ? इस बारे में जो अंतिम निर्णय है क्या उस बारे में पुनर्विचार किए जाने की संभावना है ?

सरकार की नीयत कुछ खोटी दिखाई देती है क्योंकि 16 नवम्बर 1992 को फैसला आ गया। सौ दिन हो गए और उसके बाद भी नौ दिन चले अढ़ाई कोस। जैसी स्थिति है, मंथन गति से चल रही है, इसमें त्वरित गति से कार्यवाही होनी चाहिए, वह क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए क्या झिझक है ?

जैसा अभी रामनाथ जी और अन्य मित्रों ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया और तुरन्त लागू हो गया तो उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्यों के अन्दर जो स्टेट

पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सलेक्शन कमीशन या और जो बड़ी-बड़ी नौकरियां हैं, उनमें उस स्थिति के बाद जो भर्तियां या परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें भी उन पिछड़े वर्गों को, जो मंडल आयोग की सूची में आते हैं, आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश प्रदान क्यों नहीं किए गए ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ऐसा मालूम पड़ता है कि सेइंग एंड डूइंग आर डिफरेंट थिंग, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं ।

न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है
बुरा वही है जिसकी नियत बुरी है ।

मंडल आयोग के बारे में जो 52 प्रतिशत आबादी इस देश की है वह आशाभरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो जाने के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर देख रही थी कि कितनी जल्दी हमारी पहचान होकर हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त निर्णय के आधार पर वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । लेकिन सौ दिन निकलने के पश्चात् जैसे कांग्रेस ने एक वादा किया था कि सौ दिन के अन्दर हम महंगाई कम कर देंगे, वह सौ दिन का समय निकल गया और महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई । सौ दिन का समय मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद भी बीत गया, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा :

कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार ।
कहे कबीर करनी सबल, उतरे भव जल पार ।।

केसरी जी यहां विराजमान हैं । वैसे तो बड़े जोर-शोर से उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करके ही रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इसमें बाधा नहीं डाल सकती । लेकिन न मालूम अब कौन से रोड़े या बाधा बीच में आ रही है या चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिन राज्यों में विधान सभा भंग की गई है, वहां पर जब चुनाव कराने का समय आएगा तो चुनावी फायदा उठाने के लिए कहीं सरकार जान-बूझकर देरी तो नहीं कर रही है । यह शंका भी पैदा हो रही है ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बारे में सजग करना चाहूंगा कि इस बारे में अपने कार्य के अन्दर और की जाने वाली कार्यवाही के अन्दर त्वरितता लाई जाए और अविलंब संवैधानिक अधिकार उनको प्रदान किए जाएं । क्रिमिलेयर छांटने के नाम पर पिछड़े-पिछड़े वर्गों के अन्दर भी भेद किया जा रहा है । एस० सी०, एस० टी० के प्रमोशन के बारे में शंका प्रकट की जा रही है । अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं गया तो हमको वहां के बहुत से शिष्टमंडल मिले । कहने लगे कि रेलवे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या प्रमोशन के ऊपर पाबन्दी लगा दी गई है ? मैंने कहा, इस बारे में केसरी जी ने संसद में घोषणा की थी कि पांच साल तक तो ऐसे चलता रहेगा, कोई पाबन्दी वगैरह नहीं है, पहले के रूल चलेंगे । लेकिन उनके बारे में कोई सूचना या ऐसी बातें नहीं पहुंची हैं जिनमें कानून बहुत आवश्यक चीज है ।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए निर्णय के सभी पहलुओं पर भली प्रकार से सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण सारे समाज और देश के सामने आना चाहिए ताकि देश के लोगों को सही मार्ग दर्शन प्राप्त हो सके, शंकाएं दूर हो सकें, भय का निराकरण हो सके और जो न्याय से वंचित रहे हैं, उनको पूरा न्याय और हक मिल सके ।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, आज यहां 2-3 मुद्दे उठे हैं । जहां तक

अनुसूचित जाति और जनजाति के हित का प्रश्न है, सरकार उसके प्रति वचनबद्ध है। जो भी शंकाएं इस पर प्रकट की गई हैं, वे निर्मूल हैं। मैंने 22 दिसम्बर 1992 को जो अपना वक्तव्य सदन में दिया था, उस पर हम दृढ़ हैं। यह भी साफ कहना चाहता हूं कि यदि एस० सी० और एस० टी० के सम्बन्ध में जो चीजें हैं, वे अगर उनके हित के खिलाफ गई हैं, जैसाकि शंका प्रकट की गई है, उस पर निश्चित रूप से जो भी मार्ग होगा, उसके आधार पर हम इसको करेंगे।

जहां तक विशेष कमेटी की बात कही है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उसने 10 तारीख को अपनी रपट हमारे सामने उपस्थित कर दी है। वह रपट हम एग्जामिन कर रहे हैं और वह निश्चित रूप से सदन के सम्मुख आयेगी। मगर आगे चलकर उसको कैबिनेट में ले जाना है। उसके बाद हम निश्चित रूप से इसको लायेंगे। जिस तरह से क्रीमी लेअर के सम्बन्ध में शंका पैदा हो रही है, वैसा कुछ नहीं है क्योंकि यह किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है, इसमें साफ है पर्सन एंड सैक्शन। इसलिए जो रिपोर्ट आया है वह आपके सामने निश्चित रूप से उपस्थित होगी।

तीसरी बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बन्धु ने कहा, उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वह अपनी नीयत साफ रखें। बहुत दूर तक यह कदम बढ़ा सकें, इसमें आप सब हमें सहयोग दें। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मंडल के बाद ही आपका मंदिर आया है। यह मंडल आगे भी चमकता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा।

राम विलास पासवान जी ने ठीक कहा कि आरक्षण का प्रश्न वास्तव में मूक प्राणियों के संबंध में सदियों से रहा है। एक बात और है कि इस पर ऐकेडेमिक डिसकशन होता रहा, आन्दोलन होते रहे मगर इसको व्यावहारिक रूप देने के लिये जो भी क्रेडिट देना होगा यह सर्वोच्च न्यायालय को ही देंगे। 7 अगस्त 1990 को यह आया और सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त 1990 को फाइल हुआ। फिर 25 सितम्बर 1991 को आया। इन सबके रहते हुए साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस पर मोहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, मैं पुनः अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं कि उस निर्णय का मैं अक्षरशः पालन करूंगा ही, कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, करूंगा, सरकार करेगी। यह बात ठीक है···(**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : कब से करेगी ?

श्री सीताराम केसरी : यह मैं बता रहा हूं। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैंने उस दिन भी आपके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की रपट आने के बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद और वहां से निर्णय आ जाने के बाद उसको व्यावहारिक रूप उचित समय पर दिया जायेगा। ज्यादा दिन तक हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैं यह कह देता हूं।

श्री राम विलास पासवान : हमें मालूम हो रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री चेंज की जा रही है। इसलिए इसे आप जल्दी कर दीजिये।

श्री सीताराम केसरी : मैं सभी दलों और लोगों को बधाई देता हूं चाहे 1946 की विधान बनाने वाली परिषद हो, चाहे 1952 की हो, चाहे 1978-79 की हो, चाहे 1990 की हो और चाहे 1991 की हो, जिन्होंने भी इस आरक्षण के मुद्दे को देश के सामने रखा है, वे सब जरूर प्रशंसा के पात्र हैं चूंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा रहा है।

मगर साथ-साथ यह भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इनविजिबुल तरीके से इसकी तारपीडो करने में भी लगी रहती है इसलिए मैं आपको···(**व्यवधान**)···देखिये, आपकी बात मैं मानता हूं। सुन लीजिये गंगवार जी। आप जहां तक कहते हैं, आपकी बोली हृदय की बोली है मगर आपके सहयोगियों

की बोली विचार की बोली है, विचार नहीं है। मैं आपका नहीं कहता। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने 1985 में ही मंडल कमीशन के सम्बन्ध में कहा, मगर उसको उस जगह पर डाल दिया था। आन्दोलन में इनका मांग नहीं था, जुलूस निकालने में आपका मांग नहीं था···(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : हमने तो समर्थन किया था। (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : नहीं-नहीं, इनके हृदय में था। नहीं-नहीं इनके हृदय में रहा है, कभी नहीं।

एक माननीय सदस्य : हमारे घोषणा-पत्र में है।

श्री सीताराम केसरी : घोषणा-पत्र में अब आया है। आपका तो बन्द हो गया था। यह तो हमारे घोषणा-पत्र के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है और यह भी कह सकते हैं कि इनके अनुसार भी है। जब उन्होंने बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, क्रीमीलेअर कर दिया तो स्वत: ही इसमें आर्थिक एक क्राइटीरिया बन जाता है जिसको कि हमको देखना पड़ेगा। यद्यपि जिसने सोशल, एजूकेशन, बैकवर्ड की संज्ञा दी, 15(4) का जो एमेण्डमैण्ट हुआ और विधान निर्मात्री समिति की जो प्रवर समिति बनी, जिस प्रवर समिति ने आर्थिक व्यवस्था को हटाया, उसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से आरक्षण की बात कही मगर जब कांस्टीट्यूशन की परिधि में यह फैसला आ गया और ठीक तरीके से आ गया, जिसका हम सभी ने स्वागत किया है।

इसलिये मेरा इतना ही आश्वासन आपके सामने है कि शीघ्रातिशीघ्र सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वत: मैं व्यावहारिकता देने का प्रयत्न ही नहीं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (अंजारपुर) : कब से लागू होगा, यह तो बताइये।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी, पूरे देश में एक कंफ्यूजन है कि जिन राज्यों में बैकवर्ड क्लासेज की सूची नहीं बनी हैं, मंडल कमीशन ने दिया है पर सूची नहीं बनी है तो उसके बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री सीताराम केसरी : आपने ठीक कहा। कल ही मैंने सभी उन स्टेटों को पत्र लिखा है, जिन स्टेटों का लिस्ट नहीं बना है। 14 स्टेटों का लिस्ट जो बनी हुई है, वह कॉमन है मगर 10 या 12 स्टेटों में वह लिस्ट नहीं बनी है, उसके लिये भी सभी सरकारों को लिखा है कि शीघ्रातिशीघ्र आप लिस्ट बना दें। एक चीज मैं और बता देता हूं, सभी स्टेटों में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तद्नुकूल एक कमेटी बननी चाहिए थी, वह सभी स्टेटों ने नहीं बनाई है, कुछ स्टेटों ने बनाई है, कुछ स्टेट प्रोसेस में हैं मगर जहां तक लिस्ट बनाने की बात है, मैंने डायरेक्शन···

श्री राम विलास पासवान : यहां से आफीसरों को क्यों नहीं भेजते हैं, जैसे हम लोगों ने 14 जोइंट सैक्रेटरीज को भेज दिया था। 13 अगस्त को हुआ और तुरन्त भेज दिया कि 15 दिन बैठकर लिस्ट बनाकर ले आओ उसी तरीके से आप अपने यहां के जोइंट सेक्रेटरीज को उन 13-14 स्टेट्स में क्यों नहीं भेज देते हैं ?

श्री सीताराम केसरी : आपका सुझाव ठीक है। देख लूंगा कि अगर 5-7 दिन में नहीं भेजते हैं तो मैं कर दूंगा, उसमें क्या है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस साल लागू होगा कि नहीं ? 1993 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होगी कि नहीं ? आप सकारात्मक जवाब दीजिए, आपसे हम पोजिटिव जवाब चाहते हैं ।

श्री सीताराम केसरी : जो राम विलास जी ने कहा कि अगर हो सकता है तो करेंगे कि नहीं तो मैंने कहा कि अगर हो सकता है, प्रावधान होगा तो जरूर कोशिश करेंगे ।

6.23 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 15 मार्च, 1993/24 फाल्गुन, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : चौहान प्रिन्टिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53